Monday, 13th July, 1998

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहव लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 13 जुलाई, 1998/22 आषाढ़, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

..

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
10	नीचे से 9	परियोजाएं	परियोजनाएं
100	4	प्रो. रीता शर्मा	प्रो. रीता वर्मा
297	3	श्री कुल्लापल्ली रामचन्द्रन	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
357	23	(ग)	(घ)

विषय-सूची

द्वादश माला खंड 3 दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)

अंक 20, सोमवार, 13 जुलाई, 1998/22 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 362 से 381	3–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 3643 से 3872	58–365
सभा पटल पर रखे गए पत्र	367–382
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	382
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
तेतालीसवां, चवालीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन	382–383

लोक सभा

सोमवार, 13 जुलाई, 1998/22 आषाढ़, 1920(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण के नाम पर राष्ट्र को धोखा देने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रश्न काल समाप्त होने के बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रश्न संख्या 362 श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : प्रश्न संख्या 362 ....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : हम महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हैं। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। हम महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे पर प्रश्न काल के बाद चर्चा कर सकते हैं। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : जब तक कि सरकार एक स्पष्ट नीति नहीं बनाती है तब तक हम इसका विरोध करेंगे। सरकार राष्ट्र को धोखा देने का प्रयास कर रही है। इसीलिए, अध्यक्ष महोदय इस विधेयक को सभा में पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप प्रश्न काल के बाद इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया सहयोग दें। प्रश्न काल के बाद आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। श्री मोहन सिंह आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। लालू जी, बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, कृपया इस बात को समझिए कि आज हमारे पास महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, और सदस्यगण प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया स्थिति को समझिए। संदस्यगण महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। प्लीज बैठिए। ऐसा ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात मानिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नो, नो। ऐसा नहीं है। प्लीज क्वश्चन आवर को चलने दीजिए।

[अनुवाद]

आज हमारे पास महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं और सदस्यगण पूछना चाहते हैं। कृपया स्थिति को समझिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज आप बैठिए। जिन मैम्बर्स के क्वश्चन लगे हैं, वे उन्हें पूछना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वश्चन लगे हैं। प्लीज बैठिए। ऐसा मत कीजिए। हाउस को चलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बूटा सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद से अपील करता हूं कि वे अपना स्थान

ग्रहण करें। आप अपनी मांग को प्रश्न काल के बाद रख सकते हैं क्योंकि आज कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। श्री लालू प्रसाद, स्थिति को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने की अपील करता हूं। इस समय प्रश्न काल चल रहा है। प्रश्न काल के बाद आप कुछ भी मामला उठा सकते हैं। कृपया मेरी बात समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि यह समझिए यह प्रश्न काल है। आप प्रश्न काल के बाद इसे उठा सकते हैं। यह मामला प्रश्न काल के अन्तर्गत नहीं आता है। कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.11 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उत्खनन कार्यों में पाये गए ऐतिहासिक स्थल

***362. श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में विभिन्न उत्खनन कार्यों में पाये गए ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर उत्खनन कार्य किए हैं :

1. पैठन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र--इस स्थल का उत्खनन सोसायटी फार साउथ एशियन स्टडीज़, लंदन (यू. के.) के साथ संयुक्त रूप से किया गया। यहां ऐतिहासिक किलेबन्दी के साक्ष्य प्राप्त होना प्रारंभ हुए हैं जिन पर कुछ मध्यकालीन इमारतें हैं और साथ में दो चौथी से पांचवी शताब्दी के ईंट के मंदिर हैं जो 8वीं शताब्दी ईसवी तक विद्यमान रहे।

2. मन्सर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र–यहां एक बड़ी धार्मिक इमारत निकली है जो 300 ईसवी से 650 ईसवी तक समृद्ध रही।

3. लच्छूरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–यहां पर 1997–98 में शुरू की गई खुदाई से गुप्त काल के अवशेष मिलने शुरू हो गए हैं (लगभग चौथी शताब्दी ई. से 5वीं शताब्दी ईसवी)।

4. धौलावीरा, ज़िला कच्छ, गुजरात–यहां एक बड़ा महत्त्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का नगर मिला है, जो अपनी योजना, वास्तुशिल्प, जल एकत्रीकरण प्रणाली, अभिलेख के लिए उल्लेखनीय है और इससे हड़प्पा सभ्यता के उतार–चढ़ाव की जानकारी भी मिलती है, जिसकी समय सीमा आरंभिक 3 सहस्राब्दि ईसा पूर्व से दूसरी सहस्राब्दि ईसा पूर्व के मध्य के 1500 वर्षों के बीच है।

(ख) और (ग) पैठन तथा मन्सर पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं : लच्छूरा का संरक्षण उत्खनित साक्ष्य के स्वरूप पर निर्भर करेगा। धौलावीरा स्थल के संरक्षण के लिए प्रारम्भिक राजपत्र अधिसूचना ज़ारी की गई है।

[अनुवाद]

सर्वसुलभ सेवा दायित्व

363. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश की ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली का विस्तार करने के लिए सर्वसुलभ सेवा दायित्व सम्बंधी नीति तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में भी प्रतिपादित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इससे देश में ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली का कितना विस्तार होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज़) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सर्वसुलभ सेवा दायित्व और ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली के विस्तार पर सरकार से कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सर्वसुलभ सेवा के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर खुला परामर्श का कार्य करने का प्रस्ताव है और प्राधिकरण ऐसे परामर्शों के आधार पर सर्वसुलभ सेवा दायित्व के विभिन्न पहलुओं पर सरकार से सिफारिश कर सकता है

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी गांवों में यथाशीघ्र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध करा दी जाए। इसमें वर्ष 1997 तक सभी गांवों को सर्वसुलभ सेवा के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसका मतलब हुआ कि वहन योग्य एवं वाजिब मूल्यों पर कतिपय बुनियादी दूरसंचार सेवाएं आम लोगों तक पहुंचा दी जाएं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कालीकट के लिए स्वीकृत धनराशि

***364. श्री टी. गोविन्दन :**

श्री ए. सी. जोस :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबंधन संस्थान के अन्तर्गत इस समय कितने संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या इनके कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय प्रबंधन संस्थान, कालीकट के कार्यचालन हेतु धनराशि स्वीकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) भारतीय प्रबंध संस्थानों के अधीन कोई संस्थान कार्यरत नहीं है। तथापि, इस समय, अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, लखनऊ, कालीकट और इन्दौर में छः भारतीय प्रबंध संस्थान कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने 1992 में अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंध संस्थानों के सम्पूर्ण कार्य तथा प्रभाव का मूल्यांकन किया जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, इन संस्थानों के उद्देश्य, शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्य, अधिशासन, आत्मनिर्भरता, संसाधन जुटाना तथा संकाय विकास शामिल है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय सरकार 1996-97 में 1.00 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 1.75 करोड़ रुपये पहले ही दे चुकी है। वर्ष 1988-99 के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, कालीकट के वास्ते बजट में 3.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

विद्युत परियोजनाओं पर आर्थिक प्रतिबन्धों का प्रभाव

***365. श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र पर अमरीका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों का प्रभाव तत्काल पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय अमरीकी सहायता से कितनी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है;

(घ) अमरीकी सरकार की सहायता से इस समय कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं;

(ङ) क्या प्रतिबंन्धों के कारण वे सभी विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(च) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए भारत के विद्युत क्षेत्र में रुचि दिखाने वाले अन्य देशों के साथ कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार विभिन्न दाता राष्ट्रों द्वारा बनाए गए प्रतिबन्धों के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए वचनबद्ध विदेशी सहायता प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के चल रहे कार्यक्रमों में तत्काल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रशिक्षण, परामर्श और संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के रूप में मुख्यतया अमरीकी सरकार से सहायता प्राप्त की जाती है। यह विद्युत परियोजना का एक छोटा घटक होने के नाते अमरीकी सरकार की सहायता रोके जाने की दशा में विद्युत क्षेत्र पर विपरीत रूप में कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

(च) और (छ) वित्तीय सहायता के लिए बातचीत एक निरन्तर प्रक्रिया है। भविष्य में ऋण सहायता के लिए नई परियोजनाओं को अभिज्ञात और विकसित करने हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाताओं के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

समान विद्युत प्रशुल्क

*** 366. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समान विद्युत दरें लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को खुदरा उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत टैरिफ को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

औद्योगिक सुरक्षा और आपदा निवारण योजना

*367. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री भुवनेश्वर कालिता :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए की लागत वाली औद्योगिक सुरक्षा और आपदा निवारण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय देश और विदेश के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में एक पांच माह का व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया जा रहा है जिसके लिए जापान ने 2.40 करोड़ रुपए और नीदरलैण्ड ने 100 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना में गहरी रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व बैंक इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार ने एक औद्योगिक सुरक्षा और आपदा निवारण परियोजना तैयार करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य शुरू किया है। इन अध्ययनों के लिए वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया है जिसमें से 910,000 अमरीकी डालर जापान से अनुदान के रूप में तथा 150,000 अमरीकी डालर डच अनुदान के रूप में है।

देश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का खराब कार्यकरण

*368. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम शक्ति वाले अधिकतर टी. वी. ट्रांसमिशन केन्द्र ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन ट्रांसमिशन केन्द्रों में अधिकतर उपकरण खराब हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा खराब उपकरणों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के सभी भागों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) देश में अधिकांश अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर उपस्कर के संदर्भ में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। तथापि, इनमें से कई ट्रासंमीटर अन्य कारणों से पूर्णकालिक प्रसारण करने की स्थिति में नहीं हैं। स्टॉफ की अनुपलब्धता के कारण लगभग 200 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पूर्णकालिक प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं।

(ग) और (घ) अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में लगाए गए अधिकांश उपस्कर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके सुचारु कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से नेमी तथा आवधिक अनुरक्षण कार्य किया जाता है। किसी उपस्कर में दोष आने पर उसे तत्काल ठीक किया जाता है ताकि सेवा में अवरोध न हो।

(ङ) और (च) वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में 58 उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा 71 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की 9वीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने का विचार है जो कि संसाधनों, अन्य आधारभूत सुविधाओं एवं अपेक्षित जनशक्ति की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन

*369. **श्री जयसिंह जी चौहान :**

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जुलाई, 1997 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के साथ रह रहे अपने बच्चों को भरण पोषण खर्चा देने के लिए पिता को बाध्य करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री : (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभागेतर कर्मचारियों को नियमित किया जाना

*370. **श्री नरेन्द्र बुडानिया :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में डाकघरों में कार्यरत विभागेतर कर्मचारी सराहनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नियमित करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंट संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधायें प्रदान करने में सहायता मिलती है, जहां पर्याप्त कार्यभार के अभाव में एक पूर्णकालिक विभागीय डाकघर खोलना औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंट असांविधिक अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण एवं सेवा) नियमावली, 1964 द्वारा विनियंत्रित होते हैं और इसलिए इस सीमा तक, नियमित सिविल सेवा से बाहर होते हुए भी, वे पहले ही नियमित नियुक्तियों के धारक हैं, पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इस प्रकार, उनको नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि

*371. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्षवार विभिन्न राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट टाइगर योजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास संबंधी योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास कुल कितनी राशि के प्रस्ताव भेजे गए थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए जारी की गई कुल धनराशि निम्नलिखित है :

	1995–96	1996–97	1997–98 (लाख रु. में)
1. बाघ परियोजना	839.24	850.00	809.04
2. राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	1011.59	717.99	1211.93

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या और क्षेत्र, जैव–विविधता समृद्धि, शामिल प्रजातियों की दुर्लभता किस्म, गत वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि के उपयोग में राज्य सरकार के पिछले कार्य और स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालय के अनुमोदित आबंटन के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए आबंटन किए जाते हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा 2 योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

(लाख रुपयों में)

स्कीम	वर्ष	प्रस्ताव	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
बाघ परियोजना	1995–96	1029.29	140.97
	1996–97	941.21	141.57
	1997–98	797.77	133.27
राष्ट्रीय उद्यानों	1995–96	152.00	186.20
एवं अभयारण्यों	1996–97	147.90	41.87
का विवरण	1997–98	196.39	195.66

[*अनुवाद*]

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजाएं

*372. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" योजना के अंतर्गत चलाई गई परियोजनाओं के राज्य–वार और स्थान–वार नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक

परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है;

(ग) परियोजनावार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत कुछ और परियोजनाएं चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण I और II में उपलब्ध है।

(घ) से (ङ) पर्वतीय क्षेत्र, अल्पवृष्टि क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के अतिरिक्त प्लान्ट आधारित स्वास्थ्य प्रणाली, इलेक्ट्रानिक्स, स्वास्थ्य व्यवधान तथा धारणीय कृषि पर महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है। ये सभी योजनाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों की अलाभान्वित वर्गों की महिलाओं के लाभ के लिए चलाई जायेंगी।

विवरण-I

वर्ष 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98 में "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" योजना के अधीन स्वीकृत परियोजनाएं (राज्य वार)

क्रम सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का नाम तथा पता	स्वीकृत राशि तथा तारीख (रु.)	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	ग्रामीण महिलाओं द्वारा लाभप्रद नियोजन की ओर अग्रसर चावल की खेती में प्रभावी ब्ल्यू–ग्रीन एल्जी की स्थिति का संयुक्त अनुसंधान	डॉ. पी. रामराव प्रोग्रेस, प्रकाश निलयम 12–13, 623, नागार्जुन नगर, हैदराबाद	3,96,500/- (14–12–93)	125
2.	ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमवृत्ति का प्रोत्साहन	डॉ. के. चन्द्रलेखा श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	57,000/– (नवम्बर 94)	25
3.	ग्रामीण महिलाओं को वर्मीकल्चर प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	डॉ. पी. जानकीकृष्णा प्रोग्रेस 12–13–623, नागार्जुन हिल्स, हैदराबाद	3,96,800/– (14–03–95)	30
4.	आधुनिक रेशम उत्पादन गतिविधियों में प्रशिक्षण तथा ग्रामीण महिलाओं की आय एवं रोजगार के लिए अपक्षय एवं उप उत्पादों का उपयोग	श्री एन. डी. राजू ग्रामीण महिला विकास सोसाइटी दरवाजा सं. 24–14–1 विजयदुर्गा भवन, डीएनआर कॉलेज रोड भीमावरम, प. गोदावरी	4,59,800/– (22–08–97)	350
5.	स्वास्थ्य एवं पोषण उद्यमियों एवं अभिप्रेरकों के रूप में ग्रामीण महिलाएं	डॉ. एम. एस. बामजी डंगोरिया दातव्य न्यास, 1–7–1074, मुर्शिदाबाद हैदराबाद	5,31,000/– (3–2–98)	25

1	2	3	4	5
6.	आय के स्रोत के तौर पर ग्रामीण महिलाओं के बीच वर्मीकम्पोस्ट प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण तथा जैव उर्वरकों में वर्मीकल्चर का अनुप्रयोग	प्रोग्रेस, प्रकाश निलयम 12–13–623, नार्गाजुन नगर तर्नाका, हैदराबाद	1,50,000/– (23–7–97)	20
असम				
7.	ई आर आई कताई के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	डॉ. आर. एन. उपाध्याय, तानमुलपुर, आंचलिक गरमदन, संघ, पी ओ कुमारीकट्टा, असम	8,64,400/– (3–3–94)	85
8.	म्यूगा अपक्षय प्यूपे से तेल का पृथक्करण, इसके लक्षण–वर्णन और इसका उपयोग	डॉ. एस. के. चौधरी कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी असम–781 001	1,86,134/– (23–02–95)	70
9.	इनडोर रियरिंग तकनीक पर विशेष संदर्भ के साथ म्यूगा कल्चर का विकास	डॉ. जे. एन. तालुकदार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकसित अध्ययन संस्थान, जवाहरनगर खानपुरा, गुवाहाटी–781 020	10,34,580/– (21–03–95)	1500
10.	औषधीय पादपों की कृषि में महिलाओं की भागीदारी	श्रीमती स्वर्णा हंडीक पीस फाउंडेशन केन्द्र पी ओ नावजम, जिला : गोलाघाट असम–785 604	1,67,000/– (04–05–94)	50
11.	हिपैटिक अव्यवस्था पर विशेष संदर्भ के साथ हर्बल औषधियों का विकास	डॉ. जे. कोटोकी आई. ए. एस. एस. टी., खानापारा गुवाहाटी–781 022	13,46,256/– (03–08–95)	50
बिहार				
12.	धारणीय आय उत्पादन	डॉ. कपिल देव सिंह ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम पी ओ सुखोदेरोआ, जिला नवादा, बिहार	4,06,475/– (17–01–94)	480
13.	तीन गांवों में महिलाओं का समेकित विकास–ग्रामीण–शहरी अंतरापृष्ठ विकास की और वैज्ञानिक प्रयास	सुश्री आभा वर्मा ग्रामीण औद्योगीकरण सोसाइटी बरियातू, रांची	2,67,250/– (17–03–94)	1000
14.	वनस्पति तथा मशरूम को सुखाने के लिए कॉस्ट–इफैक्टिव सोलरड्रायर्स का विकास	डॉ. सुमन दत्ता ग्रामीण औद्योगीकरण सोसाइटी बरियातू, रांची	1,04,000/– (07–03–96)	–

1	2	3	4	5
दिल्ली				
15.	फल/वनस्पति प्रौद्योगिकी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर न्यूनतम लागत ऊर्जा संरक्षक शीत भंडारण व्यवस्था तथा एच पी में क्षेत्र परीक्षण/स्वदेशी	डॉ. रघुनन्दन, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन सोसाइटी बी–1, द्वितीय तल, एल. एस. सी., जे ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली	7,42,000/– (09–04–93)	259
16.	अम्बर चरखा के उत्पादन दर को बढ़ाकर बुनकरों के लिए मजदूरी बढ़ाने पर अध्ययन	डॉ. बी. सी. वर्मा, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, 19, विश्वविद्यालय रोड, पो बाक्स नं. 2122, दिल्ली	1,97,680/– (18–08–93)	55
17.	कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनी; विज्ञान और प्रौद्योगिकी फील्ड ग्रुप्स को संवेदित/अभिप्रेरित करना	डा. रघुनंदन, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र, बी–1 द्वितीय तल, एल. एस. सी. जे–ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली	2,85,000/– (18–02–94)	150
18.	अनुसंधान और विकास घटकों के साथ गैर–परम्परागत क्षेत्रों में रेशम उत्पादन का प्रचार	डॉ. पी. वासुदेवन, सेन्टर फॉर आर. डी. एण्ड ए. टी. आई. आई. टी., दिल्ली	2,80,800/– (03–03–94)	55
19.	ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यात्मक क्षमताओं का विकास–एक केस अध्ययन	डॉ. शक्ति काक एस. ई. एस. एस., नई दिल्ली	1,78,000/– (21–4–95)	20
20.	एक प्रोटोटाइप पेपर ड्रायर का विकास	डॉ. अरुण कुमार डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, बी–32, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली–110 016	2,88,650/– (17–06–94)	–
21.	बौद्धिक रूप से अपंग महिलाओं की इच्छाओं एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के स्थापन हेतु प्रौद्योगिकियां	डॉ. अशोक जैन एन. आई. एस. टी. ए. डी. एस. हिल साइड रोड, नई दिल्ली–12	6,30,220/– (11–01–95)	10
22.	महिलाओं द्वारा अपक्षय ग्लास रिसाइकलिंग	डॉ. एस. भानुमति, रसायन विज्ञान विभाग गार्गी कॉलेज, सिरिफोर्ट रोड, नई दिल्ली–110 049	46,900/– (02–02–95)	15
23.	कीट एवं मच्छर नियंत्रण की पादप आधारित जैव वैज्ञानिक प्रणालियों का मूल्यांकन	डॉ. पद्मा वासुदेवन सेन्टर फार आर. डी. एण्ड ए. टी. आई. आई. टी., नई दिल्ली–10016	4,83,000/– (13–03–95)	700

1	2	3	4	5
24.	देहरादून क्षेत्र में बागवानी उत्पाद का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण	डॉ. आराधना, प्रौद्योगिकी एवं विकास केन्द्र बी–1, एल. एस. सी., जे–ब्लाक साकेत, नई दिल्ली	6,78,000/– (23–03–95)	50
25.	बागवानी उत्पाद का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण–समन्वित परियोजना	श्री अमित सेनगुप्ता प्रौद्योगिकी एवं विकास केन्द्र बी–1, एल. एस. सी., जे–ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली	2,32,000/– (23–03–95)	20
26.	क्रीज प्रतिरोधक तथा अवघर्षण प्रतिरोध जैसी विकसित गुणों के साथ सस्ते फाइबर्स का उत्पादन करने के लिए कॉटन पौली–प्रोपलीन के सम्मिश्रण की संभावनाओं का पता लगाना	डॉ. बी. सी. वर्मा, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान 19, विश्वविद्यालय रोड, दिल्ली–110 007	5,14,860/– (05–07–95)	–
27.	हाथों से बनाए गए पेपर एवं इकोसस्टेनेबल ग्रामीण परियोजनाओं पर कार्यशाला	श्री एन. पी. सिंह एशियन उद्यमवृत्ति, शिक्षा एवं विकास सोसाइटी, बी–9/6238, वसंतकुंज नई दिल्ली–110 070	97,000/– (19–03–96)	50
28.	व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर शहरी झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं की कार्यात्मक क्षमता एवं वैज्ञानिक जानकारी विकसित करना	श्री आर. एल. चोपड़ा, दिशा, 13/88, ब्लाक सी–4/13 जनकपुरी, नई दिल्ली–58	5,28,000/– (18–03–96)	20
29.	व्यवस्था के लिए जल एवं मसाला संरक्षण के लिए एक मॉडल विकसित करना	डॉ. संतोष सी. आर. डी. टी. आई. आई. टी., हौज खास, नई दिल्ली	3,00,000/– (21–03–96)	50
30.	अतिसंवेदनशीलता के निदान के लिए एंटीजेन्स का विकास	डॉ. रीटा कुमार जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, माल रोड, निकट जुबली मार्ग, दिल्ली–110 007	6,97,400/– (22–09–95)	25
31.	माइक्रोराइजल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बंजर भूमि विकास में महिलाओं की भागीदारी	डॉ. सत्यवती शर्मा आर. आर. आर. एस., 20 विलेज अधचिनी श्री अरविन्दो मार्ग, दिल्ली–110 017	6,90,000/– (02–08–96)	25

1	2	3	4	5
32.	परम्परागत प्रौद्योगिकी एवं नियोजित महिलाओं का विकास – किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) में महिला कालीन बुनकरों पर एक अध्ययन	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सेन्टर फॉर आर. डी. एण्ड ए. टी. आई. आई. टी., नई दिल्ली	5,73,500/– (05–08–97)	15
33.	माइक्रोराइजल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बंजर भूमि विकास में महिलाओं की भागीदारी	डॉ. सत्यवती शर्मा, आर. आर. आर. एस., 20 विलेज अघचिनी श्री अरविन्दो मार्ग, दिल्ली–110 017	6,90,000/– (02–08–96)	25
34.	उद्यमवृत्ति उत्पादन इकाइयों को शुरू करने के लिए स्व–रोजगार तथा क्षमता अधिग्रहण के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी	श्री वाई. एल. नांगिया, मानवशक्ति प्रबंधन केन्द्र एफ–8/ए–मुनिरका फ्लैट्स नई दिल्ली–110 067	5,01,200/– (12–08–97)	20
35.	बागवानी उत्पादों का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण–चरण।।	एस. ई. एस. एस., बी–1, द्वितीय तल, एल. एस. सी., जे–ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली–110 017	8,67,700/– (21–11–97)	15
36.	बागवानी उत्पादों का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण – चरण।। समन्वयन	एस. ई. एस. एस., बी–1, द्वितीय तल एल. एस. सी., जे–ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली–110 017	4,54,000/– (23–02–98)	
गुजरात				
37.	परम्परागत खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकियों का डाक्यूमेंटेशन तथा पोषण एवं महिलाओं की आय में वृद्धि में उनकी भूमिका	डॉ. एन. के. जी. सिंह सारथी, पी. ओ. गोधर पश्चिम, वाया, लुनावाडा तालुका, संतरामपुर पंचमहल	48,000/– (24–02–94)	200
38.	महिला विज्ञान	प्रो. राचेल जार्ज, गृह प्रबन्ध विभाग, एम. एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ोदा बड़ोदा–390 002	2,74,840/– रुपये (14–03–95)	1000
हरियाणा				
39.	बागवानी उत्पाद का न्यून लागत प्रसंस्करण विकास के लिए बागवानी का अनुप्रयोग	श्री सतीश कुमार, हरियाणा विज्ञान मंच, 74/22, किशन पुरा, सोनीपत रोड, रोहतक	6,78,000/– रुपये (15.05.95)	50
40.	आर्थिक जीव्ययता के साथ क्षारीय बंजर भूमि विकास के लिए बागवानी का अनुप्रयोग	श्री सुनील कौशिक, विकास मित्र, ग्राम एवं पो.–फतेहपुर, हरियाणा	42,000/– रुपये (29.01.96)	25

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश				
41.	मण्डी में ग्रामीण महिलाओं के लिए समेकित रेशम उत्पादन परियोजना	श्री जोगिन्दर वालिया, प्रौद्योगिकी एवं विकास सोसइटी ग्राम–बध्याल पो.–टिकर, जिला–मण्डी	5,51,400/– रुपये (11.03.94)	70
42.	बागवानी उत्पाद का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण	श्री जोगिन्दर वालिया, प्रौद्योगिकी एवं विकास सोसइटी ग्राम–बध्याल पो.–टिकर, जिला–मण्डी	6,78,000/– रुपये (15.05.95)	50
43.	बागवानी उत्पाद का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण–चरण–।।	एस. टी. डी., ग्राम–बध्याल, पो. टिकर, जिला मण्डी	8,85,800/– रुपये (10.12.97)	15
कर्नाटक				
44.	जीव विज्ञान पर अध्ययन तथा मलबरी में ठकुरा रोग उत्पन्न करने वाले मीली बग का प्रबन्धन	डॉ. जी. वेराना, के. एस. एस. डी. एंड आर. आई. थालाघट्टापुरा, बंगलौर	2,75,120/– रुपये (10.02.94)	300
45.	कर्नाटक के गैर–परम्परागत क्षेत्रों में रेशम उद्योग में महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक आयाम	डॉ. जी. के. हीरेमठ, यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल धारवाड़	78,000/– रुपये (21.02.94)	150
46.	सूखा संभावित क्षेत्रों में अ. जा., अ. ज. जा. तथा अन्य आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी महिलाओं के लाभ के लिए चर्म तथा गैर–चर्म उपयोगी पदार्थों के अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	सुश्री एम शिवानन्द, एस. ए. बी. ए. एल. ए., पवन कृपा, सर्टिफाइड स्कूल के सामने, बीजापुर	4,38,600/– रुपये (23.02.94)	150
47.	ग्रामीण उपयोग के लिए बायोमास ईंधनयुक्त फल तथा वनस्पति ड्रायर का प्रदर्शन अनुप्रयोग एवं वितरण	डॉ. बी. एन. रघुनन्दन, ए. एस. टी. आर. ए., आई. आई. एस. सी., बंगलौर–560 012	1,06,300/– रुपये (13.05.94)	–
48.	ए आई आर डी, बंगलौर द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए रेशम अपक्षय कताई में प्रशिक्षण–सह–उत्पादन की स्थापना	डॉ. एम. वी. राजशेखरन, ए. आई. आर. डी., 7ए, रत्नविलास रोड, बासवनगुड्डी, बंगलौर–560 004	1,59,480/– रुपये (01.06.95)	325

1	2	3	4	5
49.	महिला विज्ञान के लिए तैयारी	श्रीमती श्यामला हीरेमठ, भारत विकास सेवा, निकट जर्मन हास्पिटल, मुहन्तेश नगर, धारवाड़–580 008 (कर्नाटक)	2,44,300/– रुपये (08.03.95)	1000
50.	ऊन तथा अपक्षय रेशम कताई के लिए मिडलिरी चरखा के प्रयोग	श्रीमती श्यामला हीरेमठ, भारत विकास सेवा, साधनकेरी रोड, निकट जर्मन हास्पिटल, धारवाड़–580 008	1,08,240/– रुपये (22.10.96)	50
51.	महिला विज्ञान	श्रीमती श्यामला हीरेमठ, भारत विकास सेवा, साधनकेरी रोड, निकट जर्मन हास्पिटल, धारवाड़–580 008	11,31,850/– रुपये (07.03.97)	50
52.	छोटे पैमाने पर फलों एवं वनस्पतियों के प्रसंस्करण में महिला उद्यमवृत्ति	डा. स्वाति भोगले, टी. आई. डी. ई., 23, प्रथम तल, वैस्ट पार्क रोड, मालेश्वरम, बंगलौर	5,70,200/– रुपये (9.2.98)	25
केरल				
53.	गीले नारियल ग्रेटिंग को सुखाने के लिए नई सोखन प्रणाली का विकास	डा. पी. पी. थामस, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम	2,40,000/– रुपये (28.03.94)	–
54.	गरीब किसानों तथा ग्रामीण युवाओं को शामिल कर मारीकल्चर, सेरिकल्चर, रीलिंग, बुनाई, वस्त्र निर्माण तथा उप–उत्पादों के उपयोग का समेकित विकास–एक पाइलट परियोजना	डॉ. एम. के. प्रसाद, आई. आर. टी. सी., के. एस. एस. पी., मुन्डुर, पालघाट–678 592	78,200/– रुपये (16.08.94)	450
55.	महिलाओं के लिए तकनीकी एवं आय उत्पादक गतिविधियों पर निरन्तर प्रशिक्षण	प्रो. एल. प्रेमा, गृह विज्ञान विभाग, कालेज आफ एग्रीकल्चर, केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लायानी–695 522	1,49,100/– रुपये (23.01.95)	95

1	2	3	4	5
56.	कन्नमपाडी कालोनी की जनजातियों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए उनके बीच परम्परागत प्रयोगों का विकास	डॉ. आर. आर. दास, पीरमेड डिवलपमेंट सोसाइटी, पी. ओ. बाक्स सं. 11, पीरमेड, केरल	2,38,650/– रुपये (18.01.95)	40
57.	ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए अमरकंद कृषि	फादर फ्रांसिस कोलिनचेरी, ऐश्वर्यग्रामम परापुरम, कन्जूर, निकट कलाडी, एर्नाकुलम	3,87,700/– रुपये (7.1.98)	375
58.	उष्णदेशीय मशरुम के उत्पादन एवं खरीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम	श्री के. रंगाथन, आई. एन. एफ. ए. सी. इ. मलयाला सन्देशम भवन ओल्लाथुन्नी नयनटिंकारा, त्रिवेन्द्रम	2,00,000/– रुपये (9.2.98)	15
59.	कन्नमपाडी कालोनी की जनजातियों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए उनके बीच परम्परागत प्रयोगों का विकास	पी. डी. एस., इडुकी, पो. बा. सं. 11, पीरमेड	25,000/– रुपये (22.7.97)	30
मध्य प्रदेश				
60.	म. प्र. की एक आदिम जनजाति कमार की खाद्य आदतों का मूल्यांकन तथा उनके पोषण की स्थिति का आकलन	डॉ. अरुणा पालटा गृह विज्ञान विभाग, जी. जी. ए. पी. जी. कालेज, रायपुर	50,000/– रुपये (25.03.94)	200
61.	गांव पाली/हरदी बाजार, बिलासपुर (म. प्र.) में सिसेल फाइबर प्रसंस्करण के लिए एक प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र की स्थापना	डॉ. लखन सिंह, म. प्र. विज्ञान सभा 9. ए, सिविल लाइन्स, मुमताज मंजिल, 4, बंगलो रोड, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल–462 002	2,60,200/– (07.03.95)	36
महाराष्ट्र				
62.	वेस्ट पेपर पर पलूरोटस सजोर–काजू की खेती पर अध्ययन	डॉ. टी. आनन्द भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ नागपुर शाखा, नागपुर	1,74,400/– रुपये (15.04.93)	20
63.	ग्रामीण प्रयोगशाला प्रोद्योगिकी–।।	डॉ. एस. एस. कलबाग, विज्ञान, आश्रम, पबल, पुणे	2,92,789/– रुपये (06.03.95)	86

1	2	3	4	5
64.	आत्म निर्भरता के लिए अवसरों के माध्यम से शहरी झुग्गियों में रहने वाली आश्रयहीन महिलाओं द्वारा खाद्य, स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति में सुधार के प्रयास	डॉ. शोभा ए. उडीपी गृह विज्ञान में पी. जी. अध्ययन अनुसंधान विभाग, एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, शान्ताक्रुज (पश्चिम) मुम्बई–400 049	3,00,800/– रुपये (20.03.95)	700
65.	बागवानी उत्पादन का न्यूनतम लागत प्रसंस्करण एवं संरक्षण	श्रीमती सविता कुरन्डावले, आरोग्य दक्षता मण्डल 1913, सदाशिव पेठ पुणे	6,78,000/– रुपये (28.03.95)	50
66.	तालुका उडमीर, जिला लातूर में पी. बी. एच. एस. कार्य परियोजना	डॉ. ए. पटवर्धन, आरोग्य दक्षता मण्डल 1913, सदाशिव पेठ, पुणे	5,67,000/– रुपये (21.03.95)	100
67.	उष्णदेशीय वृक्षों में गुमोसिस को शुरू करना तथा/या बढ़ावा देना	डॉ. सोहम पाण्डया सी. एस. बी. मगन संग्रहालय, वर्धा–442 001	4,41,200/– रुपये (01.12.94)	40
68.	पशु चारे के रूप में केला राइजोम का प्रयोग	डॉ. टी. डी. निगम वनस्पति विभाग माडर्न कालेज, पुणे–411 005	1,04,200/– रुपये (22.12.94)	20
69.	महिलाओं द्वारा सल्फर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण	डा. कमल ताओरी, द्वारा महिला कल्याण संस्थान, 235/3239, टैगोर नगर, विकरोली (पूर्व) मुम्बई–400 083	75,000/– रुपये (19.10.95)	25
70.	शब्जियों की खेती के लिए जैव–जलसंवधर्न	श्रीमती चित्रा कटे धर्ममित्र शिवा स्ट्रीट, बैंक ऑफ इण्डिया कालोनी, मालवाड़ी, वर्धा–442 001	2,68,100/– रुपये (25.01.95)	50
71.	गांवों से महिलाओं के दल के कार्य माध्यम से अग्रणी आत्मनिर्भर विकास	डा. सोहम पाण्ड्या, सी. एस. वी. मगन संग्रहालय, वर्धा–442 001	9,64,300/– (15.10.96)	75
72.	महिलाओं का परती भूमि प्रबंधन और जलसंभर विकास	जाग्रति महिला समाज, बालाजी वार्ड, बल्लारपुर, जिला चन्द्रपुर	2,97,000/– (07.01.98)	50

1	2	3	4	5
मणिपुर				
73.	मणिपुर के उखरुल जिले में पी. वी. एच. एस.	श्री डब्ल्यू, जिंगखाइ, एस. टी. सी. सी. डी., विनो बाजार, उखरुल, मणिपुर–795 142	87,000/– (15.03.95)	25
74.	इम्फाल में प्रचार प्रसार हेतु अपनाया गया लूम डिजायन एस टी सी सी डी/एस एम ए आर टी एस का और संशोधन	श्रीमती निर्मला देवी, चिंगामथक नामेरकपम, मखा हई विकास केन्द्र, पो. आ. इम्फाल, चिंगामथक, मणिपुर–795 001	4,30,850/– (12.01.96)	150
75.	झूमिंग खेती के लिए कम्पोस्ट खाद तैयार करने, उत्पादन करने का प्रदर्शन	श्री के. कोशांग, कमजोर वर्ग विकास परिषद खांगशिम, पो. आ. काकचिंग, मणिपुर–795 103	3,70,000/– (15.12.95)	40
76.	महिला विज्ञान खोज, प्रसारित और सुदृढ़ीकरण हेतु मिश्रित बागवानी का संवर्द्धन	श्री डब्ल्यू जिंगखई, सामुदायिक विकास का विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, विनो बाजार, उखरुल, मणिपुर–795 142	4,96,775/– (10.02.97)	100
77.	घरेलू पैमाने पर पैर से चलाई जाने वाली धान मिल	डा. सुरेन्द्रनाथ, मणिपुर एस. एण्ड टी. परिषद, ताक्यालपेट कार्यालय परिसर, इम्फाल–795 001	3,93,300/– (24.07.97)	20
78.	ग्रामीण महिलाओं के लिए जड़ी–बूटी वाली दवाओं का प्रोन्नयन	युवाओं के लिए विकास और सहकारिता परिषद, पुखाव, एस. पी. ओ. पांगेई, मणिपुर	1,93,000/– (10.10.97)	40
नागालैंड				
79.	फलों और नकदी फसलों को उगाना, प्रसंस्करण और बाजार व्यवस्था	डॉ. जवेरी हीसे महिलाओं की बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी, इन्हुलुमी गांव, पो. आ. चिजामी फेक, जिला–नागालैंड	3,44,000/– (11.08.94)	40
उड़ीसा				
80.	जनजातीय क्षेत्र में चावल आधारित ओ. आर. एस. का प्रवर्तन	डॉ. एन. के. पट्नायक, एफ. आई. एस. एच., 509, शहीद नगर, भुवनेश्वर	88,700/– (21.02.94)	300
81.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण	श्री खेमेन्दु, सी. ए. आर. डी., कोरापुट 2 आर ए, 50/7 ए. ई. एफ. कालोनी, सुनावेदा, उड़ीसा	6,78,000/– (31.03.95)	50

1	2	3	4	5
82.	बागवानी उत्पादों का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण चरण–।।	सी. ए. आर. डी. चिंगुडिचौन, पो. ओ. नन्दापुर, जिला–कोरापुट, उड़ीसा	8,81,900/– (8.12.97)	50
पांडिचेरी				
83.	रेशम–उत्पादन और रेशम उद्योग में लगे महिला कर्मचारियों की कार्यात्मक क्षमताओं को तैयार करना।	श्रीमती अनुपमा पै, पांडिचेरी साइंस मंच, 63 पास्च्यूर नगर, विनोबा नगर विस्तार पांडिचेरी–605 008	1,92,400/– (5.12.95)	250
84.	समुचित एस एण्ड टी निवेशों और कार्यक्रम डिजाइन का उपयोग करते हुए प्रभावी, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करना	डॉ. टी. सुंदररमन, पांडिचेरी साइंस मंच, नं. 46 विनयकारकोली गली पेरुमल राजा थोट्टम, पांडिचेरी	6,15,280/– (13.01.97)	150
85.	रामनाथ पुरम जिले में महिलाओं की सहकारिता के संदर्भ में पशु–पालन में रोजगार प्राप्त महिलाओं की कार्यात्मक क्षमताओं का निर्माण (एक विशेष कार्यक्रम)	सुश्री एस. सुधा, पांडिचेरी साइंस मंच, नं. 46 विनयकारकोली गली पेरुमल राजा थोट्टम, पांडिचेरी	2,89,200/– (14.01.97)	50
राजस्थान				
86.	शुष्क क्षेत्रों के फलों और मेवों का प्रसंस्करण और संरक्षण	डॉ. पी. के. मालवीय, सेन्ट्रल ऐरिड जोन, स्थानिक संस्थान, जोधपुर–342 003	3,69,800/– (13.03.95)	300
87.	स्थानिक परीक्षण : पॉयलट सर्वेक्षण, आविष्कार बीमारी, और दवा उत्पन्न करने वाले पौधे, उपयोग और खेती	डॉ. सुधाकर मिश्रा, राजस्थानी अध्ययनों का संस्थान, ए–75, भामा मार्ग, तिलक मार्ग, जयपुर 302004	79,000/– (22.12.94)	–
88.	उदयपुर में पी. बी. एच. एस. संस्थान के फील्ड परीक्षण।	डॉ. आर. एस. गुप्ता जजरन जन विकास समिति 282, फतेहपुर, उदयपुर	76,000/– (जून 95)	–
89.	उदयपुर जिले में सजातीय– औषधिक–वानस्पतिक परीक्षण, औषधिक पौधों का उसी स्थान पर संरक्षण एवं पारंपरिक चिकित्सकों की भूमिका	डॉ. आर. एस. गुप्ता जागरण जन विकास समिति, 282, फतेहपुरा, उदयपुर	11,59,000/– (19.03.96)	250
90.	पशुपालन और कृषि उत्पाद में उन्नत तकनीकों के माध्यम से शुष्क जोन में आत्मनिर्भर ग्राम विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण	डा. एल. एम. सक्सेना, महिला शिक्षा एवं विकास संस्थान, किशोर भवन, मुख्य पुलिस लाइनगेट के सामने, रतनादा, जोधपुर–342 001	3,94,000/– (02.07.96)	500

1	2	3	4	5
91.	ग्रामीण महिलाओं को (i) राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सौर फोटोवाल्टिक प्रणाली की संस्थापना, संरचना और मरम्मत एवं अनुरक्षण में (ii) गांवों में पाइप लाइनों से जल आपूर्ति स्कीमों के नियोजन और कार्यान्वयन में प्रशिक्षण	डॉ. लक्ष्मण सिंह, सामाजिक कार्य एवं शोध केन्द्र, तिलोनिया, अजमेर, राजस्थान–305 816	5,10,000/– (22.08.97)	50
92.	उदयपुर जिले में सजातीय चिकित्सकीय वानस्पतिक परीक्षण, औषधिक पौधों का उसी स्थान पर संरक्षण और पारम्परिक चिकित्सकों की भूमिका	जागरण जन विकास समिति, 282, फतेहपुरा, चंगीनाका, उदयपुर	4,00,000/– (02.07.97)	50
93.	औषधिक पौधों के लिए खेती तथा शोध केन्द्र	जागरण जन विकास समिति, 282, फतेहपुरा, चुंगीनाका, उदयपुर	27,000/– (02.07.97)	50
तमिलनाडु				
94.	केरल में मातृ एवं शिशु देखभाल के विशेष संदर्भ में स्थानिक चिकित्सा पर उपलब्ध सामग्री को जुटाना, मूल्यांकन और प्रकाशन	डॉ. जी. जी. गंगाधरन, जन स्वास्थ्य पराम्बरा संवर्धन परिसर, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर	1,27,000/– (10.05.93)	100
95.	बीमारी प्रतिरोधी संकर मुर्गी पालन से रोजगार और आय सृजन	श्री वी. मारिमुथु, कल्याण समिति सलेम, 46, सुरंगपलम रोड, कुमारस्वामी पट्टी सलेम	15,06,000/– (13.01.94)	368
96.	महिलाओं के लिए आय सृजन हेतु केला और अगवा से रेशा निकालने की तकनीकों में सुधार	श्री पी. भगवतीश्वरन, सामाजिक विकास केन्द्र, कुलाला स्ट्रीट, तिरुनारकुरुची, अम्यानडिविलई, कन्याकुमारी	1,33,800/– (13.01.94)	130
97.	खेतिहर महिलाओं के लिए घरेलू प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और विकास	श्री एस. रमेश, वेदापुरी कृषि विज्ञान केन्द्र, 13, क्रीसेंट पार्क स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास–600 017	52,350/– (28.11.94)	150
98.	आय सृजन हेतु प्राकृतिक रंगों के उपयोग वाली नई तकनीकों का प्रसंस्करण	डॉ. टी. एम. वत्सल मुरुगप्पा चेटियार स्था. केन्द्र, तारामणि, मद्रास –600 018	3,31,600/– (29.12.95)	300

1	2	3	4	5
99.	कम ऊर्जा यांत्रिक उपकरणों के उपयोग के माध्यम से नारियल जटा से जुड़े कामगारों की आय में तीन तरह से सुधार	डॉ. टी. एस. रामकुमार, ग्रामीण पुननिर्माण केन्द्र, एथामोझी रोड़, चेन्नवन्नविलेइ, नागरकोइल–629 002	3,59,960/– (21.03.96)	300
100.	ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के मध्य भण्डारण और खाना बनाने की उन्नत तकनीकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना	श्री वी. जयराज एस. डब्ल्यु. ई. एस. टी. आई. सी., पो. बाक्स सं. 52, डिन्डीगुल–624 001	1,17,000/– (28.06.95)	500
101.	देशीय किण्वित फलों का प्रौद्योगिकी विकास और अन्तरण	डॉ. टी. एस. वत्सल, एम. सी. आर. सी. तारामणि मद्रास	3,01,800/– (29.11.95)	25
102.	महिलाओं के लिए अधिक आय सृजन हेतु ताड़ पत्र गैर डंठल उत्पादों में नवीनतम उपकरण/मशीनें	श्री पी. सलेवन, सी. ई. आर. टी. सी. ओ., मडोना स्ट्रीट, वीरापाण्डियनपट्टनम चिदाम्बरनर जिला, तमिलनाडु–628 216	1,39,000/– (02.07.96)	300
103.	धान पुआल, मशरूम प्रौद्योगिकी का प्रसार	एल. एम. एच. अब्दुल सलाम समाज कल्याण केन्द्र, 4/वी–1, छोटा गुम्बद स्ट्रीट, तिरुवरुर–610 002	4,87,640/– (24.01.97)	50
104.	खेतिहर महिलाओं के लिए घरेलू फसल पर्यन्त प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और विकास	श्रीमती लोगानायागी, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, 13, क्रीसेंट पार्क स्ट्रीट टी नगर, मद्रास–600 017	4,28,940/– (07.03.97)	50
105.	ग्रामीण महिला वर्ग की सफाई व्यवस्था और जल प्रबंध व्यवहार हेतु पुनः प्रयोग वाले मॉडलों को विकसित करना	श्री एस. चन्द्रशेखरन ग्रामीण शिक्षा और विकास एसोसिएशन (आर. ई. डी. ए.) 17, तिरुवल्लूर, मेन रोड, षण्मुगापुरम, पलानी–624601 मन्नार तिरुमलाई जिला	1,33,540/– (28.07.97)	85
106.	तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले की महिलाओं के आय सृजन हेतु कंप्यूटर अध्ययन का प्रशिक्षण	डॉ. डी. पद्मनाभन, सी. आर. एस. एस. टी. सी., कलेइतिर भवन अवनाशी रोड, कोयम्बटूर	4,19,000/– (09.02.98)	20

1	2	3	4	5
107.	मुथुकाडु, तमिलनाडु में कमजोर वर्गों से संबंधित 40 लड़कियों को पुस्तकालय सहायक तथा सचिवों के रूप में प्रशिक्षण	श्रीमती प्रेमान्जलि राव, सी. आर. ई. एन. ई. ओ., 1 फस्ट स्ट्रीट हडोस रोड, चेन्नई।	4,45,900/– (19.02.98)	40
108.	महिला–जड़ी–बूटी–स्वास्थ्य–रोजगार	अन्त्योदय संघ, 7–ए, मिशन अस्पताल रोड ओरियार, तिरुची	3,50,000/– (15.07.97)	60
त्रिपुरा				
109.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण	श्री मिहिर लाल राय, सामाजिक कार्य एवं शोध केन्द्र, महिम सदन, 76 एच. जी. वसक रोड मेलारमठ, अगरतला	6,78,000/– (28.03.95)	50
110.	पी. वी. एच. एस. फील्ड परीक्षण	श्री दिगान्त वसु, सामाजिक कार्य एवं शोध केन्द्र, महिम सदन, 76, एच. जी. वसक रोड मेलारमठ, अगरतला	73,000/– (06.05.94)	–
111.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण चरण–।।	सी. एम. डब्ल्यु. आर., दूसरा फ्लैट भूतल, 158, सी. एच. डी. वसक रोड, मेलारमठ, अगरतला पश्चिम त्रिपुरा	8,97,300/– (11.12.97)	20
उत्तर प्रदेश				
112.	गढ़वाल हिमालय की ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुउद्देशीय नर्सरी विकास के माध्यम से पारिस्थितिकीय उन्मुख आर्थिक सृजन	डॉ. अरुण के. अग्रवाल एच. ई. एस. सी. ओ., विज्ञान प्रस्थ, ग्वारचौकी, होल्टियर 246 436 चमोली	3,53,200/– (23.02.94)	96
113.	महिलाओं के लिए विज्ञान केन्द्र की स्थापना	डॉ. टी. आर. पालीवाल, आर. शिक्षा समिति 85, सैक्टर–9 फरीदाबाद	1,82,000/– (21.03.94)	100
114.	महिला विज्ञान	श्रीमती अमला विद्यार्थी, मनोवादय बी–1/26, अलीगंज, लखनऊ	3,08,200/– (28.03.95)	1000
115.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण	डॉ. अनिल जोशी, एच. ई. एस. सी. ओ. विज्ञान प्रस्थ, ग्वारचौकी, होल्टियार–246 436 चमोली	6,78,000/– (23.03.95)	100
116.	गढ़वाल हिमालय में क्रोटोलेरिया जुंसिया का पुनः प्रर्वतन	डॉ. कुमार अमरीश, एच. ई. एस. सी. ओ. विज्ञान प्रस्थ, ग्वारचौकी चमोली	1,69,000/– (17.06.94)	50

1	2	3	4	5
117.	महाराजगंज, उ. प्र. में वी. जी. ए. की लोकप्रियता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री वी. के. पाण्डेय, श्री भारद्वाज ग्राम उद्योग सेवा संस्थान पो. आ. सलामतगढ़, जिला–महाराजगंज, उ. प्र.	67,200/– (28.07.94)	60
118.	गढ़वाल हिमालय की चारागाहों में मोन्टाना वन के जलने और चाराघास के उगने में परस्पर कार्यव्यवहार	डॉ. जे. पी. मेहता, वनस्पति विभाग हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल–246 174	1,42,600/– (10.02.95)	40
119.	उ. प्र. के पर्वतीय क्षेत्रों में आय सृजन हेतु महिलाओं द्वारा जड़ी–बूटियों की खेती	डॉ. बी. कुमार, हिमालय अध्ययन परिमण्डल पाण्डेगांव, पिथौरागढ़–262 509	85,000/– (30.08.94)	25
120.	गढ़वाल हिमालय के दूर–दराज के क्षेत्रों में सामान्य बीमारियों की जांच और स्थानीय जड़ी–बूटी की दवाओं से उनकी चिकित्सा उपाय तथा उनमें महिला वर्ग की भागीदारी	डॉ. ओ. पी. सती, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल	3,80,600/– (25.01.95)	50
121.	गढ़वाल हिमालय में पर्वतीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में पारम्परिक चिकित्सा एवं जड़ी–बूटियों की खेती के पहलू और संभावना	डॉ. ए. के. बदोनी, एस. एच. ई. आर., चकराता रोड, विकास नगर, देहरादून–248 198	4,53,700/– (20.12.94)	100
122.	ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार हेतु महिलाओं का प्रशिक्षण और विकास	श्री आर. एन. कपूर इलाहाबाद ग्रामीण विकास सोसाइटी 26, चैथम लेन, इलाहाबाद–211 002	2,29,900/– (29.12.95)	150
123.	गढ़वाल हिमालय में गैर–परम्परागत तैलीय पौधों की संभावना और प्रवर्तन	डॉ. अनिल जोशी, एच. ई. एस. सी. ओ., ग्वारचौकी, घोल्टियार, उ. प्र.	4,29,000/– (जनवरी, 96)	75
124.	बागवानी उत्पाद के संरक्षण और प्रसंस्करण में ग्रामीण महिलाओं की मौजूदगी	डॉ. सुचित्रा कुमार, ग्रामीण आबादी की बेहतरी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग, 66, रवीन्द्र गार्डन, सैक्टर ई अलीगंज, लखनऊ–226 020	2,71,600/– (01.11.95)	60
125.	डिजाइन और लागत प्रभावी तथा गुणवत्ता वाली प्रक्रिया विकास के लिए फैशन डिजाइनिंग और कपड़ा/छपाई की पारम्परिक विधियों का अध्ययन	श्रीमती अमिता सिंघानिया, निर्मात्री विकास सेवा संस्थान 104ए/307 रामबाग, कानपुर–208 012	3,93,300/– (24.07.97)	20

1	2	3	4	5
126.	06 और 07 सितम्बर, 1997 को पर्वतों के विशेष संदर्भ में महिलाएं और प्रौद्योगिकी	डॉ. अनिल पी. जोशी, एच. ई. एस. सी. ओ. विज्ञान प्रस्थ, ग्वारचौकी, पो. घोल्टियार–246 430 चमोली (उ. प्र.)	45,000/– (28.08.97)	15
127.	स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए समुचित प्रौद्योगिकी उपकरणों के विकास, निर्माण पर तकनीकी प्रशिक्षण देकर ग्रामीण महिलाओं को वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक निवेश मुहैया कराना	श्री महेश प्रसाद मिश्रा सूचना एवं समुचित प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षेत्रीय केन्द्र, बी–275, मेहदौरी कालोनी टेलियरगंज, इलाहाबाद–211 004	77,000/– (01.09.97)	30
128.	बागवानी उत्पाद के संरक्षण और प्रसंस्करण में ग्रामीण महिलाओं की मौजूदगी	एस. यू. एस. टी. यू. आर. पी. 447, आर्य नगर, सीतापुर लखनऊ	1,00,000/– (13.05.97)	50
129.	जड़ी–बूटियों और सुगंधित पौधों तथा नृजाति–जैविक विज्ञान पर प्रशिक्षण	जातीय वनस्पति विज्ञानी सोसाइटी, एन. बी. आर. आई., लखनऊ	22,276/– (13.05.97)	50
130.	गढ़वाल हिमालय में गैर–परम्परागत तैलीय पौधों की संभावनाएं और प्रर्वतन	एच. ई. एस. सी. ओ., विज्ञान प्रस्थ गांव ग्वारचौकी, पो. आ. घोल्टियार, चमोली, उ. प्र.	1,40,000/– (04.08.97)	10
131.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण चरण–।।	एच. ई. एस. सी. ओ., विज्ञान प्रस्थ गांव ग्वारचौकी, पो. आ. घोल्टियार, चमोली, उ. प्र.	6,39,700/– (09.03.98)	60
132.	नवीनतम प्रौद्योगिकी से वन उत्पाद की उपयोगिता पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार	एच. जे. बी. एस. एस. वी., 280/29, रक्षालय, मोती नगर, लखनऊ	5,14,000 (09.03.98)	100
पश्चिम बंगाल				
133.	अकुशल कामगारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण से उनकी आय वृद्धि करना	श्री प्रणव मुखर्जी, वर्डिक्ट सोसाइटी 13–ए, नयन कृष्ण, साहा लेन, कलकत्ता	1,19,700/– (01.02.94)	60
134.	बागवानी उत्पाद का कम लागत संरक्षण	श्री सोभ महतो, प्रशिक्षण और विकास संस्थान धोवापुरा रघुनाथपुर, जिला–पुरुलिया	39,600/– (20.02.94)	25

1	2	3	4	5
135.	दूर–दराज के गांवों में सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए पारम्परिक दायी का प्रशिक्षण	डॉ. जे. बनर्जी, श्री अरविन्द अनुशीलन सोसाइटी, सेहरापुर सूरी	1,43,500/– (03.03.94)	150
136.	फलों और सब्जियों को सुखाने में फील्डस्तर पर अनुप्रयोग हेतु डिजाइन किए गए पायलट पैमाने पर सुखाने वाले उपकरणों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन	प्रो. सुनित मुखर्जी डॉ. सुभाष मुखर्जी मेमेरियल पुर्न–उत्पादन, जैव विज्ञान शोध केन्द्र, 151–153 डायमण्ड हार्बर रोड, कलकत्ता–700 034	91,300/– (13.05.94)	158
137.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण समन्वित कार्यक्रम हेतु तकनीकी सहायता परियोजना	प्रो. सुमित मुखर्जी, डा. सुभाष मुखर्जी मेमेरियल पुर्न–उत्पादन जैव विज्ञान शोध केन्द्र 151–153 डायमण्ड हार्बर रोड, कलकत्ता–700 034	5,27,000/– रुपये (28.03.95)	–
138.	पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी बूटियां	श्री राम शंकर वसु ए. एम. कालेज, पी. ओ. झालदा	31,000/– रुपये (14.03.95)	25
139.	वर्मि कम्पोस्ट और पर्यावरणीय स्वच्छता की तकनीकी--आर्थिक व्यवहार्यता	डॉ. ए. के. चट्टोपाध्याय तराकाटा जनजाति विकास सोसाइटी मीरा भवन, लाल डिगीपारा, डी. एम. बंगलो रोड, पी. ओ. सूरी	2,55,000/– रुपये (11.02.96)	500
140.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण	डॉ. टी. चक्रवर्ती, एफ. ओ. एस. ई. टी. 6/1 सूडर स्ट्रीट, कलकत्ता	6,78,000/– रुपये (17.05.95)	50
141.	दूर दराज के गांवों में सुरक्षित प्रसव कराने के लिए पारम्परिक दायी प्रशिक्षण	डॉ. जे. बनर्जी, श्री अरविन्द अनुशीलन सोसाइटी सेहरापाड़ा, पी. ओ. सूरी–731 001	1,88,500/– रुपये (02.07.96)	100
142.	विविध रूप जूट उत्पादन में महिलाएं	श्रीमती कावेरी दासगुप्ता, दिशा, 3, विद्यासागर निकेतन, साल्ट लेक, सेक्टर 1 कलकत्ता–700 064	6,46,340/– रुपये (03.10.96)	400

1	2	3	4	5
143.	स्थानीय लोगों के मूल रूप से स्वास्थ्य सुधार के लक्ष्य के साथ पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की जड़ी–बूटियों की खेती तथा संरक्षण	डॉ. इला चौधरी, समान स्वयंसेवा कार्य सोसाइटी, 52/3 विद्यातन सरणी कलकत्ता–700 035	5,15,000/– रुपये (30.04.96)	50
144.	प. ब. के कूच बिहार जिले में पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता परस्पर संबंध पर अध्ययन तथा सजातीय ग्रुपों की सहबद्धता	श्री तपन मिश्रा, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच हेमन्त बसु भवन, 12–बी, बी. डी. बाग, कलकत्ता	1,00,000/– रुपये (01.10.96)	–
145.	विविध रूप जूट उत्पादन में महिलाएं	श्रीमती कावेरी दासगुप्ता, दिशा, एक्स 3, विद्यासागर निकेतन, साल्ट लेक, सेक्टर 1 कलकत्ता–700 064	6,46,340/– रुपये (03.10.96)	400
146.	ग्रामीण गरीबों के मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए जड़ी बूटियों को उगाने का सरल तरीका	वर्डिक्ट, 13 ए, नयन कृष्ण साहा लेन, कलकत्ता	50,000/– रुपये (23.07.97)	15
147.	बागवानी उत्पाद का कम लागत प्रसंस्करण और संरक्षण चरण–।।	एफ. ओ. एस. ई. टी. 6/1, सूदर स्ट्रीट कलकत्ता	8,60,000/– रुपये (23.01.97)	50

विवरण-II

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 1997–98 के लिए (राज्य वार) महिलाओं और ग्रामीण विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का नाम तथा पता	स्वीकृत राशि तथा तारीख (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	रेशम कीट पालन आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले की ग्रामीण पट्टियों में महिलाओं के रोजगार हेतु एक जैव प्रौद्योगिकी उपकरण	डॉ. (श्रीमती) कैसेर जमील भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	11,00,000/–	80
दिल्ली				
2.	उद्यमों के माध्यम से महिलाओं को अधिकार प्रदान करना	डॉ. एस. लक्ष्मी देवी महिला कॉलेज अनुप्रयुक्त विज्ञान, झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार, दिल्ली	22,96,000/–	50

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
3.	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण हेतु महिला आबादी की पारम्परिक और जैव प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोणों का प्रशिक्षण	डॉ. (श्रीमती) जे ललिता जैव रसायन विभाग गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग	8,90,000	50
केरल				
4.	केरल की चुनिन्दा गांव पंचायतों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के स्वरोजगार और आय सृजन के लिए पुष्प कृषि सहायता प्राप्त टिशू संवर्धन	डॉ. एस. सेन्नी टी. वी. जी. आर. आई. त्रिवेन्द्रम	43,42,000/–	300
5.	अट्टिपाड़ा पंचायतों को ग्रामीण महिलाओं के आय सृजन हेतु अलंकरण योजनाओं का सूक्ष्म विस्तार	डॉ. एस. उमा देवी महिला अध्ययन केन्द्र अर्थशास्त्र विभाग केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	7,92,000/–	20
महाराष्ट्र				
6.	प्रदर्शनियों के माध्यम से स्वरोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और अंतरण हेतु जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम	डॉ. कालीदास देशपाण्डे कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़ नगर, पूर्णा रोड़, नांदेड़	18,36,000/–	50
सिक्किम				
7.	सिक्किम की ग्रामीण महिलाओं के लिए खेती और कृषि तकनीकों के आर्किड पर प्रशिक्षण	डॉ. एस. सी. वशिष्ठ एस. एण्ड. टी. राज्य परिषद् गंगटोक, सिक्किम	24,20,000/–	60
उत्तर प्रदेश				
8.	इम्बिलिका वृक्षारोपण और क्षारीय (उसर) भूमि का जैव प्रौद्योगिकीय उपयोग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए राजस्व सृजन व्यवहार	डॉ. सीमा भदौरिया वनस्पति विभाग, आर. वी. एस. कॉलेज, आगरा	13,34,000/–	26
9.	उ. प्र. के पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी उत्पाद के लिए भण्डारण और संरक्षण प्रौद्योगिकी	डॉ. किरण रावत एच. ई. एस. सी. ओ., देहरादून	9,44,000/–	45
10.	मच्छरों और घरों में पाये जाने वाले कीटों, प्रेरक/ जड़ी–बूटी मिश्रणों के लिए जानकारी प्रक्रिया का महिला कल्याण हेतु विकास और अंतरण	डी. वाई. एन. शुक्ला सी. आई. एम. ए. पी., लखनऊ	24,08,000	120

1	2	3	4	5
11.	गढ़वाल हिमालय में स्थानीय और वाणिज्यिक उपयोगिता हेतु औषधीय पादपों पर एकीकृत परियोजना	डॉ. अनिल पी. जोशी एच. ई. एस. सी. ओ., देहरादून	18,92,000/–	100
12.	ग्रामीण महिलाओं में आनुवंशिक अव्यवस्थित विकास की रोक में जैव–प्रौद्योगिकी की भूमिका जागृति कार्यक्रम	डॉ. सुरेखा अग्रवाल संजय गांधी पी जी संस्थान चिकित्सा विज्ञान, लखनऊ	8,22,000/–	90
पश्चिमी बंगाल				
13.	जल प्रदूषण और अन्य विकास कार्यक्रमों के जैव मानिटरिंग में ग्रामीण महिलाओं की सहबद्धता	डॉ. शैली भट्टाचार्य विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, प. बंगाल	11,57,000/–	75
			10,25,000/–	20
चंडीगढ़				
14.	वर्मी कम्पोस्ट और प्लरोट्स के उत्पादन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रोन्नयन	डॉ. (श्रीमती) जे. के. आरोड़ा एस. एण्ड टी. पंजाब राज्य परिषद् चण्डीगढ़		

ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग

***373. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :**

श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भारी मात्रा में गाद जमा होने और प्रदूषण के कारण वह नौवहन के योग्य नहीं रह गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसे नौवहन योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी हां। ब्रह्मपुत्र नदी को धुबरी से सैदिया तक (891 कि. मी.) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 घोषित किया गया है।

(ख) यद्यपि, ब्रह्मपुत्र नदी तल में मिट्टी जमा होती रहती है फिर भी, धुबरी और डिब्रूगढ़ के बीच न्यूनतम 2 मीटर गहराई और डिब्रूगढ़ और सैदिया के बीच न्यूनतम 1 मी. गहराई उपलब्ध होने के कारण यह नदी नौचालन योग्य है।

(ग) गर्मी के मौसम में जब ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ उथले खंड उभर आते हैं तब नौगम्यता में सुधार के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 में न्यूनतम 2 मीटर की गहराई बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष बंडालिंग की जाती है।

बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का प्रवेश

***374. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रवेश पाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके संबंध में तथा भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के सम्बन्ध में कोई आकलन किया है; और

(ग) इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विभिन्न मंचों पर विचार व्यक्त किए गए हैं कि प्रतिभावान छात्र अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रस्तावित अधिक अच्छे अवसरों के कारण बुनियादी शोध का विकल्प नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है, फिर भी, इन विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वैज्ञानिक

शोध को जीविका का साधन बनाने के लिए प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रयास आरम्भ किए हैं। ऐसे कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

शोधकर्ताओं के लिए अध्येतावृत्ति को दोगुना करना, बुनियादी शोध में स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्ति का प्रवर्तन, युवा वैज्ञानिकों को उनके चयनित शोध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए अवसर मुहैया कराना और प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं तथा विदेशी संस्थानों में भी आर. एण्ड डी. कार्यक्रमों के विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना तथा चयनित क्षेत्रों में शोध कार्यकलापों में उभार लाने के लिए देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उत्कृष्ठ वैज्ञानिकों से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर सम्पर्क स्थापित करने के भी अवसर मुहैया कराना।

खराब वन भूमि पर रबड़ के बागान

*375. **श्री समर चौधरी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झूम खेती पर निर्भर रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए पुनर्वास परियोजना आरंभ किए जाने के पश्चात् भी खराब वन भूमि पर रबड़ के बागान लगाने की उन्हें अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार इस बात को मानती है कि आदिवासी लोगों के लिए आर्थिक रूप से वहनीय पुनर्वास परियोजना की अनुमति नहीं होने से वन क्षेत्रों में झूम खेती जारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या पर्यावरण संरक्षण तथा आदिवासियों का कल्याण दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खराब वन भूमि पर कम से कम इस प्रकार की पुनर्वास परियोजना को अनुमति देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध के अंतर्गत रबड़, चाय, काफी और अन्य नकदी फसलों की खेती वनेतर गतिविधि की श्रेणी में आती हैं। रबड़ सहित इस प्रकार की नकदी फसलों की खेती अवक्रमित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही की जा सकती है।

(ख) इस उपबंध का उद्देश्य जैव-विविधता समृद्ध वनों को मोनो-कल्चर नकदी फसलों में परिवर्तित करने से रोकना है।

(ग) और (घ) झूम खेती क्षेत्रों के सुधार और इस पद्धति में लगे आदिवासियों के व्यवस्थापन के मामले के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, इस मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत त्रिपुरा सरकार से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूरक वनीकरण से छूट दी है। त्रिपुरा में रबड़ की खेती के जरिए आदिवासी झूमियों को पुनर्वासित करने के प्रयोजन के लिए 9091.52 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें से प्रथम चरण में दिनांक 23.12.1997 को 1500 हेक्टेयर के लिए मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए धनराशि

*376. **श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान परियोजनाओं के लिए आबंटित पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा बढ़ाने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए निधियों का आबंटन निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्यों/संघ रा. क्षे. आदि का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2949.83	2420.00
2.	असम	1821.00	0.00
3.	बिहार	1900.00	150.00
4.	चंडीगढ़	30.00	0.00

1	2	3	4
5.	दिल्ली	800.00	0.00
6.	गोवा	900.00	0.00
7.	गुजरात	3675.00	0.00
8.	हरियाणा	1100.00	9400.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	0.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	150.00	0.00
11.	कर्नाटक	2900.00	1200.00
12.	केरल	3600.00	4160.00
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	3000.00
14.	महाराष्ट्र	2900.00	4350.00
15.	मणिपुर	700.00	0.00
16.	मेघालय	920.00	0.00
17.	नागालैंड	100.00	0.00
18.	उड़ीसा	2600.00	5000.00
19.	पांडिचेरी	70.00	0.00
20.	पंजाब	1300.00	6500.00
21.	राजस्थान	2550.00	1270.00
22.	तमिलनाडु	2500.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	4608.00	7650.00
24.	पश्चिम बंगाल	5375.00	3000.00
25.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00
26.	मंत्रालय	0.17	7456.00
27.	बी. आर. डी. बी.	7031.00	0.00
28.	भा. रा. रा. प्रा.	0.00	20000.00
	जोड़	55124.00	75556.00

वर्ष 1998–99 की अनुदान मांगें अभी संसद द्वारा अनुमोदित की जानी हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों की कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। तथापि, पर्यावरणीय स्वीकृति, जन उपयोगी सेवाओं को हटाने, दावों के निपटान, राज्य सरकारों द्वारा साख–पत्र जारी करने में विलम्ब, ठेकेदारों की धीमी प्रगति के आदि के कारण विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निम्नलिखित राशियां अभ्यर्पित की गई हैं :

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अभ्यर्पित राशि
1	2	3
1.	बिहार	98.00
2.	हरियाणा	460.00
3.	मध्य प्रदेश	700.00
4.	उड़ीसा	1350.00
5.	पंजाब	2600.00
6.	उत्तर प्रदेश	320.00
7.	पश्चिम बंगाल	1040.00
8.	मंत्रालय	158.00
	जोड़	6726.00

(ङ) 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर धारावाहिकों के प्रसारण की नीति

***377. श्री शैलेन्द्र कुमार :**

श्री बेनी प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दूरदर्शन पर टी. वी. धारावाहिकों के चयन, उनकी समयावधि बढ़ाने और प्रसारण रोकने के संबंध में कोई निश्चित नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति का अनुसरण ईमानदारी से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कुछ धार्मिक धारावाहिकों के प्रसारण को अचानक बीच में ही रोक देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर उनका प्रसारण पुनः शुरू करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) दूरदर्शन पर धारावाहिकों के प्रसारण से संबंधित मामले पूर्ण रूप से प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में हैं और इनके बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है ।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक शोध और विकास को प्रोत्साहन

***378. श्री के. एस. राव :**

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझार पुर) :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिक शोध और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रस्तावों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पोखरन में परमाणु परीक्षणों की घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष 11 मई को "प्रौद्योगिकी दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां । प्रधानमंत्री ने 25 मई, 1998 को आयोजित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वितरण समारोह में अपने भाषण के दौरान वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग और सरकार के नीति निर्माताओं के विचारार्थ निम्नवत् विशिष्ट सुझावों की रूपरेखा प्रस्तुत की :

(i) विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बनाना।

(ii) सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाना।

(iii) योजना प्रक्रिया के लिए विज्ञान को केन्द्रीय बनाना।

(iv) हमारे युवा वैज्ञानिकों की बौद्धिक और मानसिक निधि में वृद्धि करना तथा प्रतिभावान वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मान्यता देना एवं उनका सम्मान करना।

(v) ज्ञान नेटवर्क का सृजन और साहचर्य करना।

(vi) उद्योग में और उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

(vii) वैश्विक श्रेष्ठता और नेतृत्व के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में ध्यान फोकस व केन्द्रित करना।

(viii) राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।

(ix) बौद्धिक सम्पदा प्रवृत्ति (आन्दोलन) का सृजन करना।

(x) वैज्ञानिक संस्थानों को अफसरशाही से मुक्त करना।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को महत्त्व देती है इस बात पर बल देने और पोखरन में तीन परमाणु विस्फोटों, प्रथम स्वदेशी असैनिक विमान हंस–3 के छोड़े जाने (लांच किए जाने) और त्रिशूल के मारक परीक्षण को स्मरणोत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 मई को "प्रौद्योगिकी दिवस" घोषित किया गया है ।

शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

***379. प्रो. पी. जे. कुरियन ;**

श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसंधान संगठनों के परामर्श से शिक्षा, अनुसंधान और फील्ड कार्य में ताल–मेल स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्य योजना, 1992 जिसे वर्ष 1992 में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, को साकार रूप देने के लिए मुख्यतया ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप द्वारा कई योजनाएं शुरू की गईं। ये

योजनाएं आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, (मध्याह्न भोजन योजना), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, सामुदायिक पोलिटेक्निक, लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी परियोजना, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन परियोजना, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना इत्यादि हैं। नवोदय विद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्र हैं। ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की भी स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जैसे कई शीर्ष स्तर के संगठन केन्द्रीय सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए शिक्षण, अनुसंधान और क्षेत्र कार्यों को समन्वित किया जा रहा है । ये संगठन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों जैसे राज्य सरकार के संगठनों को भी इन क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हैं। तथापि शिक्षा समाज परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जहां सतत प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है । इसके परिणाम लंबी अवधि में प्राप्त होते हैं और छोटी अवधि में ये परिणाम दिखाई नहीं देते ।

गरीब कलाकारों को वित्तीय सहायता

***380. श्री पी. उपेन्द्र :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग ने गरीब कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा वह कितनी थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां । संस्कृति विभाग साहित्य, कला और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के उन उत्कृष्ट कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में एक स्कीम का संचालन कर रहा है, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं ।

(ख) स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए कलाकारों की संख्या वर्ष 1995–96 में 657 ; वर्ष 1996–97 में 634 और वर्ष 1997–98 में 633 है ।

इस स्कीम के अंतर्गत कलाकार को प्रति माह 1500/– रुपये की सहायता प्रदान की जाती है ।

महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति

***381. श्री माधव राव पाटील :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण महिलाओं के विकास तथा अधिकार प्रदान करने के लिए 50 मिलियन डालर की परियोजना में किन–किन राज्यों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य को उक्त पारियोजना में शामिल नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु राष्ट्रीय नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना है।

(ग) प्रस्तावित ग्रामीण महिला विकास और शक्ति–सम्पन्नता परियोजना के अन्तर्गत बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं।

(घ) और (ङ) चुने गए छह राज्य मिले–जुले राज्य हैं। कुछ राज्यों में (बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न है और अन्य राज्यों (गुजरात तथा कर्नाटक) में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

प्रौढ़ शिक्षा हेतु एन. जी. ओ. को सहायता

3643. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर–सरकारी संगठन देश में प्रौढ़ शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे गैर–सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं तथा ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उन्हें सहायता उपलब्ध कराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के ब्यौरे तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रदान की गई धनराशि को दर्शाने वाले विवरण I तथा II संलग्न हैं। इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्र द्वारा परियोजनाओं को शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है अतः गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस तरह की परियोजनाओं को राज्यों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से कोई सहायता की जरूरत नहीं है।

विवरण-I

(1995–96, 1996–97 तथा 1997–98)

ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची जिन्हें वर्ष 1995–96 के दौरान राशि जारी की गई

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता	संस्वीकृत राशि (रुपये)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	आन्ध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी एस. सी. इ. आर. टी. परिसर, लाल बहादुर स्टेडियम के पास हैदराबाद	8583750
2.	सेवा मन्दिर, हिन्दुपुर, जिला–अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	259000 259000
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, लिटरेसा हाउस, आंध्र महिला सभा, एम. एस. कालेज परिसर, विश्वविद्यालय रोड, हैदराबाद	1800000 1800000
असम		
1.	सदाऊ असम ग्राम्य पुथाभरल संस्था हैबरगांव, डाक–नौगांव, असम	325000
2.	राज्य संसाधन केन्द्र ज्ञान विज्ञान समिति असम एफ. सी. रोड, उजाम बाजार, गुवाहाटी, असम	1250000 58500 1250000
बिहार		
1.	एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट (ए. डी. आर. आई.) पटना, बिहार	500000 1489000 1500000 394352 259558
2.	वनवासी सेवा केन्द्र, डाक–अधौरा, जिला–रोहतास (बिहार)	2562
3.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, ग्राम–करीहोन, पोस्ट–विष्णुपुर बेझा, थाने महुआ, जिला–वैशाशी, बिहार	36180
4.	हरी शक्ति दातव्य स्वैच्छिक संस्थान गांव/डाक–सराय, वाया–नुएरा, जिला–पटना, बिहार	113100
5.	जनजागरण संस्थान, कागजी मोहल्ला, डाक–मुगलकुंआ, ब्लाक–बिहारशरीफ, जिला–नालंदा, बिहार	9960
6.	जन कल्याण विकास परिषद, क्वा. नं. 819/डी, लंका कॉलोनी, डाक–खगोल, जिला–पटना, बिहार	88920
7.	जय प्रकाश सेवा संस्थान, मसौथी, पटना, बिहार	70290
8.	निर्माण भारती, चक बिजगानी, डाक–बलवाकुआंरी, जिला–वैशाली, बिहार	79900
9.	पं. श्रीराम शर्मा सेवा संस्थान, गांव रसूलपुर, जिला–गोपालगंज, बिहार	112000
10.	समता ग्राम सेवा संस्थान, गांव–बढ़ाका, डाक–बर्डीहा, तुर्का ब्लाक, जिला–वैशाली, बिहार	103000
11.	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन बुद्ध कालोनी, पटना, बिहार	600000 1000000
12.	वैशाली शान्त समाज कल्याण संस्थान एस. डी. ओ. रोड, हाजीपुर, जिला–वैशाली, बिहार	20300
13.	विवेक विहार सेवा संस्थान, मसौथी, पटना, बिहार	100685
गुजरात		
1.	गुजरात राज्य अपराध नियंत्रण ट्रस्ट, आशीर्वाद केशव नगर सोसाइटी, निकट सुभाष ब्रिज, अहमदाबाद	271184 106000
2.	जन कल्याण सोसाइटी दोब्याना, निकट सुरेश पेट्रोल पम्प, उपलेटा ताल्लुक, जिला–राजकोट, गुजरात	6921
3.	श्रीमती बी. के. बालजोशी शिक्षा ट्रस्ट, दूसरा तल रिलीफ कॉम्पलेक्स, वैपारी जीन कलोल, जिला–महसाना, गुजरात	150072 66000
4.	राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड, अहमदाबाद–380 014	450000 1250000 360000
हरियाणा		
1.	सर्च, राज्य संसाधन केन्द्र 42/29, चाणक्यपुरी, शीला सिनेमा, रोहतक, हरियाणा	500000
हिमाचल प्रदेश		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, सेवा शक्ति भवन, संजोली, शिमला	531600

1	2	3
जम्मू और कश्मीर		
1.	भारतीय समाज कल्याण मुख्यालय शाहदरा शरीफ, रजौरी, जिला– ऊधमपुर	69010
2.	राज्य संसाधन केन्द्र	500000
	कश्मीर विश्वविद्यालय,	500000
	1/17, नसीमबाग परिसर,	600921
	हजरत बल, श्रीनगर	1000000
कर्नाटक		
1.	अमृत शैक्षिक सोसाइटी पवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पेचामना हल्ली, जिला–कोलार,	7110
2.	मैसूर जिला स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संघ 461, पोस्टल कालोनी, विश्वेश्वरंगरा, मैसूर	108512
3.	राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा	400000
	कर्नाटक राज्य प्रौढ़,	1500000
	चित्रभानू रोड, कुएमपुनगर, मैसूर	
केरल		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा, केरल गैर औपचारिक शिक्षा संघ, साक्षरता भवन, त्रिवेन्द्रम	700000
मध्य प्रदेश		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति अरेरा कॉलोनी, भोपाल	1000000
2.	राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा,	172512
	भारतीय ग्रामीण महिला संघ,	1400000
	चन्दननगर के पुलिस स्टेशन के पीछे,	1200000
	इन्दौर	
महाराष्ट्र		
1.	कार्यात्मक साक्षरता के जनकार्यक्रम हेतु संसाधन संगठनों की समिति, द्वारा डॉ. माधव चौहान, रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, माटुंगा, मुम्बई	318000
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान,	348000
	जे. पी. नायक रोड, कोठरूड, पुणे	384000
3.	राज्य संसाधन केन्द्र,	750000
	महाराष्ट्र प्रौढ़ शिक्षा संस्थान,	1000000
	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	
4.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई	76760
मेघालय		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र	706913
	उत्तर पूर्वा पवर्ताय विश्वविद्यालय,	828000
	शिलोंग, मेघालय	
उड़ीसा		
1.	जातीय चेतना विकास, मधुबन, बारापाढा, जिला–मयूरभंज	899340
2.	जय भारती साथी समाज, डाक–सबलोंग, कानापाढा, जिला–कटक	498450
3.	एन. आई. आई. आर. डी., अत–चोलयापाढा, डाक–कलाकला, जिला–कटक	85775
4.	राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षा भवन, भुवनेश्वर	1762500
राजस्थान		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा जलाना डूंगरा इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर	600000
तमिलनाडु		
1.	राष्ट्रीय सेवा संघ, एन. जी. ओ. कालोनी, चेंगलपट्टू	456361
2.	कांग्रेगेशन डाक दि सिस्टर्स आफ दि क्रास	17500
	आफ चवनाड, तेपाकुलम	16902
	त्रिचुरापल्ली	
3.	कन्डास्वामी कंडार ट्रस्ट बोर्ड, वेल्लूर, जिला–सेलम	5747
4.	खाजामलाई महिला संघ डाक–खाजामलाई, जिला–त्रिचुरापल्ली	131760
5.	पंजाब संघ,	33750
	लाजपतराय भवन,	33750
	पाटर्स रोड, चेन्नई	
6.	राज्य संसाधन केन्द्र गैर औपचारिक शिक्षा	500000
	तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड,	2500000
	आढयार, चेन्नई	600000
7.	तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक सेवा, चेटपेट, चेन्नई	8560

1	2	3
8.	भरतीय महिला संघ, ग्रीनवेस रोड, चेन्नई	423675
उत्तर प्रदेश		
1.	आदर्श सेवा समिति, 326/1, साकेत कालोनी, लेन–6 मुजफफरनगर	77900 47383 42597
2.	अशोक संस्थान, कुण्डेसर, गाजीपुर	166560 161492 264845 380160 218118
3.	आजाद सेवा समिति वा. वा. इन्टर कालेज रोड शामली–247 776	36750 121880 69832
4.	बाल कल्याण केन्द्र पिदेरा, डाक–देवरिया	186692
5.	बनवासी विकास आश्रम, गांव व डाक–मेजाखास, इलाहाबाद	9474
6.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, 109 टैगोर टाऊन, इलाहाबाद–211 002	41370
7.	देवा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव कहल कबारा, डाक–भंवाली, जिला–नैनीताल	100800 50645
8.	जी. बी. पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	151525
9	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, गांव खेडा अफगान, जिला–सहारनपुर	102800 31146 80930
9ए.	समाज स्वास्थ्य कल्याण ग्राम विकास संस्थान, व शैक्षिक सोसाइटी, रसूलपुर, फैजाबाद	38000
10.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, महुआडाबरा, जिला–नैनीताल	175000 236985
11.	लिटरेसा हाउस, राज्य संसाधन केन्द्र आलमबाग, लखनऊ	1500000 500000
12.	लोकहित ट्रस्ट, 29, कैन्ट, शक्ति मार्ग, वाराणसी	199777
13.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र मुट्ठागंज, इलाहाबाद	594600 4812
14.	राष्ट्रीय हरिजन स्कूल, बहारयाबाद, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर	4865
15.	नव चेतना विकास समिति गांव व डाक मैनासा सरैया, जिला–सीतापुर	38125 144375
16.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल	51715 16918
17.	पर्वतीय आदिम जाति कमजोर वर्ग समिति	23000
18.	आर. वी. असहाय महिलागृह उद्योग संस्थान	235000
19.	ग्रामीण बाद एवं प्रबोधन केन्द्र, इ. सी. रोड, देहरादून	74000 122500 126198
20.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, गांव भदेहदु, जिला–बान्दा	297000 91840
21.	श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान, नौरंगाबाद, इटावा	1732
22.	श्री रामशरण स्मारक सेवा संस्थान, मिसौला, बदायूं	134790
23.	श्री संस्कृत शिक्षा प्रसार समिति, पटेल नगर, जालौन	99376 125800
24.	सृजन उत्तर प्रदेश, नेकपूर, सिविल लाइन, बदायूं	86670
25.	सुमन तकनीकी संस्थान, चान्दा, जिला–एटा	31351 46300 13300
26.	यू. पी. राणा बेनीमाधव जन कल्याण समिति, गुलाब रोड, रायबरेली	37578 488295 162765
27.	युवा एवं बाल विकास समिति देवरिया, उ. प्र.	83816
पश्चिम बंगाल		
28.	साक्षरता समिति, उत्तरी 24 परगना जिला, बरासत	501000
29.	राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा, द्वारा बंगाल समाज सेवा लीग, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता	1800000 65855 803065
पंजाब		
1.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चन्डीगढ़	500000 1000000 1087327
नई दिल्ली		
1.	डॉ. ए. वी. बालगा स्मारक ट्रस्ट, लिंक हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	172463

1	2	3
2.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, 17 बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली	4850 6155 4161
3.	भारतीय कार्यरत पत्रकार संघ, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	150000
4.	जिज्ञासा, वसन्त विहार, नई दिल्ली	22500
5.	कथा निजामुद्दीन पूर्वी, नई दिल्ली	549974
6.	राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	161000
7.	सेवाग्राम विकास संस्थान, दरियागंज, नई दिल्ली	290200
8.	राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, नई दिल्ली	400000

विवरण-II

निजी संस्थानों/संगठनों को संस्वीकृत की गई अनुदान सहायता को दर्शाने वाला विवरण

दिनांक 1.4.96 से 31.3.97 तक की अवधि के दौरान

क्रम सं.	संस्था/संगठन का नाम	प्रदान की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	ए. पी. ओपन स्कूल, हैदराबाद	22,08,300.00
2.	एस. आर. सी., हैदराबाद	29,32,408.00
असम		
3.	एस. आर. सी., गुवाहाटी	19,49,727.00
बिहार		
4.	एशियन डेवलपमैंट रिसर्च इंस्टीच्यूट, ए. डी. आर. आई., पटना	50,28,997.00
5.	बाल एवम् महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली	2,78,300.00
6.	एस. आर. सी. दीपायतन, पटना	27,54,157.00
7.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण औद्योगिक केन्द्र, छपरा	1,20,120.00
8.	ईस्ट एण्ड वेस्ट एजुकेशन सोसायटी, पटना	1,00,000.00
9.	आर्या समाजबभनगाम, मधेपुरा	1,69,680.00
10.	समता ग्राम सेवा संस्थान, वैशाली	1,44,000.00
दिल्ली		
11.	एस. आर. सी. जामिया मिलिया इस्लामिया	32,83,715.00
12.	विजन इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, अशोक रोड	24,98,400.00
13.	जागोरी साउथ एक्सटेंशन	4,35,150.00

1	2	3
14.	सद्भावना ट्रस्ट सर्वोदया एन्कलेव, नई दिल्ली	13,04,050.00
15.	साउथ एशियन नेटवर्क फॉर आल्टरनेटिव मिडीया (सनम) मुनीरका	42,90,840.00
16.	ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप साउथ एक्सटेंशन	4,90,000.00
17.	सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ नई दिल्ली	3,96,750.00
गुजरात		
18.	श्रीमती बी. के. बालाजोशी एजुकेशन ट्रस्ट, मेहसाना	1,30,000.00
19.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट, अहमदाबाद	3,41,277.00
20.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	7,31,987
हरियाणा		
21.	साइंस एजुकेशन एण्ड आर्ट रिसोर्स सेंटर, रोहतक	4,00,000.00
हिमाचल प्रदेश		
22.	एस. आर. सी. शिमला	6,02,198.00
जम्मू और कश्मीर		
23.	जे. एण्ड के. डेस्टीट्यूट एण्ड हैंडीकेप्ड वैलफेयर एसोसिएशन, राम नगर, ऊधमपुर	8,00,000.00
24.	एस. आर. सी. कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर	5,78,267.00
कर्नाटक		
25.	एस. आर. सी., मैसूर	20,88,095.00
केरल		
26.	एस. आर. सी., प्रौढ़ शिक्षा, केरल	34,55,535.00
मध्य प्रदेश		
27.	अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवं संस्कृति समिति, भोपाल	19,70,000.00
28.	एस. आर. सी. फॉर ए. ई. इंदौर भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंदौर	22,63,668.00
29.	अक्षर यात्रा अभियान समिति, भोपाल	2,25,000.00
30.	मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल समिति	5,00,000.00
महाराष्ट्र		
31.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, मुम्बई	3,00,000.00
32.	एस. आर. सी., इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन 28/2 जे. पी. नायक रोड, पुणे	33,66,405.00
33.	साक्षरता हक समिति सहास, ग्रेटर बाम्बे	2,39,400.00

1	2	3
34.	महाराष्ट्र स्टेट इंस्टीट्यूट आफ एडल्ट एजुकेशन (एम एस आई ए ई) औरंगाबाद	27,71,988.00
मेघालय		
35.	एस आर सी नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	9,35,000.00
उड़ीसा		
36.	ग्राम मंगल पाठागार, बालंगीर	1,70,722.00
37.	यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, (यार) धेनकनाल	5,08,918.00
38.	एस आर सी फार ए ई उड़ीसा, भुवनेश्वर	26,90,493
पंजाब		
39.	एस आर सी, चंडीगढ़	9,00,000.00
राजस्थान		
40.	राजस्थान एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन, (एस॰ आर॰ सी॰), जयपुर	33,26,426.00
तमिलनाडु		
41.	सोसायटी फार एजुकेशन विलेज एक्शन एण्ड इंप्रूवमेंट, अन्नानगर, त्रिचुरापल्ली	1,49,549.00
42.	विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, नादरा	4,49,703.00
43.	तमिलनाडु बोर्ड आफ कन्टीन्यूइंग एजुकेशन चेन्नाई	34,81,585.00
44.	आनंद वेलालार संगम, त्रिचुरापल्ली	1,17,873.00
45.	कांग्रीगेशन आफ दा सिस्टर्स आफ दा क्रास (चवानन्द)	1,85,925.00
46.	तमिलनाडु साइंस फोरम, नादरा	1,32,050.00
त्रिपुरा		
47.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, अगरलता	4,73,000.00
उत्तर प्रदेश		
48.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, अलीगंज, लखनऊ	9,50,760.00
49.	दरियागंज ग्राम उद्योग विकास संस्थान, इलाहाबाद	2,12,555.00
50.	सुमन टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, एटा	1,25,452.00
51.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फरनगर	4,06,546.00
52.	निशांत शिक्षा समिति, हल्द्वानी	1,94,774.00
53.	आजाद सेवा समिति, शामली	5,01,852.00
54.	विवेकानन्द संस्थान, फैजाबाद	4,78,053.00

1	2	3
55.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	1,25,925.00
56.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	1,66,658.00
57.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	3,76,000.00
58.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, भादेनाडू, बांदा	2,77,300.00
59.	अशोक संस्थान, गाजीपुर	4,80,300.00
60.	बनवासी सेवा आश्रम, गोविंदपुर, मिर्जापुर	1,73,125.00
61.	रीजनल रिसोर्स सेंटर, इलाहाबाद	3,00,000.00
62.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, लिटरेसी, हाऊस, लखनऊ	17,41,152.00
63.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	1,00,000.00
64.	जी. बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इलाहाबाद	1,21,000.00
65.	रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटलमेंट केंद्र, देहरादून	5,38,900.00
पश्चिम बंगाल		
66.	स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर ए. ई. द्वारा बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता	40,19,379.00
67.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट, कलकत्ता	4,38,750.00

वर्ष 1997–98 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को जारी की गई निधियों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	स्वैच्छिक संस्था का नाम		जारी की गई राशि
1	2		3
आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय समिति, हैदराबाद		5,00,000
2.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन, हैदराबाद		35,01,185
		कुल	40,01,185
असम			
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन असम, गुवाहाटी		19,12,000
4.	सदाऊ असम ग्राम्य पुथीभारल संस्था, असम		2,97,895
5.	अलकनंदा मानवकल्याण संघ, असम		32,500
6.	बारखेतरी उन्नयन समिति, मुक्तमुआ, असम		6,87,355
7.	रा. सं. केन्द्र असम ज्ञान–विज्ञान समिति, असम		2,00,000
8.	जालुगुटी अग्रगामी महिला समिति, असम मोरी गाँव, असम		1,50,000
		कुल	32,79,750

1	2		3
बिहार			
9.	विवेक बिहार सेवा संस्थान, पटना, बिहार		80,500
10.	दीपायतन, बिहार रा. सं. केन्द्र, पटना		32,95,376
11.	एशियन डेवल्पमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना		61,60,990
12.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, वैशाली		42,685
13.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली, बिहार		1,78,295
		कुल	97,57,846
दिल्ली			
14.	रा. सं. केन्द्र, दिल्ली		25,88,858
15.	साउथ एशियन नेटवर्क फॉर अल्टर्नेटिव मीडिया (सनम) मुनिरका, नई दिल्ली		7,50,000
16.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली		26,75,197
17.	डॉ. ए. वी. बालिगा स्मारक न्यास, नई दिल्ली		2,20,000
18.	प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार एकक, समाज विज्ञान स्कूल, जे. एन. यू., नई दिल्ली		66,000
19.	विजन इंडिया चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली		20,00,000
20.	पटेल एज्यूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली		76,000
21.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली		8,48,029
22.	सदलाइना ट्रस्ट, दिल्ली		7,00,000
23.	जगोरी, साउथ एक्स. 11, नई दिल्ली		2,00,000
		कुल	1,01,24,084
गुजरात			
24.	श्रीमती वी. के. बालजोशी शिक्षा न्यास, मेहसाना		1,64,671
25.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रीवेंशन ट्रस्ट		3,78,074
26.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद		4,00,000
27.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद		1,25,000
		कुल	10,67,745
हरियाणा			
28.	रा. सं. केन्द्र, रोहतक		9,00,000
हिमाचल प्रदेश			
29.	राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, रा. सं. केन्द्र, शिमला		10,40,884
जम्मू व कश्मीर			
30.	जे. एण्ड के. रा. सं. केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर		12,90,660

1	2		3
कर्नाटक			
31.	रा. सं. केन्द्र मैसूर, कर्नाटक		35,55,834
केरल			
32.	रा. सं. केन्द्र, केरल		4,00,000
मध्य प्रदेश			
33.	रा. सं. केन्द्र, अभिव्यक्ति, भोपाल		21,85,000
34.	प्रौढ़ शिक्षा रा. सं. केन्द्र, इन्दौर		41,00,000
35.	मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय समिति भोपाल		5,00,000
36.	इन्दौर समाज कार्य विद्यालय, इंदौर		39,625
37.	जिला साक्षरता समिति द्वारा उत्तर साक्षरता पूर्ण साक्षरता तथा सतत शिक्षा की नवीन समेकित परियोजना		2,25,000
		कुल	70,49,625
महाराष्ट्र			
38.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, बम्बई		20,000
39.	भारतीय शिक्षा संस्थान (रा. सं. केन्द्र) पुणे		43,88,950
40.	आर. आर. सी. औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान		12,50,000
41.	टाटा प्रबंध संस्थान, बम्बई		82,500
42.	स. ओ. आर. ओ. फार लिटरेसी, बम्बई		2,12,000
43.	साक्षरता कार्य के मास कार्यक्रम की संसाधन संगठन समिति, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई		1,04,153
44.	जिला संसाधन एकक, पुणे		2,32,000
45.	जिला संसाधन एकक, उत्तरी मुंबई		2,32,000
		कुल	65,21,603
मणिपुर			
46.	दक्षिण पूर्वी ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर		33,000
मेघालय			
47.	राज्य संसाधन केन्द्र शिलांग, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय		16,50,000
उड़ीसा			
48.	युवा एवं सामाजिक विकास केन्द्र भुवनेश्वर		31,170
49.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र उड़ीसा भुवनेश्वर		26,10,618
50.	बी. जी. वी. एस., उड़ीसा, भुवनेश्वर		1,40,500
		कुल	27,82,288

1	2		3
पंजाब			
51.	प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़		21,74,750
राजस्थान			
52.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर		25,00,000
तमिलनाडु			
53.	गैर–औपचारिक प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, मद्रास		22,19,947
54.	प्रबंध स्कूल, भारतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर		60,000
		कुल	22,79,947
उत्तर प्रदेश			
55.	ग्रामीण विकास समिति, इलाहाबाद		3,36,420
56.	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ		1,52,430
57.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्था, मुज्फ्फरनगर		25,290
58.	नव–चेतना विकास समिति, सीतापुर		2,11,750
59.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर		2,25,212
60.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, नैनीताल		78,995
61.	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ, लिटरेसी हाऊस		36,85,868
62.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, लखनऊ		2,00,000
63.	श्रीराम शरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूं		1,67,156
64.	सुमन तकनीकी संस्थान, ऐटा		18,206
65.	अशोक संस्थान, गाजीपुर		5,77,977
66.	आजाद सेवा समिति, शामली		1,48,469
67.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फरनगर		36,655
68.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद		2,79,387
69.	ग्रामीण सेवा मंडल, सरायमंसूर, इलाहाबाद		1,58,240
70.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, काहलकाबरा, नैनीताल		44,350
71.	ग्रामीण लिटिगेशन एण्ड एंटाइटलमेंट केन्द्र, देहरादून		2,94,000
72.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद		3,14,982
73.	सृजन उत्तर प्रदेश, नेकपुर, सिविल लाइन, बदायूं		41,029
74.	दलित मानव उत्थान संस्थान, इलाहाबाद		90,722
75.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फैजाबाद		1,36,682
76.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद		2,61,419
77.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, नैनीताल		43,979
78.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ		24,300

1	2		3
79.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, बांदा		22,493
80.	डॉ. अम्बेडकर समाज सेवा मंडल, इलाहाबाद		2,59,614
81.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान, समिति, वृन्दावन, मथुरा		36,815
		कुल	78,72,440
त्रिपुरा			
82.	राज्य संसाधन केन्द्र, बी. जी. वी. एस., मेलारमढ अगरतल्ला, पश्चिम त्रिपुरा		4,00,000
पश्चिम बंगाल			
83.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, बंगाल समाज सेवा लीग, कलकत्ता		34,50,000
84.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता		2,71,250
		कुल	37,21,250

बाल कल्याण संबंधी परियोजनाएं

3644. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चालू बाल कल्याण संबंधी परियोजनाओं के संबंध में कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) क्या अगले वर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कोई बढ़ोतरी किए जाने की आशा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं। तथापि, सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंपा है।

(ख) परिषद पूरे देश में 60,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों और 3696 आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं में नमूना सर्वेक्षण के द्वारा आई. सी. डी. एस. स्कीम का मूल्यांकन करेगी।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित आई. सी. डी. एस. स्कीम के सतत् कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1998–99 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किस्त के रूप में 167.63 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रु. करोड़ों में)
1995–96	568.38
1996–97	527.70
1997–98	608.85

(घ) जी हां। यह वृद्धि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन होगी।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों की इमारतों का निर्माण

3645. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने नवोदय विद्यालय खोले गए हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान कितने नवोदय विद्यालयों की इमारतों के निर्माण के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उन विद्यालयों के नाम जिनकी इमारतों का 31 मार्च, 1998 तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/पूरा नहीं हुआ है; और

(ग) शेष इमारतों का निर्माण कार्य कब तक हो जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में 45 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं तथा इन विद्यालयों के भवन–निर्माण के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान 62.52 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) 12 विद्यालयों के मुख्य स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। बाकी 33 स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। स्कूलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सामान्यतः विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ होने के पश्चात्, निर्माण कार्य पूरा होने में छः वर्ष का समय लग जाता है बशर्ते कि प्रति वर्ष पर्याप्त निधियों की व्यवस्था होती रहे।

विवरण

मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की स्थिति 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

(क) विद्यालय जिनके भवन निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ

क्रम संख्या	जवाहर नवोदय विद्यालय
1	2
1.	बालाघाट
2.	बस्तर
3.	बेतुल
4.	भिण्ड
5.	भोपाल
6.	छतरपुर
7.	छिंदवाड़ा
8.	दतिया
9.	देवास
10.	धार
11.	दुर्ग
12.	गुना
13.	ग्वालियर
14.	इन्दौर
15.	झबुआ
16.	मांडला
17.	मंदसौर
18.	नरसिंहपुर
19.	रायगढ़
20.	रायसेन
21.	रतलाम
22.	रीवा
23.	सागर
24.	सरगुजा
25.	सतना
26.	सिहोर
27.	सियोनी
28.	शिवपुरी
29.	शाजापुर
30.	सीधी
31.	टीकमगढ़
32.	उज्जैन
33.	विदिशा

(ख) विद्यालय जिनमें विद्यालय के मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है परन्तु कुछ छोटा-मोटा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है

1.	बिलासपुर
2.	दमोह
3.	होशंगाबाद
4.	जबलपुर
5.	खरगांव
6.	मुरैना
7.	पन्ना
8.	राजनंदगांव
9.	स्योनी
10.	राजगढ़
11.	रायपुर
12.	शहडोल

[अनुवाद]

भारतीय हाकी टीम के दौरे

3646. श्री माधवराव पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय हाकी टीम द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय हाकी संघ के पदाधिकारियों द्वारा किए गए दौरों और उनके प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन दौरों में से प्रत्येक पर भारतीय हाकी संघ द्वारा किए गए खर्चों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

3647. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997–98 की अवधि के दौरान निवेशकों के मूलधन और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58–क के अंतर्गत कंपनी लॉ बोर्ड को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ता कंपनियों का ब्यौरा क्या है और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए उक्त शिकायतों पर क्या

कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या माडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद की गई शिकायत पर निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) 1997–98 की अवधि के दौरान, मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान न किए जाने की व्यतिक्रमी कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों/आवेदनों की संख्या 14646 थी।

(ख) व्यतिक्रमी कम्पनियों के संबंध में कम्पनी विधि बोर्ड की सभी प्रादेशिक पीठों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) कम्पनी विधि बोर्ड ने दिनांक 29.12.97 के अपने आदेश के अन्तर्गत माडर्न ग्रुप ऑफ कम्पनीज को निम्नलिखित सारणी के अनुसार निक्षेपों के पुनर्भुगतान के निर्देश दिए हैं :

क्र. सं.	निक्षेपों की राशि जिसका पुनर्भुगतान किया जाना है	देय तारीख से छः महीने	देय तारीख से 18 महीने	देय तारीख से 2 वर्ष और छः महीने	देय तारीख से 3 वर्ष
1.	प्रत्येक 10,000/– रुपये तक	40%	60%	–	–
2.	10,000/– रुपये से ऊपर 20,000 रुपये तक	10%	15%	35%	40%
3.	20,000/– रुपये से ऊपर	10%	10%	25%	55%

आंध्र प्रदेश में स्मारकों का संरक्षण

3648. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में विशेषकर हैदराबाद में स्थित स्मारकों के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र सरकार के संरक्षित 140 स्मारकों की देखभाल का कार्य करता है, जिसमें गोलकुण्डा किला और हैदराबाद में चारमीनार शामिल हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर किए गए व्यय का विवरण

(क) आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 138 स्मारकों पर किया गया व्यय

	1995–96	1996–97	1997–98
विशेष मरम्मत (योजना)	24,13,332 रु.	20,37,496 रु.	49,73,775 रु.
विशेष मरम्मत गैर–योजना	2,40,995 रु.	1,34,810 रु.	1,50,461 रु.
वार्षिक मरम्मत (गैर–योजना)	19,07,149 रु.	18,56,109 रु.	19,90,416 रु.

(ख) गोलकुण्डा और चार मीनार पर किया गया व्यय

	गोलकुण्डा			चार मीनार		
	1995–96	1996–97	1997–98	1995–96	1996–97	1997–98
विशेष मरम्मत (योजना)	86,000 रु.	5,45,743 रु.	11,50,725 रु.	–	–	–
विशेष मरम्मत (गैर–योजना)		52,894 रु.	28,000 रु.	–	–	–
वार्षिक मरम्मत (गैर–योजना)	13,604 रु.	1,28,349 रु.	20,693 रु.	1,26,984 रु.	1,71,801 रु.	40,529 रु.

वनों के विकास के लिए योजना आबंटन

3649. श्री उपेन्द्र नाथ नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के पर्यावरण और वनों के विकास के लिए किया गया योजना आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में वन रोपण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के पर्यावरण और विकास के लिए किया गया योजना आबंटन और इन परियोजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रमुख उद्देश्य	स्थिति	पिछले तीन वर्षों अर्थात 95-96, 96-97 और 97-98 के दौरान उपलब्धियां	
				वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6
1.	जीवमंडल रिजर्व्स	जीवमंडल रिजर्व्स की स्थापना	चल रही है	16.11	एक जीवमंडल रिजर्व को सम्मिलित किया गया
2.	प्रदूषण की रोकथाम	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ पर्यावरण विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता	–वही–	4.27	राज्य में प्रयोगशालाओं का निर्माण और प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र की स्थापना
3.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	नदी जल प्रदूषण की रोकथाम	–वही–	12.43	राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
4.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करना	–वही–	127.85	एक बाघ रिजर्व को सम्मिलित किया गया।

1	2	3	4	5	6
5.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारिविकास	बाघ रिजर्व्स के सीमांत प्रांतों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आहार की व्यवस्था	–वही–	95.32	एक बाघ रिजर्व और 3 राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभयारण्यों को शामिल किया गया।
6.	जनजातीय विकास के लिए हिताधिकारी योजना	बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की योजनाओं के अंतर्गत प्रभावित जनजातीय और अन्य परिवारों का पुनर्वास	चल रही है	40.00	कार्य का कुछ भाग पूरा किया गया।
7.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजीवितता सुनिश्चित करना	–वही	48.40	वित्तीय रिलीज़ के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया गया
8.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को विकसित करना	–वही–	83.21	5 राष्ट्रीय उद्यानों/ वन्यजीव अभयारण्यों को शामिल किया गया।
9.	औषधीय पादपों सहित गैर टिम्बर वन उत्पाद	औषधीय पादपों सहित गैर टिम्बर उत्पाद की वृद्धि करना	–वही–	246.60	5990 हे॰ क्षेत्र को कवर किया गया।
10.	एरिया ओरिएन्टेड फ्यूल वुड एंड फोडर स्कीम	निर्धारित किए गए ईंधन की लकड़ी की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारा की आपूर्ति को तेज करना	–वही–	304.34	8370 हे॰ क्षेत्र को कवर किया गया।
11.	एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास योजना	वनीकरण और पारिविकास को बढ़ावा देना	–वही–	21.40	
12.	दावानल नियंत्रण के आधुनिक तरीके	वनों की आग से सुरक्षा करना	–वही–	31.89	वित्तीय रिलीज़ के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया गया।
13.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों का समुन्नयन	–वही–	35.80	2 चिड़ियाघर कवर किए गए।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

3650. श्री गिरिधर गमांग : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा उड़ीसा को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के बचाव और संरक्षण करने के लिए स्मारकवार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सर्वेक्षणों के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान किन नए स्मारकों का पता लगाया गया है और किन स्मारकों को स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण स्मारकों को शामिल करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) उड़ीसा राज्य को स्मारक के अनुसार, विशेष मरम्मत (योजना) के अन्तर्गत स्मारकों के संरक्षण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी धनराशि का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ख) उड़ीसा के कटक और जाझपुर जिलों में अवस्थित निम्नलिखित नये स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है तथा केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है :–

महेमामणि मन्दिर रजादी, जिला कटक, जगन्नाथ मन्दिर, जाजपुर, जिला जाजपुर, त्रिलोचनेश्वर मन्दिर, जाजपुर, जिला जाजपुर, वाराहनाथ मन्दिर, बिधार, जिला जाजपुर ।

(ग) केन्द्रीय संरक्षण के लिए उपयुक्त होने के लिए स्मारकों

को 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होना चाहिए तथा ऐतिहासिक, वास्तुशिल्पीय, कलात्मकीय तथा पुरातत्वीय रूप से अद्वितीय एवं श्रेष्ठ होना चाहिए ।

विवरण

क्रम सं.	स्मारक का नाम	राशि
1.	जगन्नाथ मन्दिर, पुरी	3,09,14,000.00
2.	सूर्य मन्दिर, कोणार्क	22,95,000.00
3.	भगवान लिंगराज मन्दिर, भुवनेश्वर	18,00,000.00
4.	बक्रेश्वर मन्दिर, भुवनेश्वर	1,25,000.00
5.	खण्डा गिरि और उदय गिरि, जगमेरा	8,40,000.00
6.	योगिनी मन्दिर, रानीपुर झारल	1,80,000.00
7.	बाराबत्ती किला, कटक	7,50,000.00
8.	उत्खनित स्थल, ललितगिरि	6,50,000.00
9.	उत्खनित स्थल, उदयगिरि	5,00,000.00
10.	चट्टान आदेशपन, जौगोदा	200,000.00
11.	शुंगनाथ मन्दिर, गोपीनाथपुर	4,40,000.00
12.	रसिकराय मन्दिर, हरिपुरगढ़	5,00,000.00
13.	मन्दिर समूह, महेन्द्रगिरि	5,50,000.00
14.	वाराहजेव त्रिलोचनेश्वर मन्दिर, जाजपुर	2,00,000.00
15.	जाजपुर में मन्दिर	2,50,000.00
16.	जम्बेश्वर मन्दिर भुवनेश्वर	1,00,000.00
17.	महाकाल मन्दिर, रत्नागिरि	2,00,000.00
18.	स्मारक समूह, धानकनाल	2,00,000.00
19.	दक्ष–प्रजापति मन्दिर, बानपुर	2,00,000.00
20.	रामेश्वर मन्दिर, भुवनेश्वर	2,00,000.00
21.	रसिक राय मन्दिर, मरिपुर गढ	2,00,000.00
22.	चट्टान चित्रकारी, सीताभानजी	71,000.00
23.	उत्खनित स्थल रत्नागिरि	3,00,000.00
24.	मुक्तेश्वर मन्दिर, भुवनेश्वर	1,20,000.00
25.	जगदेश्वर मन्दिर, कीदा कल्ला	1,00,000.00
26.	राजारानी मन्दिर, भुवनेश्वर	3,40,000.00
27.	मारागुड़ा स्मारक	1,00,000.00
28.	वेताल मन्दिर, भुवनेश्वर	55,000.00
29.	सिंहनाथ मन्दिर बैदेश्वरा	1,10,000.00

पनबिजली परियोजनाएं

3651. श्री भीम दाहाल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंजूर की गई पनबिजली परियोजना सहित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई तीस्ता परियोजना किस चरण में है;

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत क्या है और इसके पूरा होने की समय सीमा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी उनका ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं.	परियोजना	क्षमता	राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी
1.	लीमाखोंग डीजीपीपी	36 मे. वा.	मणिपुर
2.	तुरियल एचईपी	60 मे. वा.	मिजोरम/नीपको

(ख) तीस्ता परियोजना चरण–5 केन्द्रीय क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन हेतु एनएचपीसी को सौंपी गई है । एनएचपीसी द्वारा नये सिरे से तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है ।

(ग) उपरोक्त परियोजना के लिए वर्ष 1998–99 हेतु 5 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत, निर्माण के दौरान ब्याज को न शामिल करते हुए सितम्बर, 97 के मूल्य स्तर पर 2070.82 करोड़ रुपये है । इस परियोजना को परियोजना आरंभ होने की तिथि से साढ़े छः वर्षों की अवधि के भीतर पूरे किए जाने का अनुमान है ।

[*हिन्दी*]

मध्य प्रदेश में एम. ए. आर. आर. प्रणाली

3652. श्री अशोक अर्गल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एम. ए. आर. आर. योजना के अंतर्गत जारी किए गए टेलिफोन कनेक्शनों की सर्किल–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किए गए अधिकांश ग्रामीण पी. सी. ओ. कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) :

(क) मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में कुल 20471 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन एम ए आर आर प्रणाली पर काम कर रहे

हैं।

(ख) 7.7.98 की स्थिति के अनुसार लगभग 83% ग्रामीण पी. सी. ओ. काम कर रहे थे।

(ग) असफलता के कारण इस प्रकार हैं :–

गांवों में लंबे समय तक विद्युत आपूर्ति न रहना, उपस्करों में आने वाले दोषों के कारण होने वाली खराबियों, एम ए आर आर उपस्कर की बहुत सारी किस्में तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली अनुरक्षण संबंधी समस्याएं तथा एम ए आर आर उपस्कर की प्रौद्योगिकी में स्वाभाविक रूप से होने वाली खराबियां।

(घ) (i) सभी एम ए आर आर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बैटरी सैटों के साथ सोलर फोटो वोल्टीक (एस पी वी) पैनल प्रदान करना/ 118.91 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में पहले से ही एस पी वी सेट हैं।

(ii) मरम्मत केंद्र खोलना, भोपाल में मरम्मत केंद्र काम कर रहा है।

(iii) आपूर्तिदाताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेका (ए एम सी) करना पहले से ही, तीन आपूर्तिदाताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेके (ए एम सी) हो चुके हैं।

(iv) दैनिक आधार पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण की देख–रेख करने के लिए अनुरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

[*अनुवाद*]

जाति आधारित जनगणना

3653. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाति आधारित जनगणना करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त जनगणना का कार्य पूरा करने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) सरकार द्वारा जाति पर आधारित जनगणना कराने का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

3654. श्रीमती उषा वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने ब्रिज ईंधन के तौर पर नैपथा के आधार पर 650 मे. वा. द्वारा उत्तर प्रदेश में औरय्या सी. सी. पी. पी. का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए नैपथा लिंकेज की स्वीकृति दे दी है जिसका अंतरण गैस/एल. एन. जी. उपलब्ध होने पर गैस में कर दिया जायेगा। इस परियोजना हेतु तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(ग) इस परियोजना के लिए सरकार से कोई बजटीय सहायता परिकल्पित नहीं है और एन. टी. पी. सी. उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वय हेतु आवश्यक निधियों की व्यवस्था स्वयं करेगा।

पुणे-बंगलौर और पुणे-हैदराबाद को जोड़ना

3655. श्री विठ्ठल तुपे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पुणे–बंगलौर और पुणे–हैदराबाद को जोड़ने के लिए "वेस्ट डाइवर्जन" की तरह, जिसे मुंबई–बंगलौर को जोड़ने के लिए पहले ही पूरा कर लिया गया है : "ईस्ट डाइवर्जन" का काम शीघ्र ही शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो "ईस्ट डाइवर्जन" का काम कब तक शुरू करने की संभावना है; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) पुणे पूर्वी डाइवर्जन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण और जांच हेतु अनुमान को इस मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी थी और उस डाइवर्जन के संरेखण को नवम्बर, 93 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। डाइवर्जन का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिए जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। वार्षिक योजना कार्यक्रम में शामिल करने के लिए फिलहाल इस कार्य की तुलनात्मक वरीयता कम है।

[*हिन्दी*]

भोज वेट लैंड योजना

3656. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

श्री अशोक अर्गल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल के बड़े और

लघु तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए भोज वेट लैंड योजना को जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.) की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या जापान सरकार ने भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद उक्त वित्तीय सहायता रोक दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और जापान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को अब तक अलग-अलग कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर भोज आर्द्रभूमि स्कीम के अन्तर्गत 14 उप-परियोजनाओं में से 12 उप-परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इनमे से सात उप-स्कीमों का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने पहले से ही अंतिम रूप प्रदान की जा चुकी शेष पांच उप-स्कीमों का कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कीम पर अब तक 55.63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। स्कीम के 31.3.2000 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) स्कीम की कुल लागत 247.02 करोड़ रुपये है। जापान सरकार ने भारत सरकार की मार्फत् 31.5.1998 तक मध्य प्रदेश सरकार को 636 मिलियन येन (19.62 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है।

[अनुवाद]

डाकघर में कर्मचारियों की कमी

3657. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाकघरों में कर्मचारियों की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सेवानिवृत्ति, पदोन्नति तथा कर्मचारियों की मृत्यु के कारण समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों पर रिकार्डिंग और प्रसारण सुविधाएं

3658. श्री सत्यपाल जैन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों के देश के राज्यों की सभी राजधानियों में अपने-अपने रिकार्डिंग और प्रसारण केन्द्र हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं जहां ये सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) समस्त दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों पर रिकार्डिंग और प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सभी राज्यों की राजधानियों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में रिकार्डिंग एवं रिले सुविधाएं उपलब्ध हैं। चण्डीगढ़ और गंगतोक को छोड़कर राज्यों की राजधानियों में स्थित सभी दूरदर्शन केन्द्रों में ये सुविधाएं मौजूद हैं। वर्तमान में, चण्डीगढ़ तथा गंगतोक में स्टूडियो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

आई. सी. एच. आर. के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा खर्च किया गया अनधिकृत व्यय

3659. श्री मोइनुल हसन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. सी. एच. आर. के बंगलौर और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और वास्तव में व्यय की गई;

(ख) क्या यह राशि प्रशासनिक समिति की स्वीकृति के बिना खर्च की गई; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए बंगलौर और गुवाहाटी में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए संस्वीकृत और वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि नीचे दी गई है।

(रु. लाखों में)

	1996–97 संस्वीकृत/व्यय की गई	1997–98 संस्वीकृत/व्यय की गई
बंगलौर	14.00/6.00	14.00/25.44
गुवाहाटी	शून्य/शून्य	14.00/3.05

(ख) और (ग) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भेजी गई सूचनानुसार व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया है। क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के संबंध में हुई प्रगति का पुनरीक्षण 27 अप्रैल, 1998 को प्रशासनिक समिति की विशेष बैठक में किया गया था।

[हिन्दी]

मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम

3660. श्रीमती शीला गौतम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अलीगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए टेलीफोन तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र के लिए एक दूरसंचार तकनीशियन की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ताकि टेलीफोन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में एम ए आर आर प्रणाली पर प्रदान किए गए टेलीफोनों में से लगभग 92% टेलीफोन ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। 30 जून, 98 की स्थिति के अनुसार अलीगढ़ गौण स्विचन क्षेत्र में, एम ए आर आर प्रणाली पर कार्यरत 759 टेलीफोनों में से केवन 35 टेलीफोन खराब थे।

(ख) एम ए आर आर प्रणालियों का अनुरक्षण तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है जो संबंधित उप मंडल अधिकारी (एसडीओ) तार की पूरी देख–रेख और नियंत्रण में काम करते हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

3661. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा सरकार की अनुमति के बिना और स्थापित मानदंडों के विपरीत सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस अनियमितता को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय संगठन में कोई परामर्शदाता कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन एक्सचेंज

3662. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कम है, और

(ग) यदि हां, तो इस राज्य को अन्य राज्यों के समतुल्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 31.5.98 को स्थिति के अनुसार जम्मू व कश्मीर सर्किल में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 252 है।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज मांग के आधार पर लगाए जाते हैं। अतः इस आधार पर अन्य राज्यों से तुलना करना कठिन है। तथापि जम्मू व कश्मीर सर्किल में टेलीफोन घनत्व अर्थात् प्रति सौ व्यक्तियों पर टेलिफोनों की संख्या अन्य कई राज्यों से बेहतर है।

(ग) जम्मू व कश्मीर सहित विभाग के दूरसंचार सर्किलों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 2002 तक दूरसंचार सेवाओं को विकसित कर मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जा रही है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद में अनियमितताएं

3663. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 24 नवंबर 1997 के अतारांकित प्र. सं. 850 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरोपों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकारी संगठनों के लिए कम्प्यूटर प्राप्त करने में

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की क्या भूमिका है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि की खरीद के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों पर इस मंत्रालय ने एक जांच की थी तथा रिपोर्ट परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत की गई है।

(घ) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने सरकारी संगठनों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद मुख्यतः राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अपने बजट में से की थी ताकि निकनेट (एन आई सी एन इ टी) से संबद्ध किया जा सके। तथापि, जब भी कोई सरकारी विभाग संगठन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्राप्ति में सहायता के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से संपर्क करता है और यदि बजट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को हस्तांतरित किया जाता है तो कम्प्यूटर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की प्रक्रिया अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र अपनी प्रस्तावित प्रक्रियाओं के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर की प्राप्ति में तकनीकी सहायता भी देता है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली परियोजनाएं

3664. श्री सुरेश चन्देल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की कितनी पन–बिजली परियोजनाएं अनुमोदनार्थ केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमति प्रदान कर दी जाएगी ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) तीन जल विद्युत परियोजनाओं नामतः कोल बांध (800 मे. वा.), पार्वती चरण–2 (800 मे. वा.) और चमेरा चरण–2 (300 मे. वा.) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत किया गया है। कोल बांध जल विद्युत परियोजना और पार्वती चरण–2 के लिए निवेश अनुमोदन हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ परामर्श करके क्रियान्वयन एजेंसियों को अभिज्ञात करने के पश्चात् ही प्रदान किया जाएगा। चमेरा चरण–2 हेतु निवेश अनुमोदन पर, के. वि. प्रा. द्वारा क्रियान्वयन की विभिन्न पद्धतियों पर आधारित पूरा किए जाने की लागतों के बारे में मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

स्कीमों क्रमशः बुढ़िल (70 मे. वा.), मालाना (86 मे. वा.) और रेनुका बांध (40 मे. वा.) को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा के. वि. प्रा. के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। के. वि. प्रा. द्वारा संवीक्षा किए जाने के पश्चात् तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

छः स्कीमों नामशः एलन दुहांगन (192 मे. वा.), धामवारी सुंदा (70 मे. वा.), हिबरा (231 मे. वा.), करछम वांग्टू (1020 मे. वा.), उहल (100 मे. वा.) तथा पार्वती चरण–3 (510 मे. वा.) को के. वि. प्रा. द्वारा राज्य सरकार को पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु वापिस कर दिया गया है। इन परियोजनाओं पर के. वि. प्रा. द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु उठाए गए विभिन्न मुद्दों का संतोषजनक ढंग से समाधान किए जाने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

3665. श्री पी. शंकरन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा स्थापित करने के संबंध में केरल सरकार के अनुरोध की स्थिति क्या है ; और

(ख) इस संबंध में निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केरल, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा गोवा राज्य सरकारों से वस्त्र मंत्रालय को अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने अपने–अपने राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा है। इन अनुरोधों की वस्त्र मंत्रालय में जांच की जा रही है।

विद्युत का आयात और निर्यात

3666. श्री नरेश पुगलीया : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पड़ोसी देशों को बिजली का आयात और निर्यात करने के प्रस्ताव थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बिजली की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात स्थगित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पड़ोसी देशों के साथ विद्युत विनिमय की स्थिति निम्नानुसार है :

1. **भूटान**

   भारत कुछ वर्षों से भूटान स्थित चुखा जल विद्युत परियोजना से विद्युत का आयात कर रहा है। भूटान सरकार भी पश्चिम बंगाल और असम राज्य विद्युत बोर्डों से विद्युत का आयात करती है।

2. नेपाल

भारत और नेपाल के बीच विद्युत का आदान–प्रदान अक्टूबर 1971 में आरम्भ हुआ। आरम्भ में विनिमय की मात्रा 5 मे. वा. थी जो बढ़कर 50 मे. वा. हो गई है। विद्युत विनिमय मौजूदा पारेषण नेटवर्क के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर 17 स्थानों पर होता है।

3. बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश सरकारें, भारत और बांग्लादेश के बीच विद्युत प्रणालियों के अंतः संयोजन के लिए संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमत हैं। एशियाई विकास बैंक अपने क्षेत्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच विद्युत विनिमय के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का वित्त पोषण करने के लिए सहमत है। 29 और 30 मई, 1997 को परियोजना के संबंध में ए. डी. बी. मनीला में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। इस परियोजना में भारत के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी बांग्लादेश को अतिरिक्त विद्युत के निर्यात की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में पूर्वी बंगलादेश से भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत के निर्यात की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) विद्युत के निर्यात अथवा आयात को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानांतरण/प्रोन्नति संबधी केन्द्रीय विद्यालय संगठन समिति

3667. श्री बी. एम. मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण, प्रोन्नति इत्यादि संबंधी दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने के लिए कोई समिति या ग्रुप स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन हैं तथा इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति/ग्रुप ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डाक और तार कर्मचारियों के लिए यूनिफार्म को प्रावधान करना

3668. प्रो. रीता शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों को विभिन्न मौसमों हेतु प्रतिवर्ष यूनिफार्म प्रदान करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले बारह वर्षों से बिहार में ऐसे कर्मचारियों को यूनिफार्म नहीं दी गई;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को यूनिफार्म नहीं दिये जाने की प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्हें नवम्बर, 1993 में 73.12 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी गई थी;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त अवधि के लिए कर्मचारियों को लगभग 50.83 लाख रुपये धुलाई भत्ते के रूप में दिये गये थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन अनियमितताओं के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों को अधिकांश वर्दियां, गर्मी तथा सर्दी दोनों ही ऋतुओं के लिए दो वर्ष में एक बार प्रदान की जाती हैं। तथापि, कुछेक वर्दियां ऐसी हैं जो तीन/चार/पांच वर्ष में एक बार दी जाती हैं जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी संलग्न विवरण में निर्धारित है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के संबंध में निर्णय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की मांग पर बिहार दूरसंचार सर्किल के क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार तन्त्र (आरजेसीएम) में लिया गया था। आर जे सी एम में लिए गए निर्णय की समग्र पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों के लिए वर्दियों का पूर्ण विवरण, माप तथा नमूना

कर्मचारियों की श्रेणी	वर्दी का विवरण तथा माप				
	सामग्री	गर्मी तथा सर्दी वाले दोनों स्थानों के लिए (जैसे दिल्ली)	सभी सर्दी वाले स्थानों के लिए (जैसे शिमला)	सभी गर्मी वाले स्थानों के लिए (जैसे हैदराबाद)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
ग्रीष्म ऋतु के लिए					
I. स्टाफ कार ड्राइवर	1. बिस्कुटनुमा रंग में खास दसूतीखादी से बना सफारी सूट आधी बाजू का	2 वर्ष में 4	शून्य	2 वर्ष में 5	
	2. (क) नुकीली टोपी या	3 वर्ष में 2	3 वर्ष में 2	3 वर्ष में 2	
	(ख) पगड़ी (सफेद)	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	
	3. (क) कूल्ला	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 1	
	(ख) फिपटीसिख कर्मचारियों के लिए	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	
	4. चमड़े की बद्धी वाली चप्पल	1 वर्ष में 1 जोड़ा	शून्य	1 वर्ष में 1 जोड़ा	
	1. बटनबंद उनीकोट तथा पैंट (नीला)	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
	2. चमड़े के जूते	2 वर्ष में एक जोड़ा	1 वर्ष में एक जोड़ा	2 वर्ष में एक जोड़ा	
	3. ओवर कोट (नीला)	5 वर्ष में एक	5 वर्ष में एक	शून्य	
	4. ऊनी जुराबें (नीला)	एक वर्ष में एक जोड़ा	एक वर्ष में दो जोड़ा	शून्य	
	अतिरिक्त मद				
	1. चमड़े के दस्तानें	3 वर्ष में एक जोड़ा	3 वर्ष में एक जोड़ा	शून्य	
	2. वाटर–प्रूफ	शून्य (परन्तु पैरा 9 के तहत विशेष पूल से)	5 वर्ष में 1	शून्य परन्तु पैरा 9 के तहत विशेष पूल से	
ग्रीष्म ऋतु के लिए					
II. डिस्पैच राइडर	1. गाढ़े बिस्कुटनुमा रंग में खासदसूती खादी से बना सफारी सूट (आधी बाजू का)	2 वर्ष में 3	शून्य	2 वर्ष में 4	
	2. पगड़ी (सफेद)	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	
	3. (क) कूल्ला या	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में एक	2 वर्ष में एक	
	(ख) फिपटी (केवल सिक्ख कर्मचारियों के लिए)	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	
	4. चप्पल	1 वर्ष में एक जोड़ा	शून्य	एक वर्ष में एक जोड़ा	
	सर्दी के लिए				
	1. बटनबंद ऊनी कोट तथा पैंट (नीला)	2 वर्ष में एक जोड़ा	2 वर्ष में दो	शून्य	*सभी सर्दी वाले स्थानों के मामले में क्रेप तटले के जूते होंगे
	2. जूते	2 वर्ष में एक जोड़ा	एक वर्ष में एक जोड़ा	2 वर्ष में एक जोड़ा	
	अतिरिक्त मद				
	1. चमड़े की जाकेट	5 वर्ष में एक	5 वर्ष में एक	शून्य	*तिपहिया स्कूटर चालक अतिरिक्त 3 मदों अर्थात् चमड़े की जाकेट, चश्मा तथा चमड़े के दस्तानों को छोड़कर डेस्टपैच
	2. धूप का चश्मा	3 वर्ष में एक	3 वर्ष में एक	3 वर्ष में एक	
	3. चमड़े के दस्तानें	3 वर्ष में एक जोड़ा	3 वर्ष में एक जोड़ा	शून्य	

1	2	3	4	5	6
	4. वाटर प्रूफ	शून्य परन्तु पैरा 9 के तहत विशेष पूल से	5 वर्ष में एक	शून्य (परन्तु पैरा 9 के तहत विशेष पूल से	राइडर के बराबर की वर्दी के हकदार होंगे बशर्ते कि वे डेस्पेच राइडर की ड्यूटी करते हों।
III. जमादार					
	ग्रीष्म ऋतु के लिए				
	1. गाढ़े बिस्कुट नूमा रंग में विशेष दसूती खादी से बना सफारी सूट (आधी बाजू का)	2 वर्ष में 4	शून्य	2 वर्ष में 5	शिमला या अन्य सभी सर्दी वाले स्थानों पर तैनात अधिकारियों से संबद्ध श्रेणी IV के ऐसी कर्मचारियों को दो वर्ष में एक बार सूती वर्दी का एक सेट भी दिया जाएगा जिन्हें अपने अधिकारियों के साथ मैदानी क्षेत्रों में दौरे पर जाना होता है।
	2. चप्पल	एक वर्ष में एक जोड़ा	शून्य	एक वर्ष में एक जोड़ा	
	3. (क) टोपी सूती या	2 वर्ष में 4	शून्य	2 वर्ष में 5	
	(ख) सिखों और ऐसे कर्मचारियों के लिए पगड़ियां जो नियमितरूप से पगड़ी पहनते हैं।	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	
	4. (क) कुल्ला अथवा	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 1	
	(ख) फिफ्टी (केवल सिखों के लिए)	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	
	सर्दी के लिए				
	1. बटनबंद–कोट और पेंट (नीला) युक्त ऊनी सूट	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
	2. ऊनी टोपी (जिन्हें पगड़ी दी जाती है उन्हें नहीं)	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
	3. जूते	2 वर्ष में 1 जोड़ा	1 वर्ष में 1 जोड़ा	2 वर्ष में 1 जोड़ा	सभी शीतकालीन स्टेशनों के मामले में जूते क्रेपसोल जूते होंगे
	4. ऊनी पूरी आस्तीन की जर्सी (नीली)	3 वर्ष में 2	3 वर्ष में 2	शून्य	
	5. ऊनी मौजे (नीले)	3 वर्ष में 2 जोड़े	1 वर्ष में 2 जोड़े	शून्य	
	6. चेवरोन	2 वर्ष में 2	2 वर्ष में 2	2 वर्ष में 2	
	7. छतरी	शून्य (किंतु पैरा के अनुसार पूल से)	2 वर्ष में 1 छतरी	2 वर्ष में 2	
	8. कंबल	शून्य	3 वर्ष में 1	शून्य	
	ग्रीष्म ऋतु				
IV. चौकीदार	1. सफारी सूट (गहरे बिस्कुटी रंग में विशेष दसूती खादी से बना आधी बाजू का)	2 वर्ष में 3	शून्य	2 वर्ष में 4	
	2. चप्पल	1 वर्ष में 1 जोड़ा	शून्य	1 वर्ष में 1 जोड़ा	
	3. (क) टोपी (सूती) अथवा	2 वर्ष में 3	शून्य	2 वर्ष में 4	
	(ख) सिखों और पगड़ी पहनने के आदी व्यक्तियों के लिए पगड़ी	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	

1	2	3	4	5	6
	4. (क) कुल्ला अथवा (ख) फिफ्टी केवल सिखों को)	2 वर्ष में 1 5 वर्ष में 4	2 वर्ष में 1 2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 1 2 वर्ष में 4	
	शीत ऋतु				
	1. बटन बंद कोट और पैंट (खाकी) ऊनी सर्ट	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
	2. ऊनी टोपी जिन्हें पगड़ी दी गई है, उन्हें छोड़कर	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
	3. जूते*	2 वर्ष में 1 जोड़ा	1 वर्ष में 1 जोड़ा	2 वर्ष में 1 जोड़ा	*सभी शीतकालीन स्टेशनों के मामले में जूते क्रेपसोल जूते होंगे।
	4. ऊनी मोजे (खाकी)	3 वर्ष में 2 जोड़े	3 वर्ष में 2 जोड़े	शून्य	
	5. ऊनी पूरी आस्तीन की (खाकी)	3 वर्ष 2 जर्सी	3 वर्ष में 2	शून्य	
	6. कंबल	3 वर्ष में 1	3 वर्ष में 1	शून्य	
	7. छतरी	शून्य (लेकिन पैरा 9 के तहत पूल से)	2 वर्ष में 1	शून्य (लेकिन पैरा 9 के तहत पूल से)	
V. गेस्टेरनर प्रचालक (चतुर्थ श्रेणी) छंटनी दफ्तरी सिकाईकर्ता, चपरासी, सफाई वाला, फराश इत्यादि।	1. **सफारी सूट (आधी बाजू) गहरे बिस्कुटी रंग में विशेष दसूती खादी से बना,	2 वर्ष में 3	***शून्य	2 वर्ष में 4	**जमादार, दफ्तरी रिकार्ड, छटनीकर्ता, कनि. गेस्टेरनर, आपरेटर, चपरासी तथा संदेश वाहकों के लिए सर्दियों में सूट, जर्सी और मोजों का रंग नीला होगा और गर्मियों में सफेद होगा।
	2. चप्पल	1 वर्ष में 1 जोड़ा	शून्य	1 वर्ष में 1 जोड़ा	
	3. (क) टोपी (सूती) अथवा	2 वर्ष में 3	शून्य	2 वर्ष में 4	
	(ख) सिखों और पगड़ी पहनने के आदी व्यक्तियों के लिए पगड़ी	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	***शिमला तथा अन्य "पूरे ठंडे स्टेशनों" में तैनात अधिकारियों से जुड़े चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्हें अपनी अधिकारियों के साथ मैदानी इलाकों में दौरे पर जाना पड़ता है, उन्हें दो वर्ष में एक सूती वर्दी का अतिरिक्त सेट दिया जाएगा।
	4. (क) कुल्ला अथवा	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 1	
	(ख) फिफ्टी (केवल सिखों के लिए)	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 4	

*दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर के स्थानों में, जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां काम करती हैं, वहां समिति निर्णय करेगी कि पात्र कर्मचारियों को पूरी बाजू का अथवा आधी बाजू की सफारी किस्म की वर्दी दी जाए। लिया गया निर्णय स्टेशन विशेष के सभी कार्यालयों को लागू होगा। अलग-अलग तरह का नहीं.—उक्त स्टेशन में अलग-अलग कार्यालयों के लिए या आधी बाजू का अथवा पूरी बाजू की अनुमति दी जाएगी।

शीत ऋतु				
1. **ऊनी सूट जिसमें बटनदार कोट और पैंट शामिल है।	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
2. ऊनी टोपी (यह उनके लिए नहीं है जिन्हें पगड़ी दी गई है)	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
3. जूते	2 वर्ष में 1 जोड़ा	*1 वर्ष में 1 जोड़ा	2 वर्ष में 1 जोड़ा	×"सभी शीत ऋतु वाले स्टेशनों के मामले में जूते क्रेप सोल वाले होंगे।"
4. पूरी आस्तीन ऊनी जर्सी	3 वर्ष में 2	3 वर्ष में 2	शून्य	
5. ऊनी जुराब	3 वर्ष में 2 जोड़ा	1 वर्ष में 2 जोड़ा	शून्य	
6. छाता	शून्य (परन्तु पैरा 9 के अनुसार पूल से)	2 वर्ष में 1	शून्य (परन्तु पैरा 9 के अनुसार पूल से)	

1	2	3	4	5	6
	7. कम्बल	शून्य	3 वर्ष में 1	शून्य	×शिमला अथवा अन्य सभी विन्टर स्टेशनों में कम्बल और छाता दफ्तरियों, रिकार्ड सार्टरों तथा कनिष्ठ गेस्टनर्स आपरेटरों के लिए ग्राह्य नहीं है।
ग्रीष्म ऋतु					
VI. महिला वर्ग के IV श्रेणी के कर्मचारी, चपरासी, दफ्तरी, सफाई वालों तथा चौकीदार इत्यादि।	1. साड़ी (सफेद)	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3	दि. 12.6.81 के का. ज्ञा. सं. 14/5/81 जे. सी. ए. के तहत वर्ष 1981 के बाद की ग्रीष्म ऋतुओं से विनिर्दिष्ट आई. एस. 3771–1966
	2. ब्लाउज (सफेद)	"	"	"	
	3. पेटीकोट	"	"	"	
	4. चप्पल (लेडीज)	1 वर्ष में 1 जोड़ा	शून्य	1 वर्ष में 1 जोड़ा	
	शीत ऋतु				
	1. लेडीज हाफ कोट	3 वर्ष में 1	3 वर्ष 1	शून्य	
	2. पूरी आस्तीन की ऊनी जर्सी	3 वर्ष में 2	3 वर्ष 2	शून्य	
	3. ऊनी जुराब	3 वर्ष में 2 जोड़े	1 वर्ष में 2 जोड़े	शून्य	
	4. जूते (लेडीज)	2 वर्ष में 1 जोड़ा	1 वर्ष में 1 जोड़ा	2 वर्ष में 1 जोड़ा	
	5. छाता	शून्य (परन्तु पैरा 9 के तहत पूल से)	×2 वर्ष में एक	शून्य (परन्तु पैरा 9 के तहत पूल से)	×केबल आउटडोर कर्मचारियों के लिए ग्राह्य है
	6. कम्बल	शून्य	×3 वर्ष में 1 कम्बल	शून्य	×"सभी विन्टर तथा समर और विन्टर दोनों स्टेशनों में" जहां महिला चौकीदार है उन्हें 3 वर्ष में 1 कम्बल दिया जाएगा। ×विन्टर स्टेशनों केबल आउटडोर महिला कर्मचारी अर्थात् चपरासी सफाई वालों के लिए कंबल ग्राह्य है।
ग्रीष्म ऋतु					
VII. मालियों, भिस्तियों तथा वकटरमेन (संरक्षी वस्त्र)	1. काटन–शर्ट	2 वर्ष में 4	2 वर्ष में 2	2 वर्ष में 4	×सप्लाई के समय कर्मचारियों द्वारा शर्ट अथवा पायजामा का चयन किया जाना चाहिए मालियों, भिस्तियों तथा वाटरमेन के लिए काटन को संरक्षी वस्त्रों का रंग खाकी अथवा भूरा होना चाहिए और ऊनी पैंट का रंग गाढ़ा (नीला अथवा खाकी) होना चाहिए।
	2. काटन–शर्ट 1 पायजामा	2 वर्ष में 2	शून्य	2 वर्ष में 4 (इसमें अतिरिक्त यदि खादी की बनी मदें सप्लाई की जाती हैं तो खादी वस्त्रों का एक अतिरिक्त सेट जिसमें एक काटन का शर्ट तथा एक शर्ट/पायजामा 2 वर्ष में सप्लाई किया जाता है)	
	शीत ऋतु				
	1. ऊनी पैंट	2 वर्ष में 1	2 वर्ष में 2	शून्य	
	2. पूरी अस्तीन की ऊनी जर्सी	3 वर्ष में 2	2 वर्ष में 2	शून्य	
VIII. महिला कर्मचारी माली, भिस्ती वाटरवुमन (संरक्षी वस्त्र)	ग्रीष्म ऋतु				
	1. साड़ी	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3	×दिनांक 12.6.81 के का. ज्ञा. सं. 14/5/81 जे. सी. ए. के तहत 1981 के ग्रीष्म ऋतु से विनिर्दिष्ट आई. एस. : 3771–1966
	2. ब्लाउज (नीला रंग)	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3	
	3. पेटीकोट	1 वर्ष में 3	1 वर्ष में 3		
	शीत ऋतु				
	पूरी आस्तीन की ऊनी जर्सी	3 वर्ष में 2	3 वर्ष में 2	—	

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पुरूलिया पम्प भंडारण पन-बिजली परियोजना

3669. श्री वीर सिंह महतो : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में पुरूलिया पंप भंडारण पन–बिजली विद्युत परियोजना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह परियोजना पोखरन में परमाणु बम परीक्षण से प्रभावित होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में स्थापित 4 x 225 मे. वा. (900 मे. वा.) अधिष्ठापित क्षमता वाली पुरूलिया स्टोरेज परियोजना के अवसंरचनात्मक कार्य जैसे सड़क, भवन, कॉलोनी, निर्माण संबंधी विद्युत भूमिगत विद्युत गृह के लिए पहुंच मार्ग सुरंग संबंधी कार्य आदि प्रगति पर हैं। निम्नलिखित क्रम में वर्ष 1998 के अन्त से अप्रैल, 2001 के बीच मुख्य कार्यों का विभिन्न खण्डों में ठेका प्रदान किए जाने की प्रत्याशी हैं।

खण्ड सं.	कार्य का नाम	ठेका प्रदान करने का प्रत्याशित समय
1.	अवसंरचना	पहले ही प्रदान की जा चुकी है कार्य प्रगति पर है।
2.	पारेषण लाइन	मार्च, 1999
3.	उप केन्द्र	सितम्बर 2000
4.	मुख्य सिविल निर्माण कार्य	दिसम्बर, 1998
5.	जल विद्युत यांत्रिक उपस्कर	फरवरी, 1999
6.1	वैद्युत यांत्रिक उपस्कर	मार्च, 1999
6.2	यूनिट ट्रांसफार्मर	अप्रैल, 2000
6.3	एच. टी. केबिल	अप्रैल, 2001

(ख) और (ग) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) परियोजना पूरा करने का अनुसूचित समय दिसम्बर 2003 के अन्त तक है।

टिहरी पन-बिजली परियोजना

3670. श्री के. पी. नायडू : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हनुमन्तप्पा राव समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार टिहरी पन–बिजली परियोजना द्वारा पर्यावरण संबंधी कौन–कौन से अतिरिक्त उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) इस लागत को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) बांध का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) हनुमंताराव समिति द्वारा जिन अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी उपायों की सिफारिश की गई थी उनमें अन्य बातों के साथ–साथ केवल परोक्ष अपवहन क्षेत्र, प्राणियों और वनस्पति पर अतिरिक्त अध्ययन करने, जलाशय के कारणवश मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय करने, जल व जलाशय के अनुप्रवाह की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव इत्यादि के स्थान पर "बहुत अधिक" और "अधिक" अपरदनता वर्गीकरण के टिहरी जल विद्युत परियोजना के संपूर्ण अवक्रमित आवाह क्षेत्र का उपचार शामिल है। अंतर मत्रालय दल द्वारा हनुमंता राव समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद सचिवीय समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई जिसने इन सिफरिशों को कार्यान्वयन का सुझाव दिया बशर्ते उन्हें सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो।

पर्यावरण संबंधी उपायों से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन से होने वाले अतिरिक्त वित्तीय बाधाओं हनुमंता राव समिति द्वारा संस्तुत 1200 करोड़ रु. की तुलना में अंतर मंत्रालीय समिति द्वारा संस्तुत 63.00 करोड़ रु. आंका गया है। अतिरिक्त व्यय का वहन परियोजना लागत से किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्तमान संकेत के अनुसार टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण–I (1000 मे. वा.) के मार्च, 2002 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

3671. श्री बलीराम कश्यप :

श्री कल्लाप्पा आवांडे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषरूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितनी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए लम्बित हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी राज्य–वार एवं परियोजना–वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरणीय निकासी के लिए केवल तीन सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की कोई सिंचाई परियोजना पर्यावरणीय निकासी के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित है	लम्बन के कारण
असम			
1.	सिंचाई विभाग, असम सरकार की चम्पामती सिंचाई परियोजना	मई, 1998	कार्रवाई चल रही है।
उड़ीसा			
2.	उड़ीसा सरकार की लोअर सुकतल सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 1998	कार्रवाई चल रही है।
3.	उड़ीसा सरकार की लोअर इन्द्रा सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 1998	कार्रवाई चल रही है।

[*अनुवाद*]

कृषि जैव प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना

3672. श्री मुकुल वासनिक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों और आम जनता में कृषि जैवप्रौद्योगिकी के संबंध में मूल अवधारणाओं, क्षमताओं और नवीनतम प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के संबंध में कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की कृषि जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित उचित दस्तावेजों को सभी सरकारी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। जैवप्रौद्योगिकी तथा विशेष रूप से कृषि जैवप्रौद्योगिकी में जागरूकता लाने के संबंध में कई कार्यक्रम विशेषतौर पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधन परिषद के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों और आम जनता में जैवप्रौद्योगिकी की मूल अवधारणाओं, क्षमताओं और नवीनतम प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा लोकप्रिय व्याख्यानों के आयोजन संबंधी एक योजना कार्यान्वयन के अधीन है। व्याख्यानों में कृषि जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में भी तैयार किया गया है। जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों पर 11 लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। युवा छात्रों में जैवप्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जैवप्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं को दर्शाने वाले कई रंगीन पोस्टर निकाले गए हैं। "साइंस रिपोर्टर" तथा "विज्ञान प्रगति" जैसी विज्ञान पत्रिकाओं में जैवप्रौद्योगिकी संबंधी लोकप्रिय लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है।

जैवउर्वरकों, जैवकीटनाशियों और पादप ऊतक संवर्धन जैसे विषयों पर फिल्मों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जैवप्रौद्योगिकी की क्षमताओं और उसके अनुप्रयोगों को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के दौरान छात्रों द्वारा ओपन हाऊस, प्रदर्शनियों, वाद–विवादों तथा निबन्ध लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

(ग) से (ङ) तीन लोकप्रिय पुस्तकों, जो प्रारंभ में अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थीं, का हिन्दी अनुवाद किया गया है। किसानों के लिए जैवउर्वरकों और जैवनियंत्रण कर्मकों संबंधी प्रदर्शन के दौरान किसान मेलों, प्रदर्शनियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय भाषा में विज्ञापनों (होर्डिंग) और पुस्तिकाओं के माध्यम से उत्पादों, प्रौद्योगिकियों आदि के बारे में सूचना अपलब्ध कराई जाती है। अनुप्रयोगोन्मुखी कृषि जैवप्रौद्योगिकियों के बारे में और अधिक सूचना विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[*हिन्दी*]

कुटीर ज्योति कार्यक्रम

3673. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

डॉ. चिन्ता मोहन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए घरों के प्रतिशत के संबंध में कोई आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिशत कनेक्शन के रूप में निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कुटीर ज्योति कार्यक्रम को वर्ष 1988–89 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले घरों में एकल बिन्दु प्रकाश कनेक्शन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों/रा. वि. बो. के प्रयासों को सहायता प्रदान करता है। 31.3.98 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 लाख से अधिक कनैक्शन जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संबंधित रा. वि. बो. को प्रत्येक गैर–मीटरिंग कनैक्शन के लिए प्रत्येक 800 रुपये तथा मीटरित कनैक्शन के लिए प्रत्येक 1000 रुपये की दर पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

(ग) और (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 31% ग्रामीण घरों को विद्युतीकृत किया गया था। 1997–98 में जारी किए गए 3.52 लाख घरेलू कनैक्शनों की तुलना में 1998–99 में ग्रामीण गरीब घरों के लिए 4.45 लाख कुटीर–ज्योति कनैक्शनों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। वह राज्य सरकारों/रा. वि. बो. द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त होगा जो राज्य स्तर पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का प्रबन्ध कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डी. पी. ई. पी. और आई. सी. डी. एस. संबंधी विश्व बैंक की परियोजना

3674. श्री के. येरननायडू : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक परियोजना के दो घटकों डी. पी. ई. पी. और आई. सी. डी. एस. से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना (ए. पी. ई. आर. पी.) के प्राथमिक शिक्षा संघटक (डी. पी. ई. पी.) का राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में समझौता हुआ है जिसका कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद, हैदराबाद (डी. पी. ई. पी. सोसाइटी), जो आंध्र प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है, के माध्यम से किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना का आई. सी. डी. एस. संघटक केन्द्रीय प्रायोजित योजना होगी जिसे महिला एवं बाल विभाग में देखा जाएगा।

बाल वेश्यावृत्ति

3675. श्री बासुदेव आचार्य :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ती हुई बाल वेश्यावृत्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई नया कानून लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लाए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वेश्यावृत्ति की शिकार बालिकाओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सरकार समाज में वाणिज्यिक यौन शोषण अथवा वेश्यावृत्ति की घटनाओं से बहुत चिंतित है। सरकार ने बाल वेश्यावृत्ति पर एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को रिपोर्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भी राज्य सलाहकार समितियां बनायी हैं और विशेष पुलिस अधिकारियों को अधिसूचित करने, वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर–सरकारी संगठनों के सलाहकार बोर्ड बनाने, नियमित रूप से छापे मारने तथा वेश्यावृत्ति के चंगुल से छुड़ाये गये लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। कुछ राज्य सरकारें वेश्यावृत्ति की रोक–थाम के लिए तथा महिलाओं और बाल वेश्याओं के पुनर्वास की स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। वेश्यावृत्ति, बाल वेश्याओं और वेश्याओं के बच्चों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित समिति ने वाणिज्यिक यौन शोषण की प्रकृति उसकी स्थिति और व्यापकता पर एक रिपोर्ट तैयार की है। समिति ने निवारण, पणन, जागरूकता उत्पन्न करना और सामाजिक संघटन, स्वास्थ्य देखभाल और बाल देखभाल, आवास, शरण और नागरिक सुविधायें, आर्थिक शक्ति–सम्पन्नता, कानूनी सुधार और विधि प्रवर्तन, बचाव और पुनर्वास संस्थागत तंत्र और कार्य–प्रणाली के अर्न्तगत वर्गीकृत कार्रवाई बिन्दुओं सहित महिलाओं और बच्चों के पणन तथा वाणिज्यिक यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए एक कार्य योजना को भी अन्तिम रूप दिया है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कार्य योजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिला शक्ति–सम्पन्नता के माध्यम से बच्चों, विशेषकर बलिकाओं के स्तर में समग्र सुधार करने के प्रयास कर रही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, महिलाओं के लिए रोजगार–सह–

आयोत्पादन–एककों की स्थापना, सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्व–रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास जैसी रोजगार और आयोत्पादन स्कीमें विशेषकर वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में और वेश्यावृत्ति के पंजे से छुड़ायी गयी लड़कियों के पुनर्वास के लिए चलायी जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन विकास में निवेश

3676. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पत्तन विकास में 16000 करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप पत्तनों की अतिरिक्त क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में महापत्तनों के विकास के लिए 7215 करोड़ रु. के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 76 मिलियन टन क्षमता सृजित करने के लिए परियोजनाएं निजी क्षेत्र और आबद्ध प्रयोक्ताओं के जरिए शुरू की जानी है। साथ ही साथ नौवीं योजनावधि में महापत्तनों में 159 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना के शुरुआत के साथ–साथ यह कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है।

आकाशवाणी के उद्घोषकों की मांगें

3677. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री शैलेन्द्र कुमार :

श्री बेनी प्रसाद वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के उद्घोषक परिसंघ द्वारा सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य मांगे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के उद्घोषक परिसंघ की मुख्य मांगें आकाशवाणी के संगठित संवर्ग में उद्घोषक संवर्ग का विलय करने, ट्रांसमिशन निष्पादकों एवं कार्यक्रम निष्पादकों को दिए जा रहे उच्चतर वेतनमान की स्थिति में उनसे वेतन समानता और उद्घोषकों की कार्यक्रम निष्पादकों की श्रेणी में पदोन्नति से संबंधित हैं।

(ग) एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में प्रसार भारती की स्थापना के बाद इस मामले में प्रथमतः यदि कोई निर्णय लिया जाना है तो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

[हिन्दी]

छेदक कीट से प्रभावित साल वृक्ष

3678. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर मध्य प्रदेश में छेदक कीट से प्रभावित साल के पेड़ों के बहुत कम खरीददार रह गये हैं;

(ख) क्या मानसून आने से पहले यदि छेदक कीटग्रस्त साल के वृक्षों का निपटान नहीं किया जाता है, तो छेदक कीट का कोप बहुत अधिक बढ़ जाएगा और एक के बाद एक जंगल इस कीट की चपेट में आ जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जबलपुर में छेदक कीट से प्रभावित साल वृक्षों के खरीददारों में आई कमी के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) मानसून के प्रारंभ में साल बीटल प्रकट होते हैं और उनका जीवन चक्र लगभग 20–25 दिन होता है तथा इसी अवधि के दौरान वे अंडे देते हैं और उन्हें सेते हैं। बीटल संख्या को समाप्त करने के लिए मानसून के दौरान "ट्रैप ट्री आपरेशन" आरंभ किए जाते हैं ताकि स्वस्थ वृक्षों पर उनके हमले को रोका जा सके। प्रभावित वृक्षों को काट कर वनों से हटाया भी जाता है। तथापि, यदि समय पर ट्रैप ट्री आपरेशन नहीं किए जाते हैं और गिरने वाले कूड़े–करकट को वन क्षेत्रों से नहीं हटाया जाता है तो 'बोरर' हमला और तेजी से होने की संभावना होती है।

(ग) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से "ट्रैप ट्री आपरेशन" तेज करने और पूरी तरह से मृत वृक्षों को गिराने हेतु अनुरोध किया है। राज्य में साल वनों के स्वास्थ्य पुनरुद्धार के लिए प्राकृतिक वनों के प्रबंधन हेतु मध्य प्रदेश सरकार से अधिक बजट आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

तरल ईंधन से विद्युत का उत्पादन

3679. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 2000 ई. तक तरल ईंधन से विद्युत उत्पादन के लिए राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : लगभग 12000 मे. वा. की कुल तरल ईंधन आधारित विद्युत क्षमता को समग्र रूप से देश के लिए ईंधन लिंकेज प्रदान किया गया है। इसे विभिन्न राज्यों को आबंटित किया गया है जो कि इसे अलग परियोजनाओं को आबंटित करती है। राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार इन परियोजनाओं को लिंकेज प्रदान की गई है। यद्यपि हाल में हुए तरल ईंधन नीति में संशोधनों के अनुसार 12,000 मे. वा. क्षमता केवल नेपथा आधारित विद्युत परियोजनाओं पर लागु होगी और राज्य फर्नेस ऑयल तथा गैर–परम्परागत ईंधनों जैसे कण्डेन्सेट और ओरीमल्शन पर आधारित नई परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र होंगे।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

3680. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिहार में कितने गांवों के लिए विद्युतीकरण योजनाएं अनुमोदित की गयी हैं;

(ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को इस संबंध में कितनी धनराशि जारी की गई है और कितनी जारी की जानी है; और

(ग) बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) मार्च, 1998 तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अनुमोदित ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत बिहार में विद्युतीकरण हेतु 40254 गांवों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) आर. ई. सी. कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 1998 तक स्कीमों, अनुमोदित ऋण और प्रदान की गई राशि का ब्यौरा निम्नवत है :–

(i) अनुमोदित ऋण की राशि	55,272 लाख रुपये
(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति के अनुसार संवितरित ऋण की राशि	37,604 लाख रुपये
(iii) अनुमोदित स्कीमों की संख्या	1664
(iv) इन स्कीमों के अंतर्गत गांवों की संख्या	40,254
(v) इन स्कीमों की तुलना में विद्युतीकृत गांवों की संख्या	32,492

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन तथा एस. टी. डी. सुविधाएं

3681. श्री एच. जी. रामुलू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिले–वार कितने गांव टेलीफोन तथा एस. टी. डी. सुविधाओं से युक्त हैं;

(ख) कितने गांवों में जिले–वार अभी यह सुविधा प्रदान की जानी बाकी है; और

(ग) 1998–99 के दौरान जिले–वार कितने गांवों में यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 27,066 गांवों में से 20,825 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं तथा 230 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) 6241 गांवों में अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) 2500 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। 1998–99 का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण–I

(क) कर्नाटक के उन गांवों की संख्या जहां एस टी डी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

जिले का नाम	कुल गांव	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन वाले गांव	एस टी डी सुविधा वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
1	2	3	4
बेंगलूर	2394	1456	0
मैसूर	1649	1271	13

1	2	3	4
धारवाड़	1344	1334	38
बेलगाम	1138	1104	0
शिमोगा	1785	1480	7
दक्षिण कन्नड़	615	615	35
मेरकारा	291	198	0
बिदर	587	587	0
उत्तर कन्नड़	1264	1165	38
बिजापुर	1247	1247	11
गुलबर्गा	1295	1248	2
बेल्लारी	591	591	0
रायचूर	1396	1237	48
तुमकुर	2537	1527	0
कोलार	2889	1254	0
हसन	2369	1446	34
देवनगिरि	1289	1081	1
माण्डया	1365	1015	3
चिकमगलूर	1021	969	0
कुल	27066	20825	230

विवरण–II

(ख) 1998–99 के दौरान राज्य में टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या, जहां अभी टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं	उन गांवों की सं. जहां 1998–99 के दौरान टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है
1.	बेंगलूर	938	325
2.	मैसूर	378	278
3.	धरवाड़	10	10
4.	बेलगाम	34	34
5.	शिमोगा	305	205
6.	कोडागू	93	25
7.	उत्तर कन्नड़	99	99
8.	गुलबर्ग	47	47
9.	रायचूर	159	59
10.	तुमकुर	1010	300
11.	कोलार	1635	300
12.	हसन	923	470
13.	देवनगिरि	208	196
14.	मांडया	350	100
15.	चिकमगलूर	52	52
	जोड़	6241	2500

साक्षरता अभियान का कार्य-निष्पादन

3682. श्री ए. गणेश मूर्ति :

श्री वैको :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चलाए गए साक्षरता अभियान को वांछित सफलता नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) मई, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत से ही देश में कार्यात्मक साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन अभियान दृष्टिकोण अपनाया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता अभियान जिले की संपूर्ण निरक्षर जनसंख्या का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए दो जिला आधारित साक्षरता अभियान हैं।

संपूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा तमिलनाडु के सभी 29 जिलों को शामिल कर लिया गया है तथा 23 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान भी आरंभ कर दिया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान निरक्षर शिक्षार्थी को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करते हैं। उत्तर साक्षरता अभियानों का उद्देश्य नव साक्षरों की सतही दक्षता को समेकित करना तथा उन्हें स्व शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नई शिक्षा का प्रयोग करना है।

संपूर्ण साक्षरता अभियानों ने वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के जरिए तमिलनाडु में अभिनिर्धारित 89.57 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें 79.70 लाख शिक्षार्थियों को विभिन्न संपूर्ण साक्षरता अभियान में नामांकित किया गया तथा 60.01 लाख शिक्षार्थियों ने प्रवेशिका– III पूरी कर ली है अर्थात उन्होंने साक्षरता संबंधी दक्षता हासिल कर ली है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 66.99 प्रतिशत अभिनिर्धारित निरक्षर शिक्षार्थियों ने प्रवेशिका– III उत्तीर्ण करके साक्षरता प्राप्त कर ली है। अतः यह कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में साक्षरता अभियानों के नतीजे बहुत ही संतोषजनक रहे हैं।

37.48 लाख नव शिक्षार्थियों विभिन्न उत्तर साक्षरता कार्य–कलापों के अन्तर्गत नामांकित किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

3683. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने और उन्हें चौड़ा करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देबेन्द्र प्रधान) : (क) चालू वित्त वर्ष में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में नए दूरभाष केन्द्र

3684. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान विशेषरूप से पश्चिम राजस्थान में नए दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में मौजूदा दूरभाष केन्द्रों में से कुछेक का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जिलेवार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जिलेवार ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

(ङ) चालू वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित राशि 382 करोड़ रुपये है।

विवरण–I

वर्ष 1998–99 के दौरान राजस्थान सर्किल में लगाए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

क्रम सं.	जिले का नाम	वर्ष 1998–99 के दौरान योजनाबद्ध नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	4
2.	अलवर	4
3.	बांसवाड़ा	1
4.	बैरन	2
5.	बाड़मेर	4
6.	भरतपुर	4
7.	भीलवाड़ा	4

1	2	3
8.	बीकानेर	4
9.	बूंदी	3
10.	चित्तौड़गढ़	4
11.	चुरू	4
12.	दौसा	1
13.	धौलपुर	1
14.	डुंगरपुर	4
15.	हनुमानगढ़	2
16.	जयपुर	4
17.	जैसलमेर	4
18.	जालौर	3
19.	झालावार	4
20.	झुनझुनु	2
21.	जोधपुर	4
22.	कारौती	1
23.	कोटा	2
24.	नागौर	5
25.	पाली	4
26.	राजसामंद	1
27.	सवाईमाधोपुर	3
28.	सीकर	4
29.	सिरोही	1
30.	श्रीगंगानगर	6
31.	टोंक	3
32.	उदयपुर	3
	कुल	100

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्थान सर्किल में प्रस्तावित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के संबंध में जिलेवार ब्यौरे

क्रम सं.	जिले का नाम	वर्ष 1998–99 के दौरान विस्तार के लिए योजनाबद्ध एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
1.	अजमेर	26
2.	अलवर	27
3.	बांसवाड़ा	16
4.	बैरन	7
5.	बाड़मेर	18
6.	भरतपुर	13
7.	भीलवाड़ा	24
8.	बीकानेर	11
9.	बूंदी	5
10.	चित्तौड़गढ़	23
11.	चुरू	18
12.	दौसा	13
13.	धौलपुर	5
14.	डुंगरपुर	16
15.	हनुमानगढ़	12
16.	जयपुर	40
17.	जैसलमेर	2
18.	जालौर	22
19.	झालावार	13
20.	झुनझुनु	34
21.	जोधपुर	13
22.	कारौती	5
23.	कोटा	14
24.	नागौर	31
25.	पाली	54
26.	राजसामंद	24
27.	सवाईमाधोपुर	14
28.	सीकर	35
29.	सिरोही	13
30.	श्रीगंगानगर	40
31.	टोंक	14
32.	उदयपुर	25
	जोड़	627

वर्ष 1998–99 के दौरान निम्नलिखित तीन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है :–

क्रम सं.	जिला	एक्सचेंज का नाम
1.	अजमेर	अजमेर
2.	बैरन	बैरन
3.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़

तापक्रम में वृद्धि

3685. श्री खारबेल स्वाइन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तापक्रम में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उच्च तापक्रम का यह दौर निकट भविष्य में भी जारी रहेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ गतिविधि जून के मध्य तक जारी रहती है जिसके कारण उत्तर–पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी/झंझावत की गतिविधि होती है जो तापमान को कम कर के इसके सामान्य स्तर पर लाती है। इस वर्ष मई के मध्य से ही उत्तर–पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ गतिविधि का पूर्णतः अभाव रहा। किसी मौसम विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण, आसमान के लगातार साफ रहने से मई के मध्य से ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया तथा यह मई के अंत तक बढ़ता ही रहा। देश के कुछ भागों में तो असामान्य उच्च तापमान जून के प्रथम सप्ताह में भी जारी रहा जिसके फलस्वरूप लम्बे समय तक गर्म हवाएं चलती रहीं।

(ख) और (ग) उत्तर भारत के अधिकांश भागों में मानसून करंट के साथ पूर्वी वायु बहाव की स्थापना से मई–जून 1998 की गर्म हवाओं का एपिसोड देश के सभी भागों से इस वर्ष जून के द्वितीय सप्ताह में समाप्त हो गया। सामान्यतः मानसून के मौसम में गर्म हवायें नहीं चलती हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3686. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार को पर्यावरण सुधार और वन विकास के संबंध में विदेशी सहायता की मांग करने हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक इनमें से कितने प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है; और

(ग) शेष प्रस्तावों के बारे में क्या स्थिति है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण सुधार और वन विकास के संबंध में विदेशी सहायता की मांग के प्रस्तावों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1. **साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र**

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत 2 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र पूरे हो गए हैं तथा 95.75 लाख रुपए की सहायता से स्थापित किए गए हैं।

2. **उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना**

इस परियोजना को 1997–98 के दौरान चलाया गया है। परियोजना को 19 मार्च, 1998 से प्रभावी घोषित किया गया है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, राष्ट्रीय जैविकीय विरासत का संरक्षण, वन और फार्म भूमि में वन और वृक्षावरण में पर्याप्त वृद्धि करना, लोगों को वनों और वृक्षों के प्रबंधन में शामिल करना तथा उन्नत मानव संसाधन विकास पैकेजों के माध्यम से विभाग द्वारा अपनाई गई प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार करना है। 4 वर्ष की अवधि के दौरान सम्पूर्ण राज्य को शामिल करने के लिए परियोजना की कुल लागत 272 करोड़ रुपए है। परियोजना के अंतर्गत लगभग 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

3. **कानपुर के लिए गंगा कार्य योजना सहायता परियोजना (गंगा कार्य योजना चरण–2)**

इस परियोजना को नीदरलैंड सरकार द्वारा 1997 में 115.4 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किया गया है जिसमें से नीदरलैंड सरकार 105 करोड़ रुपए देगी तथा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार 10.4 करोड़ रुपए देगी। शेष निर्माण कार्य 4 वर्षों के बाद इस परियोजना के पूरा होने पर शुरू किया जाएगा।

4. **गोमती कार्य योजना (लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में प्रदूषण उपशमन कार्य)**

इस परियोजना के चरण–1 को मास्टर प्लान तैयार करने तथा कुछ आपातकालीन कार्यों के लिए डी एफ आई डी, यू के द्वारा 4.02 मिलियन पौण्ड (20 करोड़ रुपए) की लागत से मंजूर किया गया था। डी आई एफ डी, यूके ने परियोजना के चरण–2, जिसमें प्रदूषण उपशमन का मुख्य कार्य शामिल है, को शुरू करने से मना कर दिया है।

[अनुवाद]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3687. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकरण और निष्पादन में राज्यवार क्या त्रुटियां पाई गई हैं;

(घ) उन्हें और अधिक कार्यकुशल, क्षमतावान तथा समुचित रूप से सुसज्जित और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य की समीक्षा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ परस्पर विचार–विमर्श के आधार पर जो कमियां पाई गई हैं वह अपर्याप्त आधारभूत ढांचे और संसाधनों की कमी के संबंध में हैं।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के लिए जल की दरों में वृद्धि करना;
2. प्रयोगशाला सुविधाओं के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करना;
3. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
4. प्रदूषण निवारण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता;
5. विश्व बैंक की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मानीटरन उपकरण तथा विश्लेषण उपकरण प्रदान करना।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोई अतिरिक्त धनराशि देने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

3688. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी क्षेत्र में स्कूल–वार और विषय–वार केन्द्रीय विद्यालयों में भिन्न–भिन्न विषयों में इस समय स्नातकोत्तर अध्यापकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) गुवाहटी क्षेत्र में 41 केन्द्रीय विद्यालय हैं। 9 केन्द्रीय विद्यालयों में किसी भी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है। शेष 32 केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियों की स्थिति (विद्यालय तथा विषयवार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रिक्त पदों को भरने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है।

विवरण

गुवाहाटी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद के लिए विद्यालय तथा विषयवार रिक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	अंग्रेजी	हिन्दी	भौतिकी	रसायन	गणित	जीव विज्ञान	अर्थशास्त्र	भूगोल	इतिहास	वाणिज्य	राजनीति शास्त्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बोरझार	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2.	मालीगांव	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
3.	आई. ओ. सी. नूनमती	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
4.	नारांगी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5.	खानापाडा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
6.	तेजपुर नं. 1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5
7.	तेजपुर नं. 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	तेजपुर नं 3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9.	मीसामरी नं. 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	मीसामरी नं. 2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
11.	इटा नगर नं. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12.	इटा नगर नं. 2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
13.	टेंगावैली	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
14.	रूपा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15.	तुरा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
16.	बी. आर. पी. एल. बोंग	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
17.	न्यू बोंग	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
18.	कोकराझार	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
19.	बोरागोल्लई	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
20.	लोकरा	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
21.	छबुआ	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
22.	डिगरू	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
23.	नौगांव	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
24	तेजु	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	जगीरोड	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
26.	मोहनबाडी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
27.	जोरहाट नं. 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
28.	बारापाणी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29.	हैप्पीवैली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	लैतकोर पीक	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
31.	अपर शिलांग	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5
32.	उमराय कैन्ट	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	कुल	19	2	8	10	8	13	3	0	6	2	1	72
	जोरहाट नं. 1	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	19	1	8	10	8	13	3	0	6	2	1	71

*अतिरिक्त

[*हिन्दी*]

राजस्थान में विद्यालय के भवनों का निर्माण

3689. श्री राम नारायण मीणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक सरकारी विद्यालय उपयुक्त भवनों के बिना चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक इन भवनों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में 9,225 कक्षाओं का निर्माण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (ए. आई. ई. एस.) 1993 के मुताबिक 30.9.1993 की यथास्थिति के अनुसार राजस्थान में ऐसे 1,145 प्राथमिक स्कूल थे जहां खुले स्थानों में ही कक्षाएं चल रही हैं। भवनों के निर्माण किए जाने की गति राज्य सरकारों

और विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

देश में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र

3690. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1997 के दौरान राज्यवार किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए थे;

(ख) देश में 1998-99 के दौरान राज्य-वार कहां-कहां नए दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 1997 के दौरान स्थापित आकाशवाणी स्टेशनों/दूरदर्शन केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) 1998-99 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्टेशन/केन्द्र का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) आकाशवाणी केन्द्रों के बारे में कुल अनुमानित व्यय 3121.13 लाख रुपये है और दूरदर्शन के बारे में यह प्रत्येक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए, प्रत्येक स्टूडियो के लिए 3 से 10 करोड़, प्रत्येक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए 1 करोड़ रुपए और प्रत्येक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए लगभग 85 लाख रुपए होगा ।

विवरण-I

वर्ष 1997 के दौरान चालू किए गए आकाशवाणी केन्द्र/टी. वी. ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टेलीविजन	स्थान	आकाशवाणी
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	उ. श. ट्रा.	कुर्नूल	
		राजामुन्डरी (अन्तरिम)	
		हैदराबाद (डी. डी-II)	
	अ. श. ट्रा.	कादिरी	
		बेलमपल्ली	
		मरकापुर	
		तम्बलापल्ली	
		तिरूपति	
		पेडानन्दीपाडु	
		जदचैरला	
		अचमपेट	
अरुणाचल प्रदेश	अ. अ. श. ट्रा.	योम्चा	
बिहार	अ. श. ट्रा.	नौमुण्डी	
		फूलपारस	
		सराईकेला	
		लखीसराई	
		सिकन्दरा	
	अ. अ. श. ट्रा.	सिमदेगा	
गोवा	अ. श. ट्रा.	पणजी (डी. डी. II)	
गुजरात	अ. श. ट्रा.	मोरवी	
		दीसा	

1	2	3	4
		अमोद	
		मंगरोल (सूरत)	
हरियाणा	अ. श. ट्रा.	रोहतक	
हिमाचल प्रदेश	अ. श. ट्रा.	रामपुर	कुल्लू
	अ. अ. श. ट्रा.	जहाल्मा	किन्नौर
		भरमौर	
		होली	
		रोहरू	
		कोटखई	
जम्मू तथा कश्मीर		——	कारगिल
कर्नाटक	उ. श. ट्रा.	(बंगलौर) डी. डी. II	बीजापुर
	अ. श. ट्रा.	गोकाक	
		हरपनहल्ली	
		बसावा कल्याण	
		सागर	
		पुत्तोर	
	अ. अ. श. ट्रा.	मधुगिरी	
केरल	अ. श. ट्रा.	अदूर	
		अट्टापडी	
मध्य प्रदेश	अ. श. ट्रा.	गदरवारा	
		केलारस	
		सकती	
		नारायणपुर	
	अ. श. श. ट्रा.	डायमण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट	
		कोयलीबेड़ा	
		सिंगरौली	
महाराष्ट्र	अ. श. ट्रा.	शीरपुर	
		नवापुर	
		सिरौचा	
		चांदपुर	
		अहेरी	
	अ. अ. श. ट्रा.	भोकर	
		बदलापुर	
मिजोरम	अ. अ. श. ट्रा.	चम्पई	
नागालैण्ड	उ. श. ट्रा.	मोकोकचुंग	
	अ. अ. श. ट्रा.	फेक	

1	2	3	4
उड़ीसा	अ. श. ट्रा.	सोनेपुर	
		कबीसूर्यनगर	
		सोहेला	
		उमरकोट	
		कोटपाड़	
राजस्थान	उ. श. ट्रा.	बाड़मेर (अन्तरिम)	माउन्ट आबू
		जैसलमेर	
	अ. श. ट्रा.	बरी सदरी	
		करौली	
		फलौदी	
		राजगढ़	
		माउन्ट आबू	
		प्रतापगढ़	
		नौहर	
		शाहपुरा	
		नीमज	
		केसरियाजी	
	अ. अ. श. ट्रा.	गंगापुर	
		नीम का थाना	
तमिलनाडु	अ. श. ट्रा.	पत्तूकोट्टई	
		अत्तूर	
		कृष्णागिरी	
		थिरूवैयारू	
त्रिपुरा	अ. श. ट्रा.	कैलाशहर	
	अ. अ. श. ट्रा.	धर्मनगर	
उत्तर प्रदेश	अ. अ. श. ट्रा.	बसोट	पिथौरागढ़
		साहिया	उत्तरकाशी
		कर्ण प्रयाग	
		चौखरिया	
		प्रतापनगर	
	अ. श. ट्रा.	औरैया	
		गंज डुंडवारा	
		मऊ (डी. डी.–2)	
		महोबा	
		नौगढ़	
		न्यू टिहरी	

1	2	3	4
		भानपारा	
		अथदामा	
		नैनी डांडा	
	का. नि. सु.	मऊ	
पश्चिम बंगाल	अ. श. ट्रा.	फरक्का	आसनसोल
		रयाना	
		मुर्शिदाबाद (डी. डी. 2)	
		बासन्ती	
		बिष्णुपुर	
अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अ. श. ट्रा.	पोर्ट ब्लेयर (डी. डी. 2)	
	अ. अ. श. ट्रा.	ग्रेट निकोबार	
दादर एवं नगर हवेली	अ. श. ट्रा.	सिलवासा	
दमन एवं दीव	अ. श. ट्रा.	दीव	

विवरण-II

वर्ष 1998–99 के दौरान पूरा होने तथा चालू किए जाने वाली आकाशवाणी परियोजनाएं

	राज्य	स्थान
1.	हरियाणा	हिसार
2.	जम्मू तथा कश्मीर	भदरवाह
3.	उत्तर प्रदेश	चमोली
4.	असम	(i) धुबरी
		(ii) कोकराझार
		(iii) तेजपुर
5.	मणिपुर	चुराचांदपुर
6.	तमिलनाडु	कोडईकनाल
7.	अरुणाचल प्रदेश	जीरो
सामुदायिक रेडियो केन्द्र		
1.	मेघालय	(i) नोग्स्टोन
		(ii) विलियमनगर
2.	मिजोरम	सैहा
3.	नागालैण्ड	(i) मौन
		(ii) तुइनसैंग

वर्ष 1998–99 के दौरान चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार टी. वी. परियोजनाएं।

1. स्टूडियो

जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल)

नागपुर (महाराष्ट्र)

मध्य प्रदेश

इन्दौर

जगदलपुर

ग्वालियर

2. उ. श. ट्रा.

बालेश्वर (उड़ीसा)

गुलबर्ग (कर्नाटक)

जोधपुर (राजस्थान)

3. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

जम्मू तथा कश्मीर

राजौरी

उधमपुर

हिण्डन (राजस्थान)

चर्खी दादरी (हरियाणा)

पटियाला (पंजाब)

हिमाचल प्रदेश

सुन्दरनगर

सुजानपुर

उत्तर प्रदेश

छिबरामऊ

राठ

अमरोहा

हल्द्वानी

रूदाली

मेहरोनी

महाराष्ट्र

मनगांव

खोपोली

सतना

उमखेद

महद

तुम्सार

असम

गोहपुर

डिब्रूगढ़ (डी. डी. 2)

गुजरात

झुगदिया

राधनपुर

लिम्बडी

धारी

बेन्तवा

धमदुखा

उना

राजुला

धरमपुर

बोताद

आंध्र प्रदेश

मचेरला

बांसवाडा

राजमपेट

नरसारियोपेट

दरसी

तुनी

मध्य प्रदेश

बड़ा मल्हरा

सीतामऊ

गरोट

मानपुरा

पिपरिया

कर्नाटक

हटीहल

होलेनारसीपुर

तुम्कुट

तमिलनाडु

चेरयार

उदुमलपेट

केरल

केन्नानोर (डी. डी. 2)

अरुणाचल प्रदेश

मियाओ

बिहार

दाऊदनगर

कोडरमा

मुशाबनी

सिमरी बख्तियारपुर

4. अ. अ. श. ट्रा.

हिमाचल प्रदेश

उदयपुर

बंजर

पीरमयानू

निहार

चौपाल

कारसोग

परवानू

सिक्किम

सिंगटम

मैसा

त्रिपुरा

केलाशहर (डी. डी. 2)

तलियामुरा

उड़ीसा

सिमलीगुदा

मोहना

पातनगढ़

पदुआ

गोंडिया

उत्तर प्रदेश

राजगढ़ी

थरवाली

मणिकपुर

महाराष्ट्र

कोरेगांव

मालवा

उड़ीसा

औल

चित्रकोण्डा

कोकसरा

मध्य प्रदेश

सारंगढ़

विष्णुपुर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करना

3691. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

डॉ. सुगुण कुमारी चलामेला :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर को विश्व धरोहर धार्मिक स्थल घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंदिर के साथ लगी हुई अधिगृहीत की गई भूमि की कीमत असली मालिक को अभी तक अदा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके पर्यटन के महत्त्व के प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जोर बंगला तथा लालजी मंदिरों से लगी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि कलक्टर, जिला बंकुरा (पश्चिम बंगाल) के पास पहले ही जमा करा दी है ताकि भूस्वामियों को भुगतान किया जा सके।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार एवं पर्यटन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रमों में विष्णुपुर की गिनती महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में है। इसके अलावा विष्णुपुर स्थित स्मारकों के समुचित रख–रखाव एवं देखभाल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मार्गदर्शक पुस्तकें एवं चित्र पोस्ट कार्ड भी प्रकाशित किए हैं जिससे पर्यटकों में अभिरुचि पैदा हो सके।

[हिन्दी]

शिवनाथ नदी पर अधिक ऊंचाई वाले पुल का निर्माण

3692. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर शिवनाथ नदी पर अधिक ऊंचाई वाले पुल तथा दुर्ग उपमार्ग को जोड़ने वाले पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या निजी निवेश योजना के अंतर्गत यह निर्माण कार्य हो रहा है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सड़क निधि से अपर्याप्त सहायता के कारण सड़कों की देख–रेख में राज्यों द्वारा गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग–6 पर नए शिवनाथ पुल सहित दुर्ग बाइपास के निर्माण, रख–रखाव और प्रचालन को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के आधार

पर शुरू किया गया है। रियायत प्राप्तकर्त्ता के साथ दिनांक 5.11.97 को हस्ताक्षर किए गए रियायत करार में कार्य को 66.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दो वर्ष और छह महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का अनुबंध किया गया है।

(घ) राज्य की सड़कों के रख–रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि की धनराशियों को राज्यों को आबंटित नहीं किया जाता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं की वाणिज्यिक क्षमता का दोहन

3693. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने खोजी गई नई दवाओं की वाणिज्यिक क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं और नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा 1997–98 के लिए क्या कार्य योजना है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आरम्भ की गई तथा प्रस्तावित बृहद अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं क्या हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पेटेन्ट के कितने मामले दर्ज और प्राप्त किए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सीएसआइआर समय–समय पर इसके द्वारा खोजी गई नई औषधियों की वाणिज्यिक संभाव्यता के पूर्ण दोहन के लिए अपनी कार्यनीतियां तैयार करने और पहल करने के वास्ते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भेषज परिदृश्य का मूल्यांकन करता है। तदनुसार सीएसआइआर ने समृद्ध भारतीय ज्ञानाधार का उपयोग करते हुए पादप स्रोतों से औषधि के नए नमूनों की खोज के लिए अपनी लघु अवधि कार्यनीति तैयार की है। वर्ष 1997–98 में सीएसआइआर ने अपनी नव विकसित पादप आधारित मलेरिया प्रतिरोधक औषद को विपणन के लिए एक भारतीय कंपनी को लाइसेंस दिया है।

(ग) नौवीं योजना में सीएसआइआर फाइलेरियारोग, अस्थिरंध्रतारोग, स्तनकैंसर, मधुमेह, पुनरावर्तित मलेरिया के लिए खोजी गई नवीन औषध अणुओं की चिकित्सीय जांच तथा उनके वाणिज्यीकरण के अपने चालू प्रयासों को तेज करेगा, इसके अतिरिक्त सीएसआइआर उच्च संवेश प्रवाह छन्नियों (हाई थ्रुपुट स्क्रीन्स), संयोजी रसायन विज्ञान, कार्यफलन जीनोमिक्स इत्यादि जैसे औषधियों के विकास में प्रयुक्त होने वाले नवीन उपकरणों में विशेषज्ञता तथा सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी तैयार करेगा।

(घ) सीएसआइआर द्वारा गत पांच वर्षों में फाइल किए गए तथा प्राप्त किए गए पेटेण्ट संबंधी आंकड़े निम्नवत् तालिका में दिए गए हैं :–

वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि के दौरान
भारत में सीएसआइआर द्वारा फाइल तथा सील किए गए पेटेण्ट आवेदन
(प्रयुक्त संकेत : एफ – फाइल किए गए : एस – सील किए गए)

	1993–94		1994–95		1995–96		1996–97		1997–98	
	एफ	एस	एफ	एस	एफ	एस	एफ	एस	एफ	एस
भारतीय	198	80	241	104	260	93	209	92	264	168
विदेशी	17	12	29	10	58	14	70	15	91	20

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

3694. श्री राम टहल चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) लक्ष्य और उपलब्धि के अन्तर के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं :– निधियों की कमी, मुख्य संयंत्र और उपस्कर हेतु आदेश देने में विलंब, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपस्कर आपूर्ति में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में प्रक्रिया संबंधी विलंब, अंतर्राज्यीय विवाद, कुछ परियोजनाओं में स्थल पर बिगड़ी हुई परिस्थितियों के कारण उत्पन्न समस्याएं, ठेके की असफलता के कारण कार्य का स्थान और पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास संबंधी समस्याएं आदि।

विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पत्तनों का निर्माण

3695. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ बड़े पत्तनों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पत्तनों के निर्माण के लिए विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बड़े पत्तनों के निर्माण में निवेश करने वाली मुख्य विदेशी कंपनियां कौन-कौन सी हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान); (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3696. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना इस प्रकार है :-

क्रम सं.	अवधि	प्रदान किए गए कनेक्शन	
		म. प्र.	उ. प्र.
1.	1995-96	81716	151336
2.	1996-97	75541	216912
3.	1997-98	102642	313038

(ग) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार 31.3.1999 तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिए जाने की आशा है बशर्ते कि उपस्कर संबंधी सामग्री समय पर उपलब्ध हो।

विवरण

I. मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल की प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	31.3.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बालाघाट	207
2.	बस्तर	500
3.	बेतूल	114
4.	भिंड	1605
5.	भोपाल	3377
6.	बिलासपुर	1470
7.	छतरपुर	678
8.	छिंदवाड़ा	0
9.	दमोह	462
10.	दतिया	717
11.	देवास	210
12.	धार	213
13.	दुर्ग	4904
14.	गुना	0
15.	ग्वालियर	3036
16.	होशंगाबाद	433
17.	इंदौर	1286
18.	जबलपुर	2657
19.	झबुआ	0
20.	खण्डवा	243
21.	खरगौन	683
22.	मंडला	240
23.	मंदसौर	957
24.	मुरैना	508
25.	नरसिंहपुर	590
26.	पन्ना	176
27.	रायगढ़	1014
28.	रायपुर	1379
29.	रायसेन	317
30.	राजगढ़	33
31.	राजनंदगांव	596
32.	रतलाम	0
33.	रीवां	1346
34.	सागर	886
35.	सतना	212
36.	सिहोर	340
37.	सिवनी	181
38.	शहडोल	1420
39.	शाजापुर	168

1	2	3
40.	शिवपुरी	1147
41.	सीधी	464
42.	सरगुजा	1062
43.	टीकमगढ़	225
44.	उज्जैन	1476
45.	विदिशा	550

II. उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल की प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	31.3.98 की प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	इलाहाबाद	3005
2.	अम्बेडकर नगर	1832
3.	आजमगढ़	1253
4.	बलिया	1690
5.	बांदा	895
6.	बराबंकी	2442
7.	भदोही	1625
8.	बस्ती	1677
9.	देवरिया	636
10.	इटावा	2700
11.	फर्रुखाबाद	2943
12.	फैजाबाद	3142
13.	फतेहपुर	784
14.	हरदोई	1438
15.	हमीरपुर	678
16.	झांसी	2135
17.	जौनपुर	2672
18.	लखीमपुर	2081
19.	ललितपुर	432
20.	कानपुर	7563
21.	कानपुर देहात	814
22.	लखनऊ	5606
23.	मैनपुरी	2089
24.	महोबा	866
25.	महाराजगंज	413
26.	मऊ	1708
27.	मिर्जापुर	4134
28.	सीतापुर	2023
29.	शाहजहांपुर	2405
30.	सुल्तानपुर	1257
31.	सोनभद्र	311
32.	सिद्धार्थ नगर	413
33.	प्रतापगढ़	447
34.	रायबरेली	1022
35.	उन्नाव	899
36.	वाराणसी	4410
37.	बहराइच	1213
38.	जालौन	2575
39.	पादरौना	416
40.	गोरखपुर	3674
41.	गोंडा	2959
42.	गाजीपुर	738
43.	साहूजी महाराज नगर	455
44.	कौशाम्बी	292
45.	चन्दौली	150
46.	सरबस्ती	539
47.	बलरामपुर	400
48.	कबीर नगर	501
49.	कन्नौज	481
50.	औरिया	552

III. उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) दूरसंचार सर्किल की प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	31.8.1998 की प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आगरा	3414
2.	फिरोजाबाद	1884
3.	अलीगढ़	3424
4.	माहामाया नगर	515
5.	अल्मोड़ा	91
6.	पिथौरागढ़	418
7.	चम्पावत	112
8.	बागेश्वर	00
9.	बदायूं	642
10.	बरेली	4308

1	2	3
11.	बिजनौर	2321
12.	देहरादून	5278
13.	एटा	1300
14.	गाजियाबाद	8321
15.	बुलन्दशहर	6700
16.	गौतमबुद्ध नगर	2648
17.	मथुरा	2453
18.	मेरठ	3033
19.	बागपत	482
20.	मुरादाबाद	5988
21.	ज्योतिबाफुले नगर	660
22.	नैनीताल	2518
23.	ऊधमसिंह नगर	1075
24.	मुजफ्फरनगर	2037
25.	रामपुर	947
26.	पीलीभीत	216
27.	सहारनपुर	5493
28.	हरिद्वार	62903
29.	पौढ़ी	25762
30.	रुद्रप्रयाग	25
31.	चमौली	127
32.	टेहरी	432
33.	उत्तर काशी	190

[अनुवाद]

उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

3697. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री बेनी प्रसाद वर्मा :

श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा :

श्री मित्रसेन यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं और बारहवीं की 98 में आयोजित बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में छात्रों और अभिभावकों के संघ की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई करने हेतु सी. बी. एस. ई. के चेयरमैन को निदेश देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा निर्णय कब तक कर लिया जायेगा/कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सी. बी. एस. ई. की मूल्यांकन तकनीकों में विश्वसनीयता और प्रमाणिकता का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, कक्षा X और XII के वर्ष 1998 के परीक्षा परिणामों की घोषणा के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर अंकों के जांच–कार्य की प्रगति की मानीटरिंग करने, अंकों की जांच की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए उपायों का सुझाव देने तथा उसमें और सुधार लाने के दृष्टिकोण से बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भूतपूर्व आयुक्त, श्री पी. आर. चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लोकटक पनबिजली परियोजना

3698. श्री था. चौबा सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकटक पनबिजली परियोजना पूरी करने में कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने के समय से आज तक इससे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने वर्ष–वार कुल कितनी आय अर्जित की है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई बांध/जलाशय बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्षेत्र और लागत क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) लोकतक जल विद्युत परियोजना के पूरा होने पर उपगत कुल व्यय 135.68 करोड़ रुपये है।

(ख) लोकतक परियोजना के पूरा होने के बाद से एनएचपीसी द्वारा एकत्रित की गई वर्षवार राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	भुगतान (लाख रुपये में)	वर्ष	भुगतान (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1983–84	–	1985–86	1443.75
1984–85	519.56	1986–87	1857.09

1	2	3	4
1987–88	1436.93	1993–94	1907.29
1988–89	1428.00	1994–95	3787.37
1989–90	2142.00	1995–96	3713.83
1990–91	2806.61	1996–97	2729.30
1991–92	1889.43	1997–98	4574.61
1992–93	2260.66	1998–99	427.14
		(6/98 तक)	32923.65

अर्थात् 329.24 करोड़ रुपये

(ग) लोकतक झील के लिए जल का वितरण करने के लिए मणिपुर नदी के पार 10.7 मीटर ऊंचे बैराज का निर्माण किया गया है तथापित इस परियोजना के लिए अतिरिक्त जलाशय का निर्माण नहीं किया गया है।

(घ) जलाशय का क्षेत्र 518 वर्ग कि. मी. है और बैराज की निर्माण लागत 1.81 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

3699. श्री रामानंद सिंह :

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री भीम दाहाल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) मिजो नेशनल फ्रंट तथा भारत सरकार के बीच शांति समझौते के अनुसरण में मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस समय मिजोरम के कालेज उत्तर–पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के साथ संबद्ध हैं। आइजोल में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा

3700. श्री धावरचंद गेहलोत : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 26 मई, 1998 के कलकत्ता और बंगलादेश की राजधानी ढाका के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस आशय की अनुमति देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ऐसी सेवाओं की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब भारत सरकार और किसी अन्य पड़ोसी देश के बीच मोटर वाहन यातायात प्रचालन के विनियमन के लिए किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हों। इस मामले में बंगलादेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित करार के मसौदे पर अपनी अंतिम राय की सूचना नहीं दी है।

बिहार में डाकघर

3701. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय जिला–वार कितने डाकघर/उप–डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1998–99 के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों, विशेषकर जहानाबाद जिले में नए डाकघर/उप–डाकघर शाखा डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) बिहार राज्य में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य के लिए वर्ष 1998–99 में तीन (3) विभागीय उप–डाकघर तथा साठ (60) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों के आबंटन का और ब्यौरा इस प्रकार है :–

विभागीय उप–डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	
जनजातीय क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
1	2	18	42

डाकघर, निर्धारित मानदंडों के आधार पर औचित्य सिद्ध होने तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पटना का उक्त प्रस्तावित डाकघरों में से एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर जहानाबाद में खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि यह प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाया जाए।

विवरण

बिहार राज्य में 30.6.98 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे डाकघरों/उपडाकघरों की जिलावार संख्या।

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उपडाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप–डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	पटना	2	106	9	297	414
2.	नालन्दा	1	29	6	288	324
3.	भोजपुर	1	41	3	249	294
4.	बक्सर	1	28	1	155	185
5.	गया	1	46	–	341	388
6.	नवादा	1	20	4	173	198
7.	जहानाबाद	–	19	3	146	168
8.	भागलपुर	1	37	14	216	268
9.	बांका	1	11	12	163	187
10.	सारन	2	52	4	322	380
11.	वैशाली	1	29	4	214	248
12.	औरंगाबाद	1	23	3	242	269
13.	रोहतास	1	37	–	254	292
14.	भभुआ	–	10	–	93	103
15.	पलामू	1	25	1	231	258
16.	गढ़वा	–	6	–	78	84
17.	रांची	2	63	6	312	383
18.	गुमला	1	20	–	228	249
19.	लोहारदगा	–	4	3	46	53
20.	पूर्व–सिंहभूम	1	35	1	156	193
21.	पश्चिम सिंहभूम	1	32	1	170	204
22.	धनबाद	1	63	4	122	190
23.	बोकारो	1	34	1	111	147
24.	गिरिडीह	1	20	–	166	187
25.	हजारीबाग	2	47	5	158	212
26.	चतरा	–	6	2	75	83
27.	कोडरमा	–	8	2	45	55
28.	दुमका	1	23	1	250	275
29.	साहिबगंज	–	13	–	82	95
30.	गोड्डा	–	7	–	139	146
31.	देवघर	1	20	1	138	160

1	2	3	4	5	6	7
32.	पाकुर	–	6	–	63	69
33.	मुंगेर	1	18	1	123	143
34.	जामुई	–	13	–	124	137
35.	लखीसराय	–	7	1	47	55
36.	शेखपुरा	–	8	1	77	86
37.	बेगूसराय	1	30	4	194	229
38.	खगड़िया	–	12	1	127	140
39.	दरभंगा	2	41	2	255	300
40.	मधुबनी	1	39	1	409	450
41.	पुर्णिया	1	20	–	161	182
42.	अररिया	–	13	–	146	159
43.	कटिहार	1	21	–	161	183
44.	किशनगंज	–	7	–	81	88
45.	सहरसा	1	15	–	155	171
46.	सुपौल	–	18	–	158	176
47.	मधेपुरा	–	15	–	190	205
48.	सीवान	1	35	–	284	320
49.	गोपालगंज	1	19	–	184	204
50.	समस्तीपुर	1	40	5	354	400
51.	मुजफ्फरपुर	1	55	16	351	423
52.	सीतागढ़ी	1	26	1	261	289
53.	शिहोर	–	2	–	39	41
54.	पूर्व–चम्पारण	1	44	1	372	418
55.	पश्चिम–चम्पारण	1	22	2	255	280
	कुल	42	1440	127	10231	11840

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में बचिंघम नहर की घोषणा

3702. श्री टी. आर. बालू : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1940 के दौरान नौवहन नहर के रूप में बनाई गई अंतर्राज्यीय बचिंघम नहर जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बचिंघम नहर की नौवहन क्षमता में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) गोदावरी और कृष्णा नदी के साथ–साथ काकीनाडा से मेरकानम तक उपचय सहित दक्षिण बचिंघम नहर में हाल में जल राशिक सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) बचिंघम नहर के केन्द्रीय खंड सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा 2.00 लाख रु. की लागत से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम कार्यान्वित की गई है जिसमें भू–कार्य, उत्खनन और नहर की गाद निकालना शामिल है।

हाथियों को मारा जाना

3703. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जंगलों में हाल के वर्षों में कई हाथी शिकार–चोरों द्वारा मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन जंगलों में कितने हाथी शिकार–चोरों द्वारा मारे गए;

(ग) हाथियों को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए तत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में चोरी–छिपे शिकारकर्त्ताओं द्वारा मारे गए हाथियों की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं.	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
1.	केरल	10	8	2 (दिसम्बर, 97 तक)
2.	कर्नाटक	11	16	15
3.	तमिलनाडु	7	10	6

(ग) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि हाथियों के चोरी–छिपे शिकार को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन राज्यों के मुख्य वन जीव वार्डन चोरी–छिपे शिकाररोधी प्रयासों के प्रभावी समन्वयन के लिए नियमित संपर्क में है। तस्करी किए गए हाथी दांतों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर आवधिक छापे मारे जा रहे हैं। राज्य की सीमाओं, हवाई अड्डों तथा तस्करी के अन्य संभावित मार्गों में सख्त निगरानी रखी जा रही है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय, हाथियों और उनके वास–स्थलों की सुरक्षा के लिए राज्यों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में इन राज्यों को जारी की गई धनराशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
केरल	42.25	71.96	76.87
कर्नाटक	68.09	119.82	51.79
तमिलनाडु	–	15.00	30.60

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

3704. श्री प्रभात चन्द्र तिवारी :

श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन–किन विश्वविद्यालयों को और किन–किन शीर्षों के अंतर्गत अनुदान मंजूर किया है;

(ख) किन–किन विश्वविद्यालयों ने स्वीकृत अनुदान का उपयोग किया है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान का दुरुपयोग करने तथा अनुदान का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रेस परिषद अधिनियम को मजबूत बनाना

3705. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री नरेश पुगलीया :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् ने प्रेस परिषद अधिनियम मजबूत बनाने के लिए सरकार को सुझावों का पैकेज भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन आफ प्रेस काउंसिल के दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चा किए गए मुख्य प्रस्ताव क्या थे और इसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा

स्वराज) : (क) से (ग) प्रेस परिषद अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों/विनियमों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रस्ताव में विधायी संशोधन निहित हैं इसलिए इस मामले में निर्णय लेने से पहले अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर परामर्श आवश्यक हैं।

वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल्स का दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4-5 अप्रैल, 1998 को नई दिल्ली में हुआ था।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :-

(1) पिछले 50 वर्षों के दौरान विश्व प्रेस तथा भारतीय प्रेस-एक समालोचना,

(2) गोपनीयता का अधिकार, और

(3) पारदेशीय शिकायत मशीनरी।

सम्मेलन के निष्कर्ष और सिफारिशें :-

(1) प्रेस परिषद के सृजन, विकास और संवर्धन को पूरे विश्व में प्रोत्साहित करना चाहिए;

(2) एक जिम्मेदार मीडिया को सभी लोगों की गोपनीयता का आदर करना चाहिए;

(3) मीडिया केवल लोकप्रिय हस्ती सहित ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता पर घुसपैठ कर सकता है जो कि स्पष्ट रूप से लोकहित में हो;

(4) स्वतंत्र तथा जिम्मेदार मीडिया का सिद्धांत, इंटरनेट तथा उपग्रह प्रसारण सहित समाचार और सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करने के लिए नई तकनीकी प्रणालियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए;

(5) ये सिद्धांत राष्ट्रीय सीमा पार से प्रसारित, प्रकाशित या बेचे गए समाचार तथा सूचना पर भी लागू होने चाहिए;

(6) उच्च मीडिया मानकों के पारदेशीय अनुप्रयोग की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा पर परिव्यय

3706. श्री पी. सी. थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में उच्च शिक्षा पर किये गये निवेश से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी अवधि में उच्च शिक्षा पर किये गये निवेश का राज्य-वार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों में उत्तीर्ण हुए स्नातकों की संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां। आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा ने देश के विकास में योगदान दिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों का यह उत्तरदायित्व है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के लिए व्यक्तियों को अपेक्षित आधुनिक ज्ञान तथा दक्षता उपलब्ध करवायें। गत पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में निवेश से छात्रों का नामांकन 52.65 लाख से बढ़कर 67.55 लाख हो गया है, तथा विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या क्रमशः 177 तथा 7346 से 217 तथा 9703 हो गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सी. ओ. पी.-III में जलवायु परिवर्तन

3707. प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्योटो स्थित सी. ओ. पी.-III में लिये गये जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्व स्तर पर "एमिशन ट्रेडिंग" में इक्विटी के प्रश्न को आधारभूत घटक के रूप में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंगाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "एमिशन ट्रेडिंग" विकसित करने का एक मूलभूत कदम सुदृढ़ होना चाहिए तथा पक्षकारों के समान उत्सर्जन पात्रता का सृजन होना चाहिए।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के सामी जिले के आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता

3708. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सामी जिले में स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) इस केन्द्र के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि वर्षवार आबंटित की गई;

(ग) इसे रिले केन्द्र तक ही सीमित रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस केन्द्र में विविध भारती और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक एक नियमित आकाशवाणी केन्द्र बनाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) महाराष्ट्र में सामी नाम से कोई जिला नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात की विद्युत परियोजनाएं

3709. डॉ. बल्लभभाई कथीरिया : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात द्वारा प्रस्तुत की गई कितनी विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए विचारार्थ पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार के साथ एक बैठक करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं से विद्युत का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (घ) गुजरात में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के. वि. प्रा. के विचाराधीन है।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता मि. वा.)
1.	जामनगर टीपीपी चरण–1	2 × 250
2.	अकरीमोटा	2 × 125

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं के लिए तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति पूंजीगत लागतों की युक्तिसंगतता समेत सभी आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित करने पर आधारित है। इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/परियोजना प्रस्तावकों के साथ आवधिक विचार–विमर्श किये जाते हैं।

ऐश उपयोगिता नीति

3710. श्रीमती आभा महतो :

श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

श्री नरेश पुगलीया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में फ्लाइऐश के व्यावसायिक उपभोग हेतु प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से फ्लाइऐश खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) फ्लाइऐश के उपयोग से पर्यावरण संबंधी खतरों में कितनी कमी होगी; और

(च) सरकार द्वारा फ्लाइऐश आधारित परियोजनाओं को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से अपने राख कुंडों का तटबंधन उठाने के लिए पुश्ता बनाने हेतु उड़न राख का उपयोग करने के वास्ते एक प्रौद्योगिकी विकसित की है।

तटबंधन में राख कुंड से ली गई राख से निर्मित कोर शामिल है। यह प्रौद्योगिकी मिट्टी के तटबंधन के समान है। राख बिठाने के लिए कम्पन रोलरों का उपयोग किया जाता है और 95% मानक प्रोक्टर घनत्व प्राप्त किया जाता है। कटाव और मिट्टी उत्सर्जन को रोकने के लिए राख कोर को 0.5 मीटर मोटी गैर–क्षय मृदा लेप प्रदान किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी का कोरबा, सिंगरौली, बदरपुर और बाल्को कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थित अपने राखकुंड के तटबंधन को उठाने के लिए एनटीपीसी द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया।

(ग) और (घ) : जी, हां। वर्तमान में कई निजी कंपनियां एन. टी. पी. सी. के संयंत्रों से निःशुल्क उड़ान राख प्राप्त कर रही हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान एनटीपीसी ने सीमेंट और एस्बेस्टास आधारित उत्पादों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र कंपनियों को लगभग 9 लाख मीट्रिक टन उड़न–राख प्रदान की है। इसके अतिरिक्त ईंट निर्माण, सीमेंट निर्माण, सीमेंट कंक्रीट और ओटोक्लेवड वातित कंक्रीट उत्पादों के उपभोग हेतु भी उड़ान राख प्रदान की है।

(ङ) उड़न राख का जितना अधिक उपयोग होता है उतना ही भूतल/भूजल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की संभावना कम होती है।

(च) उड़न राख को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं :–

(i) कच्ची सामग्रियों के रूप में 25% या इससे अधिक मात्रा में उड़न राख का उपयोग करने वाले निर्माण सामग्रियों के उत्पादन में आबकारी शुल्क की छूट।

(iii) उड़न राख आधारित निर्माण समाग्री उत्पादों तथा

ईंट, कम भार वाले एग्रीगेट्स, कम भार वाले सेल्यूलर कंक्रीट आदि के उत्पादन के लिए अपेक्षित मशीनों और हथियारों के आयातों पर सीमा शुल्क से छूट।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने 3 अपैल, 1996 की अधिसूचना में यह शर्त निर्धारित की है कि किसी भी ताप विद्युत संयंत्र से 50 कि.मी. की परिधि के भीतर स्थित ईंट निर्माण करने वाली सभी यूनिटें ईंट बनाने के लिए अधिकाधिक उड़न राख का उपयोग करेंगे।

(iv) उच्चत्तम न्यायलय के आदेश के मुताबिक दिल्ली में कार्य कर रही मिट्टी की ईंट बनाने वाली मिट्टियों को स्थान परिवर्तन करने या फिर अपनी यूनिटों को राख आधारित यूनिटों में बदलने को कहा गया है।

(v) कुछ राज्यों द्वारा राख आधारित उत्पादों के निर्माण हेतु बिक्रीकर संबंधी लाभ प्रदान किए गए हैं।

(vi) सीपीडब्ल्यूडी ने हाल ही में अपने निर्माण कार्यों में मृदा उड़न–राख ईंटों के उपयोग की अनुमति प्रदान करते हुए विनिर्देशन तैयार की है।

(vii) उड़न राख आधारित निर्माण सामग्रियों के उत्पादन हेतु औद्योगिक यूनिटों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवास एवं नगर विकास निगम और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा वित्तीय सहायता में विस्तार किया जाएगा।

पत्तन कर्मचारियों की संतानों को रोजगार

3711. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्तन कर्मचारियों की संतानों को उन पत्तनों में जहां वे काम कर रहे हैं रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारियों के विलय हेतु प्रस्ताव

3712. श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी के कर्मचारियों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का कर्मचारी माना जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन/मजदूरी की कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या मुबंई पोर्ट ट्रस्ट की कोआपरेटिव कैन्टीनों के कर्मचारियों को मुबंई पोर्ट ट्रस्ट का कर्मचारी माना जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मुबंई पोर्ट ट्रस्ट इम्पलाईज कोआपरेटिव सोसायटी के इन कर्मचारियों का विलय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में करने और उन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अन्य कर्मचारियों के समतुल्य मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन सोसायटियों की स्थापना मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा नहीं की जाती है बल्कि कर्मचारियों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए इनकी स्थापना की जाती है जिनका पत्तन के क्रियाकलापों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, इन सोसायटियों का पंजीकरण और संचालन सहकारी सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है अतः सहकारी सोसायटीज के कर्मचारियों को मुम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारी मानने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन सहकारी सोसायटियों के कर्मचारी को वेतन और मजदूरी का भुगतान मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सन् 1991 में दायर रिट याचिका पर मुम्बई उच्च न्यायालय के निदेशानुसार मुम्बई पत्तन न्यास में चल रही 8 सहकारी कैंटीनों के 402 कर्मचारियों को 1.10.1991 से मुम्बई पत्तन न्यास के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष माना गया है और उन्हें वही वेतन और लाभ प्रदान किए गए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघरों के लिए भवन

3713. श्री आदित्यनाथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई डाकघरों के अपने भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.3.97 तक संकलित किए गए आंकड़े राज्यवार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विभाग समूचे देश में चरणबद्ध ढंग से डाकघरों के लिए अपने स्वयं के भवनों का निर्माण कर रहा है जो फंड की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या

(31.3.97 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	उड़ीसा	970
2.	बिहार	1219
3.	उत्तर प्रदेश	2598
4.	कर्नाटक	1498
5.	गुजरात	1203
6.	आन्ध्र प्रदेश	2181
7.	तमिलनाडु	2517
8.	जम्मू व कश्मीर	214
9.	हरियाणा	439
10.	उत्तर पूर्व	231
11.	केरल	1269
12.	दिल्ली	318
13.	राजस्थान	1202
14.	असम	459
15.	पंजाब	610
16.	पश्चिम बंगाल	1694
17.	हिमाचल प्रदेश	411
18.	मध्य प्रदेश	1192
19.	महाराष्ट्र	1822
	कुल	22047

उत्तर-पूर्व तथा पश्चिम बंगाल का ब्यौरा

1	2
(उत्तर-पूर्व)	
मेघालय	34
मिजोरम	32
त्रिपुरा	56
मणिपुर	44
नागालैंड	32
अरुणाचल प्रदेश	33
कुल	231
(पश्चिम बंगाल)	
पश्चिम बंगाल	1660
सिक्किम	13
अंडमान एवं निकोबार	21
कुल	1694

[अनुवाद]

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक् करना

3714. डॉ. जयन्त रंगपी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में न्यायपालिका को अब तक कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया है; और

(ख) इन राज्यों में निर्धारित समय सीमा के भीतर एक पृथक न्यायपालिका की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) संबद्ध राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

3715. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग करने हेतु निर्देश जारी किए हैं ताकि न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल और असम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल

3716. श्री अमर राय प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल तथा असम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने पुल क्षतिग्रस्त हुये;

(ख) इन पुलों में से कितने पुलों की मरम्मत की जा चुकी तथा बाकी पुलों की कब तक मरम्मत कर दी जाएगी; और

(ग) इन पुलों की मरम्मत पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) :

(क)	वर्ष	प. बंगाल	असम
	1995–96	शून्य	शून्य
	1996–97	1	1
	1997–98	शून्य	5

उपर्युक्त के अतिरिक्त, असम में जून, 1998 में बम विस्फोटों के कारण चार पुल क्षतिग्रस्त हुए।

(ख) अस्थायी मरम्मत करने के बाद अब सभी क्षतिग्रस्त पुलों पर यातायात पुनः शुरू हो चुका है।

(ग) प. बंगाल और असम राज्यों में इन पुलों से संबंधित मरम्मतों की अनुमानित लागत क्रमशः 25 लाख रु. और 558 लाख रु. है।

[हिन्दी]

उत्तरी भारत की मुख्य नदियों की सफाई

3717. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरी भारत की मुख्य नदियों की सफाई के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नर्मदा और बेतवा नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश की मुख्य नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए विदेशी एजेंसियों के सहयोग से कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसमें गंगा कार्य योजना चरण–II शामिल है, को 2053.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है। इस योजना में मध्य प्रदेश की नर्मदा और बेतवा नदी सहित देश की 22 मुख्य नदियों का प्रदूषण निवारण कार्य शामिल है। नर्मदा और बेतवा नदियों के अन्तर्गत आने वाले शहर और प्रदूषण निवारण कार्यों की अनुमोदित लागत नीचे दिए अनुसार है :

नदी	शामिल शहर	अनमोदित लागत (करोड़ रुपये)
बेतवा	मण्डीदीप	9.22
	भोपाल	
	विदिशा	
नर्मदा	जबलपुर	14.57
	कुल	23.79

(घ) जी, नहीं।

वृक्षारोपण के लिये लक्ष्य

3718. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लक्ष्यों को इस योजनाकाल के दौरान प्राप्त किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश के लिए वार्षिक आधार पर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 8वीं योजना अवधि और 1997–98 के लिए राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण–I में दी गई हैं। वर्ष 1998–99 के लिए भी लक्ष्य विवरण–II में दिए गए हैं। उपलब्धियों में कमी मुख्य रूप से पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण हुई।

विवरण–I

आठवीं तथा नौंवी योजना के दौरान (1997–98 और 98–99), 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण कार्यकलापों के संबंध में लक्ष्य/उपलब्धि

क्षेत्र हैक्टेयर में
पौध लाख में

		आठवीं योजना			
		लक्ष्य		उपलब्धि	
क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व–जनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7000.00	263450	5300.21	317074.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.00	41510	30.33	38732.00
3.	असम	132.50	132500	129.79	92586.30
4.	बिहार	3425.00	243000	642.12	86145.39
5.	गोवा	158.50	9090	130.27	7906.00
6.	गुजरात	9058.00	316997	9297.79	365036.39
7.	हरियाणा	1300.00	163250	712.63	156752.00
8.	हिमाचल प्रदेश	227.00	156700	232.99	157654.00
9.	जम्मू और कश्मीर	300.00	108000	284.56	99049.37
10.	कर्नाटक	2350.00	246800	1754.94	267710.33
11.	केरल	1270.00	92600	452.53	65300.88
12.	मध्य प्रदेश	2395.00	668500	2246.34	655757.83
13.	महाराष्ट्र	5600.00	723100	5187.64	521126.91
14.	मणिपुर	143.00	51500	96.26	44278.00
15.	मेघालय	447.50	97000	234.34	29223.00
16.	मिजोरम	84.00	83600	135.50	66412.00
17.	नागालैंड*	447.50	37100	202.90	9253.00
18.	उड़ीसा	1980.00	365200	2651.59	415121.85
19.	पंजाब	296.50	90700	341.21	70104.00
20.	राजस्थान	1760.00	372450	2000.02	401124.00
21.	सिक्किम	97.00	46820	94.14	36856.20
22.	तमिलनाडु	5075.00	421500	5385.72	457839.91
23.	त्रिपुरा	168.15	59928	154.08	52140.13
24.	उत्तर प्रदेश	14290.00	478200	13818.96	433004.47
25.	पश्चिम बंगाल	4216.80	218800	3957.54	189494.00

1	2	3	4	5	6
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	26.00	16800	25.78	18046.12
27.	चंडीगढ़	0.10	2345	0.67	1694.20
28.	दादर व नगर हवेली	68.45	5200	58.16	3481.10
29.	दमन व द्वीव	6.10	665	8.22	236.34
30.	दिल्ली*	195.00	7700	177.55	6949.10
31.	लक्षद्वीप	20.61	298	20.77	296.20
32.	पांडिचेरी	18.40	898	24.45	646.16
	योग	62585.11	5522201	55790.00	5067031.18

* 1997-98 के लिए नागालैंड और दिल्ली से पूरी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण–II

आठवीं तथा नौवीं योजना के दौरान (1997–98 और 98–99), 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण कार्यकलापों के संबंध में लक्ष्य/उपलब्धि

(क्षेत्र हैक्टयर में)

(पौध लाख में)

नौवीं योजना		1997–98		1998–99	
लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	
पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
7	8	9	10	11	12
1100.00	50000	2027.29	135185.00	1100.00	55000
7.00	10000	16.00	6317.00	7.00	10000
25.00	27000	25.00	3642.00	25.00	27000
500.00	40000	110.33	14222.00	500.00	40000
30.00	1800	13.74	1123.30	30.00	1800
1900.00	65000	1919.04	62866.00	1900.00	70000
200.00	32000	33.57	17931.00	200.00	32000
20.00	30000	30.38	28000.00	20.00	30000
60.00	24000	60.00	22125.00	60.00	24000
400.00	65000	256.35	52423.05	400.00	68000

7	8	9	10	11	12
180.00	19000	10.98	3350.00	180.00	19000
450.00	150000	457.73	139211.00	450.00	150000
1150.00	126000	938.02	91910.23	1150.00	126000
25.00	12000	7.06	4403.00	25.00	12000
40.00	18000	71.33	3978.00	40.00	18000
22.00	19800	10.97	8589.00	22.00	19800
60.00	8000			60.00	8000
300.00	79000	436.70	83825.00	300.00	87000
52.00	20000	65.86	5046.00	52.00	20000
400.00	83000	370.64	58166.00	400.00	85000
22.00	11000	22.58	9966.86	22.00	11000
1100.00	85000	1146.10	94325.00	1100.00	90000
40.00	10000	78.58	8650.00	40.00	10000
2200.00	110000	1977.70	88052.00	2200.00	110000
825.00	44000	228.00	18285.00	825.00	44000
5.00	4500	1.38	3462.00	5.00	4700
0.10	500	0.56	66.00	0.10	500
16.00	1000	7.00	300.00	16.00	1000
2.00	50	0.40	138.00	2.00	50
25.00	1000	3.64		25.00	1000
5.00	75	1.97	22.00	5.00	75
5.00	75	6.73	58.71	5.00	75
11166.10	1146800	10335.63	965638.15	11166.10	1175000

दिल्ली जिला न्यायालय का विभाजन

3719. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली जिला न्यायालय के विभाजन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) सरकार ने, 1991 में, सिद्धांत रूप में दिल्ली जिला न्यायालयों को पांच न्यायिक जिलों में प्रभाजित करने का विनिश्चय किया था। जिला न्यायालयों के प्रभाजन की रूपात्मकता, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चित की जा सके, इसके पूर्व सिविल रिट याचिका, 1994 की 766—टी. सी. शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल कर दी गई थी। इसलिए यह विषय न्यायाधीन हो गया है।

(ख) प्रभाजन का विनिश्चय दिल्ली की वादकारी जनता के हित में किया गया था।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए भेल द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर

3720. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल 1990 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "भेल साइंस डील फॉर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) तेजी से बढ़ने वाले दूर संचार क्षेत्र में ऐसे प्रयासों में किस हद तक स्थिति मजबूत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स लि. ने लाइसेंस के अंतर्गत सी–डॉट के मैक्स एक्स एल डिजिटल–एक्सचेंजों के विनिर्माण हेतु सी–डॉट के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण (टीओटी) करार किया है। सी–डॉट मैक्स एक्सएल प्रौद्योगिकी स्वदेश में विकसित एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, जिसमें आधुनिक विशेषताओं तथा एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन), इंटैलीजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवाएं इत्यादि जैसी सेवाएं शामिल हैं। अत्याधुनिक होने के कारण, इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से तेजी से बढ़ते हुए दूरसंचार उद्योग का आधार मजबूत होने की आशा है।

(घ) सरकार अपने नेटवर्क में सी–डॉट मैक्स–एक्स एल प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठापित कर रही है तथा इसे बड़े पैमाने पर शामिल करने की योजना है।

[हिन्दी]

मल्टी एक्सैस रूरल रेडियो सिस्टम

3721. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्टी एक्सैस रूरल रेडियो सिस्टम को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री द्वारा विनिर्मित कराए जाने के स्थान पर इसका आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च किया गया है; और

(ग) इस कार्य को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं। मै. आई टी आई तथा अन्य अनेक प्राइवेट कम्पनियां देश में "मल्टी एक्सैस रूरल रेडियो सिस्टम" बना रही हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) 90 के दशक के प्रारंभ में, "दूरसंचार निर्माण क्षेत्र" के उदारीकरण के फलस्वरूप, विभाग बेहतरीन टैक्नो–एकॉनोमिक पेशकश हासिल करने के लिए, खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के जरिए उपकरण खरीदता है। तथापि, विभाग अपने निजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों–मै. आई टी आई तथा मै. एच टी एल–के जरिए अपनी आवश्यकता की 35% तक खरीद की मात्रा अपने पास सुरक्षित रखता है। खुली बोली (बाजार) से शेष बची मात्रा ही खरीदी जाती है।

मध्य प्रदेश में समेकित विकास योजना

3722. डॉ. लक्ष्मीनाराण पांडेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बस्तर जिले में वन क्षेत्रों के विकास के संबंध में मध्य प्रदेश के वन विभाग से समेकित विकास योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना की मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना को कब तक मंजूरी मिलेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (च) बस्तर जिले में राजपुर बांध और धनसेरा नाला जलाशय में 630 है. वन भूमि के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव 1997–98 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2001–2002 तक स्वीकृत लागत मानदण्डों और स्कीम के कार्यकलापों के अनुसार 42.67 लाख रुपए की कुल लागत से 480 हैक्टेयर भूमि का विकास करने के लिए एकीकृत वनीकरण और पारि–विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत इस परियोजना को स्वीकार किया गया है।

[अनुवाद]

आपराधिक दंड संहिता संशोधन विधेयक

3723. कुमारी ममता बनर्जी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आपराधिक दंड संहिता संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 1994, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए प्रस्थापना है, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक, तत्पश्चात् गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्देशित किया गया था जिसने विधेयक पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

"जी" टी. वी. विडियोकोन पुरस्कार

3724. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जी" टी. वी. के विडियोकोन पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार हैं;

(ख) यदि नहीं, तो या दूरदर्शन द्वारा "जी" टी. वी. द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह का प्रसारण किया जाता है;

(ग) उक्त प्रसारण किस नीति के तहत किया गया था;

(घ) क्या प्रसारण से पहले प्रसार भारती बोर्ड से परामर्श किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) इस संबंध में निर्णय प्रसार भारती निगम द्वारा लिए जाते हैं जो कि स्वायत्तशासी है। इस प्रकार के मामलों संबंधी नीति के बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता।

आई. एस. डी./एस. टी. डी. सुविधाएं

3725. श्री पृथ्वीराज दा. चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्ड सुविधा वाले कई आई. एस. डी./एस. टी. डी. बूथ लगाए थे;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार इन बूथों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन बूथों को देश में निर्मित किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कार्ड सुविधा वाले ऐसे बूथों का आयात करने की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी. पी. ई. पी. के अंतर्गत विदेशी धनराशि

3726. श्री गिननी एन. रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में डी. पी. ई. पी. के अंतर्गत किसी प्राथमिक शिक्षा परियोजना को विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग, ब्रिटिश सरकार और नीदरलैंड सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण अथवा सहायता की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु के केवल 6 जिलों अर्थात् धमपुरी, दक्षिण आरकोट, तिरुअन्नामलाई, पुड्डुकोडाई, रामनाथपुरम और पेरम्बल्लूर में निधियां प्रदान की जा रही हैं। विश्व बैंक लगभग 10681.94 लाख रु. की सहायता प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक से सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई. डी. ए.) से उदार ऋण के रूप में है। ऋण की महत्त्वपूर्ण शर्तें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

विवरण

तमिलनाडु में डी. पी. ई. पी. के लिए ऋण संबंधी महत्वपूर्ण शर्तें

तमिलनाडु में डी. पी. ई. पी. के लिए ऋण संबंधी शर्तें भारत सरकार द्वारा तैयार डी. पी. ई. पी. दिशा–निर्देशों द्वारा विनियमित होती हैं, जिन्हें विश्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। विभिन्न मदों की प्राप्ति और ऋण के मामले में अदायगी भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच सम्मत मानक शर्तों द्वारा विनियमित होती हैं। परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में निधियन एजेंसी हमारी कार्यनीतियों से सहमत है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं। मोटे तौर पर ऋण/सहायता की शर्तों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :–

(क) आई.डी.ए. ऋण के लिए भारत सरकार से लिए गए तथा बकाए ऋण की मूल राशि पर 1% प्रतिवर्ष की 3/4 की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करेगी। प्राप्त नहीं की गई राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क भी 1% प्रतिवर्ष की 1/2 अधिकतम दर से देय होगा। पुनर्भुगतान की अवधि 10 वर्षों की छूट की अवधि के साथ 35 वर्षों की होगी।

(ख) राज्य द्वारा प्रारंभिक वर्षों के स्तरों पर वास्तविक रूप में प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

(ग) भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को छमाही आधार पर उनके अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुमानित व्यय के लिए परियोजना निधियां प्राप्त हों।

(घ) विभिन्न अध्ययन और कार्यान्वयन कार्यक्रम के लिए सम्मत समय सारणी का अनुपालन किया जाएगा।

(ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन हेतु परियोजना क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन होंगे। इन मिशनों में भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे।

घड़ियाल अभयारण्य

3727. श्री तथागत सत्पथी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कितने घड़ियाल अभयारण्य हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान घड़ियालों और इन अभयारण्यों के अनुरक्षण, संरक्षण और विकास के लिए राज्य–वार और वर्ष–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) देश में राज्यवार मगरमच्छ अभयारण्यों की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	राज्य	मगरमच्छ अभयारण्यों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	3
2.	राजस्थान	2
3.	उत्तर प्रदेश	1
4.	आंध्र प्रदेश	1

(ख) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की विकास योजना के अंतर्गत इन अभयारण्यों को इस मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्न धनराशि आबंटित की गई है :

आबंटित राशि (रु. लाखों में)

राज्य वर्ष	1995–96	1996–97	1997–98
मध्य प्रदेश	3.65	–	3.50
राजस्थान	1.40	–	–
उत्तर प्रदेश	2.30	2.40	6.55
आंध्र प्रदेश	2.63	–	2.06

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों के लिए शिक्षा योजनाएं

3728. श्री पारसनाथ यादव :

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों के लिए शिक्षा योजनाएं बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया गया है किन्तु प्रारंभिक शैशव कालीन, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के रूप में इस आधार पर पहचान की है कि जो 75 प्रतिशत बच्चे स्कूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, इन्हीं राज्यों में स्थित हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। शिक्षा विभाग द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की गई हैं उनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, सामुदायिक पालिटेक्निक हैं। इन क्षेत्रों के आधार पर राजस्थान में लोक जुम्बिश तथा शिक्षा कर्मी जैसी परियोजनाओं की क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बुक बैंक तथा कोचिंग योजना, बहुत कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रम जैसी कल्याण योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य इन क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा करना है।

[अनुवाद]

आधारभूत दूरसंचार सेवाओं में निजी भागीदारी

3729. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री रामपाल सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

डॉ. सरोजा वी. :

श्री पंकज चौधरी :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री एस. अजय कुमार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में आधारभूत टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कुछ निजी कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी भागीदारी हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण–I के अनुसार।

(ग) पूरे देश को 21 सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है और लाइसेंसधारक अपने संबंधित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करेंगे। ये क्षेत्र आमतौर पर राज्य की सीमाओं के साथ–साथ समाप्त होते हैं।

(घ) लाइसेंस के बुनियादी निबंधन और शर्तें विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण-I

देश में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	लाइसेंसधारक का नाम	सेवा क्षेत्र का नाम
1.	भारती टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश
2.	रिलायंस टेलीकॉम	गुजरात तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन तथा दीव और सिलवासा (दादरा और नगर हवेली)
3.	ह्यूग्स इस्पात लि.	महाराष्ट्र तथा गोवा
4.	एस्सार कॉमविजन	पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़
5.	टाटा टेली सर्विसेज	आंध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र येमान
6.	टेलीलिंक नेटवर्क (इंडिया) लि.	राजस्थान

विवरण-II

लाइसेंस के बुनियादी निबंधन और शर्तें

1. पूरे देश को 21 सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। 21 सेवा क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि. के अतिरिक्त एक निजी लाइसेंसधारक होगा।

2. बुनियादी सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ में लाइसेंस गैर–विशिष्ट आधार पर 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस लाइसेंस की अवधि उपयुक्त निबंधन और शर्तों पर अन्य 10 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

3. लाइसेंसधारक कंपनी में विदेशी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होगी।

4. सेवा प्रदाता अपने प्रचालन के प्रथम 3 वर्षों में किसी भी तिमाही में सीधी एक्सचेंज लाइनों के कम से कम 10% भाग के बराबर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन भी प्रदान करेगा। जब सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, 10% की यह सीमा लागू नहीं होगी।

5. बोली दाता कंपनी की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जिन विदेशी संवर्धकों की नेटवर्थ और अनुभव की परिगणना की गई थी, लाइसेंसधारक कंपनी में ऐसे संवर्धकों का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यूनतम 10% अधिकार रहेगा।

6. सभी टेलीफोन एक्सचेंज और पारेषण प्रणालियां डिजिटल प्रौद्योगिकी की होंगी। उपभोक्ता अभिगम्यता नेटवर्क स्थानीय लूप में बेतार (डब्ल्यू आई. एल एल) और लूप में फाइबर प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। उपभोक्ता के स्थल से अरीय दूरी में अंतिम 500 मीटर में कॉपर केबल लगाने की अनुमति दी जाएगी।

7. लाइसेंसधारकों को अपने नेटवर्क पर अंतरा–सर्किल टेलीफोन परियात ले जाने की अनुमति है, किन्तु अंतः सर्किल और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायल्ड (एसटीडी) परियात दूरसंचार विभाग तथा विदेश संचार निगम लि. के नेटवर्कों पर ही ले जाया जाएगा।

8. दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि. के नेटवर्कों और निजी प्रचालक के नेटवर्क के बीच संयोजकता बराबर स्तर की होगी।

9. लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए टैरिफ दूरसंचार विभाग के टैरिफ से अधिक नहीं होगा। टैरिफ भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमन के अधीन होगा।

भारतीय हाकी टीम

3730. डॉ. सरोजा वी. :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय हाकी टीम का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय हाकी के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी, हां। उट्रैक्ट, नीदरलैंड में मई, 1998 में आयोजित विश्व कप हाकी चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले 12 देशों में भारत का नौंवा स्थान था। हाल ही में आयोजित अन्य टूर्नामेंटों जैसे कि जनवरी, 1998 के दौरान भारत में आयोजित भारत–जर्मनी टैक्ट शृंखला, आस्ट्रेलिया में अप्रैल, 1998 में आयोजित चार देशों के हाकी टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था और पाकिस्तान तथा भारत में फरवरी–मार्च, 1998 के दौरान आयोजित भारत–पाकिस्तान टैस्ट शृंखला में भारत का प्रदर्शन औसत दर्जे का था।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा हाकी में भारत के असंतोषजनक प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। खराब प्रदर्शन होने के कारण रहे हैं अर्थात् (1) खेल संस्कृति का अभाव, (2) शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेल तथा शारीरिक शिक्षा का अपर्याप्त कवरेज, (3) बुनियादी सुविधाएं विशेषकर सिंथेटिक सतहों की अपर्याप्तता, (4) पर्याप्त संसाधन सहायता न होना।

(ङ) हाकी में प्रदर्शन के स्तर को सुधारने का कार्य भारतीय हाकी परिसंघ को सौंपा गया है जो एक स्वायत्तशासी निकाय है और जो देश में हाकी के संवर्धन का कार्य देख रहा है। सरकार खेल के स्तर में सुधार करने के लिए भारतीय हाकी परिसंघ को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं—(1) भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों के माध्यम से छोटी आयु में प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका विकास करना, (2) राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, उपस्कर खरीदने, सब जूनियरों, जूनियरों एवं सीनियरों के लिए टूर्नामेंट आयोजित करने, देश में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए परिसंघ की मदद करना (3) बुनियादी सुविधाओं के सृजन और सिंथेटिक सतहों के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य निकायों की सहायता करना, (4) बंगलौर में हाकी के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करना, (5) एक विशेषज्ञ दल के माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी मापदण्ड विकसित करना।

पत्तनों के लिए जलपोतों की खरीद

3731. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से पत्तनों के लिए जलपोतों की खरीद हेतु आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या इस हेतु कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये जलपोत यात्री और सामान ले जाने के लिए कब तक तैयार हो जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) कोई पत्तन जलयानों की खरीद नहीं करता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन के लिए भूमि का अधिग्रहण

3732. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन किसानों की संख्या कितनी है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा क्या सरकार ने उनके स्थायी पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक पुनर्वास किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) जी हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार के जरिए 3016 खातेदारों (भू–स्वामियों) जिनमें अधिकांशतः किसान हैं, से वर्ष 1982–83 में 1172 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भूमि प्रभावित व्यक्ति के साथ मुआवजे की राशि और उनके पुनर्वास के बारे में 13 मार्च, 1984 को एक समझौता किया था जिसके अनुसार भू–स्वामियों को 75,000/– रु. प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाना था। इसके अतिरिक्त, यह सहमति हुई थी कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन के लिए अधिगृहीत कुल कृषि भूमि के 12.5% के बराबर अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा नगर औद्योगिक विकास निगम (सी आई डी सी ओ) के जरिए अधिग्रहण करके विकसित की जाएगी और विकसित प्लाट आंशिक विकास लागत पूरा करने के लिए कुछ भुगतान करने पर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को आफर किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन के लिए 1.2 करोड़ रु. के वित्तीय अनुमान का परिकलन किया गया था। पत्तन न्यास इस राशि का भुगतान करने के लिए पहले ही इच्छा व्यक्त कर चुका है। पत्तन ने उन परिवारों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, के 888 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्रदान किया है। पत्तन न्यास द्वारा तैयार की गई अन्य स्कीमों के परिणामस्वरूप उन परिवारों के लगभग 500 व्यक्तियों को ठेके के आधार पर सीधा रोजगार प्राप्त हुआ है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ऐसे परिवारों को ठेकेदारों, पत्तन प्रयोक्ताओं, परिवहन ठेकेदारों और पत्तन आधारित अन्य उद्योगों जैसे वेयर हाउसों, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के जरिए भी रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पत्तन ने अनुमान कोलीवाड़ा और नवीन सेवा विस्थापित गांवों के 668 परिवारों को भूमि और नागरिक सुविधाएं जैसे आवास, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, स्कूल, आंगनवाड़ी आदि प्रदान करके पुनर्वास किया है। पत्तन न्यास द्वारा परियोजना से प्रभावित निकटवर्ती जस्सखार, करल, सोनारी और बेलपाड़ा गांवों को भी नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

बायोस्फेयर रिजर्व

3733. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री पी. आर. किन्धिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ की छोटी खाड़ी तथा मेघालय के शिलांग का बायोस्फेयर रिजर्व के रूप में पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके उचित विकास के लिए सरकार द्वारा उन्हें बायोस्फेयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें बायोस्फेयर रिजर्व के रूप में कब तक अधिसूचित कर दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 'इंडियन नेशनल मैन एण्ड बायोस्फेयर कमेटी' (एम. ए. बी.) द्वारा गठित विशेषज्ञों के समूह द्वारा गुजरात में कच्छ के छोटे रन को जीव–मण्डल आरक्षित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। मेघालय में शिलांग की पहचान जीव–मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में नहीं की गई है।

(ख) से (घ) कच्छ के छोटे रन को जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव, वर्तमान में गुजरात राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है। स्थल को जीव मण्डल आरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना राज्य सरकार की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बिहार में एम. ए. आर. आर. प्रणाली

3734. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एम. ए. आर. ए. आर. प्रणाली (टावर) टेलीफोन स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में जिलेवार ऐसी कितनी एम. ए. आर. आर. प्रणाली स्थापित की गई हैं;

(ग) बोकारो जिले में ऐसे कितने टेलीफोन टावर स्थापित किए गए हैं जिन्हें अभी कार्य आरम्भ करना है;

(घ) क्या धनबाद डिवीजन में बेरमों और चन्द्रपुरा क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ अन्य स्थानों में ऐसी प्रणाली स्थापित किए जाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें नियमों के उल्लंघन किए जाने का उल्लेख है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बोकारो जिले में संस्थापित दो एम. ए. आर. आर. प्रणालियों को अभी कार्य प्रारंभ करना है।

(घ) जी नहीं, वे सामान्यतया संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुओं के प्रति क्रूरता

3735. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्कस और सड़कों के आसपास दिखाए जाने वाले तमाशों में पशुओं के प्रति क्रूरता हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन पशुओं की पीड़ा कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का सर्कस और सड़कों के आसपास दिखाए जाने वाले तमाशों में पशुओं के तमाशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के उपबंधों के अधीन पशुओं की कुछ प्रजातियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा उक्त आदेश पर रोक लगा दी गई है। याचिका कर्त्ताओं के अनुरोध पर, माननीय न्यायालय ने इस विषय पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करने हेतु इस मंत्रालय को निर्देश दिया था। इस मंत्रालय ने न्यायालय को निम्नलिखित अनुरोध किया है :

(i) संबंधित अधिसूचना द्वारा जिन पशुओं के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है और वे पहले ही सर्कसों के अधिकार में हैं, उन्हें सर्कसों द्वारा अपने अधिकार में ही रखा जा सकता है। बशर्ते कि जो पशु प्रजनन अवस्था में पहुंच गए हों उनका बन्ध्याकरण करवा दिया जाए।

(ii) सर्कसों द्वारा रखे गए पशुओं की एक स्थिति रिपोर्ट हर तीन वर्ष बाद सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उन शावकों और बच्छड़ों को सर्कसों द्वारा सरकार के हवाले कर दिया जाए जो इस आदेश के लागू होने के बाद पैदा हुए हैं। शेरों पर भी यही सिद्धांत लागू किया जाए। हाथी और घोड़े जिन्हें पिंजरों के बिना लाया ले जाया जा सकता है तथा वे पक्षी जिन्हें बड़े–बड़े पिंजरों में रखने की आवश्यकता नहीं है, उनका सर्कसों द्वारा प्रदर्शन हेतु उपयोग जारी रखा जा सकता है। प्रतिबंधित प्रजातियों को छोड़ कर अन्य पशुओं के उपयोग के बारे में उनकी प्रफोरमेन्स का मसौदा तैयार करके उपयुक्त समय पर लागू किया जाए।

(iv) सर्कस वालों को चाहिए कि वे प्राणियों की केवल वे 'ट्रिक्स' ही दिखाएं जिनसे प्राणियों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति न पहुंचे। उक्त मामले को 3.8.98 को सुनवाई के लिए रखा गया है।

टी. डी. एम. ए. उपस्करों का आबंटन

3736. श्री मंजुनाथ अयानूर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिलावार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केबल लाइन सामग्री और दूसरे उपस्करों की भारी कमी होने की वजह से कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार कार्य और टेलीफोन कनेक्शनों को आबंटित करने का कार्य रुक गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों में संजोषजनक रूप से कार्य नहीं चल रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को राज्य में टी. डी. एम. ए. उपस्करों के आबंटन के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 31.5.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्य एवं टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में कोई रुकावट नहीं आई है। 1997–98 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य न केवल पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया बल्कि लक्ष्य को पार कर लिया गया था।

(ङ) और (च) राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं।

(छ) जी, हां।

(ज) कर्नाटक सहित विभिन्न दूरसंचार सर्किलों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टीडीएमए उपस्करों के प्रक्षेपित मांग प्राप्त हो गई है। चूंकि टीडीएमए उपस्करों का फील्ड परीक्षण किया जा रहा है, अतः इन्हें संतोषप्रद फील्ड परीक्षण के बाद ही नेटवर्क में सम्मिलित किया जाएगा।

विवरण

कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिले–वार संख्या।

क्रम सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	बेंगलूर (शहरी)	33,504
2.	बेंगलूर (ग्रामीण)	5,754
3.	मेंगलूर	22,592
4.	मैसूर	8,100
5.	बेलगाम	8,438
6.	हुबली	3,526
7.	कोडाग	4,196
8.	बेल्लारी	2,146
9.	बीदर	888
10.	बिजापुर	3,768
11.	गुलबर्ग	2,605
12.	रायचूर	2,047
13.	करवाड़	4,375
14.	देवनगिरि	3,134
15.	हसन	5,000
16.	कोलार	5,404
17.	माण्डया	3,567
18.	तुमकुर	3,983
19.	चिकमगलूर	5,540
20.	शिमोगा	3,307
	जोड़	1,31,874

एम. ए. आर. आर. प्रणाली

3737. डा. संजय सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. ओ. टी. ने वी. पी. टी. लक्ष्य को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत "वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नालॉजी" के बजाय निम्न श्रेणी की मल्टी एक्सेस रिले रेडियो टैक्नालॉजी को तरजीह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विश्व कप फुटबाल का प्रसारण

3738. श्री वी. वी. राघवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन को विश्व का फुटबाल, 1998 के सीधे प्रसारण का एकमात्र अधिकार प्राप्त था;

(ख) यदि हां, तो क्या दूसरे दिन से ही सीधा प्रसारण बन्द कर दिया गया था जिसके कारण फुटबाल प्रेमियों को इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखने से वंचित कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सीधा प्रसारण दूसरे दिन से बन्द नहीं किया गया था। कार्यक्रम अत्यावश्यकताओं के कारण दूसरे दिन केवल दो मैचों का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सका। तीसरे दिन और उससे आगे, सीधे प्रसारित किए जाने हेतु निर्धारित सभी मैचों (64 में से 41) का कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार प्रसारण किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय टी. वी. चैनलों के लिए 'अपलिंकिंग' सुविधाएं

3739. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजी भारतीय टी. वी. कम्पनियों को अपलिंकिंग सुविधाएं देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित स्कीमें अनुमोदित की हैं :

(1) जो भारतीय उपग्रह चैनल वर्तमान में विदेशों से अपलिंक कर रहे हैं और जिन्हें इस प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा जारी की जा रही है, उन्हें केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से भारतीय भूमि से अपने कार्यक्रमों को अपलिंक करने की अनुमति दी जाएगी। जिन भारतीय उपग्रह चैनलों के पास कम से कम 80% भारतीय इक्विटी है और जिनका निवासी भारतीयों द्वारा प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जा रहा है, उन पर इस प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा।

(2) भारतीय उपग्रह चैनलों को प्रारंभ में अपने टेलीविजन सिग्नलों को भारतीय तथा विदेशी दोनों उपग्रहों से अपलिंक करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) भारतीय उपग्रह चैनलों द्वारा अपलिंकिंग संबंधी अनुमति केवल टेलीविजन सिग्नल तक सीमित होगी।

(4) आवेदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा जाएगा। इस मंत्रालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर सामान्य शर्तों पर तथा लाइसेंस शुल्क एवं रायल्टी आदि के भुगतान के बाद दूरसंचार विभाग में वायरलैस आयोजना सलाहकार द्वारा अंतिम अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन केन्द्र

3740. श्री गुरूदास कामत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र में कार्यरत दूरदर्शन केन्द्रों की क्या संख्या है;

(ख) राज्य के विभिन्न नगरों में स्थापित किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्रों की क्या संख्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) हालांकि इस समय महाराष्ट्र में 2 स्टूडियो, 6 उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर, 63 अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर, 9 अति अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर और 1 ट्रांसपोजर कार्य कर रहे हैं तथापि, टी. वी. कवरेज को बढ़ाने की दृष्टि से राज्य में विभिन्न स्थानों पर इस समय 3 स्टूडियो, 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 20 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 10 अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं और स्थानों की उपयुक्तता, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी सम्भाव्यता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय ऐसे अनुरोध पर यथोचित ध्यान दिया जाता है।

शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए निधियां

3741. श्री ए. सी. जोस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए आबंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को दी गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य	केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई राशि	
		1996–97	1997–98
	1	2 3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6410.91	8357.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.91	546.38
3.	असम	3120.21	7220.39
4.	बिहार	5571.99	7186.40
5.	गोवा	212.87	82.90
6.	गुजरात	1500.89	5360.02
7.	हरियाणा	2303.10	3791.32
8.	हिमाचल प्रदेश	1959.16	4063.84
9.	जम्मू और कश्मीर	22.33	2040.56
10.	कर्नाटक	6373.36	11006.88
11.	केरल	2119.32	4420.46
12.	मध्य प्रदेश	13542.31	18210.87
13.	महाराष्ट्र	11867.30	10568.41
14.	मणिपुर	592.18	532.93
15.	मेघालय	943.21	199.61
16.	मिजोरम	219.62	218.56
17.	नागालैंड	307.33	184.53
18.	उड़ीसा	8340.01	4500.88
19.	पंजाब	1255.49	781.18
20.	राजस्थान	9324.48	5163.23
21.	सिक्किम	33.59	0.53
22.	तमिलनाडु	2315.99	6638.91
23.	त्रिपुरा	117.46	440.90
24.	उत्तर प्रदेश	6343.56	13405.23
25.	पश्चिम बंगाल	1357.86	2731.69

कॉलिंग लाइन इंडिकेशन

3742. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर आपरेटर अपने उपभोक्ताओं से कॉलिंग लाइन इंडिकेशन सुविधा देने के लिए प्रभार वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों से दी जा रही है;

(ग) क्या सेल्यूलर आपरेटर दूरसंचार विभाग को इसके लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा दे रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में लाइसेंस समझौते के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन सुविधा का उल्लेख कर रहे हैं। यह सुविधा दूर संचार विभाग के टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रचालन संबंधी कार्यों तथा सेल्यूलर प्रचालकों के मोबाइल स्विचिंग केन्द्र (एम एस सी) का इस्तेमाल करके प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) लाइसेंस समझौते के अनुसार, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सी. एम. टी. एस.) प्रचालकों को सुविधा चालू होने के 90 दिनों के भीतर सेवा की सभी आवश्यक अथवा अनिवार्य विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। तथापि, प्राधिकरण को सूचित करने के बाद, लाइसेंसधारक के विकल्प पर किसी भी समय अनुपूरक अथवा वैकल्पिक सुविधा प्रदान करनी होगी। कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन अनुपूरक अथवा वैकल्पिक सुविधाओं में से एक है। चूंकि इस सुविधा को प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग की अवसंरचना का इस्तेमाल किया जा रहा है, अतः राजस्व के बंटवारे का प्रश्न सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी ओ ए आई) के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

कार्गो और यात्री जहाजों की संख्या

3743. श्री दत्ता मेघे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्गो और यात्री जहाजों की संख्या कितनी है;

(ख) इन जहाजों से प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने टन माल तथा यात्रियों का परिवहन किया जा रहा है;

(ग) इससे प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी आय अर्जित की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने विद्यमान बेड़े में और अधिक कार्गो तथा यात्री जहाज को सम्मिलित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत कार्गो और यात्री जलयानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

	श्रेणी	जलयानों की संख्या
(i)	यात्री सह कार्गो जलयान	11
(ii)	यात्री जलयान	5
(iii)	कार्गो जलयान	318
	जोड़	334

(ख) उपर्युक्त जलयानों द्वारा ढोए गए माल की मात्रा से संबंधित सूचना नहीं रखी जा रही है। तथापि, भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय जलयानों द्वारा ढोए गए कार्गो की मात्रा से संबंधित सूचना रखी जाती है और पिछले तीन वर्ष के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मिलियन टन
1994–95	42.02
1995–96	46.00
1996–97	51.28

जहां तक यात्रियों की संख्या का संबंध है, मुख्य भूमि अंडमान, मुख्य भूमि लक्षद्वीप और मुम्बई–गोवा–मुम्बई क्षेत्र के बारे में सूचना उपलब्ध है। पिछले तीन वर्ष के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	मुख्य भूमि/अंडमान निकोबार क्षेत्र	मुख्य भूमि/लक्षद्वीप क्षेत्र	मुम्बई/गोवा क्षेत्र
1993–94	1,31,811	68,220	कुछ नहीं
1994–95	1,14,693	64,530	कुछ नहीं
1995–96	1,25,698	66,265	63,454

(ग) उपर्युक्त जलयानों से हुई वार्षिक आय से संबंधित सूचना नहीं रखी जा रही है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके जलयानों द्वारा अर्जित कुल भाड़ा और चार्टर किराया इस प्रकार है :–

वर्ष	करोड़ रु.
1994–95	3785.21
1995–96	4114.10
1996–97	4814.17

जहां तक यात्री जलयानों से होने वाली आय का संबंध है, अंडमान मुख्य भूमि क्षेत्र और लक्षद्वीप मुख्य भूमि क्षेत्र में संचालित सेवाएं घाटे में चलने वाली सेवाएं हैं और इसके लिए भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। मुम्बई–गोवा क्षेत्र में सेवा का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जहां तक कार्गो जलयानों का संबंध है, 9वीं योजना के लिए नौवहन संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में 9वीं योजना अवधि 1997–2002 के दौरान 3.7 मिलियन सकल पंजीकृत टन भार (जी. आर. टी.) की खरीद का अनुमान लगाया गया है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यात्री और कार्गो जलयानों की खरीद के संबंध में नौवहन क्षेत्र के लिए 9वीं योजना अवधि में क्रमशः 393.15 करोड़ रु. और 35 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

'फैलोशिप'

3744. श्री आर. एस. गवई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाराष्ट्र में वर्ष 1995–96 और 1996–97 के दौरान अपना अनुसंधान कार्य करने के लिए कितने रिसर्च फैलो को फैलोशिप दी गई थी;

(ख) उनमें से अनु. जाति/अनु. ज. जा. संबंधित कितने व्यक्ति थे; और

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान कितने रिसर्च फैलो को फैलोशिप देने की सिफारिश की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक के करवाड़ पत्तन के लिए सहायता

3745. श्री ए. सिद्दराजू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के करवाड़ पत्तन पर पात्र हस्तन सुविधा स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण और उन्नयन

3746. श्री राजनारायण पासी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों विशेषरूप से बांसगांव टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने और उनका आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश में बासगांव नाम से कोई एक्सचेंज नहीं है। तथापि, गोरखपुर जिले में बांसगांव टेलीफोन एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन एक्सचेंजों का ब्यौरा जिनका 1998–99 के दौरान विस्तार किए जाने/आधुनिक बनाए जाने का प्रस्ताव है।

क. विस्तार किए जाने वाले एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्रम सं.	जिला	विस्तार किए जा रहे एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	38
2.	इलाहाबाद	11
3.	अलीगढ़	13
4.	अल्मोड़ा	6
5.	आजमगढ़	14
6.	बहराइच	9
7.	बलिया	17
8.	बांदा	10
9.	बाराबंकी	7
10.	बस्ती	10
11.	भदोही	12
12.	बागेश्वर	1
13.	बदायूं	10
14.	बिजनौर	14
15.	बरेली	13
16.	बुलन्दशहर	17
17.	बागपत	3
18.	चमोली	18
19.	चम्पावत	4
20.	देहरादून	16
21.	देवरिया	9
22.	इटावा	9
23.	एटा	11
24.	फैजाबाद	21
25.	फर्रुखाबाद	9
26.	फतेहपुर	12
27.	फिरोजाबाद	7
28.	गौतमबुधनगर	7
29.	गाजियाबाद	14
30.	गाजीपुर	13
31.	गोण्डा	21
32.	गोरखपुर	6
33.	हमीरपुर	3
34.	हरदोई	11
35.	हरिद्वार	10
36.	जालौन	6
37.	जौनपुर	25
38.	झांसी	10
39.	ज्योतिबा फुलेनगर	7
40.	कानपुर	4
41.	कानपुर देहात	10
42.	लखीमपुर	18
43.	ललितपुर	9
44.	लखनऊ	14
45.	महाराजगंज	9
46.	महोबा	4
47.	मैनपुरी	6
48.	मऊ	6
49.	मिर्जापुर	7

1	2	3
50.	महामायानगर	14
51.	मथुरा	27
52.	मेरठ	10
53.	मुजफ्फरनगर	21
54.	मुरादाबाद	9
55.	नैनीताल	18
56.	पडरौना	9
57.	प्रतापगढ़	5
58.	पीलीभीत	4
59.	पिथौरागढ़	4
60.	पौड़ी	27
61.	रामपुर	5
62.	रायबरेली	7
63.	रुद्रप्रयाग	7
64.	सहारनपुर	20
65.	साहूजीनगर	5
66.	शाहजहांपुर	13
67.	सीतापुर	10
68.	सोनभद्र	8
69.	सुल्तानपुर	11
70.	टिहरी	19
71.	ऊधमसिंह नगर	13
72.	उन्नाव	12
73.	उत्तरकाशी	5
74.	वाराणसी	22

(ख) आधुनिक बनाए जाने वाले एक्सचेंजों का ब्यौरा

उत्तर प्रदेश में, आगरा के क्रॉसबार एक्सचेंज को छोड़कर बाकी सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बना दिया गया है। आगरा के एक्सचेंज को चालू वित्त वर्ष के दौरान, बदले जाने का प्रस्ताव है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को कार्यात्मक स्वायत्तता

3747. श्री अजीत जोगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एक अन्तर्राष्ट्रीय निगम में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से अलग करके कार्यात्मक स्वायत्तता देने के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नही होता।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. को दूरसंचार विभाग से पृथक करके इसे कार्यात्मक स्वायत्तता देने का कोई विशेष पैकेज तैयार नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लि. को "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे अपना बोर्ड व्यापक–आधारयुक्त होने के बाद संवर्धित प्रचालनात्मक और कार्यात्मक स्वायत्तता का अधिकार होगा, जैसाकि नवरत्न कंपनियों को लागू है।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लि. को किसी भी एक परियोजना में 200 करोड़ रु. तक के अपने निवेश निर्णय स्वयं लेने की स्वायत्तता दी गई है। यह सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम कंपनियां और कार्यनीतिपरक भागीदारी बना सकता है। यह संगठनात्मक पुनर्संरचना को प्रभावित कर सकता है और गैर–बोर्ड स्तर के सभी पदों का सृजन कर सकता है। तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लि. अपना बोर्ड व्यापक आधारयुक्त होने के बाद ही इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लि. को अपनी आवश्यकता के उपस्कार और भंडार दूरसंचार विभाग को बिना भेजे स्वयं खरीदने का अधिकार भी दिया है।

[अनुवाद]

अनुसंधान नेटवर्क उद्योग और शिक्षा के बीच अन्तर्सम्बन्ध

3748. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क, उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियों/विभागों तथा अनुसंधान संस्थानों, अकादमिक संस्थानों और उद्योग के नेटवर्क के माध्यम से प्रोन्नत किया जाता है। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान नेटवर्क प्रणाली, उद्योग तथा अकादमियों के बीच मजबूत साझेदारी को बल प्रदान करने के लिए सुदृढ़ अर्न्तसम्बन्ध की आवश्यकता को समझा है। इसे सरकार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की अनुसंधान सलाहकार परिषदों, अकादमिक संस्थानों की प्रशासी परिषदों तथा अन्य ऐसे

निकायों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नीति तैयार करने वाली बाडीस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान नेटवर्क प्रणाली, उद्योग तथा अकादमियों का सबल प्रतिनिधित्व देकर सुनिश्चित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों का आबंटन

3749. श्री अनूप लाल यादव :

श्री विजय कुमार "विजय" :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बनीपुर, त्रिमुहनी घाट, बहारा, दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कितने पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथ आबंटित किए गए;

(ख) क्या सभा इच्छुक महिलाओं को कनैक्शन मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आबंटित पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों की कुल संख्या 1160 है।

(ii) विशेष रूप से बानीपुर, त्रिमुहानी घाट, बहारा और दरभंगा में 13 पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथ आबंटित किए गए थे।

(iii) महिला आवेदकों के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) महिलाओं को विशेष श्रेणी के अंतर्गत माने जाने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। प्रतीक्षा सूची की स्थिति के अनुसार, एक्सचेंज की कार्यचालन क्षमता के हिसाब से 5% तक पीसीओ आबंटित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

शोध पत्रों का प्रकाशन

3750. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जर्नल करंट साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या घट रही है तथा देश, वर्ष 1989 में आठवें स्थान से घटकर वर्ष 1992 में बारहवें स्थान पर आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) यह अध्ययन वैज्ञानिक सूचना संस्थान (आई एस आई) यू एस ए द्वारा प्रकाशित चार वर्षों (1989–1992) के विज्ञान संदर्भ सूची (एस सी आई) के आंकडा आधार पर आधारित है। 1980 के दौरान एस सी आई आंकडा आधार में 35 भारतीय जरनलों को इसमें विस्तार देने के लिए शामिल किया गया है। यह विस्तार 1980 में 35 से घटकर 1991 में 12 रह गया है, परिणामस्वरूप, एस सी आई आंकड़ा आधार में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों के शोध पत्रों की संख्या 1980 के आंकड़ों की तुलना में घट गई है। 1991 से अब तक एस सी आई में शामिल भारतीय जरनलों की संख्या स्थिर बनी हुई है। वास्तव में, सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित भारतीय शोध पत्रों की संख्या 1991 के 10468 से बढ़ कर 1992 में 11160 हो गयी है।

प्रतिपूरक वानिकीकरण

3751. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसरण में नागालैण्ड राज्य के लिए प्रतिपूरक वानिकीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) प्रतिपूरक वानिकीकरण, वनेतर प्रयोगों के लिए वन भूमि के उपयोग की सहमति देते समय लगाई गई मुख्य शर्तों में से एक है। प्रतिपूरक वानिकीकरण सामान्यतः समपरिणाम वनेतर भूमि पर किया जाना अपेक्षित होता है। वनेतर भूमि के उपलब्ध न होने की स्थिति में तथा परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों में इसको अवक्रमित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रयोग में लाए जा रहे क्षेत्र की तुलना में दो गुणा क्षेत्र पर किया जाना अपेक्षित होता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार नागालैंड राज्य के प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। चूंकि नागालैंड राज्य में भूमि के प्रयोग के लिए अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

द्वारका तथा भुज में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

3752. श्री हरिन पाठक :

श्री दिन्शा पटेल :

श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका तथा भुज में उच्च शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर नहीं लगाए गए हैं;

(ख) क्या इन स्थानों पर टी. वी. प्रसारण ठीक नहीं है तथा दर्शक पाकिस्तान टी. वी. देख रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाला टी. वी. ट्रांसमीटर न लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में टेलीविजन कवरेज को और सदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिक कवरेज हेतु विद्यमान 100 मी टावर पर अंतरिम प्रतिष्ठापन के स्थान पर 300 मी. टावर सहित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर भुज (स्थायी प्रतिष्ठापन) वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है और इसके वर्ष 1998–99 के दौरान पूरा होने की संभावना है। विद्यमान उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, द्वारका समुद्र के काफी नजदीक है और एन्टेना में जंग लगने के कारण कम विद्युत का विकिरण कर रहा है जिससे कवरेज प्रभावित हो रही है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर द्वारका को समुद्र से दूर अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए स्थल अधिकार में ले लिया गया है। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा पार से अस्पष्ट और अनियमित टेलीविजन सिग्नल प्राप्त होने की सूचना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

होनावर से श्रीरंगापटना तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जाना

3753. श्री एस. मल्लिकार्जुनैय्या : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होनावर से श्रीरंगापटना (मैसूर) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वेणेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) तुमकुर–होन्नावर सड़क (तुमकुर में रा. रा.–4 को होन्नावर में रा. रा.–7 से जोड़ते हुए) एक राज्यीय राजमार्ग है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

3754. श्री पद्मा नावाबेहेरा :

श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कौन–कौन सी बड़ी मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाएं वानिकी मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा केन्द्र सरकार के पास लंबित परियोजनाएं, उनकी वर्तमान स्थिति सहित, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस प्रस्ताव की गुण–दोष के आधार पर जांच की जाएगी और राज्य सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना तथा/अथवा सलाहकार समिति में चर्चा की गई मुद्दों के प्राप्त होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	बरागढ़ जिले में मलकेनाला लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 47.01 हे. वन भूमि का उपयोग	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जानी है।
2.	लोअर इंदरा सिंचाई परियोजना के लिए 1042.97 हे. वन भूमि का उपयोग	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव को सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा।
3.	झाडाबंधा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 3.963 हे. वन भूमि का उपयोग	क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

पनविद्युत का हिस्सा

3755. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पनविद्युत की भारी संभावना होने के बावजूद भी कुल विद्युत उत्पादन में पन विद्युत का अंश 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गया है तथा पनविद्युत की कुल संभावना के 75 प्रतिशत का अभी भी दोहन होना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संदंध में नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) 1978–87 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा करवाए गए वृहत्/मध्यम स्कीमों की जल विद्युत परियोजना शक्यता के पुनः मूल्यांकन के अनुसार देश की जल विद्युत परियोजना शक्यता 60% भार अनुपात पर 84,044 मे. वा. आंकलित की गई है। 31.3.98 की स्थिति

के अनुसार 22.31% अनुसूचित जल विद्युत शक्यता का या तो *दोहन कर लिया गया है अथवा यह निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। तथापि कुल अनुमानित शक्यता के लगभग 78% का अभी दोहन किया जाना है।*

देश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में जल विद्युत का हिस्सा 1963 में 50.62% तक बढ़ा था और उसके पश्चात् निरंतर गिरता गया। जल विद्युत (मार्च, 1998 के अनुसार) कुल अधिष्ठापित क्षमता का केवल 25.5% है।

(ख) जल विद्युत हिस्से की गिरावट के प्रमुख कारण जल विद्युत परियोजनाओं की लम्बी निर्माणावधि के कारण ताप/गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं पर जोर देना, व्यक्तियों के वृहत् स्तर पर पुनर्वास और पुनःस्थापना के कारण समस्याएं, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित भौगोलिक और जल विज्ञान संबंधी जोखिम, बृहत् विद्युत आपूर्ति की निकासी से संबंधित समस्याएं क्योंकि यह दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित है, अच्छे ठेकेदारों की कमी, अंतःर्राज्यीय मामले जो कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी का होना है।

(ग) नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 9820 मे. वा. की जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है।

कर्नाटक में नेहरू युवा केन्द्र

3756. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रतिवर्ष शुरू की गई और पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों की केन्द्र-वार योजना, परियोजना और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गतिविधियों को चलाने के लिए नेहरू युवा केन्द्रों को धन प्राप्ति के स्रोत क्या हैं; और

(घ) इन केन्द्रों को किस आधार पर धन प्रदान किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) कर्नाटक में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई और पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन. वाई के. एस.) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका वित्त पोषण पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन अन्य विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कुछ कार्यक्रम भी कार्यान्वित करता है जिनका संबंधित प्रायोजक विभाग/एजेंसी द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।

(घ) नेहरू युवा केन्द्रों को उनकी वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा शुरू की गई और पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों का ब्यौरा

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	कार्य शिविर	16	11	04
2.	ब्लाक स्तरीय कार्यक्रम	43	21	--
3.	स्थानीय आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम	299	73	–
4.	सप्ताह/दिवस मनाना	511	324	213
5.	राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह	324	235	290
6.	युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	33	19	–
7.	स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण	22	–	–
8.	सामाजिक अभियान	09	04	–
9.	गांधी जी की वर्षगांठ	317	–	–
10.	पंचायती राज प्रशिक्षण	14	–	–
11.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	–	–	16

1	2	3	4	5
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	163	147	81
13.	जागरूकता अभियान	--	—	17
14.	खेल संवर्धन कार्यक्रम (खेल टूर्नामेंट)	—	—	28
15.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	—	13

विवरण-II

वर्ष 1998–99 के लिए नेहरू युवा केन्द्रों की आयोजनाओं, परियोजनाओं और प्रस्तावों का ब्यौरा–केन्द्र–वार

कर्नाटक राज्य में जिला नेहरू युवा केन्द्रों की कुल संख्या : 19

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	प्रति नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या	कर्नाटक राज्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की कुल संख्या
1.	युवा विकास क्लब	5	95
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	8	152
3.	जागरूकता अभियान	10	190
4.	कार्य शिविर	5	95
5.	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं सप्ताह मनाना	5	95
6.	खेल संवर्धन	7	133
7.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	7	133

रेड सेंडर्स वुड से बनी वस्तुएं

3757. डॉ. सुगुण कुमारी चलामेला :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेड सैंडर्स से बनायी जाने वाली उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है जिससे इन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा कर इस पौध को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) निर्यात एवं आयात नीति के तहत 1992 से लाल चन्दन के निर्यात को निर्यातों की नाकारात्मक सूची में शामिल किया जा चुका है। तथापि, भंडारों में भारी संग्रह को ध्यान में रखते हुए 1996 से लाल चन्दन लकड़ी की बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति है। लाल चन्दन के 'नेचुरल स्टैंड' मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य तक सीमित हैं। अवैध व्यापार की रोकथाम तथा प्रजातियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) "नेचुरल स्टैंडों" में लाल चन्दन की प्रजातियों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

(2) प्राणिजात तथा वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सी आई टी ई एस) के परिशिष्ट–II में लाल चन्दन को शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप केवल वैध ढंग से खरीदी हुई प्रेषण के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।

(3) कीमती वस्तुओं के सामान के निर्यात की अनुमति, जिस राज्य से सामान खरीदा गया है उस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक से उत्पत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र की प्राप्ति की शर्त पर दी जाती है।

(4) लाल चन्दन के वनों को अवैध कटाई से बचाने के लिए काफी मात्रा में "चैक–पोस्ट" स्थापित की गई है तथा वायरलैस नेटवर्क से सुसज्जित वन संरक्षण बल को अनुकूल स्थानों पर

लगाया गया है।

(5) वनों के संरक्षण तथा प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से है।

निजी क्षेत्र को प्रतियोगात्मक निविदा द्वारा विद्युत परियोजनाएं दिया जाना

3758. श्री सी. डी. गामीत : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1995 में सरकार ने निजी क्षेत्र से प्रतियोगात्मक निविदा द्वारा विद्युत परियोजनाएं देने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने स्वयं ही फरवरी 1995 में जारी किए गए इस दिशा–निर्देश के पूर्व ही प्रतियोगात्मक निविदा आमंत्रित की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रतियोगात्मक निविदा परियोजनाओं के मामलों में तकनीकी आर्थिक मंजूरी देने के लिए मानदंड अधिसूचित किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भावी विकासकर्ताओं/वित्तपोषकों को परेशानी के अलावा आवश्यक विद्युत परियोजनाओं को लागू करने में परिहार्य देरी भी हुई है; और

(ङ) देश में विद्युत परियोजनाओं पर तुरंत कार्य शुरू करने हेतु विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को विद्युत परियोजनाएं सौंपने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली को 18.2.1995 से अनिवार्य कर दिया गया था और इस संबंध में जनवरी 1995 में राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को दिशा निर्देश भेजे गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया वाली परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की सुसंगत धाराओं और उनकी बोली संबंधी दस्तावेजों में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचार करता है। भारत सरकार ने मई, 1997 में प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से ताप विद्युत परियोजनाओं को सौंपने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त अनुमोदन प्रक्रिया को और पारदर्शी व तेज करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में शोधन किया जाएगा।

आकाशवाणी बैंगलोर द्वारा निजी पार्टियों को एफ. एम. चैनल के लिए प्रसारण समय दिया जाना

3759. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी बैंगलोर में निजी पार्टियों को कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अपने एफ. एम. चैनल पर "प्रसारण समय" आबंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से प्रभावी होगा; और

(ग) प्राप्त किए गए कुल आवेदनों की संख्या कितनी है और उक्त निर्णय से प्रतिवर्ष कितनी आय होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) निजी पार्टियों द्वारा प्रसारण की तारीख 1.5.98 निर्धारित की गई थी किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि चार महानगरों में कुछ मौजूदा निजी आपरेटरों ने अलग–अलग उच्च न्यायालयों में मुकदमा दायर कर दिया और निविदा खोलने के खिलाफ स्थगन ले लिया। प्रसारण शुरू करने के लिए नई तारीख स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद निर्धारित की जाएगी।

(ग) कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए थे। उक्त निर्णय से प्रत्येक वर्ष अर्जित होने वाली प्रस्तावित राशि बोलियों को अन्तिम रूप देने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

टी. वी. धारावाहिकों की मंजूरी में अनियमितताएं

3760. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी. वी. धारावाहिकों की मंजूरी प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अच्छे धारावाहिकों का चयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) धारावाहिकों को मंजूरी प्रसार भारती द्वारा दी जाती है।

(ग) प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी निगम है।

दूरसंचार सर्किल मुख्यालय स्थापित करना

3761. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला मुख्यालय में एक दूरसंचार सर्किल मुख्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंपसेट नेटवर्क का विस्तार

3762. श्री संदीपान थोरात : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने देश में कृषि उत्पादन के लिए पम्पसेट नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चालू किए गए अतिरिक्त पम्पसेटों का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के राज्यवार सिंचाई के अन्तर्गत लाने के परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या सरकार और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा अन्य संगठनों द्वारा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुओं को चालू करने का कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दी गई कार्ययोजना तथा उपलब्ध कराए गए परिव्यय और कृषि उत्पादन हेतु पम्पसेटों को चालू करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) योजना आयोग वार्षिक रूप से देश में पंपसेटों के ऊर्जन के लिए कार्यक्रम अनुमोदित करता है। इस कार्यक्रम की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत है :

वर्ष	पम्पसेट का लक्ष्य	उर्जित उपलब्धि (संख्या)	प्रतिशत
1995–96	300379	335446	112
1996–97	250000	300792	120
1997–98	240000	241819 (अनंतिम)	101
	790379	878057	111

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत 878057 अतिरिक्त पंपसेटों को उर्जित किया गया है। भू–भौतिक परिस्थितियों तथा पंपसेटों की क्षमता पर निर्भर करते हुए पंपसेट के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र भिन्न–भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार की लिफ्टिंग पद्धतियों जैसे इलेक्ट्रिक पंप, डीजल पंप, हस्तचालित पंप इत्यादि के द्वारा सिंचित क्षेत्र के संबंध में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान उर्जित पंपसेटों की राज्यवार स्थिति अनुबन्ध में दी गई है। विशिष्ट अथवा मिश्रित ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों में से पंपसेट ऊर्जन हेतु पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पंपसेट ऊर्जन कार्यक्रम के वित्तपोषण में शामिल है। पंपसेट ऊर्जन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार और कुटीर–ज्योति इत्यादि शामिल है। 1998–99 के दौरान पंपसेट ऊर्जन हेतु प्रस्तावित लक्ष्य 2,51,500 है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत कुल परिव्यय 1210 करोड़ रुपये है। वर्तमान वर्ष हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत पंपसेटों के लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान उर्जित पंपसेटों का राज्य–वार ब्यौरा तथा आरईसी कार्यक्रम के अंतर्गत–चालू वर्ष हेतु प्रस्तावित लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य	आरईसी कार्यक्रम के अंतर्गत उर्जित पंपसेट				1998–99 हेतु प्रस्ताव
		1995–96	1996–97	1997–98 अनंतिम	जोड़	लक्षित पंपसेट
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	37145	44914	3341	85400	20000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0				
3.	असम	0				
4.	बिहार	610	1689	809	3106	2000
5.	दिल्ली	0				
6.	गोवा	0				
7.	गुजरात	15084	20370	20146	55600	23000

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	2501	1849	943	5293	1000
9.	हि. प्र.	201	254	285	740	250
10.	जम्मू व कश्मीर	1012	305	503	1820	250
11.	कर्नाटक	38601	30516	28000	97117	25000
12.	केरल	12517	11029	10348	33894	9000
13.	म. प्र.	41855	44882	52699	139436	40000
14.	महाराष्ट्र	92395	62429	50758	205582	61000
15.	मणिपुर	0				
16.	मेघालय	0				
17.	मिजोरम	0				
18.	नागालैंड	0				
19.	उड़ीसा	2260	928	1524	4712	2500
20.	पंजाब	11004	7552	6521	25077	5000
21.	राजस्थान	17616	20779	16000	54395	16000
22.	सिक्किम	0				
23.	तमिलनाडु	40649	37113	40000	117762	30000
24.	त्रिपुरा	26			26	
25.	उत्तर प्रदेश	20963	15846	9909	46718	15000
26.	पश्चिम बंगाल	1007	337	33	1377	1500
	जोड़	335446	300792	241819	878057	251500

[हिन्दी]

पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए धनराशि का आबंटन

3763. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान देश में पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए उपलब्ध धनराशि का राज्य–वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) साक्षरता योजनाओं के संबंध में उक्त धनराशि के उपयोग और प्रमुख उपलब्धियों संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए गुजरात को सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) संपूर्ण साक्षरता अभियान को निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति के रूप में अपनाया गया है।

सामान्य तौर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला साक्षरता समितियों को परियोजना–वार अनुदान प्रदान क्रिया जाता है। इन अभियानों की अवधि एक वर्ष से दो वर्ष की या अधिक की हो सकती है जो जिले की भू भौतिक स्थितियों, साक्षरता दर, लक्षित समूह के आकार तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

उत्तर साक्षरता अभियान हासिल की गई साक्षरता की उपलब्धियों को समेकित करने और स्व शिक्षा तथा दक्षता की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उन जिलों में शुरू किए जाते हैं जिन जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरे हो चुके हों। वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियानों तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए प्रदान किए गए अनुदान के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

चूंकि परियोजना–वार अनुदान प्रदान किया जाता है अतः अनुदान के वास्तविक उपयोग का संकलन नहीं किया जाता और अनुप्रयुक्त निधियों को परियोजना पूरी होने तक अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर कोई लक्ष्य तथा उपलब्धियां निर्धारित नहीं किए गए हैं।

साक्षरता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां विवरण–II तथा–III में दी गई हैं।

(ग) और (घ) संपूर्ण साक्षरता अभियान गुजरात के सभी 19 जिलों में पूरे हो चुके हैं और ये सभी जिले उत्तर साक्षरता के चरण में प्रविष्ट कर चुके हैं। आगे का केन्द्रीय अनुदान दिए जाने पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रस्ताव प्राप्त होंगे।

विवरण-I

संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियान

वर्ष 1996–97 के दौरान दिए गए अनुदान का विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996–97	1997–98
		(धनराशि रु. में)	
1.	आंध्र प्रदेश	1,28,41,130	1,55,00,000
2.	असम	1,06,55,000	33,00,000
3.	बिहार	7,43,45,000	3,06,15,000
4.	चंडीगढ़	11,50,000	20,00,000
5.	गुजरात	3,59,91,000	34,40,000
6.	हरियाणा	35,44,000	62,50,000
7.	हिमाचल प्रदेश	35,79,000	20,56,000
8.	जम्मू और कश्मीर	30,00,000	–
9.	कर्नाटक	1,91,49,000	2,25,12,000
10.	मध्य प्रदेश	3,43,84,000	1,90,63,000
11.	महाराष्ट्र	2,77,54,000	1,79,00,000
12.	मणिपुर	–	10,00,000
13.	मेघालय	1,01,00,000	–
14.	उड़ीसा	1,93,42,000	1,40,00,000
15.	पंजाब	1,35,00,000	68,75,000
16.	राजस्थान	11,15,86,500	6,23,01,000
17.	तमिलनाडु	1,01,22,000	75,00,000
18.	त्रिपुरा	–	27,00,000
19.	उत्तर प्रदेश	6,28,38,000	2,27,80,000
20.	पश्चिम बंगाल	1,75,25,000	1,15,00,000

विवरण-II

संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों तथा सतत् शिक्षा के अनतर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य–वार विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जिलों की संख्या	विभिन्न चरणों के अंतर्गत जिले			
			संपूर्ण साक्षरता अभियान	उत्तर साक्षरता अभियान	सतत शिक्षा	कुल
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	1	6	16	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
3. असम	23	15	6	—	21
4. बिहार	55	28	11	—	39
5. गोवा	2	2	—	—	2
6. गुजरात	19	—	19	—	19
7. हरियाणा	17	12	4	—	16
8. हिमाचल प्रदेश	12	—	11	1	12
9. जम्मू और कश्मीर	14	5	—	—	5
10. कर्नाटक	20	2	18	—	20
11. केरल	14	—	—	14	14
12. मध्य प्रदेश	45	26	18	1	45
13. महाराष्ट्र	30	15	10	5	30
14. मणिपुर	8	1	—	—	1
15. मेघालय	7	6	—	—	6
16. मिजोरम	3	—	—	3	3
17. नागालैंड	7	—	—	—	—
18. उड़ीसा	30	13	12	—	25
19. पंजाब	17	11	2	1	14
20. राजस्थान	31	13	17	1	31
21. सिक्किम	4	—	—	—	—
22. तमिलनाडु	29	3	12	9	24
23. त्रिपुरा	4	—	4	—	4
24. उत्तर प्रदेश	68	57	10	1	68
25. पश्चिम बंगाल	18	3	11	3	17
26. अ. और नि. द्वीप समूह	2	—	—	—	—
27. चंडीगढ़	1	—	1	—	1
28. दादरा और न. हवेली	1	1	—	—	1
29. दमन और दीव	2	—	1	—	1
30. दिल्ली	1	1	—	—	1
31. लक्षद्वीप	1	—	—	—	—
32. पांडिचेरी	4	—	—	4	4
	525	215	173	59	447

विवरण–III

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रारंभ से साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	81,14,950
2.	अरुणाचल प्रदेश	59,612
3.	असम	10,76,090
4.	बिहार	50,96,209
5.	गोवा	71,237
6.	गुजरात	60,92,278
7.	हरियाणा	3,27,272
8.	हिमाचल प्रदेश	5,39,426
9.	जम्मू और कश्मीर	1,63,892
10.	कर्नाटक	40,08,810
11.	केरल	15,60,152
12.	मध्य प्रदेश	53,82,572
13.	महाराष्ट्र	54,26,098
14.	मणिपुर	67,371
15.	मेघालय	84,420
16.	मिजोरम	61,919
17.	नागालैंड	63,123
18.	उड़ीसा	22,68,114
19.	पंजाब	5,53,922
20.	राजस्थान	36,85,458
21.	सिक्किम	13,604
22.	तमिलनाडु	64,62,081
23.	त्रिपुरा	3,81,351
24.	उत्तर प्रदेश	75,58,629
25.	पश्चिम बंगाल	89,02,352
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,492
27.	चंडीगढ़	41,404
28.	दादरा और नगर हवेली	7,662
29.	दमन और दीव	3,451
30.	दिल्ली	3,81,286
31.	लक्षद्वीप	986
32.	पांडिचेरी	99,965
	कुल :	6,85,70,188

[अनुवाद]

सूरतगढ़ टीपीएस चरण दो परियोजना

3764. श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सूरतगढ़ टीपीएस चरण–दो परियोजना सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) ने राज्य क्षेत्र में सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र चरण–2 परियोजना की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। आरएसईवी को के. वि. प्रा. द्वारा 5.5.98 को सलाह दी गई कि उनके द्वारा परियोजना को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने से पहले वह आवश्यक निवेश, कोयला लिंकेज इत्यादि सुनिश्चित कर ले।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

3765. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों द्वारा जनता से पैसा जुटाकर रातों–रात गायब हो जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी लॉ बोर्ड ने कोई कदम उठाए हैं;

(घ) क्या अनेक एग्रो प्लांटेशन कम्पनियां गैर–अस्तित्व वाली योजनाओं के संबंध में धनराशि जमा कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो एग्रो प्लांटेशन योजनाओं में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सी. एल. बी. ने क्या एहतियाती उपाय किए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क), (ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (ङ) कम्पनी विधि बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 450क तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) के अंतर्गत व्यथित जमाकर्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर रहा है तथा शिकायतकर्ता एवं व्यतिक्रमी कम्पनियों, दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त आवेदनों का निपटान किया जाता है।

दिल्ली में पर्यावरण परियोजनाएं

3766. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र की सहायता से आरम्भ की गयी पर्यावरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों और इसके अंतर्गत दी गई धनराशि का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में इस राज्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य में पहले से चल रही सभी परियोजनाएं निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यापक उद्देश्य	स्थिति	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 में उपलब्धि	
				वित्तीय	भौतिक
1.	प्रदूषण उपशमन	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/पर्यावरण विभागों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता	जारी है	22.00	कर्मचारी वेतन घटक
2.	सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर विश्व बैंक परियोजना	सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाना	जारी है	2300.00	डी. एम. आई. डी. सी द्वारा 15 सा. बहि. शो. संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।
3.	वानस्पतिक बागानों को सहायता	वानस्पतिक बागानों/फील्ड केन्द्रों को अपग्रेड करना	जारी है	12.12	दिल्ली विश्वविद्यालय के वानस्पतिक बागान की ढांचागत सुविधाओं में सुधार।
4.	यमुना कार्य योजना	नदी जल प्रदूषण का उपशमन	जारी है	127.91	16.28 करोड़ की अनुमानित लागत की 3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति कार्यक्रम

3767. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितने कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कुछ सामाजिक स्वयंसेवी संगठन भी ऐसे कार्यक्रम लागू कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे सरकारी और गैर–सरकारी कार्यक्रमों से कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या इन कार्यक्रमों को लागू करने में किसी प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इन्हें रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महिला और बाल कल्याण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

3768. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला और बाल कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) इस संबंध में गैर–सरकारी संगठन–वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। इन स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में आमतौर पर इस प्रकार के प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा होता है। ये वार्षिक रिपोर्टें माननीय सांसदों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं।

महिला एवं बाल विकास की कुछ प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की स्कीम–वार संख्या विवरण–I और विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

स्कीम का नाम : महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु अल्पावास गृह

क्र. सं.	संगठन का नाम	उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (रु. लाखों में)		
		1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	एसोसिएशन फॉर सोशल हैल्थ इन इंडिया, बैरक नं. 4, दिनशा बाका रोड़, मुम्बई	1.91	1.03	1.63
2.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ अमलेश पाण्डे का बंगला योगाश्रम नन्दल, नागपुर	2.05	1.96	2.05
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ बाल शिक्षा विभाग, एम. जी. विद्या मंदिर	1.81	1.64	0.94
4.	डब्ल्यू. के. भगिना सेवा संघ कमला बाई अजमेरा, विद्यानगर, देवपुर, धुले	1.86	1.48	0.94
5.	अखिल भारतीय भागस्वर्गीय समाज प्रबोधन संस्थान, कल्याण, जिला–थाणे	1.83	1.86	1.83
6.	महिला आश्रम डाक य तहसील लंजे, रत्नागिरि			

1	2	3	4	5
7	मुक्त द्वार उन्नति मंडल	2.53		3.44
	करोदा, जलगांव			
8.	प्रगतिशील महिला मंडल	1.87		
	द्वारा देशमुख अस्पताल,			
	अकोला (महाराष्ट्र)	0.94		0.83
9.	रचना ट्रस्ट			
	नरसिंह नगर			
	नेरीका अस्पताल के पास,	2.12	0.94	
	गनापुर रोड, नासिक			
10.	इन्दिरा महिला सेवा समिति	2.81	0.94	0.94
	नन्दुकर, जिला धुले			
11.	गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल	1.87	1.67	1.87
	अहमदनगर, लातूर			
12.	भारतीय आदिम सेवक संघ	0.94	1.69	
	जिला अहमद नगर,			
	राजूर			
13.	रेणुका चैरिटेबल ट्रस्ट	1.87	0.94	0.94
	गढ़चिरौली जिला,			
	देसाईगंज			
14.	धानगंगा एजूकेशन सोसाइटी	0.94	2.62	
	आदर्श कालोनी, अकोला,			
15.	सिन्धी निकेतन शिक्षण प्रसारक मंडल	1.62	0.94	1.32
	बड़गांव, नांदेड जिला			
16.	विट्ठल शिक्षण प्रसारक मंडल	1.75		
	प्रभावनी, जिला प्रभावनी			
17.	लीगल लिटरेसी मूवमेंट	1.87	1.63	1.87
	44, जस्टिस कोतवाल नगर,			
	रिंग रोड, नागपुर			
18.	अहिल्या देवी महिला मंडल			
	98, ओल्ड सूबेदार ले आउट एक्सटेंशन,	1.31		
	नागपुर			
19.	राज्य श्री शाहू महाराज शिक्षण	0.47	1.6	0.93
	ब्रह्मपुर, चन्द्रपुर			
20.	श्री जगदम्बा विद्या स्मारक मंडल			
	पूर्ना, जिला परवानी			1.87

1	2	3	4	5
21.	बाल विकास महिला मंडल लातूर	0.65	1.63	1.87
22.	पीपल्स एजूकेशन सोसाइटी वार्ड नं. 31, ओल्ड सिटी, बुल्डाना	1.22		1.79
23.	श्रीमती नरसा बाई महिला मंडल बड़गांव, जिला नादेड, महाराष्ट्र	1.22	0.93	1.12
24.	जय श्री सुशिक्षित बेरोजगार महिला मंडल नागपुर	1.81		2.44
25.	नागपुर मुस्लिम बेलफेयर सोसाइटी द्वारा–ताज बॉयलर, मोमिनपुरा चौक, नागपुर	1.18	0.93	1.84
26.	सरस्वती शिक्षण महिला मंडल चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	1.18	0.93	1.86
27.	भारत शिक्षण प्रसारक मंडल किले धारू, जिला बीड	0.75	0.94	
28.	ग्रामीण विकास मंडल बांसरोला, जिला बीड़		1.19	1.7
29.	लोकमंगल संस्था घोट, जिला गढ़चिरौली		1.19	0.94
30.	सत्य शोधक महिला विकास मंडल एन–9–के–79/4, पवन नगर, औरंगाबाद		1.19	0.83
31.	श्री रामोबोब्बा सत्संग मंडल वाणी सवतमाल,	1.63		
32.	वीमेन्स पोलिटैक्निक एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, नागपुर	2.99		

स्कीम का नाम–गैर सरकारी संगठनों के मार्फत पोषाहार शिक्षा के लिए नेटवर्किंग

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रदत्त वित्तीय सहायता		
		1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	प्राइड इंडिया स्वप्न लोक जगमोहन दास मार्ग, मुम्बई	0.14	0.37	

1	2	3	4	5
2.	गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय मुम्बई	0.16	0.37	
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ अफैयर्स 1/34, शिवाजी नगर, नागपुर	0.15	0.17	
4.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ प्लाट नं. 162, सुदामपुरी, खाम्ला नागपुर	0.2	0.37	

स्कीम का नाम--स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रदत्त वित्तीय सहायता		
		1995–96	1996–97	1997–98
1.	सर्वोदय महिला मंडल चन्द्रपुर	0.18	0.19	–
2.	गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी पुणे	0.18	0.18	–
3.	डिप्राइव्ड चाइल्स एण्ड यू, मुम्बई	–	0.15	–
4.	माता बालक उत्कर्ष प्रतिष्ठान संगोला, सोलापुर	–	0.32	–
5.	जयप्रकाश ग्राम कल्याण संस्थान नन्देड़	–	–	0.14

स्कीम का नाम–राष्ट्रीय कोष

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रदत्त वित्तीय सहायता		
		1995–96	1996–97	1997–98
1.	सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ एरिया रिसॉसिस सेंटर, बायकुला, मुम्बई	17.84	18.91	17
2.	अन्नपूर्णा महिला मंडली दादर, मुम्बई	20	50	30

स्कीम का नाम–महिला आर्थिक कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रदत्त वित्तीय सहायता		
		1995–96	1996–97	1997–98
1.	पीपल्स एजूकेशन सोसाइटी बुलदाना	3.28		
2.	सतेन्द्र महिला विकास औरंगाबाद		3.03	
3.	डब्ल्यू. के. भगिनी सेवा मंडल धुले	1.7	2.73	
4.	विद्या बर्धनी शिक्षा संस्थान गोवर्धन		3.03	

विवरण–II

स्कीम का नाम : कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता

क्रम सं.	संगठन	दी गई वित्तीय सहायता (रु. लाखों में)		
		1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	शिरपुर एजुकेशन सोसायटी, शिरपुर, धुले	3.63	–	–
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण प्रसारक मण्डल, गढ़चंदूर, चन्द्रपुर	6.63	–	–
3.	काका साहेब मास्के मैमोरियल मेडिकल फाउण्डेशन, अहमदनगर	7.74	1.26	
4.	पलटन एजुकेशन सोसायटी, जिला सतारा	0.94	–	–
5.	नवलमाऊ प्रतिष्ठान, जिला धुले	13.06	3.64	–
6.	भाग्यश्री सगुना महिला मण्डल, पुणे	3.70	3.70	–
7.	महारानी शान्ति देवी गायकवाड़ शिक्षण संस्था, कोल्हापुर	1.26	–	–
8.	शिव स्मारक समिति, पुणे	8.70	–	–
9.	कोल्हापुर जिला माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्याध्यापक संघ कोल्हापुर	1.75	–	–
10.	श्री सन्तजन भाई एजुकेशन सोसायटी गंगाखेड़, प्रभानी	0.43	–	–
11.	सन्धि निकेतन शिक्षण संस्था वाड़गांव नान्देड़	3.51	–	–
12.	श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठान रहुरी अहमदनगर	5.87	–	5.87

1	2	3	4	5
13.	महिला पालिटेक्नीक शिक्षा संस्थान, नागपुर	9.05	–	–
14.	भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अम्बाजोगाई, बीड़	2.83	2.83	–
15.	वैस्ट खंडेरू भागिनी सेवा मण्डल देवपुर धुले	28.93	44.22	6.85
16.	बाल विकास महिला मण्डल, लातुर	6.89	–	3.84
17.	युवा महिला क्रिशचियन एसोसियेशन मुम्बई	17.81	24.39	11.23
18.	ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मण्डल, कन्यार, नान्देड़	4.32	–	8.65
19.	शिक्षण मण्डल, कराड़, सतारा	4.05	–	7.94
20.	सतपुड़ा शिक्षण प्रसारक मण्डल विद्यावड़ी धुले	–	3.11	–
21.	प्रगति महिला समाज, भाण्डारा	–	7.83	–
22.	अन्नपूर्णा महिला मण्डल, नवी मुम्बई	–	43.59	–
23.	भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ नवी मुम्बई	–	5.45	10.90
24.	सुवीदे फाउण्डेशन, रिसोड, उनकोला	–	11.28	–
25.	महिला सेवा समाज, अमरावती	–	9.03	9.03
26.	परमहंस रामकृष्ण मौनी बाबा शिक्षण संस्थान, चिखली बुलदाना	–	6.75	9.00
27.	स्वर्गीय श्रीमती जानकीबाई (अक्का) तेंदुलकर महिला आश्रम, लांझा रतनागिरी	–	1.82	1.82
28.	कर्वे समाज संस्थान, पुणे	–	7.88	–
29.	महात्मा गांधी तालुका शिक्षण मण्डल चोपड़ा जलगांव	–	1.70	–
30.	श्री मेरूतराव धुले पाटिल शिक्षण संस्था निवासा, अहमदनगर	–	–	3.40

भारतीय हॉकी परिसंघ

3769. श्री माधवराव पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय हॉकी परिसंघ में सरकारी धनराशि की अनियमितताओं/दुरुपयोग के बारे में 25 मई, 1998 की "इंडिया टुडे" के पृष्ठ 73 पर प्रकाशित समाचार "पावर टु विन" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय हाकी परिसंघ के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा भारतीय हॉकी परिसंघ के लेखों की कोई विशेष लेखापरीक्षा करने का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को 25 मई, 1998 की इण्डिया टुडे में प्रकाशित समाचार "पावर टु विन" की जानकारी मिली है। भारतीय हॉकी परिसंघ (आई. एच. एफ.) से स्थिति

स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। भारतीय हॉकी परिसंघ ने सूचित किया है कि जहां तक समाचार में लगाए गए आरोपों का संबंध है, इस बारे में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है तथा वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के लिए भारतीय हॉकी परिसंघ के वार्षिक लेखे जो कि सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप में प्रमाणित हैं, दिनांक 10.5.98 को आयोजित की गई वार्षिक आम बैठक में रखे गए थे।

(ग) से (ङ) इस विभाग ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भारतीय हॉकी परिसंघ के लेखों की किसी भी प्रकार की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए नहीं कहा है। तथापि, जैसा कि भारतीय हॉकी परिसंघ ने सूचित किया है, इस मंत्रालय का आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विगं अगले महीने भारतीय हॉकी परिसंघ के लेखों की लेखा परीक्षा का काम प्रारंभ करेगा। यदि उनके द्वारा कोई अनियमितता ध्यान में लाई जाती है तो उस स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। *[हिन्दी]*

गुजरात में पर्यावरण परियोजनाएं

3770. श्री महेश कनोडिया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष गुजरात में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक की उपलब्धियों और प्रत्येक परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा गुजरात में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य में पहले से चल रही सभी परियोजनाएं निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्रम सं.	योजना का नाम	व्यापक उद्देश्य	स्थिति	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 व 1997–98 के दौरान उपलब्धियां	
				वित्तीय	भौतिक
1.	कोरल रीफ कार्यक्रम	कोरल रीफ का संरक्षण और प्रबंधन	जारी	11.23	कच्छ की खाड़ी में कोरल रीफ शामिल की गई।
2.	वानस्पतिक बागान को सहायता	वानस्पतिक बागानों/ फील्ड केन्द्रों को अपग्रेड करना	जारी	15.45	3 वानस्पतिक/ फील्ड केन्द्र शामिल किए गए।
3.	सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर विश्व बैंक परियोजना	सा. बहि. शो. सं. लगाना और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रशिक्षण कार्यों को सुदृढ़ करना।	जारी	192.00	6 सा. वहि. शो. संयंत्र शामिल किए गए।
4.	प्रदूषण उपशमन	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ पर्यावरण विभाग को सुदृढ़ करने हेतु सहायता	जारी	1.00	प्रदूषण जल चेतना तथा सहायता केन्द्र स्थापित करना।
5.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	नदी जल प्रदूषण उपशमन	जारी	1134.74	11 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की गई हैं।

[अनुवाद]

कालीकट में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

3771. श्री टी. गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय कालीकट में होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों के हितों का संरक्षण

3772. श्री गिरिधर गमांग : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के संरक्षण एवं आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए पृथक् नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए अनुमोदित और विचाराधीन नए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों पर निर्णय करते समय वनों में तथा वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासियों के संबंध में शामिल किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारत सरकार, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की घोषणा कर चुकी है जिसमें वनों तथा उनके आसपास रहने वाले आदिवासियों के लिए अधिकारों तथा रियायतों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आदिवासी लोगों को वनों के संरक्षण, उनमें पुनः वनस्पति उगाने तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी के साथ-साथ उन्हें लाभदायक रोजगार प्रदान करवाने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, के तहत राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस तरह प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में सूचना इस मंत्रालय द्वारा संकलन और परितुलन नहीं की जाती है।

(घ) एक राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए लोगों के अधिकार निश्चित किए जाते हैं और कुछ अधिकार सीमित किए जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के अधिकारों को सीमित करने के बदले उसकी समुचित क्षतिपूर्ति की गई है। आदिवासियों के एक स्थान से हटाकर अन्यत्र बसाने तथा उनके पुनर्वास हेतु लाभोन्मुख आदिवासी विकास परियोजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का दिल्ली विद्युत बोर्ड पर बकाया

3773. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का दिल्ली विद्युत बोर्ड पर कितनी राशि बकाया है तथा दिल्ली बोर्ड निगम को इसका भुगतान किस प्रिकार से करेगा; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) 30 जून, 1998 की स्थितिनुसार दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा एनटीपीसी को देय बकाया धनराशि 1552.00 करोड़ रुपए बैठती है। इसमें 494.78 करोड़ रुपए का अधिभार शामिल है।

डीबीबी ने 90 करोड़ रुपए मूल्य के परिक्रमी साख-पत्र खोले हैं जो 15-15 करोड़ रुपए प्रत्येक की दर से महीने में छः बार लौटाई जाती हैं। गत कुछ महीनों के दौरान डीवीबी द्वारा साख-पत्र की पूर्ति में विलंब किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को वर्तमान देय बकाया राशियों के भुगतान में कमी हुई है। बकाया राशियों का परिसमापन करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु दिल्ली सरकार/डीवीबी से कहा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संग्रहालय से चोरी हुई कलाकृतियां

3774. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय से पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार चोरी हुई और गुम हुई कलाकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय से पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी हुई/गुम हुई कलाकृतियों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय संग्रहालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कोई भी कलाकृति चोरी अथवा गुम हुई नहीं बताई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नए अधिनियम का लागू नहीं किया जाना

3775. श्री सत्यपाल जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पंजाब एडेड स्कूल्स (सिक्यूरिटी ऑफ सर्विस)

एक्ट, 1969', जिसे संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में भी लागू किया गया था, को पंजाब राज्य द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा इसे एक नए अधिनियम 'पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स (सिक्यूरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 1979, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है;

(ख) क्या इसके बावजूद भी संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अब तक 1979 का अधिनियम लागू नहीं किया गया है तथा यह 1969 के अधिनियम द्वारा ही शासित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन से कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस वर्ष यह प्राप्त हुआ था; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वन भूमि

3776. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री वन भूमि के बारे में 5 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2202 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) 5 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2202 में मांगी गई सूचना राज्यों विशेष तथा विस्तृत थी। त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा केरल राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार संघशासित प्रदेश से सूचना प्राप्त हो चुकी है। अन्य राज्यों से सूचना अभी प्राप्त की जानी है तथा पूरी सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मंडल

3777. श्री बी. एम. मेनशिंकाई : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मंडल सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या इसकी संरचना को नियंत्रित करने वाले किन्हीं प्रावधानों को 1995 या उसके बाद संशोधित किया गया/समाप्त कर दिया गया; और

(ग) यदि हां; तो ऐसे प्रावधानों तथा उन बैठकों का तिथि सहित ब्यौरा क्या है जिसमें उक्त प्रादधान को संशोधित करने/समाप्त करने का निर्णय लिया गया या अनुमोदन किया गया था ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 6 सितम्बर, 1993 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के संगत नियमों के लोप/संशोधन के संबंध में लिए गए निर्णय जिसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आम निकाय ने 9 फरवरी, 1994 में इस पर विचार करने के बाद इसे अधिसूचित किया और सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति 14.2.96 सूचित की गयी।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके शासी बोर्ड के साधारण निकाय का गठन

**मानव संसाधन विकास मंत्री अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री	अध्यक्ष
**उपाध्यक्ष होने के लिए भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधिकारी	उपाध्यक्ष
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार अथवा उसका प्रतिनिधि	सदस्य
**मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक विभाग	सदस्य
**रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
शिक्षा निदेशक सेना मुख्यालय	सदस्य

शिक्षा निदेशक नौसेना मुख्यालय	सदस्य
शिक्षा निदेशक, वायुसेना मुख्यालय	सदस्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि जिसे इस मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है।	सदस्य
शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है।	सदस्य
अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
**निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	सदस्य
**राज्य सरकार का शिक्षा सचिव जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य
राज्य सरकार का शिक्षा सचिव जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है।	सदस्य
राज्य सरकार के जन शिक्षा निदेशक अथवा स्कूल/माध्यमिक शिक्षा निदेशक जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है।	सदस्य
** —वही—	सदस्य
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य चार शिक्षाविद् जिनमें से कम से कम एक महिला हो, एक अनुसूचित जातियों का हो तथा एक अनु. जन जातियों से हो	सदस्य
—वही—	सदस्य
** --वही—	सदस्य
** —वही--	सदस्य
तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा के तथा एक राज्य सभा का)	सदस्य
--वही—	सदस्य
** —वही—	सदस्य
** आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
** संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं संगठन का पदेन सचिव	सदस्य
** शासी बोर्ड के भी सदस्य	सचिव

महिलाओं की स्थिति

3778. श्री विठ्ठल तुपे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने महिलाओं के रोजगार और आयोत्पादन, अल्प ऋण विकास, जागरूकता विकास को बढ़ावा देने तथा कल्याण और समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए महिलाओं हेतु विशिष्ट कार्यक्रम शुरू

किए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीमों की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गयी हैं। इसके अलावा सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि जैसी स्कीमों के अन्तर्गत लाभों का कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखा है। सरकार विभिन्न उपायों, जैसे नीतिगत पहलों, महिला घटक योजना के निरूपण, कारगर समन्वय, महिलाओं के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रबोधन, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्रों के सृजन आदि के माध्यम से महिलाओं की बेहतरी और विकास के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के सतत् प्रयास करती है।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीमों की मुख्य विशेषताएं :

1. लाभोन्मुखी रोजगार तथा सतत् आयोत्पादन हेतु स्कीमें :

(क) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता–डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा आदि के पारम्परिक क्षेत्रों में निर्धन तथा सम्पत्तिविहीन महिलाओं के कौशल को बढ़ाना।

(ख) प्रशिक्षण–सह–रोजगार–सह–उत्पादन केन्द्र (महिला आर्थिक कार्यक्रम)–महिलाओं को इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रीकल्स, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, ब्यूटी कल्चर, कार्यालय प्रबन्धन आदि जैसे गैर–पारम्परिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना।

(ग) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम–महिलाओं को आयोत्पादक परियोजनाएं जैसे लघु औद्योगिक इकाइयां, डेयरी इकाइयां, सूअर पालन, भेडें तथा बकरियां पालन आदि स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करना।

(घ) शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम–महिलाओं/लड़कियों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक तथा मैट्रिक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना तथा विभिन्न व्यवसायोन्मुख एवं स्व–रोजगारोन्मुख कार्यकलापों के लिए कौशल का विकास करना।

(ङ) महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम–महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।

2. महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी शक्ति-सम्पन्नता हेतु स्कीमें :

(क) राष्ट्रीय महिला कोष–ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों की महिलाओं, की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

(ख) महिला समृद्धि योजना–ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना।

(ग) राज्य महिला विकास निगम–महिलाओं को उद्यम, सहकारिताएं तथा अन्य संगठन स्थापित करने हेतु ऋण जैसे निवेश उपलब्ध कराना। यह स्कीम 1–4–92 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई है।

(घ) इन्दिरा महिला योजना–सार्वजनिक, निजी और सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ और अवसर प्राप्त करने के लिए महिलाओं की क्षमता निर्माण हेतु उन्हें संगठित करना।

3. जागृति विकास हेतु स्कीमें :

(क) ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं–ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में उनके परिवार तथा समाज में उनके दर्जे के प्रति जागरूकता पैदा करना।

(ख) महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य–शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वैच्छिक संगठनों को महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कानूनी साक्षरता शिविर, परा–कानूनी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रचार तथा प्रसार कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सहायता प्रदान करना।

4. कल्याण तथा समर्थन सेवाएं :

(क) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल–कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माणार्थ गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ख) कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह–कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधाएं प्रदान करना।

(ग) समेकित बाल विकास सेवाएं–0–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती तथा शिवुवती माताओं और किशोर बालिकाओं के पोषाहारीय, स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करना।

(घ) अल्पावास गृह–सामाजिक तथा नैतिक खतरों में ग्रस्त महिलाओं को अस्थाई आवास तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना।

(ङ) बालिका समृद्धि योजना–बालिका का दर्जा ऊंचा करना–इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्म लेने वाली बालिका की माता को 500/– रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

भारत-अमेरिकी वैज्ञानिक सहयोग

3779. श्री आर. साम्बासिवा राव :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के एक अग्रणी वैज्ञानिक और अमेरिका में नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य ने भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध धनराशि में कमी पर गंभीर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका–भारत कोष जिसके अंतर्गत अमेरिका

का नेशनल साइंस फाउंडेशन भारत के साथ सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा था को दिसम्बर, 1997 में बन्द कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ प्राप्त हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार को रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जिसमें अमेरिका के एक अग्रणी वैज्ञानिक और अमेरिका में नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य ने भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध धनराशि में कमी पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अमेरिका–भारत कोष को जनवरी, 1998 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि इस कार्यक्रम पर समझौते की अवधि जनवरी, 1998 में समाप्त हो गई थी।

(ङ) भारत–अमेरिका संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रम मुख्य रूप से बुनियादी अथवा मौलिक विज्ञान में थे। इन कार्यक्रमों ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सिम्पोजिया के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। इससे दोनों देशों को जो मुख्य लाभ प्राप्त हुआ वह दोनों देशों में वैज्ञानिक समुदायों के बीच वर्धित एवं दीर्घकालिक अन्तःक्रिया है।

स्मारकों का निर्माण

3780. श्री मुकुल वासनिक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के भाग के रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में उपयुक्त स्मारकों का निर्माण करने हेतु कोई परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी विकास विभाग, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति संस्थापित कर दी है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है।

भारत–50 सचिवालय ने विवरण–I में दिए गए स्मारकों का निर्माण/मरम्मत और उनके रख–रखाव हेतु, निधियां उपलब्ध करा दी हैं। संस्कृति विभाग (मुख्य) ने विवरण–II में दिए गए स्मारकों के लिए सहायता प्रदान की है। फिर भी यहां यह उल्लेखनीय है कि 50वीं वर्षगांठ के समारोहों के आयोजन संबंधी कार्यान्वयन समिति, पूरे भारत में स्वतंत्रता स्मारकों के निर्माण के पक्ष में नहीं थी और उसने विद्यमान विद्यालयों के उन्नयन और उनके नाम, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने की सिफारिश की थी। तथापि, स्वतंत्रता स्मारकों का निर्माण करके स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी योजनाएं हैं।

विवरण–I

संगठन	उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3
अंडमान और निकोबार प्रशासन	सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों की पांच मूर्तियों का प्रतिष्ठापन।	10,50,000/– रुपए
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर में क्लॉक टॉवर स्मारक स्तंभ का निर्माण।	48,37,000/– रुपए
आयुक्त, हुबली–धारवाड़ नगर निगम	भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित संग्रहालय का निर्माण	59,61,500/–रुपए
पश्चिम बंगाल सरकार	हैदरी मंजिल का धर्मनिरपेक्ष स्मारक के रूप में पुनरुद्धार	25,00,000/– रुपए
गुजरात सरकार	(क) धारसाना में मीठा सत्याग्रह स्मारक का पुनरुद्धार	22,59,000/– रुपए
	(ख) दांडी स्मारक हेतु	2,80,000/– रुपए

1	2	3
उत्तर प्रदेश सरकार	(क) इलाहाबाद में शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क का सुन्दरीकरण	25,00,000/– रुपए
	(ख) इलाहाबाद में नीम के पेड़ का सुन्दरीकरण	15,00,000/–रुपए
सिक्किम सरकार	नामची में महात्मा गांधी स्मारक पार्क का निर्माण	15,00,000/– रुपए
उत्तर प्रदेश सरकार	(ग) मेरठ में मैसाली शहीद स्मारक में मंगल पांडेय की मूर्ति स्थापित करना।	10,00,000/– रुपए
बिहार सरकार	चंपारण में पं. राज कुमार शुक्ला की मूर्ति स्थापित करना।	10,00,000/– रुपए
उड़ीसा सरकार	भुवनेश्वर में सरदार पटेल हाल का स्वतंत्रता स्मारक में परिवर्तन	40,00,000/– रुपए
हरियाणा सरकार	नारनौल में नेताजी के संग्रहालय और स्मारक का निर्माण।	39,50,000/– रुपए

विवरण-II

संगठन	उद्देश्य	स्वीकृत राशि (रुपए)
श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति, ग्वालियर	शिवाजी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन	5,00,000/–
एस. एम. जोशी सोसलिस्ट फाउंडेशन, पुणे	एस. एम. जोशी और नानासाहेब गोरे की स्मृति में शैक्षणिक परिसर	5,00,000/–
मुख्यमंत्री आन्ध्र प्रदेश	बापूघाट परियोजना का विकास 1. संग्रहालय 2. आवासीय हस्तशिल्प केन्द्र 3. गांधी स्मारक एवं ध्यान केन्द्र	5,00,000/–
महादेवी साहित्य संग्रहालय, नैनीताल	नैनीताल में महादेवी वर्मा एवं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति में सृजनात्मक लेखन केन्द्र और राष्ट्रीय स्मारकों की स्थापना करना	5,00,000/–
साबरी कल्चरल सोसाइटी, भुवनेश्वर	शहीद लक्ष्मण नायक की स्मृति में स्मारक का निर्माण	5,00,000/–
डॉ. डी. आर. बेन्द्रे राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, कर्नाटक	डॉ. डी. आर. बेन्द्रे स्मारक भवन	5,00,000/–
अमर शहीद हेमु कालानी यादगार मंडल, मुम्बई	हेमु कालानी स्मारक का निर्माण	5,00,000/–
रामकृष्ण मिशन, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	कलकत्ता में विवेकानन्द स्मारक की स्थापना	5,00,000/–
डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा संस्थान, जमशेदपुर	डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा की स्मृति में परिसर का निर्माण	5,00,000/–
गांधीवादी अध्ययन संस्थान, वाराणसी	जे. पी. स्मारक हॉल का निर्माण	5,00,000/–

[हिन्दी]

विश्व बैंक/ए. डी. बी. की सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

3781. श्री सुरेश चन्देल :

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ विद्युत परियोजनाएं विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी (अलग–अलग) राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक ने साझा आधार पर कुछ विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में गहरी रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व–बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एशियाई विकास बैंक की सहायता से राजस्थान में स्थापित की जाने वाली कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विश्व बैंक और एशियाई बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण (राज्यवार) संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में एशियाई विकास बैंक की सहायता से राजस्थान में विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं ऋण सं.	राज्य	ऋण राशि मिलियन अमेरिकी डालर
1	2	3	4
विश्व बैंक			
1.	उत्तर क्षेत्र पारेषण परियोजना (आर. एफ.) (3237–इन)	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उ. प्र. व हि. प्र.	485.00
2.	नाथपा–झाकड़ी विद्युत (3024–इन)	हिमाचल प्रदेश	485.000
3.	विद्युत यूटिलिटीज क्षमता सुधार (3436–इन)	आ. प्र., म. प्र., गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल	215.000
4.	महाराष्ट्र विद्युत (आर. एफ.) (3096–इन)	महाराष्ट्र	337.330
5.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना (4014–इन)	उड़ीसा	350.000
6.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना (4271–इन)	हरियाणा	60.000
7.	पावरग्रिड प्रणाली सुधार (3577–इन)	महाराष्ट्र म. प्र., आ. प्र., राजस्थान	350.000
8.	एनटीपीसी विद्युत उत्पादन (3632–इन)	म. प्र., केरल	400.000

1	2	3	4
एशियाई विकास बैंक			
9.	विद्युत क्षमता सुधार (1161–इन)	कर्नाटक, आ. प्र., महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु	210.000
10.	ऊंचाहार ताप विद्युत विस्तार परियोजना (आ. एफ.) (907–इंड)	उत्तर प्रदेश	16.000
11.	विद्युत पारेषण क्षेत्र परियोजना (1405–इंड)	राजस्थान, म. प्र.	275.000
12.	उत्तरी मद्रास टीपीपी (798–इंड)	तमिलनाडु	120.000
13.	द्वितीय उत्तरी मद्रास टीपी (1029–इंड)	तमिलनाडु	200.000

गैर सरकारी दूरसंचार नेटवर्क का पुनर्गठन

3782. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैर सरकारी दूरसंचार नेटवर्क के संगठनात्मक और प्रशासकीय ढांचे को पुनगर्ठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मार्ग में आने वाली वित्तीय अड़चनें क्या हैं;

(ग) इसके कार्यान्वयन में क्या कोई समय–सीमा निर्धारित की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र के लिए नए कानून

3783. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए नए कानून लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पुराने कानूनों का ब्यौरा क्या है जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या नए कानूनों के अंतर्गत उद्योग को ऊर्जा की कम खपत संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करना अथवा केन्द्र सरकार को उपकर देना होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए कानूनों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पारेषण गतिविधियों को विद्युत के उत्पादन एवं वितरण से अलग करके उन्हें विशिष्टता प्रदान करने के लिए भारतीय (बिजली) अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस बिल को संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

विद्युत विनियामक आयोग बिल को लोक सभा द्वारा दिनांक 9.6.98 और राज्य सभा द्वारा 12.6.98 को अपनाया गया। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और अब यह एक अधिनियम (1998 का अधिनियम संख्या–14) बन गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना हेतु, प्रावधान करना, विद्युत टैरिफ को युक्ति–संगत बनाना, आर्थिक सहायता से संबंधित सुस्पष्ट नीतियां तैयार करना, दक्ष एवं पर्यावरणीय रूप से लाभदायी नीतियों तथा उनसे जुड़े मामलों का संवर्धन करना है।

(ग) प्रस्तावित विधेयक अथवा अधिनियम में ऊर्जा दक्षता के प्रमाण–पत्र अथवा गैस से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशों के साथ बातचीत

3784. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्री नरेश पुगलीया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विदेशों के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ इस संबंध में बातचीत की गई तथा अब तक हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जापान, अमरीका, चीन, इटली, और जर्मनी आदि देशों की कई कंपनियों ने देश में बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने में अभिरुचि दर्शायी है। इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु रूपात्मकताओं को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा धनराशि प्रदान करना

3785. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री पी. शिव शंकर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए कोई सहायता न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रौद्योगिकी विकास के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समेकित तकनीकी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में प्रायोजित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 66 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त ऋण अनुमत्य था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से भारतीय उद्योग को भारी नुकसान होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्व बैंक द्वारा निधीयत औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास (आईटीडी) परियोजना को दिसम्बर, 1989 में अनुमोदित किया गया; मई, 1990 में चालू किया गया; दिसम्बर, 1995 में समाप्त किया जाना निश्चित हुआ और ये परियोजना 31 दिसम्बर, 1997 को अंतिम रूप से बंद की गई। उसके बाद विश्व बैंक से कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के तीन घटक थे, नामतः (i) प्रौद्योगिकीय शुरुआतों और भारत में वृद्धि उन्मुखी लघु उद्यमियों के निधीयन के लिए जोखिम पूंजी तत्व को समर्थन देना (ii) प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग को प्रौद्योगिकी सेवाएं मुहैया कराने के लिए अनुसंधान और मानक संस्थानों का उन्नयन करना और प्रायोजित अनुसंधान और विकास (स्प्रैड) कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा (iii) उद्योगों के विस्तार को समर्थन देकर तथा कम्पनियों के लिए फास्ट ट्रैक प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) को सहज उपलब्ध कराके उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी का आयात करने के लिए निधियन करना। पहले घटक का कार्य देश की अनेक जोखिम पूंजी वाली कम्पनियों को सौंपा गया। दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आईसीआईसीआई) को लगभग 55 मिलियन अमरीकी डालर के आईडीए क्रेडिट के साथ दूसरे घटक के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। इसमें से 40 मिलियन अमरीकी डालर प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यक्रम के लिए आबंटित किए गए और शेष 15 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि "स्प्रैड" कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रौद्योगिकी संस्थानों, जिनमें 8 सीएसआईआर प्रयोगशालाएं और सीएसआईआर मुख्यालय शामिल हैं, को दी गई जबकि "स्प्रैड" कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों की एक विस्तृत रेंज से 96 कम्पनियों को प्रौद्योगिकी विकास के लिए समर्थन दिया गया। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं ने "स्प्रैड" कार्यक्रम के अन्तर्गत आईसीआईसीआई द्वारा निधियत औद्योगिक इकाइयों की लगभग 20 परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरसंचार, डाक तथा तार सुविधाएं

3786. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में दूरसंचार, डाक और तार की सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान जिलावार कितने गांवों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि का आबंटन किया गया है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं में सुधार, इसके विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) टेलीफोन कनेक्शनों ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों, पीसीओ तथा एसटीडी केन्द्रों की संख्या संबंधी दूरसंचार सुविधाओं का विस्तृत विवरण-I में दिया गया है।

उपलब्ध तार-सुविधाओं का विवरण-II में उपलब्ध है।

राजस्थान में लोगों को 27,397 लैटर बक्सों से युक्त 10,340 डाकघरों से पर्याप्त डाक-सुविधा मिल रही है।

(ग) 1998-99 के दौरान टेलीफोन-सुविधा प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या विवरण-III में है।

वर्ष 1998-99 में दो विभागीय उपकार्यालय तथा 30 अतिरिक्त

विभागीय शाखा कार्यालय खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। गांवों में मानदंडों पर आधारित औचित्य के अनुसार ही डाकघर खोले जाएंगे।

(घ) संसद द्वारा 1998–99 के लिए अनुदानों की मांगें अनुमोदित होने के बाद ही निधियां आबंटित की जाएंगी।

(ङ) और (च) दूरसंचार विभाग ने, 1998–99 में 100 नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोल कर ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 नए टेलीफोन कनैक्शन देने की एक योजना बनाई है इसके अलावा, गांवों में दूरसंचार सुविधाएं देने के लिए 2540 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाएंगे, साथ ही केंद्रों के बेहतर संयोजन हेतु 30 यूएचएफ प्रणालियां लगाने की योजना बनाई जा रही है।

विवरण–I

राजस्थान दूरसंचार सर्किल जयपुर

दूरसंचार जिले–वार स्थिति

क्रम सं.	दूरसंचार जिला	31.3.98 को सीधी एक्सचेंज लाइनें	31.3.98 को कुल गांव	31.3.98 को सार्वजनिक टेलीफोन युक्त गांव	31.3.98 को कुल केंद्र	31.3.98 को एसटीडी युक्त केंद्र	31.3.98 को एसटीडी पीसीओ	31.3.98 को स्थानीय पीसीओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	41185	1006	874	68	43	959	238
2.	अलवर	35031	1946	876	91	51	673	309
3.	बांसवाड़ा+ डूंगरगढ़	17756	2314	1137	59	22	269	65
4.	बाड़मेर+ जैसलमेर	18655	2346	1097	64	24	342	109
5.	भरतपुर+ धौलपुर	19422	1924	1077	51	36	334	168
6.	भीलवाड़ा	22102	1589	1113	58	31	365	127
7.	बीकानेर	27140	616	484	46	13	469	380
8.	बूंदी	6630	827	440	30	25	70	34
9.	चित्तौड़गढ़	14497	2178	633	45	16	218	105
10.	चुरू	15763	928	619	48	31	282	131
11.	जयपुर+ दौसा	186581	3146	1253	140	92	3063	1293
12.	भीलवाड़ा	7884	1448	589	26	7	89	25
13.	झुनझुनू	25788	839	775	67	67	387	143
14.	जोधपुर	47578	1039	754	66	30	607	322
15.	कोटा+ बारां	45253	1881	1143	46	20	660	229
16.	नागौर	21322	1434	927	81	33	197	163
17.	पाली	30919	910	653	109	58	560	298
18.	सवाई माधोपुर+ करोली	15431	1465	808	50	34	252	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	सीकर	25079	974	656	77	40	361	121
20.	शिरोही+ जालौर	18796	1140	818	86	42	271	324
21.	श्रीगंगानगर+ हनुमानगढ़	52635	4438	1523	114	112	550	154
22.	टांक	9142	1019	531	39	19	138	68
23.	उदयपुर+ राजसमंद	52971	3227	1814	113	57	1205	366
	कुल जोड़	755560	38634	20594	1574	903	12312	5336

विवरण—II

31.3.98 को राजस्थान सर्किल में गौण स्विचन क्षेत्र वार तार सेवाएं

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	तार घर				तार स्विचें			टीएमसी	एमसीएन	ब्यूरो	एसएफटी नेटवर्क से जुड़े कार्यालयों की संख्या		अभ्युक्तियां
		सी. टी.ओ.	डी. टी.ओ.	टी. ओ.	सी. ओ.	एसएफ एमएस प्रणाली	ईकेबीसी	एफटीसी	ईकेबी	ईटीपी	फैक्स केन्द्र	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	जयपुर	1	6	10	154	1	4	1	20	13	18	23	03	बाकी संयुक्त कार्यालय फोनोकॉम आधार पर निकटतम बड़े सीओ/डीटीओ/सीटीओ से जुड़े हुए हैं। रोजाना औसतन दस संदेश वाले सभी सीओ को एसएफटी नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।
2.	टोंक	—	1	1	61	—	—	—	—	2	2	3	—	
3.	सवाई माधोपुर	—	1	3	97	—	1	—	3	4	4	4	2	
4.	बूंदी	—	1	—	30	—	—	—	3	1	1	4	—	
5.	कोटा	1	2	3	109	—	2	—	4	6	5	6	2	
6.	झालावाड़	—	1	1	68	—	—	—	—	2	2	2	—	
7.	भरतपुर	—	2	1	108	—	1	—	10	3	3	9	—	
8.	अलवर	—	1	2	81	—	1	—	7	4	4	7	3	
9.	सीकर	—	1	1	152	—	1	—	7	4	2	9	2	
10.	चूरू	—	2	1	87	—	2	—	9	4	3	7	4	
11.	झुनझुनू	—	1	3	105	—	1	—	7	8	4	13	2	
12.	श्रीगंगानगर	—	3	2	112	—	2	—	13	6	4	11	2	
13.	बीकानेर	—	1	2	96	—	2	—	6	5	2	4	4	
14.	नागौर	—	2	—	163	—	2	—	15	7	2	5	14	
15.	जोधपुर	1	2	3	83	1	3	—	10	9	4	6	4	
16.	बाड़मेर	—	3	—	128	—	—	—	—	7	3	3	2	
17.	सिरोही	—	2	3	96	—	2	—	9	6	5	8	4	
18.	पाली	—	2	2	93	—	2	—	13	6	2	12	5	
19.	अजमेर	1	2	6	58	—	3	—	18	12	7	9	6	
20.	भीलवाड़ा	—	1	2	90	—	1	—	9	3	3	7	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	चित्तौड़गढ़	—	1	—	60	--	—	—	—	1	1	2	1	
22.	उदयपुर	1	2	2	117	—	2	—	9	7	6	9	4	
23.	बांसवाड़ा	—	2	1	110	—	—	—	—	3	3	3	—	
	जोड़ :	5	42	49	2258	02	32	1	172	123	90	166	68	

सीटीओ–केन्द्रीय तार घर
डीडीओ–विभागीय तारघर
टीओ–तारघर
सीओ–संयुक्त कार्यालय
एसएफएमएस–स्टोर्स एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग
ईकंबीसी–इलै. की बोर्ड कंट्रेटर
एफटीसी–फॉर्मटेड टर्मिनल कंट्रोलर
ईटीपी इलेक्ट्रोनिक तार मुद्रक

विवरण-III

राजस्थान दूरसंचार सर्किल, जयपुर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन योजना 98–99

क्रम सं.	दूरसंचार जिले	दूरसंचार जिलों का 98–99 का लक्ष्य
1.	अजमेर	62
2.	अलवर	110
3.	बांसवाड़ा	220
4.	*वाडमेर	140
5.	भरतपुर	120
6.	भीलवाड़ा	60
7.	बीकानेर	45
8.	बूंदी	60
9.	चित्तौड़गढ़	130
10.	चूरू	90
11.	जयपुर	223
12.	झालवाड़	100
13.	झुंझुनू	60
14.	जोधपुर	100
15.	कोटा	200
16.	नागौर	80
17.	पाली	80
18.	सवाई माधोपुर	70
19.	सीकर	100
20.	सिरोही	60
21.	श्रीगंगानगर	210
22.	टोंक	70
23.	उदयपुर	150
	कुल :	2540

*बाड़मेर दूरसंचार जिले में जैसलमेर भी शामिल है।

**दूरसंचार विभाग से निधि आबंटन की पुष्टि अभी होनी है।

कुनो पालपुर अभयारण्य में एशियाई शेरों का पुनर्वास

3787. श्री कान्तिलाल भूरिया :

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुनो पालपुर अभयारण्य में एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1996–97 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 6.63 करोड़ रुपए मंजूर किए थे;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) पूरी धनराशि जारी न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंशतः जारी की गई धनराशि उदिष्ट कार्य के लिए पर्याप्त होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो बकाया धनराशि राज्य सरकार को कब तक जारी की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) जी, नहीं। तथापि, मध्यप्रदेश सरकार को वर्ष 1996–97 के दौरान कुनो पालपुर अभयारण्य से बाहर 663 आदिवासी परिवारों को पुनर्वास के लिए रुपए 6.63 करोड़ स्वीकृत किए गए थे।

(ख) अब तक रु. 1.62 करोड़ तीन किश्तों में जारी किए गए हैं।

(ग) यह धनराशि बजट आबंटन के अनुसार जारी की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) शेष राशि को बाद में नौवीं योजना के दौरान किश्तों में देने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में आई. सी. डी. एस.

3788. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई समेकित बाल विकास सेवाएं कितनी और कौन–कौन सी हैं; और

(ख) महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों के दौरान, अलग–अलग, वर्षवार विश्व बैंक और केन्द्रीय सहायता की कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र के लिए 55 समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं, जिनकी वर्ष–वार संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	स्वीकृत आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं की संख्या
1995–96	52
1996–97	2
1997–98	1

इन परियोजनाओं के नाम विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र को विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं मिली है। आई. सी. डी. एस. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र को दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :–

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)
1995–96	5409.35
1996–97	5682.23
1997–98	6925.69

विवरण

महाराष्ट्र

क्रम सं.	जिले का नाम	आई. सी. डी. एस. परियोजना का नाम
1	2	3
1.	अहमदनगर	कोपरगांव
2.	अहमदनगर	परनेर
3.	अहमदनगर	पथर्डी
4.	अहमदनगर	श्रीगोंडा
5.	बुल्डाना	बुल्ढाना
6.	बुल्डाना	जलगांव
7.	बुल्डाना	खमगांव
8.	बुल्डाना	मलकापुर
9.	बुल्डाना	नन्दुरा
10.	बुल्डाना	संग्रामपुर
11.	बुल्डाना	शागांव
12.	कोल्हापुर	अजरा
13.	कोल्हापुर	भूदरगढ़
14.	कोल्हापुर	चांदगढ़
15.	कोल्हापुर	गढ़हिंगलाज
16.	कोल्हापुर	कागल
17.	कोल्हापुर	पनहाला
18.	कोल्हापुर	राधानगरी
19.	कोल्हापुर	शाहूवाडी
20.	पुणे	भोर
21.	पुणे	मावल
22.	पुणे	मुल्शी
23.	पुणे	पुरन्दर
24.	पुणे	शिरूर
25.	पुणे	वलहे
26.	रत्नगिरि	गुहागर
27.	रत्नगिरि	लांजा
28.	रत्नगिरि	राजापुर
29.	रत्नगिरि	रत्नगिरि
30.	रत्नगिरि	संगमेश्वर
31.	शांगली	अटपडी
32.	शांगली	शिराला
33.	शांगली	तसगांव
34.	सतारा	जावली
35.	सतारा	खण्डाला
36.	सतारा	कोरेगांव
37.	सतारा	महाबलेश्वर
38.	सतारा	पाटन
39.	सतारा	सतारा
40.	सतारा	वाय

1	2	3
41.	शोलापुर	करमाला
42.	शोलापुर	मढा
43.	वर्धा	हिंगनघाट
44.	वर्धा	समदूरपुर
45.	सिंधुदुर्ग	सावन्त वाड़ी
46.	सिंधुदुर्ग	वैभववाड़ी
47.	सिंधुदुर्ग	वेंगुरला
48.	जलना	बोखरधन
49.	जलना	परतुर
50.	परभणी	हिंगोली
51.	परभणी	जिंतूर
52.	परभणी	परभणी
53.	ग्रेटर मुम्बई	गोवण्डी
54.	ग्रेटर मुम्बई	मनखुर्द
55.	अहमदनगर	अहमदनगर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 5 को चार लाइनों का बनाना

3789. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 5 को चार लाइनों वाला बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए निवेश की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने यह पेशकश स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लाइनों वाला बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 और 5 के खंडों को चार–लेन का बनाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से कार्यान्वयनाधीन हैं :

क्रम सं.	कार्य का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1.	प. बंगाल में रा. रा.–2 के रानीगंज (474 कि. मी.) से पानागढ़ (515.236 कि. मी.) खंड की मौजूदा दो–लेन पेवमेंट को चार–लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	186.25
2.	बिहार में रा. रा.–2 के बरवा अडा (398.75 कि. मी.) से बाराकर (441.94 कि. मी.) खंड को मौजूदा दो–लेन पेवमेंट को चार–लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	150.67
3.	आंध्र प्रदेश में रा. रा.–5 पर विजयवाड़ा (3.4 कि. मी.) से इलुरू (75.0 कि. मी.) को सुदृढ़ करना जिसमें 3.4 कि. मी. से 13.0 कि. मी. को चार–लेन का बनाना भी शामिल है और इलुरू कस्बे के लिए बाइपास का निर्माण।	171.60
	जोड़	508.52

बिहार में इस परियोजना से संबंधित सभी सर्वेक्षण कार्य और विस्तृत डिजाइनें पूरी की जा चुकी हैं और निर्माण–कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

असम में दूरभाष केन्द्र और टेलीफोन कनेक्शन

3790. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय कार्यरत दूरभाष केन्द्रों के जिलावार नाम क्या हैं तथा प्रत्येक केन्द्र की क्षमता क्या है;

(ख) असम में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की जिलावार संख्या क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक आबंटित किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों की आज तक की संख्या इस प्रकार है :

1995–96	20,200
1996–97	18,000
1997–98	36,500
1998–99 (आज तक)	3,342

(घ) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 20795 है। वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान 50,000 नए कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। इससे समग्र सर्किल में टेलीफोन की प्रतीक्षा अवधि 6 माह कम हो जाने की संभावना है।

विवरण–I

असम में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों तथा उनकी क्षमता की जिला–वार सूची

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
जिला कोंगइगांव		
1.	अभयपूरी	528
2.	बिजनी	368
3.	बोगइबांव	1528
4.	बोगइगांव	400
5.	चापर	96
6.	धालीगांव	1528
7.	मानिकपुर	88
जिला धूबरी		
1.	अगोमोनी	152
2.	बिलाशीपाड़ा	424
3.	बोगरीबाडी	88
4.	धूबरी	1656
5.	धूबरी	172
6.	गोरीपुर	528
7.	गुलकगंज	192
8.	हटसिंधीमार	88
9.	मनकाचर	240
10.	सपतग्राम	184
11.	टमरहाट	80
जिला-बारपेटा		
1.	बाघमारा	184
2.	बारपेटा आरडी	1656
3.	बारपेटा टीएन	736
4.	हावली	200
5.	कलगचिया	88
6.	पटचरकुच	88
7.	पाठशाला	432
8.	सतबारी	56
9.	सारूपेटा	152
10.	सारेभाग	264
11.	ताराबडीहाट	88
जिला कोकराझार		
1.	बासूगांव	184
2.	बेगटोल	88
3.	पोतमा	56
4.	फकीराग्राम	88
5.	गोसांईबांव	280
6.	कोकराझार	1000
7.	सालाकटी	56
जिला नलबाड़ी		
1.	बडामा	152
2.	बेलसौर	184
3.	चमाता	88
4.	कलग	182
5.	मरोवा	184
6.	मकलमुआ	96
7.	नलबाड़ी	1656
8.	टिहू	272
जिला गोलपाड़ा		
1.	घपधारा	160
2.	देरनोई	208
3.	गोआलपाडा	504

1	2	3
4.	गोआलपाडा	384
5.	जोगीघोपा	169
6.	कृष्णई	184
7.	लेखीपुर	176
जिला	**सोनितपुर**	
1.	बी. चरियाली	1528
2.	बालीपाडा	264
3.	बेदिटी	88
4.	बोरगोंग	168
5.	धेकियाजुली	200
6.	धेकियाजुली	200
7.	धोलइबिले	88
8.	गहिगांव	224
9.	गोहपुर	96
10.	गोरइमाडी	336
11.	ईटाखोला	88
12.	जामूगुडी	264
13.	मिस्सामाडी	272
14.	मोनाबुग	56
15.	नपम	88
16.	पोवइचराली	88
17.	रंगाचकुआ	88
18.	रंगापाडा	384
19.	रंगापाडा	264
20.	सिंगरी	88
21.	सतिया	384
22.	तेजपुर	1912
23.	तेजपुर	3000
24.	तेजपुर	360
25.	थेलमाडा	88
जिला	**कामरूप**	
1.	अमानगांव	328
2.	बेहाता	184
3.	बिजाएनगर	384
4.	बोको	184
5.	बोरीहाट	88
6.	बोरसार	800
7.	चन्द्रापुर	88
8.	चैगांव	176
9.	दादरा	88
10.	दारांगा	88
11.	जीएच–अदाबरी	3000
12.	जीएच–दिस्पुर	10000
13.	जीएच–दिसपुर	2000
14.	जीएच–कल्पाहर	3000
15.	जीएच–नूनमती	4000
16.	जीएच पनबाजर	4000
17.	जीएच पनबाजार	20000
18.	जीएच डलूबरी	6000
19.	जीएच डलूबरी	3000
20.	गोरश्वर	88
21.	जाहो	152
22.	जोराबट	328
23.	कमलपुर	88
24.	खेतरी	184
25.	मीरजा	152
26.	पानीखेती	88
27.	रांगिया	760
28.	सोनापुर	352
29.	सौलकुंची	266
30.	तमूलपुर	88
जिला	**जोरहाट**	
1.	अमगुरी	336
2.	बढहोला	184
3.	गरमूर	184
4.	जोरहाट	10000
5.	काकोजन	152
6.	कमलाबरी	336
7.	मरियानी	1384
8.	नाकाचारी	344
9.	नमता	184
10.	टोक	336

1	2	3
11.	टिल्लीकिरूम	336
12.	टिराबार	368
जिला	**गोलाघाट**	
1.	बादलीपुर	184
2.	बरपॉथर	272
3.	बोकाखाट	1000
4.	बोरजंग	152
5.	दरगांव	1000
6.	फर्कतिंग	184
7.	गोलाघाट	1680
8.	काजीरंगी	152
9.	खमर्तेई	88
10.	मर्फुल्लनी	152
11.	एनआरएल	184
12.	नूमालीगढ़	184
13.	सरूपथर	336
14.	उर्यामघाटा	152
जिला	**सिबसागर**	
1.	डीमो	336
2.	गौरीसागर	184
3.	जे. जम्मूगुड्डी	152
4.	खानीकरगांव	152
5.	लकवा	152
6.	माबेला	88
7.	नाजिरा	520
8.	जाजिरा	384
9.	स्पेखाटी	200
10.	सीपोन	152
11.	सिबसागर	4000
12.	सोनारी	1000
जिला	**सच्चर**	
1.	अरुणाचल	192
2.	बसकंडी	160
3.	बेहरबाजर	184
4.	बोरजतरापुर	88
5.	बोरखोला	38
6.	दमचेरा	56
7.	देवान	152
8.	धोलाईबाजार	184
9.	घरबंध	192
10.	फकीराबाजार	184
11.	जिरीघाट	88
12.	कल्याण	88
13.	काशीपुर	152
14.	कुम्मा	160
15.	लखीमपुर	368
16.	मदुरामुख	88
17.	मोतीनगर	88
18.	नूतनबाजार	192
19.	पैलोनघाट	56
20.	पोयलापूल	152
21.	राजाबाजार	96
22.	राजनगर	88
23.	सलचपरा	88
24.	सलगंगा	152
25.	सिलचर	9000
26.	सिलचर	2000
27.	सोनाबारीघाट	192
28.	सोनाइमुख	192
29.	सरीकोना	152
30.	उधरबांड	760
जिला	**हैलाकंडी**	
1.	अलगपुर	88
2.	हैलाकंडी	1512
3.	जलालपुर	152
4.	कतलीचेरा	152
5.	लाला	760
6.	मनीपुर बगा	88
7.	मोनोचेरा	88
जिला	**करीमगंज**	
1.	बदरपुर	704
2.	बरायग्राम	88

1	2	3
3.	बाजारघाट	88
4.	बाजारीचेग	88
5.	बंगाबाजार	272
6.	दुल्लावचेरा	192
7.	कालीगंज बी. ए.	88
8.	करीमगंज	3576
9.	कोटामोनी बाजार	88
10.	महीसासन	88
11.	नीलमबाजार	272
12.	पथारकडी	280
13.	आर. के. नागर	152
जिला	**नौगांव**	
1.	अम्बागन	152
2.	बारापुधिया	152
3.	बेबेजिया	184
4.	बोरकला	96
5.	बुरागांव	184
6.	चौधरीबाजार	152
7.	घींग	184
8.	डोवाका	336
9.	होजाई	1784
10.	जाजोरी	152
11.	जखलाबंध	336
12.	जमुनामुख	192
13.	जोगीजन	200
14.	जुरिया	88
15.	काकी	88
16.	कामपुर	184
17.	खटखटी	184
18.	कोरचेंग	96
19.	कोठीआटोली	152
20.	कुवारीलाल	184
21.	लका	584
22.	लमडींग	432
23.	मोराझार	216
24.	नौगांव	1817
25.	नौगांव	4000
26.	नीलबंगान	96
27.	पुरानीगुडम	184
28.	राहा	280
29.	रूपाही	192
30.	एस. देव नगर	184
31.	सलोना	56
32.	सामगरी	192
33.	उरियागांव	152
जिला	**करबीअंगलोंग**	
1.	बुकलिया	96
2.	बोंकाजन	152
3.	डिफू	652
4.	डिफू	200
5.	डोनकामोकुम	88
6.	हमरेन	88
7.	हावराघाट	184
8.	खेरोनी	152
9.	मंजा	184
जिला	**एन. सी. हिल्स**	
1.	हाफलोंग	1400
2.	हरंगाजाओ	88
3.	लांगटिंग	56
4.	महुर	88
5.	मेबोंग	88
6.	उमरंगशु	192
जिला	**मोरीगांव**	
1.	जेगीरोड	512
2.	जेगीरोड	184
3.	लहोरीघाट	88
4.	मारीगांव	1000
5.	मोईराबाड़ी	184
6.	लेल्लई	88
जिला	**डिबरूगढ़**	
1.	बमनबाड़ी	56
2.	बरवएआ	184

1	2	3
3.	छबुआ	368
4.	डिबरूगढ़	1756
5.	डिबरूगढ़	—
6.	डिकोम	4000
7.	दिनधान	184
8.	डीआर–यूनिवर्सिटी	336
9.	धुलियाजान	1528
10.	धुलियाजान	184
11.	घोरमारा	184
12.	जयपुर	152
13.	खोबांग	152
14.	खतुहा	88
15.	लाहौल	160
16.	मोहनबाड़ी	184
17.	भोरनहाट	1000
18.	नाहरकटिया	1000
19.	राजगढ़	184
20.	ससोनी	152
21.	तेंगारवाट	264
जिला	**लखीमपुर**	
1.	बिहुपुरिया	368
2.	धुकआखाना	272
3.	डिकरोंग	184
4.	छिलामारा	88
5.	गोगामुख	184
6.	ललुक	184
7.	एन॰ लखीमपुर	1784
8.	एन॰ लखीमपुर	1396
9.	पानीगांव	88
जिला	**तिंसुकिया**	
1.	बोरहपजान	184
2.	चपाकनोवा	336
3.	डिगबोई	1400
4.	दुमदुमा	1144
5.	गईजान	152
6.	हुगरीजान	336
7.	जगुन	184
8.	काकापत्थर	152
9.	काथलगुड़ी	152
10.	लेडों	336
11.	लेखपानी	152
12.	मक्रम	384
13.	मारघेरिटा	1144
14.	नेपको–कोथल	240
15.	पानीटोला	264
16.	फिलोबाड़ी	152
17.	साईखोवाघाट	152
18.	तलाप	152
19.	टिंग खोग	96
20.	तिनसुकिया	7000
21.	तिनसुकिया	3000
जिला	**धीमाजी**	
1.	सीमाजी	768
2.	जोनाई	272
3.	मचखोवा	88
4.	सिलपत्थर	384
जिला	**दारंग**	
1.	भुटियाचुंग	88
2.	देवमोरनोईवाओं	56
3.	डोलगांव	88
4.	हरिसिघा	184
5.	कलाईगांव	56
6.	खरियाबाड़ी	56
7.	खारूपेटिया	696
8.	मंगदाई	1144
9.	मजबात	88
10.	नामरूप	728
11.	ओरंग	56
12.	रोवटा	88
13.	साराबाड़ी	88
14.	सिपाझार	88
15.	तंगला	360
16.	उदलगुड़ी	384

विवरण–II

आसाम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षासूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला–वार संख्या

1.	बोंगईगांव	822
2.	धुबरी	570
3.	बारपेटा	561
4.	कोकराझार	247
5.	नालबाड़ी	28
6.	गोलपाड़ा	136
7.	सोनीतपुर	975
8.	कामरूप	3892
9.	जोरहाट	1019
10.	गोलाघाट	514
11.	सिवसागर	816
12.	कछार	2689
13.	हाईलाकंडी	517
14.	करीमगंज	1849
15.	नगांव	1628
16.	कारबीअंलोंग	377
17.	एन. सी. हिल्स	333
18.	मोरीगांव	121
19.	डिबरूगढ़	1785
20.	लखीमपुर	314
21.	तिनसुकिया	1141
22.	धेमाजी	44
23.	दारंग	417
	जोड़	20795

टेलीफोन लाइनों का अल्प उपयोग

3791. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक टेलीफोन लाइनें अप्रयुक्त पड़ी हैं जबकि देश में करोड़ों लोग टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके परिणाम–स्वरूप दूरसंचार विभाग को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) सज्जित क्षमता और कार्यरत कनैक्शनों (सीधी एक्सचेंज लाइनों) की संख्या के बीच हमेशा अंतर रहेगा। इस अंतर के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग को कोई घाटा नहीं हुआ, क्योंकि नए टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य वर्ष 1997–98 के दौरान और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त कर लिए गए थे।

विवरण

एक्सचेंज क्षमताओं का उपयोग पूरी तरह न करने के कारण

सज्जित क्षमता और कार्यरत कनैक्शनों (सीधी एक्सचेंज लाइनों) की संख्या में हमेशा अंतर रहेगा। इस अंतर के कारण इस प्रकार हैं :–

1. एक्सचेंजों को मोड्यूलर क्षमताओं में विस्तारित किया जाता है। अतः,

(क) एक बड़े आकार को एक्सचेंज चालू करते समय, बड़े आकार के एक्सचेंजों की प्रत्याशित लोडिंग कम होती है और परिणामस्वरूप मांग की उपलब्धता के आधार पर भरी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक विस्तारण और नई प्रणाली चालू करने के साथ ही, उपयोग कम हो जाता है, जो वर्ष के आखिरी हिस्से में बढ़ जाता है।

(ख) छोटे और मध्यम आकार के एक्सचेंजों में विस्तारण उच्च मोड्यूलर क्षमताओं में होता है, अतः पूर्ण लोडिंग तक पहुंचने में कुछ वर्ष लगते हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 10 पंजीकृत मांग होने पर 152 लाइनों की औसत क्षमता का 256 पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उपलब्ध कराता है और इसे इष्टतम स्तर तक भरने में कुछ वर्ष लगते हैं। इससे एक्सचेंज क्षमता का कम उपयोग होता है।

2. अस्थाई और आकस्मिक कनैक्शन प्रदान करने की आपातकालीन आवश्यकताओं और एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में फोन शिफ्ट करने के मामलों को पूरा करने के लिए भी कुछ स्विचन क्षमता को आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है।

3. अनुरक्षण (हार्डवेयर दोष होने के मामले में उपभोक्ता पार्ट बदलने के लिए) तथा जांच प्रयोजनों के लिए स्विचन क्षमता आरक्षित रखने की आवश्यकता।

4. प्रत्याशित ओवाईटी पंजीकरण के लिए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने हेतु स्विचन क्षमता आरक्षित रखने की आवश्यकता।

5. यदि मांग पर टेलीफोन कनैक्शन दिया जाना है, तो कम से कम एक वर्ष तक मांग पूरी करने की अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजों की योजना आमतौर पर वार्षिक आधार पर बनाई जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3792. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषकर मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में जिलेवार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) राज्य में टेलीफोन कनेक्शन के त्वरित आबंटन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के मुजफ्फपुर जिले में साहेबगंज और देवरिया में टेलीफोन टावर स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 31.5.98 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की सं. इस प्रकार है :

बिहार	66809
जिला मुजफ्फरपुर	2019
जिला वैशाली	3363

(ख) मौजूदा एक्सचेंजों की स्विचन क्षमता और भूमिगत केबल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। इन स्थानों पर टेलीफोन टॉवर स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) देवरिया और साहेबगंज में क्रमशः 1998–99 और 1999–2000 के दौरान, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) के जरिए विश्वसनीय सम्पर्कता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

ओ. ई. सी. एफ. जापान से आंध्र प्रदेश की ट्रांसमिशन योजनाओं हेतु सहायता

3793. श्री के. पी. नायडू :

श्री एम. राजैया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर और विशाखापत्तनम में दो महत्त्वपूर्ण ट्रांसमिशन योजनाओं को शुरू करने के संबंध में ओ. ई. सी. एफ. जापान से ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार/आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने ओ. ई. सी. एफ. सहायता हेतु दो परियोजना प्रस्ताव भेजे थे यथा (i) विशाखापत्तनम में सिम्हाद्री और विजाम पारेषण प्रणाली परियोजना (ii) नैल्लौर में कृष्णपत्तनम पारेषण प्रणाली परियोजना। ओ. ई. सी. एफ. जापान बिजान एवं सिम्हाद्री विद्युत स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पारेषण प्रणाली के चरण–I के लिए पहले ही 10629 मिलियन येन स्वीकृत कर चुका है। कृष्णपत्तनम पारेषण प्रणाली परियोजना को सहायता हेतु ओ. ई. सी. एफ. में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा जैसे ही परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त कर लेती है।

त्रिपुरा में लकड़ी के पुलों को आर. सी. पुलों से बदलना

3794. श्री समर चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एक न्यायालयादेश के कारण पुलों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का अभाव उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में लकड़ी के पुलों को स्थायी आर. सी. पुलों से बदलने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के आदेश के अनुसार लकड़ी की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त, पेड़ों को काट गिराने पर कड़ा प्रतिबंध है।

(ग) और (घ) त्रिपुरा सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व (ई एंड आई) की स्कीम के तहत लकड़ी के चार महत्त्वपूर्ण पुलों को बदलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, इस पर नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उनकी पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

टेलीफोन एक्सचेंजों का क्षमता उपयोग

3795. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक टेलीफोन एक्सचेंजों का वर्षवार तथा सर्किलवार क्षमता उपयोग कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कारण राजस्व की हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एक्सचेंजों की क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी क्षमता का पूरी तरह दोहन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) गत तीन वर्षों से मार्च 1998 तक टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का सर्किलवार उपयोग संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया था।

(ग) क्षमता का उपयोग न किए जाने के कारण संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) एक्सचेंजों के क्षमता उपयोग के लिए निर्धारित मानदण्डों तथा प्रत्येक वर्ष नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर स्विचिंग उपस्कर आबंटित किए जाते हैं ताकि मानदण्डों के अनुसार एक्सचेंजों की क्षमता का इस्तेमाल कर लिया जाए।

विवरण-I

एक्सचेंजों की क्षमता का सर्किलवार इस्तेमाल

क्रम सं.	सर्किल	31.3.96	31.3.97	31.3.98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	83.9	81.4	80.6
2.	असम	80.5	80.4	80.8
3.	बिहार	76.9	77.8	79.3
4.	गुजरात	84.3	85.6	88.2
5.	हरियाणा	76.9	77.3	82.8
6.	हिमाचल प्रदेश	72.3	76.2	81.2
7.	जम्मू व कश्मीर	67.1	66.9	79.5
8.	कर्नाटक	84.0	84.6	85.9
9.	केरल	83.9	80.4	83.1
10.	मध्य प्रदेश	74.3	74.3	76.5
11.	महाराष्ट्र	79.6	81.3	81.9
12.	उत्तर पूर्व	76.0	75.4	73.7
13.	उड़ीसा	77.6	78.5	87.6
14.	पंजाब	85.2	85.2	84.3
15.	राजस्थान	77.8	81.4	83.9
16.	तमिलनाडु	83.5	83.0	84.6
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	83.5	76.7	74.6
18.	उत्तर प्रदेश (प.)	76.0	78.0	79.6
19.	पश्चिम बंगाल	77.6	78.5	81.7
20.	अंडमान और निको.	78.3	61.3	53.2
21.	मुम्बई	86.5	87.8	91.1
22.	दिल्ली	81.3	83.8	87.5
23.	कलकत्ता	88.3	83.6	84.5
24.	चेन्नई	85.8	85.2.	84.3
	समस्त भारत	81.9	82.0	83.7

विवरण–II

एक्सचेंजों की क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल न किए जाने के कारण।

सज्जित क्षमता और चालू कनेक्शनों (सीधी एक्सचेंज लाइनें) की संख्या के बीच प्रायः अन्तराल होगा। इस अन्तराल के कारण हैं :

1. एक्सचेंजों का विस्तार मॉड्यूलर क्षमताओं में किया जाता है। अतः

(क) बड़े आकार के एक्सचेंज चालू करते समय बड़े आकार के एक्सचेंजों की संभावित लोडिंग कम होती है और तत्पश्चात् मांग आने पर इसे लोड कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विस्तार और नई प्रणाली के चालू होने से क्षमता का कम इस्तेमाल होता है जिसका वर्ष के बाद वाले भाग में उपयोग किया जाता है।

(ख) छोटे और मध्यम आकार के एक्सचेंजों का उच्च मॉड्यूलर क्षमताओं में विस्तार किया जाता है जिससे पूर्ण लोडिंग पर कुछ वर्ष का समय लग जाता है।

(ग) विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में दस कनेक्शनों के पंजीकृत मांग के लिए 152 लाइनों के औसत क्षमता के साथ 256 पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान करता है और इसके अनुकूलतम लोड के लिए कुछ वर्ष लग जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक्सचेंज क्षमता का कम उपयोग होता है।

2. अस्थाई और आकस्मिक कनेक्शन प्रदान करने की तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के साथ–साथ फोन को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करने संबंधी मामलों को पूरा करने के लिए कुछ स्विचिंग क्षमता को सुरक्षित रखना।

3. रखरखाव (हार्डवेयर खराबियों के मामले में उपभोक्ता पोर्ट को बदलने के लिए) तथा परीक्षण प्रयोजन के लिए स्विचिंग क्षमता को बचा कर रखना।

4. प्रत्याक्षित ओ. वाई. टी. पंजीकरणों के टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए स्विचिंग क्षमता को सुरक्षित रखना।

5. यदि कोई टेलीफोन कनेक्शन मांग पर दिया जाना है,

तो मांग को पूरा करने के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए क्योंकि एक्सचेंजों की योजना वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग—7 को चार लेनों का बनाना

3796. श्री एच. जी. रामुलू : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—7 के अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले बेंगलूर देवनाहाली खंड को चार लेनों का बनाने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक योजना (1998–99) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–7 के बेंगलूर देवनाहाली खंड, 558 कि. मी. से 528 कि. मी., को चार–लेन का बनाने के संबंध में भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद-कौशाम्बी में उपमार्ग का निर्माण

3797. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और कौशाम्बी जिलों में जी. टी. रोड पर अत्यधिक यातायात के कारण दुर्घटनाएं होने के परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु हो रही है;

(ख) क्या उपमार्ग के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े राज्यवार रखे जाते हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग–वार।

(ख) और (ग) जी, हां। इलाहाबाद बाइपास के लिए प्रस्ताव व्यवहार्यता अध्ययन के स्तर पर है।

[अनुवाद]

नई बिलिंग प्रणाली

3798. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री पृथ्वीराज दा चव्हान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने बड़े एक्सचेंजों से लैस सभी बड़े नगरों में एक नई बिलिंग अर्थात् फ्लेक्जिबल चार्जिंग सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने भारतीय परिवेश में व्यावसायिक उपयोग के संबंध में इसकी उपयुक्तता का परीक्षण कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से यह प्रणाली खरीदी जा रही है;

(ङ) क्या प्रतियोगी प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आदिवासियों के स्वामित्व में वन भूमि

3799. श्री बलीराम कश्यप : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1980 से आदिवासियों के स्वामित्व में वन भूमि का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) उन राज्य सरकारों के क्या नाम हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार को आदिवासियों को वन भूमि आबंटित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है जो वर्ष 1980 से पहले से उसके स्वामित्व में था; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय को वन भूमि पर किए गए अधिक्रमण को नियमित करने के लिए अब तक 8 विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गुजरात, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश के संबंध में 5 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत औपचारिक मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से संबंधित दो प्रस्तावों का सिद्धांतः अनुमोदन कर दिया गया है। एक प्रस्ताव मेरिट के आधार पर रद्द कर दिया है। शेष बचे नौ प्रस्तावों के संबंध में संबंधित राज्यों को कुछ आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

3800. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में कुल कितने महाविद्यालयों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवध के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के और महाविद्यालयों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालयों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम और राजस्थान में डाकघर खोलना

3801. कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी राजस्थान और असम के डुबरी, गोलपाड़ा, बोंगाईगांव, बारपेटा और नलबाड़ी जिलों में डाकघरों की अपर्याप्त संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1998–99 के दौरान उक्त क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) (i) असम और राजस्थान राज्यों में क्रमशः 3834 और 10340 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार असम में प्रति डाकघर सेवित क्षेत्र तथा जनसंख्या क्रमशः 20.45 वर्गकिमी. तथा 5846 व्यक्ति हैं। तथापि, राजस्थान राज्य में, प्रति डाकघर सेवित 21.48 वर्ग किमी. क्षेत्र और 5518 व्यक्तियों की जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति डाकघर सेवित क्षेत्र और जनसंख्या क्रमशः 33.09 वर्ग किमी. तथा 4243 व्यक्ति हैं।

(ii) इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति डाकघर सेवित क्षेत्र क्रमशः 6.10 वर्ग किमी. और 51.20 वर्ग कि. मी. है। पश्चिमी राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या क्रमशः 12715 और 3414 व्यक्ति हैं।

(iii) असम के धुबरी जिले में 139, गोआलपाड़ा जिले में 95, बोंगईगांव जिले में 122, बारपेटा जिले में 186 तथा नालबाड़ी जिले में 242 डाकघर हैं।

(ख) से (घ) (i) असम राज्य के लिए चालू वर्ष 1998–99 के दौरान 2 विभागीय उप–डाकघर तथा 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और राजस्थान राज्य के लिए 2 विभागीय उप–डाकघर तथा 30 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ii) 9 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य चार जिलों को आबंटित किया गया है :

धुबरी–	2,	गोआलपाड़ा–	2,
बोंगईगांव–	2,	बारपेटा–	3

नलबाड़ी–शून्य। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान रीजन के लिए 12 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य आबंटित किया गया है। इन डाकघरों को खोलना निर्धारित मानदंडों की पूर्ति होने तथा संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

विज्ञान संग्रहालय

3802. श्री पी. उपेन्द्र : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में गांधी हिल घर एक विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उनके द्वारा आंध्र प्रदेश गांधी स्मारक निधि और गांधी पर्वतीय प्रतिष्ठान के साथ एक पट्टा बिलेख और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, गांधी पर्वतीय प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का दायित्व राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् पर नहीं है। तथापि, पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के तुरंत पश्चात् राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के लिए भूमि का भौतिक अधिग्रहण करने के पहले ही इनमें से कुछ कर्मचारियों द्वारा जिला मुन्सिफ न्यायालय, विजयवाड़ा में एक न्यायिक मुकदमा दायर कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना के लिए 50% निधि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा और 50% निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनागत के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के माध्यम से प्रदान की जानी है। अब तक कोई निधियां इनमें से किसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् को प्रदान नहीं की गई हैं।

चूंकि मामला न्यायालय के अधीन है इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान

संग्रहालय परिषद् आगे की कार्रवाई करने में असमर्थ है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

3803. श्री खारबेल स्वाईं : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कुल कितने छात्र पंजीकृत हैं;

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कितने केन्द्र छात्रों को पुस्तकें और कार्यक्रम गाइड्स इत्यादि भेज रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का छात्रों को पुस्तकें और अन्य सामग्री भेजने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997–98 के दौरान देशभर में विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 1,63,394 है। छात्रों को अध्ययन सामग्री केन्द्रीय रूप से मुख्यालय द्वारा डाक से भेजी जाती है। तथापि, विश्वविद्यालय ने वर्ष 1998 के दौरान दिल्ली, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, भोपाल तथा कलकत्ता में स्थित छः क्षेत्रीय गोदामों के माध्यम से प्रबंधन तथा कम्प्यूटर कार्यक्रमों से संबंधित अध्ययन सामग्री भेजने को विकेन्द्रीकृत किया था। देशभर में फैले छात्र सहायता सेवा नेटवर्क में 19 क्षेत्रीय केन्द्र, 240 अध्ययन केन्द्र तथा 17 मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्र शामिल हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लेटर बॉक्स

3804. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जिलेवार कितने लेटर बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नई कालोनियों के बन जाने और जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लेटर बॉक्सों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उत्तर प्रदेश में मुहैया कराए गए लैटर बाक्सों की संख्या का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) नई बन रही कालोनियों तथा उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, परियात के आकलन, जनसंख्या के घनत्व तथा नजदीकी लैटर बॉक्स से दूरी जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर लैटर बॉक्स मुहैया कराए जा रहे हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में लोगों की ओर से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में मुहैया कराए गए लैटर बॉक्सों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	मुहैया कराए गए लैटर बाक्सों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	1045
2.	फिरोजाबाद	807
3.	अलीगढ़	1988
4.	महामाया नगर	नया जिला। आंकड़े अलीगढ़ जिले में शामिल हैं।
5.	बुलंदशहर	1295
6.	एटा	1330
7.	इटावा	1657
8.	औरैया	नया जिला। आंकड़े इटावा जिले में शामिल हैं।
9.	झांसी	799
10.	जालौन	1053
11.	ललितपुर	740
12.	मैनपुरी	685
13.	मथुरा	992
14.	इलाहाबाद	2481
15.	कौशांबी	750
16.	प्रतापगढ़	1568
17.	गाजीपुर	1748
18.	जौनपुर	3104
	(19. नं. नही है)	
20.	सोनभद्र	1076
21.	वाराणसी	1285
22.	भदोई	614
23.	चंदौली	993
24.	अल्मोड़ा	2012
25.	बागेश्वर	393
26.	खीरी	1635
27.	बरेली	1678

1	2	3
28.	पीलीभीत	985
29.	हरदोई	2103
30.	बदायूं	2207
31.	शाहजहांपुर	1348
32.	नैनीताल	917
33.	ऊधम सिंह नगर	620
34.	मुरादाबाद	1211
35.	ज्योतिबाफुले नगर	945
36.	रामपुर	864
37.	पिथौरागढ़	1201
38.	चम्पावत	455
39.	बिजनौर	2029
40.	चमोली	833
41.	रूद्रप्रयाग	567
42.	देहरादून	1210
43.	गाजियाबाद	749
44.	जी. बी. नगर	234
45.	मेरठ	994
46.	बागपत	286
47.	मुजफ्फरंनगर	1105
48.	पौड़ी	2627
49.	सहारनपुर	1331
50.	हरिद्वार	590
51.	टिहरी	1870
52.	उत्तरकाशी	482
53.	आजमगढ़	1937
54.	मऊ	1140
55.	गोरखपुर	2063
56.	महाराजगंज	1238
57.	बस्ती	2356
58.	सिद्धार्थ नगर	147
59.	संतकबीर नगर	807
60.	देवरिया	1645
61.	कुशी नगर	1180
62.	गोंडा	1605
63.	बलरामपुर	795
64.	बहराइच	1155
65.	श्रावस्ती नगर	630
66.	बलिया	1986
67.	कानपुर सिटी	813
68.	कानपुर (देहात)	1500
69.	उन्नाव	1625
70.	फतेहपुर	1495
71.	फर्रूखाबाद	889
72.	कन्नौज	758
73.	बांदा	630
74.	साहूजी महाराज नगर	520
75.	महोबा	365
76.	हमीरपुर	390
77.	फैजाबाद	748
78.	अम्बेडकर नगर	1510
79.	सीतापुर	1515
80.	बाराबंकी	1525
81.	रायबरेली	1714
82.	सुलतानपुर	2056
83.	लखनऊ	1190
	कुल :	98421

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना

3805. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री एच. जी. रामुलू :
श्री टी. गोविन्दन :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में उच्च न्यायालयों की खंड पीठें स्थापित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों की खंड पीठें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जसवंत सिंह आयोग ने, अपनी रिपोर्ट में किसी उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से दूर किसी न्यायपीठ की स्थापना की कार्य साधकता और वांछनीयता के प्रश्न पर और उक्त न्यायपीठ के स्थान का चयन करते समय, ध्यान में रखे जाने वाले उपादानों का विनिश्चय करने में अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धान्तों और मानदंडों का सुझाव दिया था। आयोग की रिपोर्ट, राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर क्रमशः 20–4–87 और 21–4–87 को रखी गई थी। किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के प्रश्न पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा जब और जैसे ही, राज्य सरकार से, संबद्ध उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्रस्ताव प्राप्त होता है, इन सिद्धान्तों और मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) किसी उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से दूर, उसकी किसी स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए किसी राज्य सरकार से, जसवंत सिंह आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, उत्तरी बंगाल में जलापाईगुड़ी में उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(घ) वह समय उपदर्शित कर पाना संभव नहीं है जिस तक इस बाबत किसी विनिश्चय की संभावना है।

विदेशी निवेश युक्त मुक्त पत्तनों की स्थापना

3806. श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुक्त पत्तनों की स्थापना करने हेतु किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) भारत में मुक्त पत्तन की स्थापना की वांछनीयता और व्यवहार्यता की जांच करने के लिए उद्योगपति, श्री रौनक सिंह की अध्यक्षता में गठित एक सलाहकार समिति ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट की जांच कर ली गई और सरकार ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान से कहा है कि वह एक कार्यान्वयन माडल तैयार करे जिसमें विधियों और नियमों में संभावित परिवर्तन, प्रशासनिक ७रूपरेखा और सरकार को नीतिगत निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय शामिल हों।

हैदराबाद में ''बाईपास एक्सप्रेस वे'' का निर्माण

3807. श्री के. येरननायडू :

श्री चंदूलाल अजमीरा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में यातायात के सुचारु आवागमन के लिए ''बाईपास एक्सप्रेस वे'' का निर्माण करने के लिए आंध्र प्रदेश को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार को लंबित वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) इस समय, हैदराबाद के चारों ओर एक बाईपास एक्सप्रैस मार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यातायात की तेजी से आवाजाही के लिए, यातायात की भीड़–भाड़ वाले खंडों हेतु हैदराबाद से शुरू होने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की चार शाखाओं को चार–लेन का बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में आरक्षण

3808. श्री राम टहल चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत इन वर्गों के व्यक्तियों की न्यायालयवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा न्यायालयों में आरक्षण लागू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, व्यक्तियों की जाति या

वर्ग के आधार पर, नियुक्ति के विषय में, कोई आरक्षण न होने के कारण, जाति या वर्ग के लिए पृथक रूप से जानकारी नहीं रखी जाती है।

तथापि, सरकार ने, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को समय-समय पर उनसे यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं कि वे विधिज्ञ परिषद् से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अलपसंख्यक वर्गों के ऐसे व्यक्तियों और महिलाओं का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा

3809. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा किस वर्ष में कराई थी;

(ख) इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) उक्त समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) डाक-वितरण की पुनरीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। देश में डाक-वितरण व्यवस्था की सामान्य तौर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है और फील्ड तथा मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा डाक सर्किलों से मासिक रिपोर्टें प्रत्येक माह डाक निदेशालय को भेजी जाती हैं। तथापि, इस मामले पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए वर्ष 1997 में एक अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) वर्ष 1997 में किए गए अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सर्वेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था सामान्यतः संतोषजनक है। गृह जिले के 72.5% पत्र, गृह राज्य में वितरित किए जाने वाले 69.8% पत्र, पड़ोसी राज्यों में 68.1% पत्र तथा दूरस्थ राज्यों में 63.4% पत्र मानदंडों के अनुसार वितरित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की कुल डाक का 65.7% भाग मानदंडों के अनुसार वितरित किया जाता है। डाक वितरण में विलंब, परिवहन संबंधी समस्याओं, जैसे रेलगाड़ियो के विलंब से चलने, एयरलाइनों द्वारा डाक ले जाने से इनकार करने, डाक ले जाने वाली बसों के अनियमित रूप से चलने, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण होता है जो विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं।

(ग) विभिन्न स्तरों पर सर्वेक्षण करके डाक में विलंब के कारणों का, यदि कोई हो, पता लगाया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है डाक-मार्ग और वितरण प्रणाली को नया रूप दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा हेतु एशियाई विकास बैंक ऋण

3810. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मध्य प्रदेश के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सेवा शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन देने का कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के अलग-अलग सेट

3811. श्री के. एच. मुनियप्पा :
श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामान्यतः और विशेषकर दसवीं तथा बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के दो-तीन सेट रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सामान्यतः और विशेषकर दसवीं और बारहवीं कक्षा की हाल ही की परीक्षाओं में परीक्षा पत्रों के अलग-अलग सेट रखने से परीक्षा प्रणाली का कोई अर्थ नहीं रह जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सामूहिक नकल, वैयक्तिक नकल और अनुसूचित उपायों का प्रयोग करने के अवसर को कम करने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा आयोजित X और XII कक्षा की परीक्षाओं में मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों के विविध सेट बनाए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न पत्रों के विविध सेट बनाकर न केवल सामूहिक नकल करने की समस्या का समाधान करने में सफलता

प्राप्त हुई है बल्कि इससे शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधि में सुधार करने और छात्रों को विस्तार एवं गहराई से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की प्रेरणा भी मिली है।

महाराष्ट्र में दूरसंचार, डाक एवं तार सेवाएं

3812. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में टेलीफोन, डाक एवं तार सेवाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में उक्त सेवाओं से अर्जित राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य में इन सेवाओं पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं में कितना सुधार हुआ है;

(च) क्या राज्य के प्रत्येक गांव में इन सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो प्रत्येक गांव में इन सेवाओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) :

टेलीफोन एवं तार सेवाएं

(क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सर्किल में टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु अधिकाधिक नए प्रौद्योगिकी वाले एक्सचेंजों को अधिष्ठापित करके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को बदल कर, तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करके दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण किए जाने की योजना है ताकि ग्राहक सन्तुष्टि बढ़ा सके। मौजूदा सेवाओं में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) दोष मरम्मत सेवाओं तथा वाणिज्यिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(ii) डक्टों में केबल बिछाना

(iii) जेली युक्त केबल की शुरूआत

(iv) पुराने तथा घिसे-पिटे उपस्कर को चरणबद्ध तरीके से बदलना

(v) विश्वसनीय संचारण माध्यम का इस्तेमाल

(vi) डायनामिक लॉक, काल प्रतीक्षा, मार्निंग अलार्म तथा विस्तृत बिल आदि जैसी नई सुविधाओं की शुरूआत।

जहां तक तार सेवाओं का संबंध है, वर्ष 1998-99 के दौरान, महाराष्ट्र में एक तार घर तथा दो दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

डाक सेवाएं :

डाक सेवाओं संबंधी जानकारी विवरण में दी गई है।

टेलीफोन तथा तार सेवाएं

(ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई सहित महाराष्ट्र में दूरसंचार सेवाओं से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

डाक सेवाएं

डाक सेवाओं संबंधी जानकारी विवरण में दी गई है।

टेलीफोन तथा तार सेवाएं

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र सर्किल में पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत किया गया व्यय इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	राशि	भण्डार
1995-96	581.73	83.09
1996-97	604.19	108.55
1997-98	719.70	82.19

डाक सेवाएं :

डाक सेवाओं के संबंध में जानकारी विवरण में दी गई हैं।

(ङ) **टेलीफोन एवं तार सेवाएं**

गत तीन वर्षों के दौरान, सेवाओं में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :

(i) नई सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़ना।

वर्ष	महाराष्ट्र	एमटीएनएल, मुम्बई
1995-96	2.17 लाख	2.00 लाख
1996-97	2.56 लाख	2.00 लाख
1997-98	2.87 लाख	2.13 लाख

(ii) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में नई लाइनें जोड़ने के अलावा विभिन्न एक्सचेंजों की वास्तविक मार्गों के अनुरूप, ड्रापवायर, टेलीफोन उपकरणों, केबलों, केबिनेटों, खम्भों, वितरण बिन्दुओं (डीपी) आदि जैसे मियाद समाप्त उपस्करों को भी बदला गया है।

महाराष्ट्र में तार सेवाओं के कार्यकरण में सुधार हुआ है। वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में दिन के 12 घंटों के दौरान तार सेवाओं की गुणवत्ता 95.5 प्रतिशत, 95.6 प्रतिशत तथा 96.3 प्रतिशत रही है।

डाक सेवाएं

डाक सेवाएं संबंधी जानकारी विवरण में दी गई है।

टेलीफोन तथा तार सेवाएं

(च) और (छ) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान,

महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। तार सेवाएं प्रदान करने के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई है। तथापि, यह सेवा, मांग तथा परियात की मात्रा के औचित्य के आधार पर प्रदान की जा रही है।

डाक सेवाएं

डाक सेवाओं के संबंध में जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

डाक सेवाओं के संबंध में जानकारी

(क) डाक विभाग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में निरन्तर प्रयासरत रहता है।

(ख) डाक नेटवर्क का विस्तार, डाक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकीय का अधिष्ठापन करके डाक संसाधन प्रणाली का आधुनिकीकरण, मनी ट्रांस्फर के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, टेक्स्ट मेलआदि का पारेषण करके सेवा में सुधार किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र डाक सर्किल में डाक सेवाओं पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

1995–96	252.50 करोड़ रु.
1996–97	307.02 करोड़ रु.
1997–98	379.93 करोड़ रु.

(ङ) नीचे दिए आंकड़ों से पता चलता है कि डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों में काफी कमी आई है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1995–96	142928
1996–97	121257
1997–98	102608

2. वर्ष 1995–96 के दौरान, दादर प्रधान डाक घर, मुम्बई में, एक ही स्थल पर जन शिकायतों के निपटान हेतु एक कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र खोला गया था। वर्ष 1996–97 के दौरान, जिला मुख्यालयों में, एक ही स्थल पर जन शिकायतों के निपटान हेतु 31 ग्राहक सेवा केन्द्र चालू किए गए उक्त 31 केन्द्रों में से, तीनों केन्द्रों नामशः पुणे, सोलापुर तथा मुम्बई प्रधान डाक घर का कंप्यूटरीकरण किया गया तथा शेष केन्द्रों का चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है।

3. बेहतर ग्राहक सेवा हेतु 173 डाक घरों का आधुनिकीकरण किया गया।

4. गत तीन वर्षों के दौरान, डाक घर खोलने की उपलब्धि इस प्रकार रही :

अतिरिक्त शाखा	विभागीय डाक घर	विभागीय उप डाक घर
1995–96	1	7
1996–97	31	12
1997–98	34	4

5. मुख्यतः उपग्रह के जरिए मनीआर्डर भेजने, और साथ ही हाइब्रिड मेल सेवा हेतु और प्रत्येक 10 ई एस एम ओ को जोड़कर मुम्बई प्रधान डाक घर दादर, पुणें, पणजी, औरंगाबाद तथा नागपुर में मनी आर्डर के तेजी से पारेषण हेतु वी–सैट सुविधा शुरू की गई है।

(च) और (छ) महाराष्ट्र के सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण किया जाता है। योजनागत कार्यकलाप के रूप में, डाक सेवाओं की सुलभता हेतु नेटवर्क का और आगे विस्तार करना अनवरत प्रक्रिया है बशर्ते कि लक्ष्य निर्धारित किए गए हों और संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाईयों को विद्युत आपूर्ति

3813. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री मुकुल वासनिक :
डॉ. चिन्ता मोहन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्यातोन्मुखी इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें विद्युत पर राज–सहायता दी जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी राज सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज–सहायता को बन्द करने की कोई नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) किसी भी निर्यातोन्मुखी इकाई को विद्युत की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। सरकार ने संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके फेरी एलॉय/पैलेट्स के निर्यात के लिए निर्यातोन्मुखी यूनिटों को एनटीपीसी टैरिफ तथा व्हीलिंग प्रभारों पर केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के 15% अनाबंटित कोटे में से विद्युत का आबंटन किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 5 का विकास

3814. प्रो. अज़ित कुमार मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 2 और 5 को चार लेन वाला बनाने हेतु 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 और 5 के खंडों को चार-लेन का बनाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से कार्यान्वयनाधीन हैं :

क्रम सं.	कार्य का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1.	प. बंगाल में रा. रा.-2 के रानीगंज (474 कि. मी.) से पानागढ़ (515.236 कि. मी.) खंड की मौजूदा दो-लेन पेवमेंट को चार-लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	186.25
2.	बिहार में रा. रा.-2 के बरवा अड्डा (398.75 कि. मी.) से बाराकर (441.94 कि. मी.) खंड की मौजूदा दो-लेन पेवमेंट को चार-लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	150.67
3.	आंध्र प्रदेश में रा. रा.-5 पर विजयवाड़ा (3.4 कि. मी.) से इलुरू (75.0 कि. मी.) खंड को सुदृढ़ करना जिसमें 3.4 कि. मी. से 13.0 कि. मी. को चार-लेन का बनाना भी शामिल है और इलुरू कस्बे के लिए बाइपास का निर्माण।	171.60
	जोड़ :	508.52

बिहार में इस परियोजना से संबंधित सभी सर्वेक्षण कार्य और विस्तृत डिजाइनें पूरी की जा चुकी हैं और निर्माण-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी

3815. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाने हेतु नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सहायता करने हेतु विदेशों से विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है/अपनाने का प्रस्ताव है। कुछ नई प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं :

(i) डामर युक्त निर्माण के बेहतर कामकाज के लिए रबड़/पालीमर संशोधित डामर का उपयोग शुरू करना।

(ii) डामर युक्त सामग्री के उत्पादन के लिए प्रति घंटा 120 टन क्षमता से अधिक के बैच टाइप हॉट मिक्स संयंत्र।

(iii) इलैक्ट्रॉनिक संवेदी तंत्र युक्त पेवमेंट फिनिशर।

(iv) कंकरीट सड़क के लिए स्लिप फोर्म पेवर।

(v) भार गिरावट (फालिंग वेट) डिफ्लेक्टोमीटर।

(vi) आटोमेटिड ट्रैफिक काउंटर-कम-क्लासी फाइर्स।

(vii) चल पुल निरीक्षण यूनिट।

(viii) न्यूक्लीयर डेंसिटी मीटर।

(ix) पुल निर्माण के लिए इंक्रीमेंट लांचिंग विधि।

(x) वैल सिंकिंग की जैक-डाउन विधि।

(xi) स्टील युक्त डैक स्लैब डिजाइन।

(xii) पुल निरीक्षण प्रणाली।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता के लिए विशेषतः आयातित उपस्करों को चालू करने और भारतीय इंजीनियरों/तकनीशियनों के प्रशिक्षण, राजमार्ग निर्माण आदि के विद्यमान मानकों और विनिर्देशों को अद्यतन बनाने के लिए समय-समय पर विदेशी विशेषज्ञों से सहयोग लिया गया है। आवश्यकता और विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग के समय के बारे

में निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है।

केरल में वनों की कटाई

3816. श्री कुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन :

क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लकड़ी माफिया से केरल के सदाबहार वनों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) सरकार द्वारा केरल में और पेड़ों की कटाई को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगाए गए पेड़ों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखाएं

3817. श्री डी. एस. अहिरे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थान–वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनसंचार संस्थान की कोई शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) देश में भारतीय जनसंचार संस्थान की चार (4) शाखाएं हैं। ये शाखा धेनकनाल (उड़ीसा) कोट्टायम (केरल) झाबुआ (मध्य प्रदेश) और दीमापुर (नागालैण्ड) में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष केन्द्र

3818. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे दूरभाष केन्द्रों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) बिहार के प्रत्येक गांव में दूरभाष केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) टेलीफोनों के लिए मांग पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने जारी हैं। जब कभी, पंजीकृत मांग 10 से अधिक हो जाती है, तब अविलम्ब एक्सचेंज खोल दिया जाता है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, बिहार के प्रत्येक गांव को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

विवरण

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे।

क्रम सं.	जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	भोजपुर	10
2.	बक्सर	11
3.	भागलपुर	23
4.	बांका	09
5.	छपरा	15
6.	सिवान	11
7.	गोपालगंज	10
8.	दरभंगा	36
9.	समस्तीपुर	17
10.	बेगुसराय	15
11.	मधुबनी	29
12.	खगड़िया	15
13.	पलामू	15
14.	गढ़वा	07
15.	डुमका	10
16.	देवघर	05
17.	गोड्डा	06
18.	साहबगंज	09
19.	कुड	02
20.	धनबाद	06
21.	बोकारो	06
22.	गया	14
23.	नवादा	05
24.	जहानाबाद	07
25.	औरंगाबाद	13

1	2	3
26.	हजारीबाद	19
27.	गिरिडीह	13
28.	चतरा	02
29.	कोदेरमा	06
30.	पूर्व सिंहभूम (जेएसआर)	07
31.	पश्चिम सिंहभूम (सीएचवाई)	11
32.	कटिहार	10
33.	पूर्णिया	11
34.	अटरिया	06
35.	किशनगंज	05
36.	पूर्व चम्पारन	25
37.	पश्चिम चम्पारन	10
38.	मुंगेर	04
39.	लखीसराय	05
40.	सेखपुरा	02
41.	जमुई	09
42.	मुजफ्फरपुर	16
43.	बैशाली	20
44.	सीतामढ़ी	13
45.	शिवहार	00
46.	पटना	24
47.	नालंदा	29
48.	रांची	19
49.	लोहारडग्गा	05
50.	गुमला	08
51.	सहरसा	22
52.	सुपौल	11
53.	माधेपुरा	06
54.	रोहतास	18
55.	कैमूर (भभुआ)	08
	जोड	650

[अनुवाद]

कोचीन पत्तन न्यास में घाटा

3819. श्री पी. सी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास को कई करोड़ रु. का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौ भार पोतों से कंटेनरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रेनों ने काम बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कन्टेनर हैंडलिंग क्रेनें पत्तन में पूर्णतया प्रचालन में हैं।

बाल कल्याण हेतु राज्य परिषद्

3820. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश बाल कल्याण परिषद् और अन्य राज्य परिषदों के कार्यकरण के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य बाल कल्याण परिषदों के राज्य–वार कार्य में सुधार लाने हेतु की गई कार्यवाही या किए जाने वाले उपाय क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कांडला पत्तन हेतु "संकट प्रबन्धन समूह"

3821. श्री मोहन रावले : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चक्रवात से क्षतिग्रस्त कांडला पत्तन को पुनः चालू करने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त "संकट प्रबन्धन समूह" का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) उपरोक्त समूह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा;

(घ) क्या महामारी के फैलने के भय से श्रमिक कांडला पत्तन में कार्य करने से झिझक रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कांडला पत्तन के श्रमिकों में पुनः विश्वास कायम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। कांडला पत्तन न्यास द्वारा चक्रवात से क्षतिग्रस्त पत्तन सुविधाओं को बहाल करने के लिए अपेक्षित सहायता के समन्वय और उस पर निगरानी रखने के लिए एक संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया था। संकट प्रबंधन समूह

में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रक्षा, वाणिज्य और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ग) चूंकि, संकट प्रबंधन समूह केवल एक मानीटरिंग एजेंसी है, अतः इससे किसी रिपोर्ट की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। कांडला डॉक लेबर बोर्ड के सक्रिय सहयोग से पत्तन ने पहले ही दिनांक 25.6.98 से कार्य शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

विदेशों में केन्द्रीय विद्यालयों का स्थापित किया जाना

3822. श्री आदित्यनाथ :

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्धारित किए गए मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों में कुछ और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो देश–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय दो केन्द्रीय विद्यालय काठमांडू (नेपाल) तथा मास्को (रूस) में एक–एक चल रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय मुख्य तौर पर भारतीय राजदूतावासों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों में सेवारत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर खोले गए थे।

(घ) से (च) जी, नहीं। इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

3823. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) एक्सचेंज–वार चालू करने का कार्यक्रम केवल वर्ष–दर–वर्ष आधार पर नियोजित किया जाता है। वर्ष 1998–99 के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाने वाले नए एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1998–99 के विस्तार कार्यक्रम से संबंधित जिला–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल में वर्ष 1998–99 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए एक्सचेंज

क्र. सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1.	बांकुरा	4
2.	वीरभूम	6
3.	बर्दवान	18
4.	कूचबिहार	4
5.	दार्जलिंग	6
6.	हुगली	8
7.	हावड़ा	1
8.	जलपाइगुड़ी	4
9.	मालदा	5
10.	मिदनापुर	8
11.	मुर्शीदाबाद	7
12.	नाडिया	6
13.	पुरुलिया	4
14.	दिनाजपुर	5
15.	24 परगना (उत्तरी)	6
16.	24 परगना (दक्षिणी)	2
17.	कलकत्ता	33

विवरण-II

पश्चिम बंगाल में वर्ष 1998–99 के दौरान विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बांकुरा	14
2.	वीरभूम	14

1	2	3
3.	बर्दवान	49
4.	कूचबिहार	8
5.	दार्जलिंग	13
6.	हुगली	12
7.	हावड़ा	3
8.	जलपाइगुड़ी	13
9.	मालदा	6
10.	मिदनापुर	50
11.	मुर्शीदाबाद	9
12.	नाडिया	15
13.	24 परगना (उत्तरी)	16
14.	पुरुलिया	3
15.	24 परगना (दक्षिणी)	8
16.	यू–दिनाजपुर	8
17.	कलकत्ता	44

समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

3824. श्री चन्दशेखर साहू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बाल विकास सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में स्थल–वार कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में ऐसे और केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा नई दिल्ली स्थित उसके मुख्यालय तथा बंगलौर, गुवाहाटी और लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्रों तथा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षणार्थ मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य–वार, स्थान–वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्य की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर समय–समय पर विचार किया जाता है।

विवरण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य एवं स्थान वार सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों/ मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या		स्थान
1	2	3		4
1.	आंध्र प्रदेश	32	3	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** तिरुपति (2), गुंटूर (4), महबूब नगर, विजयवाड़ा (2), ईस्ट गोदावरी (2), प्रकाशम (4), खम्माम, सिकन्दराबाद (2), हैदराबाद (10), वारांगल, एलरू **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** हैदराबाद (2) तिरुपति
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	ईटानगर
3.	असम	12	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** तेजपुर (3),सिबसागर, डिब्रूगढ़ (2),जोरहाट, नागांव, गोहाटी (4) **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र** : गोहाटी

1	2	3		4
4.	बिहार	25	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** पटना (4), रांची (3), भागलपुर (2), जमशेदपुर (2), पलमाऊ खगड़िया, मधुबनी, पूर्णिया (2), हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, गया, प. चम्पारन, मुंगेर, हजारीबाग, नालन्दा, धनबाद। **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** समस्तीपुर
5.	गोवा	1	—	बरडेज
6.	गुजरात	20	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** अहमदाबाद (6), राधनपुरा, पाटन, पलसाना, निकोरा, भावनगर, वल्लभ विद्या नगर, (2), बड़ोदरा (2) बयड, जूनागढ़, जामनगर, सुरेन्द्र नगर, राजकोट **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** अहमदाबाद
7.	हरियाणा	10	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** भिवानी, पंचकूला, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, राडौर (2) **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** पंचकूला
8.	हिमाचल प्रदेश	4	—	शिमला (2), मण्डी, गग्गल
9.	जम्मू और कश्मीर	4	—	जम्मू (2) बाना मण्डी, अनन्तनाग
10.	कर्नाटक	27	2	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** बंगलौर (2) कडुर, दावणगेरे, गुलबर्गा, मादीकेरे, अरसीकेरे, भद्रावती, अनेकल, मैसूर, शिमोगा, धारवाड़, सीरीगेरे, मंगलौर, मणिपाल, बेथामंगला, बेलगाम, गजेन्द्रगढ़, गुलेडगढ़, अंकोला, रायचूर, बेल्लरी, हासन, अभिनगढ़, मुद्देबिहल, येल्लापुर, माण्ड्या। **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** बैंगलौर, उजीरे
11.	केरल	15	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** मन्नुति, तिरूअनन्तपुरम (4), कोट्टायम, कोच्चि पालाकाड, कलामस्सेरी, नाडाक्कावू, टेलीचेरी, इरनाकुलम, किलौन, नीमोम, श्रीकान्तेश्वरम **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** अलवाय
12.	मध्य प्रदेश	35	5	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र :** पावरखेड़ा, रायगढ़, ओबेदुल्लागंज, जबलपुर, (2), सतना, नौगांव, शिवपुरी, धार, बिलासपुर (2), अम्बिकापुर, (2) बैकुण्ठपुर, पिपलानी, ग्वालियर, सिओनी, माना, दुर्ग, बुधर, महाराजपुर, मुलथान झाबुआ, पेन्डरारोड, जशपुर नगर, धर्मजयगढ़, उज्जैन, कानेकर, जगदलपुर, भोपाल, इन्दौर (2), बैतूल, खरगांव, बस्तर
13.	महाराष्ट्र	20	1	**मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** जबलपुर (2) इन्दौर (2) रायपुर नागपुर (2), थाणे (3) रालेगांव, अमरावती (2), पुणे (2), मुम्बई, लातूर (2), धुले (2), नाशिक, चन्द्रपुर, जलगांव, अहमदनगर, अकोला **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :** मुम्बई
14.	मणिपुर	3	—	ताक्येल, इम्फाल (2)

1	2	3		4
15.	मेघालय	2	—	शिलौंग, तुरा
16.	मिजोरम	1	--	आइजोल
17.	नागालैंड	1	—	कोहिमा
18.	उड़ीसा	17	2	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र** : भुवनेश्वर (3) बारापल्ली, पैइकमाल, बारीपाडा (2) कोरापुट (2), कटक (2), बालीगुडा, राऊरकेला, डांगरीगुडा, रायगढ़, अंगुल पुरी, **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र** : भुवनेश्वर (2)
19.	पंजाब	8	—	लुधियाना, भटिंडा, एस ए एस नगर (मोहाली) (3), राजपुरा, जलन्धर (2)
20.	राजस्थान	11	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र** : अजमेर (2) देबोक, उदयपुर (2), भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, पिलानी, बांसवाड़ा, **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र** : उदयपुर
21.	तमिलनाडु	—	1	**मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र** : चेन्नई
22.	सिक्किम	1	—	गंगटोक
23.	त्रिपुरा	2		अरूंधती नगर, कोकराबेन (दक्षिण त्रिपुरा)
24.	उत्तर प्रदेश	36	1	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र** : आगरा, जौनपुर (2), लखनऊ, (8) देवरिया, बाराबंकी, हरिद्वार, इलाहाबाद (3) उन्नाव (2) हरदोई (2), सीतापुर (2) राय बरेली, फैजाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, देहरादून, पिथौरागढ़, बहराइच, अल्मोड़ा, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र** : लखनऊ
25.	पश्चिम बंगाल	25	2	**आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र** : जोका, कलकत्ता (4), बरूईपुर, मालदा (2), बल्लीघई, हावड़ा, अमगाची, झारग्राग, नन्दकुमार, शांतिनिकेतन, हथुबा, बैरकपुर, लवपुर, नरेन्द्रपुर, कोट बाजार, हुगली, तारकेश्वर, जयरामबती, रायगंज कोन नगर, सुताहाटी **मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र** : कलकत्ता (2)
26.	दिल्ली	3	—	दिल्ली (3)
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	--	पोर्ट ब्लेयर
28.	चण्डीगढ़	1	—	चण्डीगढ़

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वन भूमि का उन्नयन और संरक्षण

3825. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन भूमि के उन्नयन और संरक्षण के लिए कोई योजना केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत कितनी है;

(ग) यह सरकार के पास किस तिथि से लंबित है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जोकि राज्य में वनों के विकास के लिए 20 वर्षीय एक संदर्शी योजना है।

(ख) कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ विद्यमान संसाधनों की सुरक्षा, वन उत्पादकता में वृद्धि करना, मांग और आपूर्ति स्थिति को युक्तिसंगत बनाना, नीति और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना तथा वन क्षेत्र में विस्तार करना शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए प्रक्षेपित वित्तीय परिव्यय 16500 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने राज्य वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम मई, 1996 में प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है जोकि देश में वनों के विकास के लिए 20 वर्षीय एक संदर्शी योजना है।

धनबाद में सार्वजनिक टेलीफोन

3826. प्रो. रीता वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक धनबाद जिले के गांवों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान गांवों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का लक्ष्य रखा गया था और क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान कितने टेलीफोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) इस प्रयोजन पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) वर्ष 1997–98 के दौरान अब तक धनबाद जिले के गांवों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(च) वर्ष 1997–98 के दौरान गांवों में सार्वजनिक टेलीफोनों की मरम्मत करने के लिए कितनी राशि व्यय की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) धनबाद जिले में, पिछले तीन वर्षों के दौरान, 322 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित किए गए थे और अब तक वहां 558 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन हैं।

(ख) वर्ष 1997–98 के लिए 558 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इनमें से 205 टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान, कुल 200 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 24.40 लाख रु. है।

(ङ) धनबाद जिले में, 1997–98 के दौरान और अब तक खराब पड़े ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल संख्या 81 है।

(च) वर्ष 1997–98 में खराब पड़े ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की मरम्मत पर खर्च की गई राशि 61,247 रु. थी।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

3827. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :

डॉ. सरोजा वी. :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में स्थान–वार मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कितने विद्यालय लाए गए हैं/नहीं लाए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) शेष विद्यालयों को इस योजना के अन्तर्गत कब तक लाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) वर्तमान में राज्य में समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत कितने ब्लाक लाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) तमिलनाडु के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र प्राथमिक स्कूलों जिनकी संख्या 36,175 है, को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

(ख) तमिलनाडु की वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना को अगस्त, 1995 में आरंभ किए गए प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है ताकि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को शामिल किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत इस राज्य को अब तक 3,29,427.17 मीट्रिक टन चावल मुफ्त में आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/गांवों तक खाद्यान्न ले आने तथा ले जाने के लिए राज्य सरकार को अधिक से अधिक 50/– रु. प्रति क्विंटल की दर से भी वास्तविक परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महिला तथा बाल–विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु में समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 432 ब्लाकों को शामिल किया जा रहा है।

कम्पनी कार्य विभाग में लम्बित मामले

3828. श्री नरेश पुगलीया :

श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) के अधीन आवेदनों के अनुमोदन में विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1998 के बाद कितने आवेदन लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनके अनुमोदन के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रावधानों के अनुमोदन की प्रत्याशा में इसमें किए गए प्रस्तावों के अनुसार कम्पनियों को अपनी निवेश योजनाओं के संबंध में आगे कार्यवाही करने की अनुमति भी दी गई है ताकि अर्थव्यवस्था में किसी नकारात्मक वृद्धि को रोका जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (च) निर्धारित सीमाओं से अधिक निवेश करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का पुर्वानुमोदन अपेक्षित होता है। कम्पनियों के अनुमोदन की प्रत्याक्षा के निवेशों की अनुमति नहीं दी जाती है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 में धारा 372 के अन्तर्गत किए गए आवेदनों के समयबद्ध अनुमोदन का कोई प्रावधान भी नहीं है। 3.7.1998 को सरकार के पास 191 आवेदन लम्बित थे।

लम्बित आवेदनों पर कार्रवाई करने का विचार साधारणतया इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आवेदन अधूरे होते हैं, सांविधिक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है और कंपनियों द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण आदि भेजने में विलम्ब कर दिया जाता है।

जम्मू कश्मीर में एस. टी. डी. सुविधा

3829. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान अब तक निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ङ) 1998-99 के दौरान स्थान-वार कितने एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार ने किश्तवार जिले के पद्दार क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) अधिकांश स्थान, जहां एस. टी. डी. प्रदान की जानी है, दूरवर्ती क्षेत्रों एवं ऊंचाई पर स्थित हैं। दुर्गम स्थान एवं बर्फीले क्षेत्र होने के कारण, एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने के लिए ओ. एफ. सी. केबिल बिछाना तथा माइक्रोवेव प्रणालियां संस्थापित करना कठिन हो जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	उन एक्सचेंजों की संख्या जहां एस. टी. डी. प्रदान की जानी है	उन एक्सचेंजों की संख्या जहां एस. टी. डी. प्रदान कर दी गई है
1995-96	30	25
1996-97	32	14
1997-98	50	27

(घ) राज्य में जिलेवार एस. टी. डी. सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ङ) 1998-99 के दौरान संसाधन उपलब्ध होने पर स्थान वार जिन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की जानी है, उनकी संख्या विवरण-II में दी गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) पट्टार क्षेत्र सुदूरवर्ती एवं बर्फीले क्षेत्र में स्थित है। यहां टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए बिजली और हर मौसम योग्य सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। वहां टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कोई सार्वजनिक मांग भी दर्ज नहीं कराई गई है। तथापि, 9वीं योजना अवधि के दौरान, वहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

विवरण-I

जम्मू व कश्मीर में एस. टी. डी. सुविधा वाले एक्सचेंजों की संख्या

जिला	एस. टी. डी. वाले एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अनन्तनाग	5
बडगाम	2
बारामूला	8
श्रीनगर	7
कुपवाड़ा	1

1	2
फूलवामा	3
लेह	8
जम्मू	28
कथुवा	11
राजौरी	5
पूंछ	5
उधमपुर	18
डोडा	11
कारगिल	4

विवरण-II

उन एक्सचेंजों की संख्या जहां 1998–99 के दौरान एस. टी. डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है

क्रम सं.	स्थान का नाम
1	2
1.	खौर
2.	जरिया
3.	सोहाल
4.	झझर कोटली
5.	रेहाल
6.	बिब
7.	गढ़ी
8.	मढ़
9.	शीरपुर
10.	अम्बगरोटा
11.	कोटबलबाल
12.	शमाचक
13.	मरहीन
14.	मागम
15.	कुलगाम
16.	गडखुड
17.	घोषबुग
18.	हंडबारा
19.	अबन्तीयुरू
20.	दूरू
21.	लेथपोरा
22.	खुडयानी
23.	अच्छाबल
24.	राजपुरा
25.	तराल
26.	छदूरा
27.	खाण्डा
28.	नरबल
29.	अलीस्तेग
30.	लट्टी
31.	सरथागल
32.	टिकरी
33.	अस्सर
34.	थाथरी
35.	अरनास
36.	धरमारी
37.	माहोरे
38.	चन्द्रकोटे
39.	नौशहरा
40.	थानामण्डी
41.	सोरनकोटे
42.	दोगीब्राह्मण
43.	मण्डी
44.	कलकोटे
45.	छूछूतशमा
46.	पेयोंग
47.	निमू
48.	ससपोले
49.	मिर्जी
50.	न्योमा
51.	सुरवरवाचन

जंगल में लगी आग का भारत पर प्रभाव

3830. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में लगी आग के प्रभाव और निकट भविष्य में व लम्बे समय तक भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय मौसम विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अपने सात प्रेक्षणों से इंडोनेशिया में हाल ही में लगी वन आग का लगातार निरीक्षण करता रहा है। इन वेधशालाओं ने समुद्री धुंधलके के अलावा जिसके पाए जाने की सूचना कोंडल वेधशाला द्वारा अवसरिक रूप से नवम्बर, 1997 में दी थी, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के धुंए का कोई संकेत नहीं दिया है। खाड़ी द्वीप समूह के हाल ही के निरीक्षणों से संकेत मिलता है कि खाड़ी द्वीपसमूह के ऊपर इंडोनेशिया में वन आग का कोई प्रभाव नहीं है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दक्षिण–पश्चिमी मानसून के वायु बहाव पैटर्न के कारण इस स्तर पर भारतीय मुख्य भूमि की तरफ इंडोनेशिया द्वीप समूह से आने वाले धुएं या धुंध के वहन में कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए निकट भविष्य में या आने वाले समय में भारतीय क्षेत्र पर इंडोनेशियाई वन आग का कोई पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठते हैं।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (आर. एफ. एल. पी.)

3831. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अब तक केन्द्र द्वारा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना उड़ीसा में आरम्भ किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यैरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्र द्वारा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (आर. एफ. एल. पी.) की संशोधित योजना वर्ष 1994–95 से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों में दुर्गम क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार, 15–35 वर्ष के आयु वर्ग के 449049 निरक्षरों को सम्मिलित करने के लिए उपरोक्त राज्यों में 65 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है। सम्बन्धित राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, शिक्षण अध्ययन केन्द्र में सम्मिलित किए गए 181630 निरक्षर व्यक्तियों ने अध्ययन सत्रों में भाग लिया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की योजना का लक्ष्य पूर्वोत्तर जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। उड़ीसा राज्य को पूर्ण साक्षरता/उत्तर साक्षरता अभियान के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पी. सी. ओ./आई. एस. डी./ एस. टी. डी. बूथ

3832. श्री आर. एस. गवई : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में विशेषकर अमरावती जिले में पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी बूथों के आबंटन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, जिले–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) 31.5.1998 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन–पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लगभग दो वर्षों के भीतर लंबित आवेदन–पत्रों का निपटान उत्तरोत्तर कर दिया जाएगा बशर्ते कि इनको तकनीकी व्यवहार्यता हो और आवेदक पात्रता संबंध शर्तों को पूरा करते हों।

विवरण

क्रम सं.	एस. एस. का नाम	लंबित आवेदन पत्र
1	2	3
1.	गोवा	542
2.	कल्याण	1500
3.	कोल्हापुर	31
4.	नागपुर	1848
5.	पुणे	4067
6.	सांगली	103
7.	सतारा	170
8.	अहमदनगर	281
9.	बीड	136
10.	अकोला	1095
11.	अमरावती	412
12.	औरंगाबाद	3898

1	2	3
13.	जालना	131
14.	जलगांव	1965
15.	बुलधाना	0
16.	नासिक	1300
17.	धूले	290
18.	शोलापुर	1290
19.	उस्मानाबाद	16
20.	रायगढ़	200
21.	रतनगिरी	510
22.	सिंधुदुर्ग	97
23.	लातूर	358
24.	परभनी	129
25.	नांदेड़	146
26.	भंडारा	0
27.	चंद्रपुर	528
28.	गढ़चिरौली	43
29.	वर्धा	87
30.	यवतमाल	574

अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान का अध्ययन

3833. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संसाधनों के अभाव के कारण विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और वह भी इस तथ्य के कारण कि विज्ञान की किताबें आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी विज्ञान के अध्ययन को अंग्रेजी माध्यम से जारी रखने के तर्क पर विचार किया है आथवा ऐसा कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार विज्ञान से संबंधित साहित्य को तत्परता से हिन्दी में प्रकाशित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अन्तर-राज्यीय ट्रांसमिशन हानि

3834. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी पावर ग्रिड को संगठित करना एवं अंतर-राज्यीय ट्रान्समिशन हानियों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोवा में ट्रांसमिशन से होने वाली विद्युत हानि का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ने प्रणाली प्रचालन में अनुकूलता सुनिश्चित करने और प्रणाली ब्लैक-आउट को कम से कम करने के लिए वास्तविक समय आंकड़े के आधार पर ग्रिड प्रचालन की मानीटरिंग हेतु पश्चिमी क्षेत्र के लिए एकीकृत भार प्रेषण और संचारण प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इस प्रणाली में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली/पर्यवेक्षी नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली के साथ कम्प्यूटरीकृत भार प्रेषण सुविधाओं की स्थापना शामिल होगी। इस स्कीम की अनुमानित लागत 195.08 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए गोवा की पारेषण और वितरण संबंधी हानियां 26.06% थीं।

[हिन्दी]

दूरसंचार डाक एवं तार सेवाओं में सुधार

3835. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूरसंचार, डाक एवं तार सेवाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। देश में दूरसंचार, डाक तथा तार सेवाओं में सुधार लाना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

दूर संचार

1. डक्टों में केबल बिछाना।
2. पुराने और घिसे-पिटे उपस्करों को बदलकर बाह्य संयंत्र का उन्नयन करना।
3. दोष मरम्मत और वाणिज्यिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।
4. इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक टाइप के एक्सचेंजों में बदलना।
5. लम्बी ड्रॉप वायरों को भूमिगत केबिल में बदलना।

डाक

नई प्रौद्योगिकी प्रारंभ करके, डाकघरों, मेल कार्यालयों

का कम्प्यूटरीकरण करके, कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी प्रारंभ करके मेल प्रोसेसिंग प्रणालियों का आधुनिकीकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान में मनी ट्रांसफर और लिखित सामग्री भेजने के लिए उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करके, उक्त सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

तार

तार घरों में माइक्रो–प्रोसेसर आधारित स्टोर एंड फोरवार्ड मैसेज स्विचिंग प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड कंसेन्ट्रेडर्स, फैकस तथा इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल प्रदान किए जा रहे हैं।

पूर्व संसद सदस्यों पर टेलीफोन बिलों का बकाया

3836. श्री अजीत जोगी :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व संसद सदस्यों पर दिसम्बर 1997 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए लम्बित टेलीफोन बिलों के बकाए की कुल धनराशि कितनी है;

(ख) इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को अधिक राशि के बिल बनाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान किए गए टेलीफोनों के संबंध में दिसम्बर, 97 तक टेलीफोन बिलों की कुल बकाया राशि 12.96 करोड़ रु. है।

(ख) (i) सभी पूर्व संसद सदस्यों को अपनी देय राशियों का भुगतान करने के लिए रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिए गए हैं।

(ii) जिन कार्यरत टेलीफोनों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें डिस्कनेक्ट करने के बारे में सभी सर्किलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सामान्यतया, पूर्व संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त होने पर, संबंधित यूनिटों से ब्यौरे–वार रिपोर्ट मंगाई जाती हैं। जरूरत पड़ने पर सांसद और भी जानकारी मांग सकते हैं। पूरी सूचना मिल जाने और शिकायत के प्रत्येक मामले पर निर्णय ले लेने के बाद, संबंधित संसद सदस्य को उत्तर भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में असान पुल का निर्माण

3837. श्री दादा बाबू राव परांजपे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में असान पुल को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और इसके निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) आसन पुल का निर्माण कार्य वार्षिक योजना 1998–99 में संस्वीकृति के लिए प्रस्तावित कार्यों की सूची में शामिल कर दिया गया है जिनकी अनुमादित लागत 8.8 करोड़ रु. है और चालू वर्ष के बजट में इस कार्य के लिए 10.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन लगाना

3838. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ओ. बी. नम्बर मिल जाने के बाद प्रयोक्ताओं को कितने समय में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इसबात की जानकारी है कि प्रयोक्ताओं को ओ. बी. नम्बर मिल जाने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रतिक्रिया में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) नया कनेक्शन देने हेतु, ओ. बी. नंबर जारी होने के बाद 15 दिन की समय–सीमा निर्धारित की हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। 21.6.98 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में लंबित "ओ. बी" व कारणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1.	कुल लंबित ओ. बी.	– 48218
2.	"संस्थापन–कार्य में प्रगति" वाले ओ. बी.	– 8169
3.	उपभोक्ताओं के कारण लंबित ओ. बी.	– 1444
4.	"अण्डर ग्राउण्ड केबल–पेयर्स" को अनुपलब्धता के कारण लंबित ओ. बी.	– 38605

(घ) और (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने, "तकनीकी रूप से अव्यहार्य" (टी. एन. एफ.) पाकेट्स/क्षेत्रों में शीघ्रता से अण्डर ग्राउंड केबल बिछाने की एक व्यापक योजना तैयार की है।

31.12.97 तक के लंबित टी. एन. एफ. ओ. बी. में से अधिसंख्य को जुलाई 98 तक निपटा दिया जाएगा। शेष बचे टी. एन. एफ. ओ. बी. अगले छह माह में तेजी से निपट जाने की आशा है।

सहगल, तलत तथा नौशाद के रिकार्डों को क्षति

3839. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की अभिरक्षा में सदाबहार तथा अनंत मूल्य वाले "शहगल" "तलत" "नौशाद" के गीतों, तथा गजलों तथा दूसरे शास्त्रीय संगीत के बहुमूल्य रिकार्ड खराब हो रहे हैं; या इन्हें दीमक लग गई है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें भावी पीढ़ी के लिए पूर्णतया नष्ट हो जाने से बचाने तथा एच. एम. वी. और कोलम्बिया रिकार्डों को टेपों तथा एल. पी. डिस्कों के आधुनिक रिकार्डिंग प्रणाली में अभिलिखित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी में उपलब्ध सहगल, तलत एवं नौशाद की रिकार्डिंग का समुचित रूप से रख-रखाव किया जाता है और न तो खराब हुए हैं और न ही इन्हें दीमक लगी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी के पास एच. एम. वी. एवं कोलम्बिया सहित पुरानी रिकार्डिंगों को आधुनिक प्रणाली पर डब करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार नहीं है। तथापि, विशेष करार के तहत, इन कम्पनियों ने आकाशवाणी को केवल विविध भारती सेवाओं के लिए स्पूल्स पर फिल्मी गानों को डब करने की अनुमति दी है।

धनबाद में दूरभाष उप-केन्द्र

3840. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद टेलीफोन डिवीजन के अंतर्गत बोकारो और धनबाद जिले के पेंटरवार, तोपचोंची और चन्दन कियारी में दूरभाष उप-केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये उप-केन्द्र कब स्थापित किए गए थे और अब तक उनके द्वारा अपना कामकाज शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उप-केन्द्रों द्वारा अपना कामकाज कब से शुरू कर देने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, हां। पेतरवार तोपचाची और चन्दन कियारी में क्रमशः 31.12.91, 30.9.89 और 31.3.93 को छोटे टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए थे। इन एक्सचेंजों का क्रमशः 256 पी. आर. ए. एक्स., 128 पी. सी.-डॉट और 256 पी. आर. ए. एक्स. में उन्नयन कर दिया गया है और वे पहले से काम करने लगे हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत का प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत

3841. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में विद्युत का वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में विद्युत का वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान विद्युत की वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्पादन (यूटिलिटेयां + गैर-यूटिलिटियां)

राज्यों/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन (कि. वा. घं.)	
	1995-96	1996-97 (अनंतिम)
1	2	3
हरियाणा	448.30	456.56
हिमाचल प्रदेश	775.37	809.45
जम्मू एवं कश्मीर	344.11	350.15
पंजाब	797.04	835.56

1	2	3
राजस्थान	284.97	289.19
उत्तर प्रदेश	452.49	444.71
चण्डीगढ़	2.12	2.53
दिल्ली	580.13	519.96
गुजरात	835.47	872.99
मध्य प्रदेश	644.07	844.90
महाराष्ट्र	623.62	645.84
गोवा	52.66	49.30
दमन एवं दीव	0.00	0.00
दादर व नगर हवेली	72.25	70.59
आन्ध्र प्रदेश	562.25	620.04
कर्नाटक	353.06	295.86
केरल	226.14	189.57
तमिलनाडु	644.99	676.89
पांडिचेरी	14.55	13.13
लक्ष्यद्वीप	556.83	280.00
बिहार	132.41	150.64
उड़ीसा	444.79	471.96
पश्चिम बंगाल	326.65	326.74
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	256.91	266.97
सिक्किम	135.38	128.00
असम	118.50	131.82
मणिपुर	240.09	222.58
मेघालय	405.69	360.19
नागालैंड	4.32	3.22
त्रिपुरा	63.46	75.07
अरुणाचल प्रदेश	68.73	53.93
मिजोरम	18.29	16.83
जोड़ (अखिल भारत)	454.41	463.10

विवरण–II

वर्ष 1995–96 और 1996–97 के दौरान विद्युत की वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत (यूटिलिटियां + गैर–यूटिलिटियां)

(कि. वा. आ. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	1995–96	1996–97
हरियाणा	502.55	508.29
हिमाचल प्रदेश	288.35	278.45
जम्मू एवं कश्मीर	201.13	233.65
पंजाब	759.50	789.91
राजस्थान	296.86	294.91
उत्तर प्रदेश	206.67	194.32
चण्डीगढ़	717.39	794.40
दिल्ली	607.71	589.67
गुजरात	671.24	685.73
मध्य प्रदेश	366.79	368.39
महाराष्ट्र	545.42	556.97
गोवा	706.93	719.13
दमन एवं दीव	2015.91	2346.67
दादरा व नगर हवेली	1811.24	2298.91
आन्ध्र प्रदेश	368.23	331.71
कर्नाटक	361.85	338.31
केरल	248.52	235.80
तमिलनाडु	459.30	469.35
पांडिचेरी	957.83	1034.52
लक्षद्वीप	209.00	234.17
बिहार	138.17	145.10
उड़ीसा	370.41	446.75
पश्चिम बंगाल	185.95	196.55
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	201.85	210.20
सिक्किम	172.89	182.40
असम	97.72	107.66
मणिपुर	117.65	127.85
मेघालय	142.71	134.51
नागालैंड	79.32	88.01
त्रिपुरा	73.09	80.86
अरुणाचल प्रदेश	77.91	80.00
मिजोरम	127.54	127.77
जोड़ (अखिल भारत)	336.41	338.45

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य

3842. श्री दत्ता मेघे : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में विकास हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को उदार बनाने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों को शिथिल करने के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे मुख्य रूप से वन भूमि को कुछ सीमा तक दूसरे काम में लगाने हेतु राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने, जन जातीय और अन्य लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के नियमन और प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शकों का संशोधन करने से संबंधित है।

(ग) विभिन्न अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद इस मंत्रालय के प्रस्तावों पर कार्रवाई की पद्धति को सरल बनाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया है। इनमें शामिल हैं-मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालयों को शक्तियों का प्रत्योजन, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए राज्य परामर्शक दलों का गठन, ट्रांसमिशन लाइनों, पेय जल की आपूर्ति के लिए पाईप लाइनों, सम्पर्क मार्गों, लघु सिंचाई कार्यों आदि जैसी लघु विकास योजनाओं के लिए सरल बनाई गई कार्य प्रणाली। इसके अतिरिक्त, विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित 5 हैक्टेयर तक की वन भूमि की सीमा तक वन भूमि को उन प्रयोजनों के वास्ते लगाने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है बशर्ते कि मामला वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षित शर्तों और उपबंधों तथा न्यायालय में चल रहे एक मुकद्दमें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भी एक विचारार्थ मुद्दा है, उसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्देशों के अनुसार हो।

यू. जी. सी. अनुदान हेतु मानदण्ड

3843. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार, शिक्षण तथा सहायक स्टाफ की नियुक्ति, उपकरण, पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद, महिला छात्रावासों के निर्माण, स्टाफ क्वार्टरों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के लिए पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है। केवल वे ही विश्वविद्यालय तथा कालेज विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार केन्द्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को खास संस्था के विकास स्तर, शिक्षण स्तर (अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर, एकल संकाय, बहु संकाय आदि) छात्रों तथा संकाय संख्या आदि जैसे भिन्न-भिन्न मानकों के आधार पर देय अनुदान राशि की मात्रा निर्धारित की जाती है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वन संसाधनों का विकास

3844. श्री रंजीव विस्वाल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान वन संसाधनों के विकास का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं में वनों के विकास संबंध में अपनाए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वन संसाधनों के विकास के लिए लक्ष्य और धनराशि के नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात के पत्तनों पर समुद्री तूफान की चेतावनी

3845. डॉ. संजय सिंह : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाले केन्द्र ने 8 जून, 1998 को तथा उससे पहले भी गुजरात के सभी पत्तनों पर बड़े खतरों का संकेत देने वाले त्रिकोणात्मक झंडों को अधिष्ठापित किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार चेतावनी दी गई;

(ग) क्या 9 जून, 1998 को पत्तन अधिकारियों को चेतावनी दिए जाने के बावजूद कच्छ जिले में अनेक पोत दूसरे से टकरा गए जिसके कारण कांडला पत्तन पर घाटों को क्षति पहुंची और सैकड़ों लोग मारे गए; और

(घ) यदि हां, तो कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पत्तन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात पत्तनों को सिगनल सं. 8, जो भारी खतरे का संकेत देता है, प्रदर्शित करने के बारे में 8 जून, 1998 को पांच चेतावनी संदेश भेजे थे। पत्तन न्यास ने संदेश प्राप्त होते ही सिगनल सं. 8 प्रदर्शित किया था।

(ग) एक तेल जेट्टी जिसमें जुलाई, 1998 के दौरान प्रचालन बन्द किया जाना था और इफ्को से संबंधित अन्य जेट्टी को दोहरे लंगर डालने के बावजूद उनके साथ जलयानों की टक्कर होने के कारण आंशिक रूप से क्षति पहुंची। सामान्य कार्गो बर्थों और तेल जेट्टियों में फेंडरों और बोलार्डों को मामूली क्षतियां पहुंची। कच्छ जिले में हुई मौतों की कुल संख्या गुजरात सरकार से मालूम की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कांडला पत्तन न्यास ने अपने कर्मचारियों और अपनी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय किए हैं।

सी. ई. सी. आर. आई. निदेशक के खिलाफ जांच

3846. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी. एस. आई. आर. के केन्द्रीय विद्युत–रसायन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले में सी. एस. आई. आर. के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सी. एस. आई. आर. के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन

3847. श्री रवि सीताराम नायक :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत का राज्यवार कुल कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विद्युत की उत्पादन क्षमता में वर्षवार कितनी वृद्धि की गई;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थापित की जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) उत्पादित की जा रही विद्युत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) विद्युत क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप प्रदान किया जाना है।

(घ) योजना आयोग ने अभी नौवीं योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय परिव्यय और लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1998–99 में 2800 गांवों का प्रारंभिक रूप में विद्युतीकृत करना प्रस्तावित किया है। इसमें लगभग 130 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय शामिल होगा।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/प्रणाली का नाम	1997–98 के दौरान उत्पादित ऊर्जा (मि. यू.)
1	2	3
1.	बी. बी. एम. बी.	10695
2.	दिल्ली	6984
3.	जम्मू व कश्मीर	6120
4.	हिमाचल प्रदेश	3956
5.	हरियाणा	3782
6.	राजस्थान	11157
7.	पंजाब	12993
8.	उत्तर प्रदेश	67489
9.	गुजरात	39711
10.	महाराष्ट्र	55997
11.	मध्य प्रदेश	44598
12.	आंध्र प्रदेश	45911
13.	कर्नाटक	17093
14.	केरल	5071
15.	तमिलनाडु	38090
16.	बिहार	7093

1	2	3
17.	उड़ीसा	11991
18.	पश्चिम बंगाल	20502
19.	डीवीसी	7299
20.	सिक्किम	43
21.	असम	1072
22.	नीपको	1527
23.	मेघालय	598
24.	त्रिपुरा	302
25.	मणिपुर	535
26.	अरुणाचल प्रदेश	13
	जोड़	420622

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता (मे. वा.)

क्रम सं.	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
1.	हिमाचल प्रदेश	15	10.5	—
2.	जम्मू व कश्मीर	375	480	—
3.	दिल्ली	68	—	—
4.	राजस्थान	35.5	—	—
5.	गुजरात	390	—	1042
6.	महाराष्ट्र	40	5	508
7.	तमिलनाडु	330	—	8
8.	आंध्र प्रदेश	—	502.4	500.8
9.	केरल	—	60	200
10.	बिहार	213.3	215	5
11.	उड़ीसा	710	—	—
12.	पश्चिम बंगाल	235	210	490
13.	असम	67	133.5	76.5
14.	त्रिपुरा	16	8	71
15.	पंजाब	—	—	210
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	210
17.	कर्नाटक	—	—	56
18.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	6
	जोड़	2123.55	1624.4	3283.3

आई. सी. एच. आर. का पुनर्गठन

3848. श्री गुरूदास कामत :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद् का पुनर्गठन करने के लिए बनाए गए मानदण्डों/दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, हां। पिछली परिषद् तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पिछली प्रथा के अनुसरण में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत 1 जून, 1998 को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित परिषद् का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1 जून, 1998 को पुनर्गठित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के ब्यौरे :

1. प्रो. एस. सेटर, 2 सितम्बर, 1996 से अध्यक्ष।
2. प्रो. अमिताभ मुकर्जी, निदेशक, इतिहास अध्ययन संस्थान, कलकत्ता।
3. प्रो. चन्द्रशेखर, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं इतिहास के विभागाध्यक्ष, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर–560056
4. प्रो. धर्मपाल, 17, दक्षिण मडा स्ट्रीट, त्रिपलीकैन चेन्नई–600005
5. प्रो. एम. जी. एस. नारायण, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं इतिहास विभागाध्यक्ष, कालीकट विश्वविद्यालय कोजहीकोडे–673635, केरल
6. प्रो. बी. बी. लाल, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण, नई दिल्ली–110001
7. प्रो. के. एस. लाल, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं इतिहास के विभागाध्यक्ष, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500046
8. प्रो. बी. पी. सिन्हा, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अखिल भारतीय ऐतिहासिक परिषद् एवं पुरातत्व, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
9. प्रो. ए. आर. खान, इतिहास के प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।
10. प्रो. बी. आर. ग्रोवर, भूतपूर्व प्रोफेसर एंवं इतिहास के विभागाध्यक्ष, जामिया मीलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11. प्रो. सतीश मितल, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं इतिहास के विभागाध्यक्ष, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा
12. प्रो. (श्रीमती) मणि कामेरकर, भूतपूर्व प्रिंसिपल एवं इतिहास के विभागाध्यक्ष, एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, मुम्बई।

13. डॉ. राम एल. के. मुर्थि, क्षेत्रीय अध्ययन विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500046
14. प्रो. एस. एस. हंस, भूतपूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास के विभागाध्यक्ष, गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब
15. प्रो. हरि ओम, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष इतिहास, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
16. प्रो. एच. के. बरपुजारी, प्रो. एमिरिटस ऑफ हिस्टरी इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी।
17. प्रो. प्रीतपाल भाटिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
18. प्रो. डी. एन. त्रिपाठी, 20 हीरापुरी, विश्वविद्यालय परिसर, गोरखपुर–273009, उ. प्र.
19. प्रो. बी. आर. काम्बले, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष इतिहास, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
20. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि
21. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण, नई दिल्ली–110001
22. महानिदेशक, राष्ट्रीय भारतीय पुरातत्व विज्ञान, नई दिल्ली–110001
23. भारत सरकार के चार प्रतिनिधि
    (i) सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से कम न हो।
    (ii) सचिव, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति/महिला जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं हो।
    (iii) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
    (iv) निदेशक, एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय संग्रहालय, 27–जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता।
24. प्रो. टी. के. वेंकटासुब्रमण्यम, सदस्य–सचिव, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, 35 फिरोजाबाद रोड, नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998 से लागू है।

[हिन्दी]

डॉ. अम्बेडकर पर फिल्म

3849. श्री रामदास आठवले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का विचार डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर फिल्म बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे अंतिम रूप कब तक दे दिए जाने की संभावना है और इस पर कितना धन व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर एक फीचर फिल्म बना रहा है।

फिल्म को डॉ. जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और मलयालम सिनेमा के विख्यात अभिनेता श्री मम्मूटी इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

(ग) फिल्म की शूटिंग पूरी हो गयी है और पश्च–निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस फिल्म को अगस्त, 1998 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है, उसके बाद इसे प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म पर लगभग 9.50 करोड़ रुपए का कुल व्यय होने की संभावना है।

[अनुवाद]

डाक-टिकट जारी करना

3850. श्री तथागत सत्पथी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्गीय बीजू पटनायक पर एक डाक–टिकट जारी करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक पर एक स्मारक डाक–टिकट जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

प्रसाधन सामग्रियों की सांविधिक मूल्य लेखा परीक्षा

3851. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2119 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच कर ली गई और उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अधिक लाभ कमाया, आयातित मदों का दुरुपयोग आदि किया;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अधिक संख्या में लोगों के हितों की रक्षा हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) की परिधि के अंतर्गत कुछ और कम्पनियों को लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, हां। इन लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों का पुनरीक्षण करने पर देखा गया है कि लागत लेखा परीक्षकों ने इन उत्पादों पर अधिक लाभ कमाने और आयातित मदों का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्पादन, प्रोसेसिंग, विनिर्माण या खनन कार्यों में लगे उद्योगों के संबंध में लागत लेखा (अभिलेख) नियमों का निर्धारण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। किसी विशेष उत्पाद/उद्योग के लिए समय-समय पर नियमों का निर्धारण किया जाता है।

नियमों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों और नियमों के कार्यक्षेत्र का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा निधियों का उपयोग

3852. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा योजनागत निधियों के वास्तविक उपयोग के संबंध में कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्रीय विद्युत उपक्रम-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा लगातार कई वर्षों से योजनागत निधियों का उपयोग न करने से स्थिति काफी गंभीर हो गई है जिसके कारण इन विद्युत परियोजनाओं की लागत बढ़ती जाती है और समय भी अधिक लगता है;

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग न करने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा योजनागत धनराशि का सही ढंग से और समय पर उपयोग करने के लिए उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए योजना निधियों के वास्तविक समुपयोजन का ब्यौरा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-वार तथा वर्षवार, विवरण में दिया गया है।

(ग) हमारे केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा योजना निधियों के कम समुपयोजन के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिकूल बाजार संबंधी स्थितियों के कारण कुछ सीपीएसयू द्वारा बाण्ड के जरिए निधियां न जुटा पाना, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं, स्थानीय विरोध, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्या, जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आने वाली भू-वैज्ञानिक संबंधी घटनाएं तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा कार्यों को ठेके पर दिए जाने में विलंब इत्यादि शामिल हैं।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों को राज्य सरकारों/योजना आयोग द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं जो निधियों के समुपयोजन की निगरानी करते हैं। रा. बि. बो. की परियोजनाओं द्वारा निधियों के समुपयोजन में 1997-98 के दौरान कमी मुख्यतः राज्यों में संसाधनों को जुटाने में कमी, सिविल कार्यों तथा उपस्करों के प्रापण में विलंब इत्यादि के कारण हैं।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा योजनागत निधियों के प्रभावी तथा समय पर समुपयोजन के लिए उनके द्वारा किए व्यय की मासिक आधार पर मानीटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, पी. एस. यू. द्वारा निधियों के समुपयोजन की प्रत्येक पी. एस. यू. की तिमाही प्रगति समीक्षा बैठकों में समीक्षा भी की जाती है।

विवरण

करोड़ रुपए में

		1995-96		1996-97		1997-98 (अनंतिम)	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एन. टी. पी. सी.	1700.74	1572.25	1949.89	1251.89	2122.60	1504.95
2.	एन. एच. पी. सी.	1337.69	889.20	1136.02	494.54	898.35	506.47
3.	पावरग्रिड	1515.84	1470.71	1500.00	1557.05	1600.55	1578.50
4.	डी. वी. सी.	329.00	250.00	408.00	180.59	270.00	166.97
5.	टी. एच. डी. सी.	211.17	147.17	170.00	170.00	225.00	321.91
6.	एन. जे. पी. सी.	530.00	415.01	521.17	496.13	960.00	774.50
7.	पी. एफ. सी.	300.00	300.00	550.00	785.00	550.00	716.77
8.	नीपको	498.40	458.08	336.40	179.55	160.98	167.18
9.	आर. ई. सी.	300.00	4.99	50.00	15.94	30.00	30.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	विद्युत मंत्रालय (अन्य)	200.67	148.03	168.82	146.89	125.37	109.38
	जोड़ केन्द्रीय योजना	6923.51	5655.44	6790.30	5277.58	6942.85	5876.63
राज्य योजना							
11.	आर. ई. सी.	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	648.00
	कुल जोड़ :	7271.51	6003.44	7138.30	5625.58	7290.85	6524.63

दूरसंचार सेवाएं

3853. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

श्री पी. सी. थामस :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बुनियादी और मूल्य वर्द्धित दूरसंचार सेवाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या केरल में इन्टरनेट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूरसंचार कार्यक्रमों के विकास हेतु निवेश में सभी राज्यों में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित और व्यय की गई;

(च) विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान केरल के एर्णाकुलम और कोट्टायम जिलों में प्रत्येक एक्सचेंज हेतु कितनी राशि खर्च की गई; और

(छ) वर्ष 1998-99 के दौरान केरल में कितने नए कनेक्शन दिए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) अपने ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप बुनियादी सेवाओं/मूल्यवर्धित सेवाओं में सुधार लाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। दूरसंचार विभाग की वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं में सुधार लाने के प्रस्ताव सम्मिलित किए जाते हैं। बुनियादी और मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेजों तथा आप्टिकल फाइबर केबिल, डिजीटल प्रणाली, उपग्रह मीडिया आदि विश्वसनीय संचारण माध्यम का इस्तेमाल करना।

(ii) डक्ट में केबिल बिछाना।

(iii) जेली भरी केबिलों का इस्तेमाल करना।

(iv) घिसे पिटे उपस्करों को बदलकर बाह्य संयंत्र का उन्नयन।

(v) नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकियां शामिल करना।

(vi) सेवाओं और विशेषकर दोष मरम्मत तथा वाणिज्यिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(vii) एक्सचेंजों के कार्यनिष्पादन का उच्चस्तर पर मानीटरिंग करना।

(viii) कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उन्हें पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना।

(ix) दुबारा हुई खराबियों पर तुरंत ध्यान देना।

(x) इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को एक चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक किस्म के एक्सचेंजों में बदलना।

(xi) ड्राप वायरों की लम्बाई को कम करना।

(xii) ओवरहैड संचारण मीडिया को धीरे-धीरे आधुनिक विश्वसनीय संचारण मीडिया में बदला जा रहा है।

(xiii) डायनमिक एस टी डी लॉकिंग सुविधा प्रदान करना।

(xiv) कॉल नेटिंग सेवाएं निःशुल्क करना।

(xv) गैर विशिष्ट आधार पर भारतीय पंजीकृत कम्पनियों को रेडियो पेजिंग/सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं/पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक मेल, वायस मेल, आडियो टेक्स्ट, इनसेट उपग्रह के जरिए क्लाज्ड यूजर ग्रुप डोमेस्टिक 64 के. बी. पी. एस. डाटा नेटवर्क जैसी विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं को फ्रेंचाइज किया जाना।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम में इंटरनेट नोड काम कर रहे हैं। उक्त दो स्थानों के इंटरनेट नोड की क्षमता बढ़ाने के अलावा कालीकट में एक नया नोड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। जिसके लिए उपस्कर हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) जी, हां। सामान्यतया सभी राज्यों में दूरसंचार के विकास के लिए निवेश में वृद्धि की गई है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(छ) 1998–99 के दौरान केरल सर्किल में लगभग 325,000 नए कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के लिए राज्यवार किया गया एफ. जी. आबंटन तथा वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	सर्किल	एफ. जी. आबंटन 95–96	वास्तविक व्यय	एफ. जी. आबंटन 96–97	वास्तविक व्यय	एफ. जी. आबंटन 97–98	वास्तविक व्यय
1.	अंडमान निकोबार	3.57	4.11	10.74	5.28	13.51	
2.	आंध्र प्रदेश	484.24	476.56	497.73	470.33	548.58	
3.	असम	62.51	62.04	89.67	90.71	119.93	
4.	बिहार	189.80	187.59	232.00	231.6	262.62	
5.	गुजरात	474.22	468.21	484.72	453.19	563.25	
6.	हरियाणा	200.24	200.12	238.00	248.05	214.98	
7.	हिमाचल प्रदेश	184.74	190.36	154.99	132.47	114.78	
8.	जम्मू–कश्मीर	78.25	50.01	97.64	70.56	54.63	
9.	कर्नाटक	470.00	512.33	457.36	479.80	634.44	
10.	केरल	605.00	630.02	627.62	670.80	645.98	
11.	मध्य प्रदेश	475.00	398.43	335.76	307.87	303.32	
12.	महाराष्ट्र	641.51	704.02	761.87	762.69	834.29	
13.	उत्तर–पूर्वी	88.40	80.98	106.00	100.82	99.97	
14.	उड़ीसा	160.74	140.46	184.61	171.06	168.39	
15.	पंजाब	370.00	369.52	439.44	431.37	423.23	
16.	राजस्थान	318.28	309.85	375-47	337.43	352.11	
17.	तमिलनाडु	718.04	729.40	781.60	766.46	886.74	
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	280.33	281.65	335.85	314.35	577.46	
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	259.48	258.03	445.33	352.69	399.59	
20.	पश्चिम बंगाल	354.15	383.64	364.85	390.43	629.36	
21.	(क) एमटीएनएल दिल्ली	490.38	491.0	423.91	408.0		
	(ख) एमटीएनएल मुम्बई	453.08	496.67	610.11	503.87		
	अन्य अनुषंगिक यूनिटें	793.85	793.83	809.17	742.20		

अर्थात् :

परियोजना सर्किल, अनुरक्षण सर्किल, टास्कफोर्स गुवाहाटी, एएलटीटीसी गाजियाबाद, दूरसंचार फैक्ट्रियां, सीजीएम (टीएस), कलकत्ता, आर. ई. पी. नागपुर, क्यू. ए. बंगलौर, टी. ई. सी. नई दिल्ली, टी. टी. सी. जबलपुर, टी. एण्ड डी. जबलपुर डी–नेट, नौएडा)

विवरण—II

पिछले तीन वर्षों का विकास कार्यक्रम तथा व्यय की गई धन राशि (एर्नाकुलम जिला)

एक्सचेंज का नाम	क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रतीक्षा सूची	कुल व्यय (लाखों में) 95–98	विकास/ विस्तार विस्तार कार्यक्रम 90–99
1	2	3	4	5	6
आलंगद	1400	1088	381	210	शून्य
एलवई	11000	10720	2454	1599	2500 लाइनें
अम्बालामुगल	1500	1391	शून्य	228	शून्य
अनाप्पाड़ा	296	184	754	17	704 लाइनें
अंगामली	4500	4348	2468	569	3000 लाइनें
अराकुन्नम	1200	1097	609	158	शून्य
आयावाणा	360	357	692	27	1400 लाइनें
अरूयामपुजहां	88	87	349	3	368 लाइनें
चथापट्टम	160	155	257	शून्य	368 लाइनें
चेलाद	1400	1173	470	178	शून्य
चेल्लनम	184	176	216	7	184 लाइनें
चेंगमानाड़	1400	1325	397	242	शून्य
चेरई	1584	1544	1470	187	3500 लाइनें
चेरुवट्टूर	160	156	795	शून्य	1000 लाइनें
चित्तूर	1500	1383	149	228	शून्य
चिट्टनीक्काड़ा	1000	953	664	128	2000 लाइनें
चुंदकुझी	552	541	413	55	1000 लाइनें
एर्नाकुलम–आरूयाप्पंकपु	6000	5990	693	927	2000 लाइनें
ई. के. एम.–कोचीन	9000	8639	1747	228	2000 लाइनें
ई. के. एम.–एर्नाकुलम I	5000	4452	शून्य	शून्य	शून्य
ई. के. एम.–एर्नाकुलम II	12000	11143	शून्य	309	शून्य
ई. के. एम.–एर्नाकुलम III	5000	3869	शून्य	शून्य	शून्य
ई. के. एम.–पलारीवटटम IV	9500	9474	शून्य	875	शून्य
ई. के. एम.–पलारीवटटम V	11100	11007	3508	230	शून्य
ई. के. एम.–पल्लूरुथ्री	5000	4865	465	1140	1000 लाइनें
ई. के. एम.–पनमपल्लीनगर	13000	12359	1	456	शून्य
ई. के. एम.–सर्विस लाइन	256	218	शून्य	शून्य	शून्य
ई. के. एम.–वीतिला	6000	5270	272	1368	1000 लाइनें
ई. के. एम.–एन द्वीप समूह	3000	2790	179	225	1000 लाइनें
एडमालयर	88	51	10	5	शून्य

1	2	3	4	5	6
एलानरजी	1000	960	529	157	शून्य
के. एस. वाई.–कलमासेरी VI	4800	4512	2287	शून्य	7000 लाइनें
के. एस. वाई.–कलमासेरी VII	1000	987	शून्य	शून्य	शून्य
के. एस. वाई.–कलमासेरी VIII	3500	3443	शून्य	342	शून्य
कड़ावूर	360	334	235	27	1000 लाइनें
कलाड़ी	3000	2880	2890	405	4000 लाइनें
कल्लूरड़काड़	384	368	750	शून्य	1400 लाइनें
केदकादावू	384	382	301	शून्य	1000 लाइनें
कीचेरी	1000	367	247	195	शून्य
कीझील्लम	1400	1339	417	65	शून्य
कीझाकम्बलम	4000	1948	1256	775	1000 लाइनें
कीलेनचेरी	1500	1490	1720	17	4000 लाइनें
कोम्बानाड़	296	179	554	22	704 लाइनें
कूथाहूकूलम	1632	1630	1550	शून्य	4000 लाइनें
कूवापाड़ी	1384	1367	782	177	2500 लाइनें
कूमंगलम	5000	4900	1208	425	शून्य
कूट्टापाड़ी	568	556	502	37	1400 लाइनें
कुम्लांघी	568	537	421	113	1000 लाइनें
कुन्नूकरा	368	363	754	27	1400 लाइनें
कुतुमपुझा	184	86	290	14	184 लाइनें
मलयलाट्टुर	192	180	510	शून्य	1000 लाइनें
मानीड	1000	958	367	147	शून्य
मंजापरा	1000	876	740	122	400 लाइनें
मरामपिल्ली	496	496	1006	42	2000 लाइनें
माझुवानूर	1384	704	723	317	शून्य
मेक्काडाम्पू	1000	916	519	179	शून्य
मूठाकुन्नाम	1200	518	799	161	शून्य
मूझीकुलाम	1400	1353	609	159	शून्य
मुलामथुरूपी	3000	1465	1263	365	शून्य
मुवाहटपुझा	7000	4001	3687	812	शून्य
नारक्कल	4000	2877	1649	775	शून्य
मनिडापाड़ा	88	शून्य	शून्य	13	शून्य
नेल्लीमाटोम	1000	367	360	117	शून्य
नेरियामामंगलम	336	166	378	26	368 लाइनें
नेटूर	1500	988	321	169	शून्य
ओडाकाली	1384	1011	900	196	शून्य

1	2	3	4	5	6
ऊनूकाल	384	377	557	शून्य	1000 लाइनें
पू–परूर VI	1632	1569	1523	शून्य	शून्य
पू–परूर VII	4000	3458	शून्य	429	शून्य
पाडुवापुरम	1000	364	729	243	400 लाइनें
पम्पाकुडा	1400	1343	955	136	2500 लाइनें
पंडापल्ली	1000	940	646	शून्य	2000 लाइनें
पेरूम्बावूर	8000	7210	2328	987	शून्य
पिरावाम	1500	1470	1025	94	3000 लाइनें
पोथानीकाडू	1784	1152	704	244	शून्य
पुथेनक्रुज	768	758	1615	शून्य	2500 लाइनें
पुथेनवलिकारा	1000	180	865	82	शून्य
रामामंगलम	360	360	891	शून्य	1400 लाइनें
सोमूलानगरम	1000	792	1304	213	शून्य
वी. पी. एन.–त्रिपुनिथुरा VI	5000	4427	शून्य	शून्य	शून्य
टी. पी. एल.–त्रिपुनिथुरा VII	4000	2635	शून्य	912	5000 लाइनें
थिक्काकरा सी. ई. पी. जेड.	5000	4248	271	684	शून्य
उदयमपरूर	1000	592	424	121	1000 लाइनें
वादाट्टूपाड़ा	88	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वालायानचिरन्गारा	1000	1374	988	167	शून्य
वारापुझा	1400	1398	1338	379	3000 लाइनें
वाझाकुलाम	1632	1556	506	शून्य	2500 लाइनें
वेनगूर	584	578	883	3	1400 लाइनें
वाईपिन	520	506	324	82	शून्य
कोट्टायम जिला					
अयारकुन्नाम	3000	1266	1817	457.17	शून्य
भारा नानगणोम	918	890	723	162.31	2000 लाइनें
चंगानाचेरी	11500	10871	1307	1165.53	शून्य
चेम्पू	1000	590	396	163.42	शून्य
चेनाप्पाडी	420	408	299	शून्य	580 लाइनें
चेंगालाम	720	709	421	168.05	1200 लाइनें
चेन्नाड	368	317	61	49.39	शून्य
चिंगावानम	3000	2932	1884	761.12	2000 लाइनें
एराट्टूपेट्टा	3000	2240	986	448.48	शून्य
एरूमेली	1000	979	713	शून्य	2000 लाइनें
एट्टूमानुर	5000	3952	1662	917.38	शून्य
गांधीनगर	5000	4049	981	497.29	शून्य

1	2	3	4	5	6
के. टी. एम. कांजीकुझी	7000	5431	1258	924.89	शून्य
के. टी. एम. कोट्टायम	18000	15222	1287	2145.04	1000 लाइनें
कल्लारा (के. टी. एम.)	552	482	213	120.15	शून्य
कंगाझा	1200	372	1374	220.02	2000 लाइनें
कांजीरापल्ली	2500	2276	1178	250.40	1500 लाइनें
कारूकाचाल	1400	1101	1589	142.06	3000 लाइनें
किदानगूर	760	753	1162	148.92	2000 लाइनें
कोल्लापल्ली	736	729	859	125.20	2000 लाइनें
कूट्टिक्कल	488	362	309	112.72	1000 लाइनें
कूवापपल्ली	368	364	124	88.94	184 लाइनें
कोरूथीडे	184	156	236	5.80	184 लाइनें
कोजूवनल	952	747	526	123.44	1500 लाइनें
कूडावेचूर	536	506	333	83.37	शून्य
कुमाराकोम	1400	857	357	207.71	3000 लाइनें
कून्नूउन्नी	368	192	173	49.39	शून्य
कुरूमन्नू	1000	542	9	216.92	शून्य
कुरूपपन्थारा	1312	1165	2034	61.71	3500 लाइनें
कुरूविलियनगढ़	200	1469	428	418.92	शून्य
मम्मूद	744	732	1318	153.93	2000 लाइनें
मनीमाला	768	756	1214	शून्य	2000 लाइनें
मारंगगट्टूपल्ली	1384	1307	416	241.58	2000 लाइनें
मेलूकवूमट्टम	384	383	510	शून्य	1000 लाइनें
मेवल्लूर	1064	758	1677	71.51	3000 लाइनें
मोनीपल्ली	520	343	443	115.01	1000 लाइनें
मूनीलवू	368	367	492	88.94	368 लाइनें
मुक्कूट्टुलथारा	520	506	337	119.20	1000 लाइनें
मुंडाकयम	1400	1319	954	137.77	शून्य
नीनदूर	552	456	408	133.38	1000 लाइनें
नजीजहूर	552	514	712	126.79	1200 लाइनें
पी. एल. आई.–पल्लई	5616	5080	764	1102.43	शून्य
पल्लार्लक्कटोडे	1272	441	204	214.52	शून्य
पप्पड़ी	2575	2473	2305	271.56	2500 लाइनें
पम्पावल्ली	368	176	286	54.71	शून्य
पाथमपूजा	368	181	125	49.39	शून्य
पेरिंगलम	528	362	230	81.44	शून्य
पिन्नाककनाडू	1216	1195	357	249.50	शून्य

1	2	3	4	5	6
पौंकून्नम	1528	1516	1491	शून्य	3500 लाइनें
पूवरनी	1000	990	783	199.75	2000 लाइनें
रामापुरम	2500	1384	1408	565.06	शून्य
तलायोलापरम्बू	2000	1498	630	524.33	शून्य
टिकोए	680	492	581	71.51	1104 लाइनें
ऊझावूर	1400	987	809	96.63	2000 लाइनें
वी. के. एम.–वेकम I	4150	2468	988	606.59	शून्य
वाकाथनम	1512	1478	1773	184.57	4000 लाइनें
वालावूर	368	366	148	111.21	184 लाइनें
वझूर	736	693	1516	229.56	2500 लाइनें
वेलीचियानी	738	225	274	88.90	184 लाइनें

[हिन्दी]

काकोरी में राष्ट्रीय स्मारक

3854. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी काण्ड के शहीदों के जन्म स्थान और उनके कार्य स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने अथवा उनका विकास करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। पचासवीं वर्षगांठ के आयोजन संबंधी कार्यान्वयन समिति, सम्पूर्ण भारत में स्वतंत्रता–स्मारकों का निर्माण करने के पक्ष में नहीं थी और इसने विद्यमान विद्यालयों का उन्नयन करके उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने की सिफारिश की थी। तथापि, स्वतंत्रता स्मारकों का निर्माण करके. स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

कानाकोना में राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक

3855. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानाकोना में राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक पूर्ण हो जाने के बाद कारवार–मदगांव के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी;

(ख) पुलों और लिंक सड़कों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) लगभग 61 कि. मी.।

(ख) और (ग) पुन: संरेक्षण के लिए राज्य के लो. नि. वि. ने पहले ही भूमि अधिगृहीत कर ली है। इस परियोजना को निजी क्षेत्र की भागीदारी के अंतर्गत शुरू करने का प्रस्ताव है।

भारतीय वन अधिनियम में संशोधन

3856. श्री बीर सिंह महतो : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने का है;

(ख) क्या सरकार का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि करने का है; और

(ग) क्या इस विधान को लाने से सरकार के लिए वन कटाव भूमि को आपातकालीन वनरोपण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त घोषित करना आसान होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां। सरकार ने वनों के पुनःस्थापन संरक्षण तथा प्रबंधन के साथ–साथ इस संबंध में एक समान कानून बनाने के लिए विभिन्न राज्य संशोधनों को समेकित करने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने हेतु एक विस्तृत कार्रवाई आरम्भ की है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में सरकार का लक्ष्य लोगों की भागीदारी से व्यापक वनीकरण कार्यक्रमों के जरिए हरित क्षेत्र में वृद्धि करना है। संशोधनाधीन कानून का उद्देश्य वनों में हो रही कमी को रोकने के लिए वन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को सुदृढ़ बनाना है।

वरिष्ठ अधिकारियों का अभियोजन

3857. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 को अपने आदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के मामले में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं/उठा रही है।

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

3858. श्री के. एस. राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं के मामले में टैरिफ की वसूली परियोजनाओं की कुल ऐसी लागत से की जाती है जिसमें निर्माण के समय हुआ वित्त पोषण और ब्याज प्रभार संबंधी व्यय शामिल होता है;

(ख) क्या नकद और सुलभ धन एक दूसरे के पूरक हैं और एक में वृद्धि से दूसरे में कमी आती है अथवा विलोमतः होता है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी वित्तीय स्वीकृति देते समय विभिन्न परियोजनाओं की कुल सम्पन्न लागत की तुलना न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विद्युत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की दृष्टि से उल्लिखित विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सुलभ लागत सामान्य शर्तों के तहत नगद लागत की मात्रा पर निर्भर करती है। सुलभ लागत के घटक जैसे निर्माण के दौरान ब्याज और वित्तीय प्रभारों, अनेक घटकों पर जो कि परियोजना दर परियोजना विभिन्न होते हैं पर निर्भर करती है। नगद लागत में अंतर्निहित गुणक घटकों और विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सुलभ लागत को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नगद लागत और सुलभ लागत की शर्तों के तहत परियोजनाओं को अलग रूप में और इसी प्रकार की अन्य परियोजना के साथ तुलनात्मक शुल्कों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत परियोजना के तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति, त्वरित वृद्धि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आदि, फ्यूल लिंकेज आदि के लिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (सी) और 18 (ए) के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

[हिन्दी]

विद्युत असंतुलन को कम किया जाना

3859. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने राज्यों में विद्युत असंतुलन को कम करने में कोई सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार ऋण के रूप में स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विद्युत वित्त निगम उन विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जिनके क्रियान्वयन से विद्युत आपूर्ति में कमी को घटाने में सहायता मिलती है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान पीएफसी द्वारा स्वीकृत ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

उधारकर्ता	1995–96 के दौरान	1996–97 के दौरान	1997–98 के दौरान
1	2	3	4
एच. एस. ई. बी.	26.70	0.00	39.33
हरियाणा सरकार	9.17	0.00	0.00
एच. पी. एस. ई. बी.	71.70	6.50	0.00
हि. प्र. सरकार	0.56	0.00	0.00

1	2	3	4
पी. एस. ई. बी.	0.00	359.83	427.00
आर. एस. ई. बी.	212.40	125.00	6.85
राजस्थान सरकार	4.04	0.00	0.00
यू. पी. एस. ई. बी.	0.00	0.00	99.70
नागालैंड	28.00	0.00	44.30
ग्रिडको	63.30	0.00	15.90
ओ. पी. जी. सी.	50.00	0.00	0.00
ओ. एच. पी. सी.	0.00	326.90	0.00
डब्ल्यू. बी. एस. ई. बी.	32.00	0.00	0.00
डी. पी. एल.	0.00	6.80	0.00
एन. एच. पी. सी.	0.00	109.00	0.00
डी. वी. सी.	0.00	0.00	0.00
जी. ई. बी.	15.40	30.01	40.40
एम. पी. ई. बी.	0.00	0.00	529.94
एम. एस. ई. बी.	299.68	331.45	553.90
गोवा	0.00	0.00	0.60
जी. एस. ई. सी. एल.	0.00	0.00	250.00
बी. एस. ई. एस.	0.00	47.50	0.00
महेश्वर	0.00	0.00	224.00
जी. आई. पी. सी. एल.	0.00	0.00	150.00
ए. पी. एस. ई. बी.	280.00	183.00	111.00
के. ई. बी.	172.00	38.30	0.00
के. पी. सी. एल.	10.50	311.00	247.20
के. एस. ई. बी.	127.00	20.90	0.00
टी. एन. ई. बी.	69.40	163.45	99.90
ए. पी. जी. पी. सी. एल.	0.00	0.00	22.50
जी. पी. पी. एल.	0.00	0.00	1.43
जोड़ :	1471.85	2059.64	2863.95

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर केबल

3860. श्री के. एस. राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग (डी. ओ. टी.) राष्ट्रीय राजमार्गों पर केबल बिछाने के लिए जल–भूतल परिवहन मंत्रालय से 15 वर्षों से रियायती पुनर्स्थापन प्रशुल्क प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूर–संचार विभाग ने उपर्युक्त रियायत इस विभाग द्वारा वसूले गए प्रभार के बराबर पुनर्निवेश प्रभार का भुगतान कर राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्दर आप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु गैर–सरकारी आधारित आपरेटरों को प्रदान करने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने दूर संचार विभाग का अनुरोध न सिर्फ अस्वीकार किया बल्कि दूर–संचार विभाग को दी गई रियायत भी वापस कर ली है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (च) दूरसंचार विभाग, राज्य स्तर पर सड़क अनुरक्षण संबंधी प्राधिकारियों द्वारा लेवी किए गए पुनर्स्थापन (रीइनस्टेटमेंट) प्रभारों का भुगतान करता रहा है। यह प्रभार अलग–अलग राज्यों में पृथक–पृथक हैं। दूरसंचार विभाग ने, भूतल परिवहन मंत्रालय से, निजी बुनियादी टेलीफोन प्रचालकों को, दूरसंचार विभाग के बराबर समझने तथा दूरसंचार विभाग द्वारा भुगतान किए गए समान पुनर्स्थापन प्रभार लेवी करने का अनुरोध किया है। भूतल परिवहन मंत्रालय ने, हाल ही में सूचित किया है कि वाणिज्यीकरण तथा दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से, दूरसंचार विभाग तथा निजी प्रचालकों को राष्ट्रीय राजमार्गों को भूमि के इस्तेमाल के लिए, 15 वर्षों के अवधि के लिए 75/– रु. प्रति मीटर, लीज प्रभार के रूप में भुगतान करना होगा। दूरसंचार विभाग को भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ मामले पर विचार–विमर्श करने का प्रस्ताव है।

सी. आई. ई. एफ. एल., शिलांग का दर्जा बढ़ाना

3861. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल इस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंगवेजेज शिलांग, (मेघालय) में अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता तथा श्रम शक्ति है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान के दर्जे को बढ़ाकर सी. आई. ई. एफ. एल., हैदराबाद के समकक्ष लाने के लिए संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त धन प्रदान करने का सरकार का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान एक सम–विश्व–विद्यालय है और शिलांग उसका क्षेत्रीय केन्द्र है। शिलांग में एक स्थाई परिसर बनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव पर ध्यान दिया जा रहा है।

केरल में बालवाड़ी और आंगनवाड़ी

3862. श्री वी. वी. राघवन :

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालवाड़ी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक देने और प्रत्येक प्रखंड में आंगनवाड़ी की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय केरल में कितनी आंगनवाड़ी और बालवाड़ी कार्य कर रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत बालवाड़ियों को 1–4–98 से बन्द करने का विचार था। लेकिन, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम स्कीम को ऐसे क्षेत्रों में अब 31–3–2001 तक जारी रखा जाएगा, जहां आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं। किसी भी आई. सी. डी. एस. परियोजना में आंगनवाड़ियों की संख्या कम करने के कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय केरल में 181 बालवाड़ियां और 20123 आंगनवाड़ियां चलाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

विद्युत विकास हेतु विदेशी सहायता

3863. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत विकास हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता प्राप्त की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस सहायता के उचित उपयोग के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनरीक्षित और समुपयोजित विदेशी सहायता निम्नानुसार है :–

(रु. करोड़ में)

1996–97	1997–98	1998–99 (मई 1998 तक)
3293.08	3868.21	545.74

(ग) अक्तूबर 1996 से विद्युत मंत्रालय में एक परियोजना मानीटरिंग कक्ष का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न मुद्दों के निराकरण के लिए अलग–अलग स्तरों पर की जा रही कार्रवाई

की आवधिक समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि निष्पादन एजेंसियां समय से विदेशी सहायता का समुपयोजन करें। निष्पादन एजेंसियां अपने बोर्ड स्तर पर निर्णायक परियोजनाओं की समीक्षा भी करती है। विद्युत मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति कठिनाइयों के निवारण हेतु परियोजनाओं की नियमित रूप में समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में डाकघर

3864. श्री ए. सिदराजू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कार्यरत डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में वर्ष 1997–98 के दौरान खोले गए नए डाकघरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान कितने नए डाकघर खोले जाने का विचार है; और

(घ) कर्नाटक में कामराज नगर क्षेत्र में कार्यरत डाकघरों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) कर्नाटक में 9837 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1998–99 के लिए 5 नए विभागीय उपडाकघर तथा 10 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) कर्नाटक में कामराजनगर रीजन में 198 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1998–99 के दौरान कर्नाटक राज्य में खोले गए नए डाकघरों का ब्यौरा

(क) **विभागीय उपडाकघर**

1. लालनकेरे, जिला हासन
2. कन्नीयूर, जिला पुत्तुर
3. रामसमुद्रा, जिला नन्जागुड
4. हेब्बाल स्कीम, मैसूर जिला
5. दूरदर्शन नगर, बेंगलूर

(ख) **अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर**

1. कारीमनेल, जिला डी. कन्नड़
2. बेइचानाहल्ली, जिला कोडागू
3. मुदरावल्ली, जिला कोडागू
4. यलेरामपुरा, जिला तुमकर
5. कनयाडी, जिला डी. कन्नड़
6. गट्टा कमाडेना हल्ली, जिला कोलर
7. मुक्कोडलु, जिला कोडागू
8. बांदुर, जिला हासन
9. सिदरामपुर, जिला रायचूर
10. मडिगाहल्लीं, जिला मैसूर
11. कनाहल्ली, जिला मैसूर
12. हौसा अगराहारा, जिला शिमोगा
13. हनागेरे, जिला शिमोगा
14. बोक्काहल्ली, जिला मैसूर
15. हेब्बारीज, जिला शिमोगा
16. हेग्गोडू, जिला शिमोगा
17. मेलीनासमपल्ली, जिला शिमोगा
18. चंद्रावल्ली, जिला शिमोगा
19. हेग्गावाड़ी, जिला मैसूर
20. होंडारबालू, जिला मैसूर
21. मरालूर, जिला मैसूर
22. कुडामबेट्टू, जिला डी. कन्नड़
23. हेसकेधूर, जिला डी. कन्नड़
24. अछापुरा, जिला शिमोगा

खेलकूद के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

3865. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खेलकूद के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस संबंध में गैर सरकारी संगठन–वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठन–वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1995–96, 1996–97 और 1997–98) के दौरान महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठन–वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	क्रम सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम	जारी की गई वित्तीय सहायता की धनराशि
1995–96			
	1.	शिक्षण प्रसारक मण्डल, जलगांव	42,500/– रु.
	2.	रयात शिक्षण संस्था, पुणे।	2,98,000/– रु.
	3.	शिव स्मारक समिति, पुणे।	14,00,000/– रु.
	4.	कृष्णा वैली चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, कुपवाड़, सांगली।	20,00,000/– रु.
	5.	नगर युवक शिक्षण संस्था, नागपुर।	18,00,000/– रु.
	6.	सहयाद्री शिक्षण संस्था, सावर्दा, रत्नागिरि।	27,00,000/– रु.
	7.	हनुमान व्यायामशाला क्रीड़ा मण्डल, यवतमाल।	10,00,000/– रु.
	8.	आजाद व्यायाम मण्डल, सांगली।	50,000/– रु.
	9.	सिमबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक केन्द्र, पुणे।	9,00,000/– रु.
		योग :	1,01,90,500/– रु.
1996–97			
	1.	हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल, अमरावती।	18,00,000/– रु.
		योग :	18,00,000/– रु.
1997–98			
	1.	अकोला खेल परिसर, अकोला।	3,28,000/– रु.
	2.	सिमबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक केन्द्र, पुणे।	1,00,000/– रु.
	3.	बाराशिव हनुमान ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मण्डल, बाराशिव परभनी।	72,000/– रु.
		योग :	5,00,000/– रु.
1995–96 से 1997–98 का कुल योग :			1,24,90,500/– रु.

रेटिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना

3866. श्री टी. गोविन्दन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कक्कोडी कालीकट में स्थायी रेटिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि इसकी स्थापना के बारे में निर्णय 1990 के आरम्भ में ही कर लिया गया था; और

(ख) इसकी स्थापना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) केरल में एक रेटिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर सन् 1990 में इस धारणा के साथ कार्रवाई की गई थी कि इस प्रयोजनार्थ केरल सरकार भूमि मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। चूंकि, केरल सरकार भूमि मुफ्त उपलब्ध नहीं करवा सकी अतः इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

सरकार द्वारा 1997 में प्रतिपादित नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप नए प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केवल निजी क्षेत्र में खोले जाएंगे। इस मामले में सरकार की भूमिका केवल स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने तक होगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

3867. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतर माध्यमिक केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने में कुल कितनी धनराशि खर्च होती है;

(ख) क्या इस व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है अथवा संबंधित राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता मांगी जाती है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय का हिस्सा कितना–कितना है;

(घ) मध्य प्रदेश में ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है; और

(ङ) जिन स्कूलों में यह सुविधा नहीं है वहां उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा कब से प्रदान किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन उच्चतर माध्यमिक केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने में हुए व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखता। सामान्यतः केन्द्रीय विद्यालय शुरू में कक्षा V तक के लिए खोले जाते हैं और प्रत्येक वर्ष एक नई कक्षा जोड़कर इसका स्तर बढ़ाया जाता है।

(ख) और (ग) प्रायोजक राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क भूमि और अस्थायी आवास प्रदान करने को छोड़कर सिविल और रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों को चलाने में संपूर्ण आवर्ती और अनावर्ती व्यय संघ सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान राशि से वहन किया जाता है।

(घ) मध्य प्रदेश में 31.3.1998 तक कक्षा XII तक 56 केन्द्रीय विद्यालय और कक्षा X तक 24 केन्द्रीय विद्यालय हैं।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों का स्तर उन्नत करना छात्रों की संख्या, आधारभूत सुविधाओं और उपलब्ध राशि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए विशेष छूट

3868. श्री बी. एम. मेनसिंकाई :

श्री के. येरन्नायडू :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए विशेष छूट फिर से देने के प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किए जाने की आशा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने विधि मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के दाखिले उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार करने का निर्णय लिया है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ बनाया गया है। इन दाखिलों को अपर सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा। इस योजना की मुख्य–मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के दाखिलों के लिए दिशा–निर्देश

विशेष छूट के दाखिलों का विनियमन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

(i) मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री क्रमशः अधिक से अधिक मामले 1000 (एक हजार) और 100 (एक सौ) तक विशेष छूट दाखिलों के लिए भेज सकते हैं।

(ii) प्रत्येक संसद सदस्य एक शैक्षिक वर्ष में इस योजना के तहत दो मामले भेज सकता है।

(iii) उक्त (i) और (ii) में उल्लिखित विशेष छूट के दाखिले, समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार एक शैक्षिक वर्ष में एक कक्षा में कुल दाखिलों/संस्वीकृत क्षमता के अधिकतम 5% तक भाग होंगे।

(iv) विशेष छूट के दाखिले, शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में ही किए जाएंगे और निर्धारित तारीख के पश्चात् कोई दाखिला नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक संसद सदस्य एक शैक्षिक वर्ष में विशेष छूट के दाखिलों के लिए दो मामले भेज सकता है।

केन्द्रीय विद्यालयों की विभिन्न श्रेणियों में उन बच्चों का दाखिला हो सकता है, यदि :–

(i) उनके माता–पिता में से किसी एक की अथवा दोनों की ही मृत्यु हो गई हो, अथवा

(ii) उनके माता–पिता में से कोई एक अथवा दोनों ही मानसिक दृष्टि से रुग्ण अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हों; अथवा

(iii) माता–पिता द्वारा उसे छोड़ दिया गया हो; अथवा

(iv) उसके माता–पिता ऐसे व्यक्ति हैं जो अपात्र कमियों की परिस्थितियों में रह रहे हैं जैसे घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होना, अथवा

(v) उसके माता–पिता निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं, अथवा उसके माता अथवा पिता किसी सामाजिक तौर से वंचित वर्ग से संबंधित हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अथवा

(vi) बच्चे के माता–पिता जिस इलाके में रह रहे हों उसके अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं हेतु सुलभता नहीं है; अथवा

(vii) उसके माता अथवा पिता पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों में किसी स्थान पर रह रहे हैं; अथवा

(viii) उसके माता अथवा पिता को जुर्म में कैद हुई हो अथवा अन्यथा पांच वर्ष से अधिक की अवधि तक नजर बंद रखा हो; अथवा

(ix) वह विकलांग बच्चा है; अथवा

(x) वह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र/पुत्री अथवा पौत्र/पौत्री है जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण केन्द्रीय/राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है (प्रमाण संलग्न करना होगा)।

(xi) उसके माता अथवा पिता का स्थानांतरण ऐसे स्थान पर हुआ है जहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है; अथवा

(xii) वह ऐसा बालक/बालिका है जो राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता हो; अथवा

(xiii) वह ऐसे शिक्षक का पुत्र/पुत्री है जिसने राष्ट्रीय/राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया है; अथवा

(xiv) उसने खेल–कूद अथवा ललित कलाओं में विशेष योग्यता प्रदर्शित की है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण

3869. श्री महेश कनोडिया : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में उच्च न्यायालय भवन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक अनुमोदन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता समाप्त करना

3870. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग

3871. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक सहयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और रूस के विशेषज्ञों ने सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो पता लगाए गए नए क्षेत्रों के संबंध में किए गए समझौतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दीर्घावधि सहयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत जैव चिकित्सीय विज्ञान, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महासागर प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के अतिरिक्त क्षेत्रों के रूप में की गई है। इन क्षेत्रों में दोनों पक्ष संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

निगम प्रतिभूति

3872. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निगम प्रतिभूति की आवश्यकता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व की प्रसिद्ध प्रतिभूति कम्पनियां

भारत में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय देश में कार्यरत ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भविष्य में भारत में कार्य करने हेतु ऐसी और कम्पनियों को अवसर उपलब्ध कराने की संभाव्यता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या देश के भीतर ही निगम प्रतिभूति कम्पनियां तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.02 बजे

लोकसभा अपराह्न बारह बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

12.02 ½ बजे

इस समय डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। डॉ. मुरली मनोहर जोशी सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय कुमारी ममता बनर्जी आयीं और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गईं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठिए आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर सभी सदस्यों से अपील करता हूं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात अवश्य सुनूंगा लेकिन आप पहले अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात समझिए। इस विषय पर दस सदस्यों ने सूचना दी है। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं फिर अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक–सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

अपराह्न 02.01 ½ बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले पेपर्स लेड होने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले पेपर्स लेड होने दीजिए। उसके बाद देखेंगे।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : सुनिए। सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पेपर्स लेड होने के बाद, आर्डर पेपर से क्रम संख्या 10 पर बोलिएगा, तब हम सरकार से भी बयान मांगेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पेपर्स लेड करने के बाद।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले पेपर्स लेड होने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पेपर्स लेड करने के बाद आर्डर पेपर के आइटम दस पर बोलिएगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 02.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

(एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसिस का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और इसके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसिस, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसिस, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसिस, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 977/98]

(3) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 978/98]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 979/98]

(7) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सैल साइंस पुणे के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सैल साइंस पुणे के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 980/98]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 981/98]

(ख) (एक) भारत इम्युनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड बुलन्दशहर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्युनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर का वर्ष 1996–97 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 982/98]

[अनुवाद]

(दो) पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के साथ वर्ष 1998-99 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 983/98]

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 984/98]

वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक के लेखा परीक्षित प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और इनके विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री और जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 से 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 985/98]

[हिन्दी]

वर्ष 1998-99 के लिए टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और दूर-संचार विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 986/98]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्टस इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्टस इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 987/98]

[हिन्दी]

रामपुर राजा लाइब्रेरी के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखे, वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 988/98]

(3) (एक) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 989/98]

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 989क/98]

(5) (एक) संत लौंगोवाल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लौंगोवाल के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लौंगोवाल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लौंगोवाल के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 990/98]

(7) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 991/98]

(9) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 992/98]

(11) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 993/98]

(13) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 994/98]

(15) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 995/98]

(17) (एक) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में

हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 996/98]

(19) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 997/98]

(21) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर, के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 998/98]

(23) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 999/98]

(25) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1000/98]

(27) (एक) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1001/98]

(29) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1002/98]

(31) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1003/98]

(33) (एक) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1004/98]

(35) (एक) मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के

वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1005/98]

(37) (एक) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1006/98]

(39) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1007/98]

(41) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1008/98]

(43) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1009/98]

(45) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1010/98]

(47) (एक) बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के 10.1.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के 10.1.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के बीच हुए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1011/98]

(49) बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के 10.1.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1012/98]

(51) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1013/98]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क–सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 जो 27 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियम, 1997 जो 30 सितम्बर, 1997 के भारत के अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1014/98]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, निधियों का निवेश और परिसर में प्रवेश की शक्ति) संशोधन नियम, 1997 जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत 11 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1015/98]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1016/98]

(7) (एक) नेशनलशिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनलशिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1017/98]

(9) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1018/98]

(11) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1019/98]

(13) (एक) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1020/98]

(15) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1999–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1021/98]

(17) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापत्तन पत्तन न्यास, के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1022/98]

(19) महापत्तनम न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1023/98]

(ख) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1024/98]

(ग) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1025/98]

(घ) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1026/98]

(ङ) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1027/98]

(च) (एक) मोर्मूगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मोर्मूगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1028/98]

(छ) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1029/98]

(ज) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1030/98]

(झ) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1031/98]

(21) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1032/98]

(23) (एक) मरमागाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मरमागाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1033/98]

(25) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1034/98]

(27) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1035/98]

(29) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1036/98]

(31) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पोर्ट ब्लेयर स्थित पत्तन में कतिपय पोतों के प्रवेश और प्रस्थान पर अनिवार्य संचालन, शुल्क आदि का उद्ग्रहण (संशोधन) नियम, 1988 जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2) ख के अंतर्गत 15 जून 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 345 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1037/98]

(32) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा. का. नि. 311 (अ) जो 5 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया।

(दो) सा. का. नि. 319 (अ) जो 12 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी चिकित्सा प्रसुविधा) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया।

(तीन) सा. का. नि. 170(अ) जो 3 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1038/98]

अपराह्न 2.02 ½ बजे

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्रीमती जयंती पटनायक (बेहरामपुर) (उड़ीसा) : मैं शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998–99) के संबंध में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 2.02 3/4 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

तैंतालीसवां, चौवालीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री मोती लाल वोरा (राजनांदगांव) : मैं गृह मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998–99) के संबंध में

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः तैंतालीसवें, चौवालीसवें और पैंतालीसवें प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : सभा 2.30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.31 बजे

लोक सभा 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप मुझे बोलने का मौका दीजिए।

अपराह्न 2.31 ½ बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको जो कहना है वह आप अपनी सीट पर जाकर कहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, आपको जो कहना है वह आप अपनी सीट पर जाकर कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. सोज कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका जो आब्जेक्शन है वह आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : फातमी जी, आपको जो कहना है वह आप अपनी सीट पर जाकर कहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, आपको जो कहना है, अपनी सीट पर जाकर कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 5.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.00 बजे

लोक सभा 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री वी. सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

अपराह्न 5.01 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे तो मैं प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 5.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.02 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा 5.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.31 बजे

[अनुवाद]

लोकसभा 5.31 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।)*

(व्यवधान)

अपराह्न 5.31½ बजे

(इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री मुलायमसिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप कृपया अपने स्थान

पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 10 में श्री एम. तम्बी दुरई संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 14 जुलाई, 1998 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 5.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 जुलाई, 1998/23 आषाढ़, 1920 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/3/20/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।